राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] विधान सभा के छठे सत्र का पंचम दिवस [संख्या 5

शनिवार,

17 अगस्त, 1974

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विगत 10 व 11 जुलाई, 1974 को उदयपुर पुलिस द्वारा बोहरा ग्रुप एसोसियेशन के कुछ लोगों की पिटाई के विषय में,

(2) श्री उम्मेदीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से पिछले दिनों वर्षा के कारण हिण्डोन व बोंली तहसीलों के कई बान्ध टूट जाने के विषय में,

(3) सर्व श्री मीठालाल ओर मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 29 जुलाई, 1974 को भर, वस्सी रेलवे स्टेशनों के बीच रेलवे यात्रियों के और कुल लोगों के बीच झगड़ा हो जाने के विषय में,

(4) सर्वश्री निरन्जननाथ आचार्य और रामकिशन, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 15 अगस्त को उदयपुर में राष्ट्रीय समारोह मनाते समय राष्ट्रीय ध्वज के भूमि पर गिर जाने के विषय में,

इन सब स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(5) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर नगर में पेय जल की व्यवस्था जनगणना के अनुसार पर्याप्त न होने के विषय में,

(6) श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 7 अप्रेल को गंगानगर मे शिक्षा समिति, करणपुर द्वारा आयोजित कुश्तियों को मनोरन्जन कर से मुक्त कर देने के विषय में,

(7) श्री मनोहर लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्व विभाग द्वारा पटवारियों को काश्त गिरदावरी में तबदीली करने की हिदायत के विषय में,

ये प्रश्न हाल की किसी घटना से सम्बन्धित अथवा अविलम्बनीय लोकमहत्व के नहीं हैं।

(8) श्री केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा की ओर से लोक सेवा आयोग सैकण्डरी स्कूलों के प्रधान अध्यापकों के पदों के लिए चयन किये गये 324 व्यक्तियों के पदस्थापन आदेश निरस्त कर दिये जाने के विषय में। यह एक प्रश्न का विषय है अतः मैं इन सब स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्रीय ध्वज के बारे में प्रस्ताव मैंने रक्खा है। मेरा विश्वास है कि मुख्य मन्त्री जी की जानकारी में यह है। यह काफी चर्चा का विषय बन गया है, और क्षोभ का भी।

15 अगस्त को राष्ट्रीय समारोह मनाते समय राष्ट्रध्वज का जमीन पर गिर जाना और इसके बाद जिसके प्रति हमारी निष्ठा है, सम्मान है, जिस के प्रत्येक धागे में हमारी आस्थाएं हैं, विश्वास है, राष्ट्रीय कुर्बानियां हैं, उस राष्ट्रध्वज के नीचे गिर जाने के बाद वहां के जिलाधीश उस खम्भे को ही जिससे यह राष्ट्रध्वज गिरा, सलामी दे रहे थे और इसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर लेते हैं। जितना कार्यक्रम था वह प्रारम्भ रहा और राष्ट्रध्वज की पूरे रूप में उपेक्षा की गई। इसने हजारों आदमियों को क्षुब्ध किया और हजारों आदमियों ने इस प्रश्न पर चिन्ता व्यक्त की है। मेरा विश्वास है कि यह राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने की परिभाषा में आता है।

राष्ट्रध्वज के अपमान पर कानून बना हुआ है। जो अपमान करता है वह अपराधी होता है और उसे अपराधी के रूप में समझा जाता है। मैं इस पृष्ठभूमि में निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मन्त्री जी से कि वे इस की जांच करें और उचित कार्यवाही करें। मैंने कल आपसे चर्चा भी की थी। आपके पास तार भी आये हैं।

आखिर यह प्रशासन की शिथिलता, अकर्मण्यता इस सीमा तक चली गई है कि जिसका असर राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय समारोहों पर भी पड़ने लग गया है। मेरा विश्वास है, अध्यक्ष महोदय, कि यह राजस्थान के स्तर का ही नहीं हिन्दुस्तान के स्तर का भी पहला ही मसला है। राष्ट्र के स्वतन्त्र होने के बाद राष्ट्रध्वज ऐसे किसी समारोह में गिरा हो, उसका भी यह पहला ही उदाहरण है। इस पर इस कारण से मुख्य मन्त्री महोदय स्वयं चिन्तित होंगे। मैं खेदपूर्वक और आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जितना शीघ्र हो सके, बल्कि आज ही इस घटना का स्पष्टीकरण आप कर सकें तो यह सामयिक होगा और जो इसका मूल कारण है उसे समझ कर उसे दूर करने का प्रयास करें।

इसका मूल कारण जो मेरी समझ में आया है वह है नौकरशाही के हाथों में हमारे राष्ट्रीय पर्वों का दिया जाना। ये समारोह जनता के हाथों, जनता में, प्रतिनिधियों के हाथों में होते तो पूरी निष्ठा और भावना से ये सम्पन्न होते।

मेरी निश्चित मान्यता है कि अगर आप जानकारी भी करेंगे तो यह इसका दायित्व नीचे तक पहुंचेगा। जिलाधीश महोदय ध्वज फहराने जाते हैं तो बिलकुल समारोह से कट कर जाते हैं। उनका कर्तव्य था कि सारी तैयारियों को वे पूर्व

(श्री निरञ्जननाथ आचार्य)

जानकारी करते, उनका पहले से निरीक्षण करते, पूर्वाध्यान करते। इस घटना की जांच में इसका दायित्व किस व्यक्ति पर पड़ेगा ? भले ही वह नीचे तक जावे पर इसका साधा दायित्व कलेक्टर पर जावेगा। वैसे दायित्व के प्रश्न पर नौकरशाही तरीका चलेगा तो पूछा जावेगा सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर को, वह पूछेगा एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर को, वह अपने जूनियर इन्जीनियर को पूछेगा, वह अपने नीचे काम करने वाले ओवरसीयर को पकड़ेगा और अन्त में इस दायित्व का भार डाला जावेगा एक किसी मिस्त्री पर। मूलरूप में यह दायित्व जाना चाहिये जिलाधीश पर क्योंकि सारा प्रशासन उनके हाथ में है वहां का। समारोह का प्रबन्ध उनके हाथ में है। जहां वाहवाही जब लेने का प्रश्न आता है तो वे सबसे आगे रहते हैं तो इसका दायित्व भी लेने के लिए आगे रहना चाहिये।

अच्छा तो यह होता है कि यह जन प्रतिनिधियों को ऐसे समारोहों में प्रमुखता दी जाती हैं। मेरी तो यह मान्यता है कि ऐसे राष्ट्रीय समारोह जन प्रतिनिधियों द्वारा मनाये जाने चाहियें। जहां नगरपालिका हो वहां मेयर इन समारोहों में प्रमुख रूप से भाग ले। समारोह प्रमुख द्वारा मनाया जाना चाहिये ताकि उन जन प्रतिनिधियों को भी यह अहसास रहे कि यह उनका पर्व है।

ऐसी स्थिति में मैं यह समझता हूँ कि यह घटना अन्तिम न होगी। यह एक उपेक्षा का, अपमान का उदाहरण है। मेरा ख्याल है मुख्य मन्त्री जी स्वयं को सब जानकारी है अतः वे स्वयं ही सदन को विश्वास में लें और पूरी जानकारी दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी एक तार प्राप्त हुआ था कि उदयपुर में राष्ट्रीय ध्वज समारोह मनाते समय गिर गया। फिर भी उसे पुरःस्थापित करने का प्रयास किए बिना ही समारोह को आगे चलाया जाता रहा। यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज विगत में देश की स्वतन्त्रता के लिए किये गए समग्र बलिदानों का त्याग का, तपस्या का प्रतीक है। जिसके लिए जान हथेली पर रखकर देश की आजादी के दीवाने गाया करते थे।

प्राण मित्रों भले ही गंवाना,
पर न झंडा यह नीचे झुकाना।

आज इसका महत्व कलेक्टर सरीखे पद पर काम करने वाला व्यक्ति न समझे और उसके गिरे रहते हुए समारोह का कार्यक्रम चलाता रहे यह अत्यन्त आपत्तिजनक और खेदपूर्ण घटना है जिसकी तरफ आचार्य जी ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है।

उन्होंने आगे के लिए सुझाव भी दिया है कि ऐसे समारोह जन प्रतिनिधियों द्वारा ही मनाये जाने चाहियें। यह तो एक सिद्धान्त का प्रश्न है जिस पर विचार किया जाना चाहिये। जोधपुर में भी कुछ इससे छोटी घटना हुई। वहां स्वाधीनता दिवस मनाते समय जनता को पुलिस द्वारा पीटा गया, आधे घण्टे तक पुलिस और जनता में संघर्ष होता रहा। जिस उदात्त भावना से वे स्वाधीनता

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

के पर्व पर हमें मनाना चाहिये, देश को आगे बढ़ाने के लिए जिनसे हमें स्फूर्ति जिस रूप में मिलनी चाहिये, उत्पादन बढ़ाने में जिस रूप में इससे हमें प्रेरणा मिलनी चाहिये, देश के विकास में आगे बढ़ने के लिए जो साहस व लगन इनसे हमें मिलनी चाहिये, वह नहीं मिलकर इस तरह की घटनाएं हों और उपेक्षा वृत्ति रहे तो यह विचारणीय है।

आशा है कि मुख्य मन्त्री जी इन सुझावों पर सोचेंगे और सदन-को विश्वास में लेंगे और जिन कारणों से ये घटनाएं होती हैं उनको दृढ़ता से और कठोरता से दूर किया जावेगा।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, जो यह मामला सदन में उठाया गया है मैं समझता हूं कि वास्तव में यह बहुत गम्भीर मसला है।

श्री अध्यक्ष : यह मतभेद का विषय तो है ही नहीं।

श्री रामकिशन : मतभेद तो यह है कि सदन में यह प्रश्न एक विधायक द्वारा उठाने से पहले मुझे जैसी जानकारी मिली है, मुख्य मन्त्री जी भी इस बारे में अच्छी तरह से अवगत थे, तो किसी विधायक द्वारा इसे रखे जाने से पूर्व ही इनको स्वयं को चाहिये था कि वे सदन को यह जानकारी देकर विश्वास में लेते कि उन्होंने इस पर क्या निर्णय लिया है। वे क्या कार्यवाही करना चाहते हैं अथवा की है। जैसा आचार्य जी ने सुझाव दिया मेरा भी यही अभिमत है कि ऐसे अवसरों पर जन प्रतिनिधियों को अधिक अवसर दिया जाना चाहिये। मुख्य मंत्री महोदय मेरा ख्याल है राष्ट्रीय मसला है राष्ट्रीय ध्वज गिरा है तो कह देंगे गिरा है और नहीं गिरा है तो कह देंगे नहीं गिरा है लेकिन इसका स्पष्टीकरण होना आवश्यक है।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : आपका एडजोर्नमैंट मोशन है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने उदयपुर के अन्दर 10 और 11 तारीख को बोहरा यूथ एसोसियेशन के ऊपर पुलिस के भयंकर अत्याचार के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव दिया है। अध्यक्ष महोदय, यह सारे भारतवर्ष को पता है बोहरा यूथ एसोसियेशन का एक आन्दोलन चल रहा है और वे इस सम्बन्ध में श्रीमती इन्दिरा गान्धी से भी 15 अप्रेल को मिले थे और महाराष्ट्र के एक एम. पी. को इस झगड़े को सुलझाने के लिए बीच में डाला है। हिन्दुस्तान का कोई ऐसा समाचार पत्र नहीं है जिसने इस सम्बन्ध में कोई घटना या अपने विचार व्यक्त नहीं किये हों। आज सईदाना साहब जिनकी रजा का दौर चलता है जिनको जनतान्त्रिक लोगों ने या हर डेमोक्रेटिक फोर्स ने यह स्वीकार किया है कि यह अपने आप में बहुत गंभीर बात है और आज के युग में सईदाना साहब पर घोर अत्याचार किया जा रहा है

श्री अध्यक्ष : Please be brief.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 7 और 11 तारीख को अध्यक्ष महोदय, 49 लोगों को

Page No 5

5

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

गिरफ्तार किया गया। अब सारा सिलसिला इस तरह जो सदन में आ चुका है। गलियाकोट के अन्दर सईदाना साहब के लोगों पर घोर अत्याचार हुआ है। 12 फरवरी को अकबर अली जिनकी मैयत हो गई उनकी मैयत को नहीं उठाया और खुद कलेक्टर ने आकर मैयत उठाई। कुछ केसेज बनाये गये जो बिल्कुल झूठे थे। सबकी जमानत हो गई। 395 के केस सब फर्जी थे। 10 तारीख को सब जमानत पर रिहा हो गये तो शाम की बात है अध्यक्ष महोदय, इतनी गम्भीर घटना हुई जो सबकी सब प्रीप्लान्ड थी। मैंने स्वयं ने घटना देखी है, उसका अवलोकन किया है। धनजी पीर सेन्ट्रल जेल पर पहुंचे तो तीन कारें पहुंच गई और केवल एक बस में पन्चर हो जाने से बाहर ही रह गई वहां एक दूकानदार जाकिर हुसैन जहां सईदाना साहब के लोग इकट्ठे थे लाठियों और पत्थरों से वार किया ....

श्री अध्यक्ष : आप ब्रीफ करिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बहुत ब्रीफ करता जा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, हर तरह से प्रवोक करने की कोशिश की गई कि झगड़े में शामिल हो जाय तो पुलिस ने जो वहां दावत चल रही थी, सैंकड़ों की संख्या में पुलिस आ गई। बहुत बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया और 49 लोगों को गिरफ्तार करके हाथीपोल पुलिस स्टेशन ले आये। वहां एक छोटी सी कोठरी जिसे काल कोठरी कहिये, उस छोटी सी काल कोठरी में 49 लोगों को ठूस ठूस कर भर दिया गया। एक के ऊपर एक को ठूस दिया गया और एक नौजवान को वहां के डी. एस. पी. गजराज सिंह ने बाहर निकाल कर और नंगा करके पीटा और बुरी तरह से उसकी पिटाई की गई। बहुत से लोगों को गिरफ्तार करके लाये जिनको सभी को बड़ी बेरहमी से पीटा गया। उन पर चरम सीमा तक अत्याचार ढाया गया और इस तरह 49 लोगों को अगले दिन 11 तारीख को सेन्ट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं ने 13 तारीख को मुलाकात की। ज्यादातर लोगों के पिटाई के गहरे निशान थे। उनमें 14 साल के बच्चे से लेकर 75 साल तक के लोग थे स्टूडेन्ट्स थे, इन्जीनियर थे, पुराने एक्स काऊन्सिलर थे और उदयपुर शहर के गणमान्य इज्जतदार लोग उन 49 आदमियों में मौजूद थे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, बात यहीं तक हो जाती ठीक थी। 14 तारीख को हाथीपोल से निकाल कर दो ग्रुप बनाये गये। एक पर 307 के केसेज और दूसरों पर 107, 151 के केसेज बनाये गये। 11 तारीख को जो घटना हुई उदयपुर शहर में वह एक रोमांचकारी घटना है। 4-4 आदमियों के हथकड़ियां डालकर घसीटा गया और हाथीपोली से लेकर अदालत तक जो एक-दो किलोमीटर का फासला है, गान्धी बाजार से घसीटकर पहुंचाया गया और वह भी शाम को 6 बजे पहुंचाया गया और कोर्ट में ले जाकर बुरी तरह ठूंस ठूंस कर भर दिया गया। वहां एक इन्जीनियर बेहोश हो गया और जब वापिस लाये गये तो कहीं उनको पानी नहीं पिलाया गया। खाने के लिए बहुत कम रोटियां उनको दी गई थीं और ये लोग वापिस आये तो बेहोश होकर गिर गये।

Page No 6

6

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
बहुत ही बुरी तरह से इन पर अत्याचार किया गया, बेरहमी से पीटा गया। अध्यक्ष महोदय, ये अत्याचार है जो वहां की पुलिस ने बोहरा यूथ एसोसियेशन पर ढाये हैं। वहां के डी. आई. जी सिंघवी से मिला। उनका कहना यह था कि अगर ऑर्डर हुआ तो हम मीसा के अन्दर गिरफ्तार करेंगे और हर तरह से कुचलेंगे। जब मैं वहां बैठा था, यूथ एसोसियेशन पर एक बच्ची को वहां लाया गया जिसका सिर फट गया था अध्यक्ष महोदय, इस विस्तृत रूप से अत्याचार किया गया है और पुलिस के लोगों ने साईदाना साहब के लोगों को साथ लेकर उनके मकानों को देखा है और बड़ी बेरहमी से मकानों में घुस घुस कर पीटा गया है। मैं समझता हूं सारे भारतवर्ष में जो आज 8 लाख बोहरा हैं उनमें लगभग 16 हजार बोहरा....

श्री अध्यक्ष : एक ऐडजोर्नमेंट मोशन पर इतना टाइम ले नहीं सकते हैं जितना आप ले रेहे हैं ...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं अधिक समय नहीं लूंगा। इन 16 हजार लोगों में जाग्रति हुई जो इनको तोड़ना चाहते हैं सईदाना साहब पर किसी भी समय हमला किया जा सकता है। परमिट जारी करने वाले ईद और दीपावली मनाने वाले लोगों पर इस प्रकार के अत्याचार। माननीय मंत्री महोदय गुलाबसिंह जी, यूथ फैडरेशन के सारे लोगों को प्रगतिशील बताया है, उनको हैल्प की है और आज जो उनका इन्स्टीट्यूशन चल रहा है वह एक रिफार्म करने का इन्स्टीट्यूशन है चाहे वह शहरों में है या गांवों में। मैं यह कहना चाहता हूं अगर आज के युग में इस प्रकार के अत्याचार यूथ फैडरेशन पर होता है ...

(समय-समाप्ति-सूचक-दीर्घ-घंटी)

सूरत, महाराष्ट्र, जबलपुर जहां भी इस प्रकार की आवाज उठाई कुचल दी गई। इस प्रकार की आवाज की पैरवी खुद छागला साहब ने की है और आज जब जगह जगह कानून के प्रोटेक्शन के बाद महाराष्ट्र में आन्दोलन चल गया ...

(पुनः समय-समाप्ति सूचक-घंटी)

हो सकता है बांसवाड़ा में सईदाना साहब के लोग ज्यादा हों और हो सकता है गलियाकोट में ज्यादा हो इसलिये इन पर गम्भीर अत्याचार हो ...

श्री अध्यक्ष : Please be brief.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से पुलिस की साजिश और षडयन्त्र है....

श्री अध्यक्ष : यह कोई डिबेट तो है नहीं। 15-15 मिनिट की डिबेट हो। आपको पूरे 15 मिनिट हो गये हैं। अब आप समाप्त कीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक शब्द अधिक नहीं कहूंगा केवल प्रार्थना करूंगा यह बहुत गंभीर मसला है और माननीय मुख्य मंत्री महोदय से सम्बन्धित मसला है इसलिये मैं चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री महोदय सदन के अन्दर स्टेटमैंट दें और मैं ही नहीं सारे देश के बुद्धिजीवी, सारे देश

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

को डेमोक्रेटिक सेट-अप पर विश्वास करने वाले लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं और वे देखना चाहते हैं, मैं यह देखना चाहता हूं कि राज्य के मुख्य मंत्री का डेमोक्रेटिक मूवमेन्ट के प्रति क्या दृष्टिकोण है ? इसलिए मैं अदब से कहूंगा कि आप उनसे कहें कि वह स्टेटमैन्ट दें और मैं यह आशा करूंगा कि वह स्वयं भी अपनी स्थिति क्लियर करने के लिए इस सम्बन्ध में इस सदन के अन्दर स्टेटमैंट देंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक मिनिट इस पर अर्ज करना चाहता हूं। माननीय हांडा जी ने कहा उससे सम्बन्धित एक प्रसंग बड़ा नाजुक है और मेरा विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को भी उसकी अनुभूति है। श्री सादिक अली जबकि कांग्रेस एक थी तब उसके जनरल सेक्रेटरी थे। उनके भाई 75 साल के श्री अकबर अली को भी गिरफ्तार किया गया। मेरा ख्याल है कि श्री सादिक अली जो की प्रकृति से और उनकी शालीनता से आप भी परिचित हैं। जैसे सादिक अली जो प्रकृति से शालीन हैं इसी तरह से उनके भाई भी वैसे ही हैं। इनके अलावा एक और दूसरे 80 साल के बूढ़े वृद्ध को गिरफ्तार करके पुलिस के द्वारा परेड कराया गया। यह व्यक्ति कोई अपराध करे, वायोलेन्ट हों, अनलॉफुल असेम्बली बनायें—ऐसा सम्भव नहीं था और यह सारे उदयपुर के लोग जानते हैं कि वह ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। पुलिस ने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया और जो पुलिस ने उनकी हालत की है और वह भी आपके सुझावों के विपरीत पुलिस का आचरण हुआ है, मेरा विश्वास है कि इस सारे सन्दर्भ में और खास तौर से सादिक अली जी के भाई की गिरफ्तारी पर तो आप कार्यवाही करते और इस सारे सन्दर्भ में पुलिस का व्यवहार बहुत ही क्रूर है, अमानवीय है और बोहरा कौम को और अधिक वायलेन्ट बनाया जा रहा है अमानवीय आधार पर। बाकी बोहरा कौम तो अपनी शांतिप्रियता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रही है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस प्रश्न को, जो कि विवाद का है, उसको शालीनता से परखें और उसको डील करेंगे तो ही अच्छा होगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं भी एक मिनिट में कहना चाहूंगा ...

श्री अध्यक्ष : इस पर डिबेट नहीं होगी।

श्री भानुकुमार शास्त्री, (उदयपुर) : एक मिनट में ही कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय। यह समस्या लगभग 3 वर्षों से चल रही है और समस्या के बाद एक दूसरों के धर्म के नाम पर झगड़े खड़े होते हैं। मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुर की इस परिस्थिति में मैं उन बोहरों से भी कहना चाहूंगा कि एक धर्म के अनुयायी हैं और धर्म के विरुद्ध चलते हैं या उसके अन्दर विश्वास नहीं रखते हैं। आज सईदाना में विश्वास नहीं रखते, मान लो कि मर गये और बोहरा सम्प्रदाय के नियमों में रजा नहीं मिलने से उनको दफनाया नहीं जा सकता तो फिर क्या जरूरत है। तो बिना रजा लिए भी एक मुसलमान दफनाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि ऐसे मामलों को लेकर वायलेन्ट खड़ा करना, अशांति करना यह भी उचित नहीं है। यदि किसी लड़की को रजा नहीं मिले

Page No 8

8

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

तो क्या आवश्यकता है। शादी इस्लाम धर्म के अनुसार मना नहीं है। जिस समय अशांति पैदा होती है तो यह तो स्वाभाविक है कि पुलिस हमारे राज्य की है और रथलेसली वह व्यवहार करती है तो सबको पीस देती है। तो मेरा निवेदन है कि मुख्य मन्त्री जी स्वयं इसके पीछे पड़कर जो उनके धर्म गुरू हैं उनके बीच में बैठकर यदि कोई हल निकल सकता है तो निकालें और यदि नहीं हो सकता है तो मैं कहूंगा कि जो व्यक्ति लॉ को हाथ में लेकर वायलैन्स करता है तो राज्य सरकार उसके लिए तैयार है और शांति बनाये रखने के लिए पूरे के पूरे कदम उठाये। इसमें वह पीछे नहीं रहे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन करना यहां पर यह है ......

श्री गुमानमल लोढ़ा : रजा का क्या हुआ ? रजा मिलेगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : रजा का मतलब इस्तबा से है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हम तो आपकी रजा के पाबन्द हैं।

श्री केदारनाथ : इसका मजाक में न लें। ऐसे मूवमैन्ट जो कि बहुत रूढ़ीवादी हैं ......

श्री अध्यक्ष : इस सिलसिले में कई बार वातचीत हुई है और कई शकलों में हुई है तो उसका हल तो कहीं और है। यहां तो बस एक चर्चा की बात है।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, पुरानी रूढ़ी परम्पराओं के साथ वह लड़ रहे हैं लेकिन वहां पर मार पीट करके, गिरफ्तार करके परेड करवाना बहुत ही गलत है। इसमें माननीय मुख्य मन्त्री जी को खुद जांच करनी चाहिए। जो पुरानी रूढ़ियों से लड़ते हैं और वहां लाठी चार्ज करना उचित नहीं है। हां, अगर ऐसी हालात पैदा हो गयी हैं तो गिरफ्तार कीजिए लेकिन परेड करवाना बहुत बुरी बात है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (हवा महल, जयपुर) माननीय अध्यक्ष जी, जयपुर शहर में जो जल की वितरण व्यवस्था है उसके सुधार के लिए यहां सदन में कई बार आश्वासन दिये गये। हम सब के द्वारा मांग की गई कि बनास योजना इसके लिए उपयुक्त है मगर सरकार ने जो अभी तक व्यवस्था की है वह नाकाफी है और वह इसलिए कि सन् 1971 में जयपुर की जनसंख्या 6.13 लाख थी और आज जयपुर शहर की सन् 1974 में लगभग 8 लाख होगी। एक व्यक्ति को 40 गैलन प्रति दिन पानी चाहिए जिसका हिसाब लगायें तो सारे जयपुर के लिए करीब 300 लाख गैलन प्रति दिन पानी की आवश्यकता है। पर उतना प्रॉडक्शन नहीं होता है। केवल 84 लाख गैलन रामगढ़ के बन्ध से और अन्य ट्यूबवैलों से 200 लाख गैलन यहां पर पानी उत्पादित किया जाता है। इसका सीधा अर्थ यह होगा कि 120 हजार गैलन की आवश्यकता और है। 150 ट्यूबवैलों के द्वारा पानी उत्पादित किया जाता है पर जैसा कि ज्योलोजीकल सर्वे ऑफ इण्डिया ने भी कह रखा है कि इन ट्यूबवैलों की उपयोगिता 10 वर्ष में ना के

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
बराबर हो जायेगी और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज जोधपुर की रामपुरा रूपा की योजना है। उससे मालूम है कि कुओं के पानी का समतल नीचा हो गया और खेती के लिए भी परेशानी हो गई तो वहां पर तो कम ट्यूबवैल होंगे मगर जयपुर शहर के आसपास 115 ट्यूबवैल खुदे हुए हैं और इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर की जनसंख्या बढ़ रही है। आज जयपुर शहर में 45 हजार प्राईवेट पानी के कनेक्शन दिये हुए हैं और यह उस दिशा में हैं जबकि कृषि भूमि पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने मकान बनाये हैं उनके लिए नियमानुसार रोक लगा रखी है कि वहां पर मकानों को पानी के कनेक्शन न दिये जायें......

श्री अध्यक्ष : एक मिनट 'डोन्ट फालो योअर प्रिडीसीसर'। उन्होंने जितना समय लिया उसका अनुसरण न हो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपको कहने का अवसर नहीं मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, जयपुर में 110 कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं और आज उनमें लाखों मकान बन गये हैं। यदि उनको पानी का कनेक्शन देंगे—आखिरकार कब तक उनको वंचित रखेंगे और पानी के कनेक्शन उनको देने चाहिए क्योंकि कृषि भूमि में उन्होंने मकान बना लिए और इसलिए बना लिए कि जब उनको जमीन नहीं मिली तो वह बनायेंगे ही। उनको कनेक्शन नहीं दिए कच्ची बस्तियों में लोग जो कि लगभग 110 बस्तियां हैं और जिनमें 136 हाउसिंग सोसाइटीज हैं मैं समझता हूं कि लाखों मकान वालों को पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया है। तो पानी की कमी जब पहले से ही महसूस हो रही है और 120 लाख गैलन की कमी है और यदि उनको कनेक्शन और दे दिये गए तब तो पानी की समस्या और भी विकट हो जायेगी। लगभग 400 लाख गैलन पानी की कमी जयपुर में हो जायेगी। आज 750 सार्वजनिक नल हैं और 40 स्थानों पर आग बुझाने के आइलैण्ड बने हुए हैं। इसके लिए बनास योजना उपयुक्त थी। लेकिन बनास योजना के द्वितीय चरण में जयपुर शहर में पानी की सप्लाई को व्यवस्थित करने के नाते 8 टंकों का निर्माण करना था और इसका काम वाटर वर्क्स वालों ने अपने हाथ में लिया था। लेकिन खेद का विषय है कि एक टंकी का काम तो पूरा हो गया लेकिन जो दूसरी सात टंकियां हैं जयपुर शहर की; गांधीनगर, बापूनगर, तिलकनगर, आदर्शनगर, ट्रक स्टेन्ड, हथरोई, गोपाल बाड़ी और बनीपार्क में बनाई जाने वाली थीं वे आज दैत्य की तरह से वहां पर खड़ी हैं लेकिन उनका काम बन्द हो गया है। काम बन्द होने के बाद आज सीमेंट की कमी है, दूसरा ठेकेदार काम लेगा उसमें जोइन्ट्स आयेंगे, टंकी भली प्रकार से काम नहीं कर सकेगी। इन टंकियों पर मेरा निवेदन करना है कि एक टंकी पर तीन लाख रुपया ....

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

खर्चा आएगा। सात टंकियों पर 21 लाख का खर्चा आएगा जो वाटर वर्क्स की अकर्मण्यता के कारण गवर्नमेंट का, अध्यक्ष महोदय, निरुपयोगी हो गया है और इन सात टंकियों के नीचे डेढ़ लाख रुपये का

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
रिजर्वायर बना तो सात टंकियों का दस लाख पचास हजार रुपया लग गया। जब टंकियां पूरी नहीं बन सकीं, एक बनी है, छः का काम अधूरा पड़ा हुआ है तो दस लाख पचास हजार निरुपयोगी हो गया है। इसी प्रकार से....

श्री अध्यक्ष : डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, मुद्दे की बात कहें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो नल लगाए गए हैं उन पर चौड़ा पाइप खर्च किया गया है जिन पर दस लाख रुपया खर्च हो गया। मेरा निवेदन है कि लाखों रुपयों का पाइप लग गया, रिजर्वायर बना नहीं, उनमें पानी दिया नहीं, टंकियां अधूरी हैं। बड़े पाइप की लाइनें बड़ी 2 बस्तियों में बिछा दी गई वह पानी की इन्तजार में बेकार पड़ी हुई हैं। इन सारे कामों में लगभग 41 लाख रुपया बर्बाद कर दिया जो निरुपयोगी हो गया। अब हालत यह है कि जो जल वितरण व्यवस्था पर 84 लाख रुपया जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जोन सिस्टम के आधार पर खर्चा हो गया लेकिन इस रुपये का कोई उपयोग नहीं है....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : चान्दपोल से श्मशान तक पाइप बेकार पड़े हुए हैं वर्षों से जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। वे ट्रैफिक को रोक कर पड़े हुए हैं। चान्दपोल दर्वाजे से 24 इंची पाइप डाला जाने वाला था चान्दपोल से छोटी चौपड़ तक लेकिन वह नहीं डाला गया। अब लोहा महंगा हो गया, मजदूरी महंगी हो गई, ठेकेदार काम करेंगे नहीं। इस सारी अकर्मण्यता के कारण वह पाइप वहीं पड़ा रहेगा। रामगढ़ की तरफ 14 इंची पाईप पड़ा हुआ है। इस प्रकार से जो 84 लाख रुपया खर्च हो गया उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है।

इसके साथ साथ यह निवेदन करना है अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कि जो कुछ भी काम जल की वितरण व्यवस्था को सुधारने के लिए करना था, जो कुछ पैसा खर्च किया गया है वह निरुपयोगी कर देने के बाद भी बराबर गड़बड़ जारी है। जगह जगह पानी गन्दा आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ के बन्धे का पानी दूषित है। मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि मैं आपके सामने एक शीशी पानी लाया हूं आपकी सेवा में दिखाने के लिए कि किस प्रकार बिल्कुल गन्दा पानी, मिट्टी मिला हुआ पानी, कीड़े पड़ा हुआ पानी सप्लाई किया जा रहा है। यह पानी आज ही के नल से लिया गया है जो दूषित है, गन्दा है और यही पानी सप्लाई किया जा रहा है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह कौनसे हल्के में निकल रहा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह आपके ही हल्के में मिल रहा है गन्दा पानी। यह मेरा दुर्भाग्य है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : हवा महल में तो अच्छी व्यवस्था है ? हवा महल का तो नाम भी नहीं बोले हैं और और जगहों की बातें कह रहे हैं ?

Page No 11

11

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप कुछ भी करते रहें, यह मेरा फर्ज है कि जयपुर की जनता की जो वाजिब बात है उसको मैं यहां रखूंगा। अब यह आपकी मर्जी है कि आप उसको सुने या नहीं सुनें। मेरा कर्तव्य है जो मैं पूरा कर रहा हूं कि किस प्रकार जयपुर में कीड़े मिला हुआ गन्दा पानी सप्लाई किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत जन स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान इस सारी अकर्मण्यता की ओर दिलाना चाहता हूं। इस अयोग्यता के कारण जयपुर शहर में 84 लाख का दुरुपयोग हो गया। जयपुर की ... ...

(समय-समाप्ति-सूचक-अनवरत-घन्टी)

(व्यवधान–अश्रव्य)

जनता को शुद्ध पानी मिलना चाहिए, पानी वितरण की व्यवस्था सुचारु होनी चाहिए जिस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष . नेक्स्ट।

श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर): अध्यक्ष महोदय, गंगानगर में 7 अप्रेल को फ्री स्टाइल कुश्ती होने के सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आज आपका वह मदारीवाला थैला कहां है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा तो यह फर्ज था जो मैंने किया है। मेरा धर्म है कि जयपुर की जनता की समस्याओं को निराकरण हेतु यहां रखूं।

(व्यवधान – अश्रव्य)

श्री गुरदयालसिंह संधु : मैं 7 अप्रेल को गंगानगर में होने वाली कुछ कुश्तियों के सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं। वहां की एक संस्था ने किसी गुरू नानक कन्या पाठशाला, करणपुर के नाम पर सरकार से मनोरंजन कर मुक्त कुश्तियां करवाने का आयोजन किया और उन कुश्तियों को करवाने में जो पंडाल बनाया गया उसका 32 हजार का ठेका दिया गया है। 3200 रुपये की कुर्सियां वहां लगाई गई जिन पर सौ रुपये से एक हजार रुपये तक चन्दे के रूप में वसूल किया गया था। बाकी का 10) रु. 15) रु. और 20) रु. टिकिट था और बाकी पंडाल में जितनी सीटें थीं उनकी टिकिट तीन दिन पहले खत्म हो गई और टिकटें ब्लैक में बिकती रहीं। करीब दो लाख आदमी उन कुश्तियों को देखने के लिए आए।

श्री अध्यक्ष : आपको क्या ऐतराज है।

श्री गुरदयालसिंह संधु : मुझे बड़ा ऐतराज है। वही ऐतराज बता रहा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : पैसा लोग खा गए साहब।

श्री अध्यक्ष : इट वाज नोट गवर्नमेंट मनी।

श्री गुरदयालसिंह संधु : मुझे अर्ज करना है कि उन कुश्तियों के अन्दर करीब दस लाख रुपये की बचत हुई और उस संस्था को जिसके नाम से ये कुश्तियां कराई गई थीं सिर्फ तीन हजार रुपया दिया गया। अगर सरकार की तरफ से ये कुश्तियां कराई गई होतीं तो सरकार को

(श्री गुरदयालसिंह संधु)
चार लाख से ऊपर मनोरंजन कर की आय होतो ·······

श्री अध्यक्ष : कुश्तियां सरकार ने कराई थी क्या ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सरकारी अधिकारी शामिल थे साहब। कलेक्टर थे, एस. पी. भी सदस्य थे। सरकारी लोग शामिल थे।

श्री गुरदयालसिंह संधु : सरकार ने उस दिलीपसिंह ठेकेदार को खुश करने के लिए यह जो कुश्तियां थीं उसके मार्फत इनका आयोजन कराया और इसलिए कराई गई कि क्योंकि ठेकेदारी में उसके जिम्मे लाखों रुपयों की रकम थी, उसको कह दिया गया कि इस तरह से रकम पूरा कर लो और इस प्रकार दस लाख रुपया उसने बटोर लिया जिसमें सरकार की सहमति थी। एक तरफ तो सिक्खों को बदनाम किया। सिक्ख संस्था के नाम से सारा काम किया गया और सिक्खों की बदनामी हुई। दूसरी तरफ वहां की जनता को यह धोखा दिया गया कि वह दारासिंह की दाऊतसला नामक पाकिस्तानी पहलवान से कुश्ती करायेंगे। दाऊतसला नामक पहलवान आ रहा है। यह जनता को धोखा दिया गया। मनोरंजन कर का जो चार लाख रुपया राज्य सरकार को मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। मैं चाहूंगा कि सरकार इसकी जांच कराये क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ा भारी धोखा हुआ है, जो किया गया है और इसको सरकार की तरफ से एक आदमी के लिए सरकार ने जान बूझ कर कराया है और यह दिलीपसिंह ठेकेदार के लिए कराया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय·······

श्री अध्यक्ष : आपका तो हो गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इसमें एक बहुत बड़ा फ्राड यह हुआ कि दारासिंह की कुश्ती किसी पाकिस्तान के पहलवान से होना बताया गया लेकिन पाकिस्तान से कोई पहलवान आया ही नहीं। न कोई पासपोर्ट जारी हुआ, न कलेक्टर को मालूम, न एस. पी. को मालूम। एक फर्जी पहलवान खड़ा करके दस लाख का फ्रॉड किया गया।

श्री रामकिशन : इसके बजाय तो ओंकारलालजी को ही ले जाते।

श्री मीठालाल (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, दस जुलाई की रात्रि को, शाम को जयपुर के पास जगदीशजी के मेले में जाकर भक्त लोग तथा यात्री लोग लौट रहे थे तब बस्सी और झर के बीच में रेलगाड़ी में झगड़ा हो गया। उस समय मेले से लौटते हुए यात्रियों की भारी भीड़ थी। भीड़ बहुत ज्यादा थी और रेलगाड़ी में जगह कम थी। कुछ यात्री उस रेलगाड़ी में बैठ कर पहले ही यात्रा कर रहे थे। जैसे ही रेलगाड़ी में ये लोग बैठे और भीड़ ज्यादा होने के कारण कुछ भीड़ गाड़ी में और कुछ लोग रेलगाड़ी के ऊपर भी बैठ गए। यह स्वाभाविक ही था कि यात्री जो आगे से आ रहे थे, भीड़ ज्यादा हो जाय तो कुछ कहा सुनी और झगड़ा हो जाता है। जैसे ही बस्सी स्टेशन से रेलगाड़ी चली अन्दर वालों ने उनके साथ धक्का मुक्की कर दी, खिड़कियों से लोगों के हाथ छुड़ा दिए। यात्रियों के बीच इस बात को लेकर झर स्टेशन से कुछ दूर बस्सी

(श्री मीठालाल)

की ओर विशेष झगड़ा हो गया और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कुछ आदमियों के चोटें आई। कितनों को चोटें आई यह तो सरकार ही बता सकेगी। अध्यक्ष महोदय, सुबह को जैसे ही स्टेशन मास्टर ने सम्बन्धित अधिकारियों व जिलाधीश, जयपुर को और सम्बन्धित अधिकारियों को सूचना दी तब दूसरे दिन प्रातः पुलिस गई और पुलिस ने जाकर रेलगाड़ी या स्टेशन पर जितने भी लोग थे, झगड़े से सम्बन्धित थे या नहीं उनसे कोई बात नहीं की। जिन लोगों ने झगड़ा किया है, उनको भी पुलिस ने नहीं पकड़ा। जो भी कोई रास्ते में मिल गया या आसपास के गाँव में मिल गया अथवा आने जाने वाले को पकड़ा और उनको ले जाकर जेलों में भर दिया। इसके अतिरिक्त पुलिस आगे बढ़ी, दौसा से आगे गयी, जो भी आदमी मिल गया सड़क पर उसको पकड़ लिया। स्कूल के दो मासूम लड़के जा रहे थे उन लड़कों को पकड़ लिया और बस्सी थाने में लाकर बन्द कर दिया। इस मामले में विशेष निवेदन यह करना है कि जितने भी आदमियों को सम्बन्धित पुलिस ने या उसके अधिकारियों ने पकड़ा, उन आदमियों को छांटा गया कि कौन-कौन किस जाति का है और उनमें से केवल मीणा जाति के लोगों को ही रोका और दूसरी जाति के लोगों को छोड़ दिया। जिन लोगों ने झगड़ा किया था, मैं उनका पक्षपाती नहीं हूं। जिसने जुर्म किया है, कानून को अपने हाथ में लिया है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये लेकिन पुलिस का यह क्रूर प्रदर्शन है। क्रूर कार्यवाही के बारे में चर्चा है, उसके बारे में निवेदन है कि सड़क पर जा रहे लोगों को पुलिस अधिकारियों ने पकड़ा है और 53 आदमियों को जयपुर जेल में लाकर ठूंस दिया। तीन चार दिन बन्द रखा और फिर बाद में जमानत पर रिहा किया। इसके अतिरिक्त बस्सी थाने में कुछ लोगों को 5 दिन तक बन्द करके रखा। कोई गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई। खाने को नहीं दिया गया। रिश्तेदारों को कोई सूचना नहीं दी गयी। जब पता चला और लोगों ने बातचीत की रिश्वत दी गयी तो उनको छोड़ा गया। पुलिस से मेरे पूछने पर कहा गिरफ्तार नहीं किया है। वैसे ही पकड़ कर रखा है। केवल मीणा जाति का झगड़ा देखकर पुलिस ने इस प्रकार का आतंक मचा रखा है। 400-500 आदमियों को पकड़ लिया। रोज लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और उनको छोड़ रहे हैं। पहले भी मीणा जाति के लोगों के खिलाफ काण्ड हुआ है। इस तरह से भविष्य में यह होता रहा, किसी बात पर किसी भी वर्ग लोगों का झगड़ा हुआ और पुलिस मीणा जाति के लोगों को पकड़ेगी तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे केवल यही धारणा न रखें और निर्दोष व्यक्तियों को तंग न करें वरना सारी कम्युनिटी के लोग जातिवाद के आधार पर संगठित होकर सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। सरकार से उनका झगड़ा होगा और इसके आपको परिणाम भोगने पड़ेंगे। इसका भविष्य में भयंकर परिणाम निकलेगा। मेरा नम्र निवेदन है कि जो व्यक्ति दोषी हैं, जिन्होंने झगड़ा किया है उनको ही आप पकड़ें लेकिन जिन निर्दोष व्यक्तियों को पकड़ा गया है, स्कूल के लकड़ों को पकड़ा गया है, जिनके खिलाफ केस दर्ज कर दिये गये हैं उनको छोड़ा जाए और जो दोषी अधिकारी हैं जिसने इस प्रकार की गलत

Page No 14

14

(श्री मीठालाल)
कार्यवाही की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : मैं इस विषय पर बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। किसी भी माननीय सदस्य को बोलने की आज्ञा नहीं दूंगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : नोट टू बी रिकार्डेड।

श्री मूलचन्द सामरिया : XXXX

श्री मीठालाल : इस बारे में मन्त्री महोदय का स्टेटमैन्ट हो जाए।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था सेकेण्डरी स्कूल के हैडमास्टरों का चयन पी. एस. सी. द्वारा किया गया। दस हजार दरख्वास्तें आयीं उनमें से चार हजार केन्डीडेट्स इन्टरव्यू के लिए आए और 624 को सिलेक्ट किया गया। यह सिलेक्शन 11 साल के बाद हुआ और सम्बन्धित विषय में ट्रेनिंग भी हो गयी और फिर आॅर्डर्स हो गये। इसके बाद राज्य सरकार ने सारे आॅर्डर्स को सस्पेन्ड कर दिया। यह नियुक्ति 6 महीने के लिये हुई और चार महीने निकल गये। दो महीने बाद सिलेक्शन खतम हो जाएगा। इतना पैसा खर्च किया गया, इतना टाइम खर्च किया गया और उसके बाद सारे राजस्थान से 624 व्यक्तियों को सिलेक्ट किया गया पी. एस. सी. के द्वारा। ट्रेनिंग हुई। अपाइन्टमैन्ट आॅर्डर दे दिया। इसलिये यह निवेदन करूंगा कि शिक्षा मन्त्री जी इसकी ओर ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मुझे भी दो शब्द कहने हैं अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर।

श्री अध्यक्ष : एडजोर्नमैन्ट मोशन पर आप बोलेंगे ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल) : इसमें निवेदन यह है अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने फर्माया, काफी लम्बे समय के बाद यह सिलेक्शन हुआ है और राज्य में पिछले 10-12 वर्षों में शिक्षा का भी काफी विस्तार हुआ है। इसलिये टैम्परेरी तौर पर लोग हैडमास्टर का काम कर रहे थे। इस कमी को पूरा करने के लिये 50 पर्सेंट डिपार्टमैन्ट से और 50 पर्सेंट पी. एस. सी. से चयन करने का राज्य सरकार ने तय किया। चयन होगा। हजारों लोग आये और व्यक्तियों का अपना खर्चा भी हुआ। उसके बाद में इन चयन किये हुए व्यक्तियों को नहीं रखा गया, यह न्यायपूर्ण नहीं है। इससे विभाग में और इन लोगों में असन्तोष फैलेगा।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, गंग नहर से मुत्तलिक मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था उसका उत्तर दिलवा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : आप चेम्बर में आइये।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने और भानुकुमार शास्त्री ने

XXXX अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अंकित नहीं की गई।

(श्री मूलचन्द सामरिया)
एक निन्दा प्रस्ताव दिया था। उसके बारे में क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष : चेम्बर में आ जाए और बात कर लें। जो एडजोर्नमैन्ट मोशन आये थे उन पर मैंने यहां व्यवस्था दे दी है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, कल सदन में यहां पर पुलिस आ गयी थी....

श्री अध्यक्ष : आप मुझसे बात कर लें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : विद्यार्थियों को घसीट कर, गिरफ्तार करके ले गयी थी। पुलिस ने उनको अपनी स्टडी में रखा। सदन की प्रीमीसेज में यह घटना हुई है। मैं यह जानना चाहूंगा कि यहां पर इसके बारे में संकेत दिया गया था। उचित और उपयुक्त यह था कि उसी समय आसन की ओर से सदन के माननीय सदस्यों को अवगत करा दिया जाता कि किन परिस्थितियों के अन्दर विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया और रिहा किया गया। क्या सदन के अंदर जो कार्यवाही हुई वह अध्यक्ष महोदय की अनुमति से हुई। पुलिस सदन में या सदन के बाहर, जो स्वागत कक्ष बना हुआ है वहां पर क्यों पहुंची ? ये महत्वपूर्ण बातें हैं, जो मान मर्यादा, माननीय सदस्यों के अधिकार और आसन की आज्ञाओं से सम्बन्धित है। आशा है अध्यक्ष महोदय इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण सदन के सामने रखेंगे ताकि माननीय सदस्यों को पता लग सके कि क्या घटना हुई है। कल प्रातःकाल एडजोर्नमैन्ट मोशन के रूप में मैंने बताया था कि शिक्षा मंत्री जी ने विद्यार्थियों की कुछ मांगें मानना स्वीकार कर लिया था परन्तु स्वीकार नहीं की है। इससे विद्यार्थियों का आक्रोश और असन्तोष बढ़ रहा है। शिक्षा मंत्री, जो विद्यार्थियों से मिले नहीं और जलेबी चौक के दरवाजे से निकल कर बाहर चले गये। यह समाचार पत्रों में पढ़ा है। सारे प्रश्न को मुख्य मंत्री महोदय स्पष्ट करें और आसन की ओर से भी हमें बताया जाये। अध्यक्ष महोदय, यह पुलिस का थाना नहीं है जब चाहे पुलिस आ जाएं यहां विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज भी उठता है। यदि आसन की आज्ञा थी तो किन परिस्थितियों में थी ? कल सदन को इससे अवगत नहीं कराया गया। मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय,....

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने विशेष रूप से विशेषाधिकार का प्रश्न आपके सम्मुख रखा है।

श्री रामकिशन : इस प्रश्न पर, अध्यक्ष महोदय, मैंने कल प्रश्न उठाया था तो उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि इस पर कल रूलिंग दी जायगी।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं इस इम्प्रेशन में था, अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : लेकिन हम दूसरे विषय पर आ गये हैं।

यह प्रश्न मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया था वर्दीधारी पुलिस के आने के बारे में। कल रात को यह सदन में प्रश्न आया था और उस वक्त हमारे उपाध्यक्ष महोदय, जो हैं वह वहां पर थे। उन्होंने सदन में कहा था कि इसकी जानकारी करके आज आपको बता देंगे। ऐसा

(श्री अध्यक्ष)
मुझे मालूम हुआ है। उस पर पूरी जानकारी करने के लिए और जांच करने के लिए मैंने आज्ञा दी है। तो सारी जांच करके तथ्यों को मालूम करके, क्योंकि उनसे भी पूछना पड़ेगा कि कौन कौन थे और क्या थे, इन सारी बातों को मालूम करना पड़ेगा। जैसे ही पूरी जानकारी इस सम्बन्ध में मुझे मिलेगी और फैक्ट्स आयेंगे तो वह मैं सदन के सामने रखूंगा···

श्री गुमानमल लोढ़ा : हमें सिर्फ यह मालूम करना है कि आपकी आज्ञा से या उपाध्यक्ष की आज्ञा से पुलिस यहां आई।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : आज्ञा का पालन नहीं किया तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज तो हो गया और अब वह कौन कौन थे यह पता लगाना है ?

श्री अध्यक्ष : जब तक मैं इसकी जानकारी न कर लूं तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कैसे हो गया ? आदमी का मालूम नहीं है कि कौन आया था और एक्शन हो सकता है लीगली सभी जानकारी करने के बाद। जैसे ही मेरी जानकारी कम्प्लीट हुई तो मैं इसको सदन में लाऊंगा ··

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि ··

एक माननीय सदस्य : राजस्थान पुलिस के लिए जिम्मेदार व्यक्ति यहां पर मौजूद हैं इसमें दो प्रश्न उत्पन्न हो गये ···

श्री अध्यक्ष : क्या आप यह चाहते हैं कि आपको जानकारी नहीं दूं ? यदि आप यह चाहते हैं तो वह तो जानकारी करके ही दे सकूंगा। आप जानकारी नहीं चाहते हों या जांच नहीं चाहते हों तो वह बात अलग है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जानकारी चाहते हैं। इसमें प्रश्न दो हैं। एक तो आपकी आज्ञा के बिना आई है पुलिस नं. 1 पुलिस वाले निश्चित रूप से आये हैं, मैंने स्वयं ने देखा है। अब दूसरा प्रश्न रह गया है कि कौन आये हैं? यह तो निश्चित बात है कि पुलिस वाले आये हैं और टेबल तक आ गये, और आपने फर्माया है कि आप की आज्ञा के बिना आये हैं ? तो यह दो प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, सामने आ गये हैं। सदन का ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो गया है और वह पुलिस वालों ने किया है। अब तो केवल एक प्रश्न रह गया है कि किसने किया है, कौन व्यक्ति है और किन को बुलाकर सदन के डाक पर खड़ा किया जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : किसने किया हैं यह स्पष्ट है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आज तक पुलिस वर्दी में विधान सभा में नहीं आई है। विधान सभा में इस तरह से आने लगे तो और भी चीज रिपीट हो सकती है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : कोई भी व्यक्ति इस तरह से आता है तो इन्ट्रूडर के तौर उसके साथ कार्यवाही की जाती है और की जानी चाहिए और यहां पर प्रेस किया जाता है। वाच एण्ड वार्ड का आपका जो स्टाफ है वह इमीजियेटली उन पर पाउन्स अपोन करके उनका मुंह दबाकर इन्कलाब जिन्दाबाद के नारे को, इन्कलाब जिन्दाबाद की वाणी बन्द कर देते हैं और उनके हाथ

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

पकड़ कर आपके सामने लाते हैं। इन्ट्रूडर्स वे पुलिस वाले थे जिन्होंने सदन की मर्यादा को भंग किया है। उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया ? वाच एण्ड वार्ड का जो हमारा स्टाफ है वह ऐसे लोगों को अरेस्ट करता है, उनको पकड़ता है तो उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा और उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? आपके स्टाफ पर मैं आरोप नहीं लगाता हूं लेकिन वाच एण्ड वार्ड का स्टाफ है उनके दिमाग में यह कल्पना होनी चाहिए कि सदन का यह प्रिविलेज है। चाहे कोई पुलिस आफिसर हो या कोई साधारण नागरिक हो आपकी आज्ञा के बिना अगर वह इन्ट्रूडर के रूप में आता है तो उनके साथ में एक सा व्यवहार होना चाहिए। वाच एण्ड वार्ड को उनको अरेस्ट करके आपके चेम्बर में पेश करना चाहिए था। सदन की प्रेमिसेज का अगर उन्होंने इन्फिजमेंट किया है, वे यहां पर आये हैं और जैसा आपने फर्माया है कि आपकी अनुमति के बिना आये हैं तो इसमें थोड़ी सी जानकारी करना है और जो आप जानकारी कर रहे हैं उसमें गति होना चाहिये और उसमें अधिक गति लाने की आवश्यकता है ताकि इस बात का सारे माननीय सदस्यों को विश्वास हो सके कि जो बाहर से इस तरह से आये हैं उनके साथ में ऐसा किया गया है। माननीय अध्यक्ष, यदि इनको रोका नहीं जा सकता, जो कि जस्टिफायेबल लॉ के नीचे हैं उनको सदन के सामने लाना चाहिए। यह सदन की मान और मर्यादा का प्रश्न है जिसके ऊपर गति के साथ में कार्यवाही की जानी चाहिये Like watch dogs of our liberty and our rights मैं निवेदन करूंगा कि उचित तो यह होगा कि आज सदन जिस समय तक कार्य करे उसके पहले-पहले स्थिति से अवगत करा सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि कल माननीय उपाध्यक्ष ने कहा था कि आज बतला देंगे। सारी बातें क्लियर हैं। साथ ही आपने फर्माया कि आपकी अनुमति से नहीं आये हैं, उपाध्यक्ष महोदय की अनुमति से नहीं आये हैं और उनका आना साबित है, इन्सीडेन्ट हुआ है इन्फिन्जमेंट साबित है तो प्रिविलेज का प्रश्न तो बनता है, लेकिन कैसा बनता है और किस पर बनता है, यह डिग्रीज का प्रश्न रह गया है। यह गम्भीर प्रश्न है। आज आप जानकारी करके उस पर निर्णय दे दें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एक दफा कोई गुनहगार व्यक्ति भी यहां पर आ जाय तो पुलिस उसके पीछे यहां पर नहीं आ सकती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बनता है। इसके विपरीत कोई राय नहीं बनती है They have entered the precincts of the House. आपने मन्जूर किया है। गृह राज्यमन्त्री यहां पर मौजूद हैं उनको जानकारी देना चाहिए। यह रेकार्ड पर होना चाहिए कि कौन लोग यहां पर कल ड्यूटी पर थे ? इसलिए यह जानकारी का प्रश्न नहीं है। आप आदेश दें गृह राज्यमन्त्री को कि जिन्होंने ट्रेसपास किया है और वाच एण्ड वार्ड के पहरे से निकल कर उन्होंने सदन का अपमान किया है उनकी सूची सदन में पेश करें, यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, they must be brought before the bar of the House and tried. इसलिए

Page No 18

18

(श्री निरन्जन नाथ आचार्य)

जानकारी प्राप्त करने का प्रश्न नहीं है। आप आदेश दें राज्य मन्त्री, गृह विभाग को कि जो यहां पर ड्यूटी पर थे, जो कि अन्दर दाखिल हुए हैं, उन लोगों को आपके कक्ष में पेश किया जाय और फिर सदन में उपस्थित किया जाय और उनका ट्रायल किया जाना चाहिये। यह बहुत महत्वपूर्ण और मूलभूत प्रश्न है। इस वक्त इसकी उपेक्षा की तो डर है कि एक दिन पुलिस सदन के प्रांगण और चैम्बर में दाखिल हो जाय।

श्री अध्यक्ष : और कोई साहब।

(विराम)

यह प्रश्न महत्वपूर्ण है इस बात से मेरा मतभेद नहीं है। मैं सहमत हूं आपसे। इस बात मे भी सहमत हूं कि इस मामले की पूरी तरह से जानकारी करके जल्दी से जल्दी आपके सामने रखूं। गति के साथ इसको किया जाना चाहिए इस बात से भी मैं सहमत हूं लेकिन फिर भी यह सही है कि जब तक मैं तथ्यों की जानकारी नहीं कर लूं, जब तक इसके पूरे फैक्ट्स मेरे सामने नहीं आयें, तब तक मैं सदन को कैसे अवगत कराऊंगा जिसका कि मुझे पता नहीं है। इसमें समय लगता है। समय लगने का कारण यह है कि कल रात की बात है और जिसका सम्बन्ध इस मामले से है उसको भी मुझे यहां पर डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए कि क्या सबूत लाते हैं। इसका जल्दी में एक्शन लेना उचित नहीं होगा। इस समय तो इतना ही कह सकता हूं कि मैं सदन की भावनाओं से सहमत हूं। मैं समझता हूं कि सदन के राइट्स और उसकी गरिमा, जो भी हमारी है उसका प्रोटेक्शन होना चाहिये और उसको प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिये। जो इसका सम्मान है वह रखा जाय और किसी ने खिलाफ कायदे काम किया है तो उस पर कार्यवाही की जायेगी इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन फिर भी इसको एक्जामिन करना पड़ेगा कायदे कानून के मुताबिक। जल्दी में मैं आपको क्या कह सकता हूं जब तक इसकी जांच पूरे मामले की नहीं होती है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जल्दी से जल्दी जांच करवाऊंगा। जांच शुरू हो गई है। उसके बाद ही मैं कह सकता हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : ऑन ए पाइन्ट ऑफ इन्फर्मेशन, सर। मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री ने भरतपुर के गोली काण्ड के सम्बन्ध में जानकारी देने के लिए कहा था। उसके पश्चात् समाचार पत्रों में घोषणाएं की हैं कि राहत के रूप में कुछ उनको दिया गया है। मैं चाहूंगा कि ऑथेन्टिक वर्शन माननीय मन्त्री जी का इस सदन में आना चाहिए जब कि हाउस सैशन में है कि जो गोली काण्ड में मृत हुए हैं उनकी फैमिली को क्या राहत दी गई है और क्या दी जावेगी आगे ? नम्बर 2, इस दौरान के अन्दर मि. चतुर्वेदी, जिनके पास पिस्तौल बरामद किया गया है, उनके बारे में क्या कार्यवाही की गई है। नम्बर 3, जुडिशियल एन्क्वायरी में हाईकोर्ट का जज नियुक्त हो उसका नाम घोषित कर दिया जाये। अगर नाम तय नहीं हुआ है तो विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों के सामने तय करना उचित होगा। इससे भी अधिक महत्व की बात यह है कि जो जुडिशियल इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट होगी, उस

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

रिपोर्ट को स्वीकार किया जायेगा। इस प्रकार की घोषणा माननीय मुख्य मन्त्री महोदय करें। क्योंकि बेरी आयोग का अनुभव हमारे सामने है। जनता की मांग पर जुडिशियल इन्क्वायरी तो स्वीकार कर ली। चीफ जस्टिस जो कण्डीशन दे वह स्वीकार की जायेगी। अब नये मुख्य मन्त्री यह घोषणा करें कि इसको स्वीकार किया जायेगा।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय,…

श्री केदारनाथ : अगर इस बारे में राज्य सरकार को यह मालूम हो गया कि बिरला फैक्ट्री के लोगों का इस मामले में हाथ है। उन्होंने प्रवोक किया है तो जुडिशियल इन्क्वायरी की बात नहीं है। उनके ऊपर आप कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाये।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल यही गाइडेन्स चाही थी क्योंकि यह बहुत मामूली मसला नहीं है तथा सदन सैशन के अन्दर है। इन्क्वायरी के मामले में अगर आप वह चीज रखते हैं तो ठीक है। सारी चीजें सदन स्थगित हो उससे पहले पहले रखनी चाहिए थी। लेकिन जो यह प्रश्न खड़ा हुआ है, कि कुछ चीजें अधूरी आई हैं। तो आप मुझे इजाजत दें, सदन स्थगित हो उससे पहले मैं एक स्टेटमेंण्ट दे दूंगा। क्योंकि कई चीजें इनवेस्टीगेशन की हैं। चीफ जस्टिस को कहा है कि वह एक नाम सजेस्ट करें। वह अपने कलिग्ज से सलाह मशवरा कर रहे हैं। मैंने कल यहां से होम कमिश्नर को और लेबर कमिश्नर को साक्ष्य कलेक्ट करने के लिए भेजा है। तो मैं समझता हूं कि मुझे सहमति दें तो सदन स्थगित होने से पहले मैं स्टेटमैन्ट दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर फैक्टरी के मैनेजर गिरीश चतुर्वेदी अण्डरग्राउण्ड होने वाले है। मुझे जानकारी मिली है कि वह भरतपुर से जा चुके हैं। मैंने पहले भी निवेदन किया था। मौके पर सी. आई. डी. अपना काम शुरू नहीं कर पाये हैं। जिन्होंने शूटिंग किया है, वह मन्त्रियों के घर पर खुले आम घूमते हैं। उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है। इसमें जुडिशियल इन्क्वायरी की कोई बात नहीं है। फैक्ट हमारे सामने हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन पीछे क्यों है। अभी जस्टिस का नाम भी सरकार डिक्लेयर नहीं कर पाई है इस तरह से एवीडेन्स को स्पाइल किया जा रहा है। इस तरह से तो एवीडेंस खत्म हो जायेगी।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जिन मन्त्रियों के घर वह ठहरते हैं, उनका नाम क्यों नहीं बताया जाता है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या प. 23 (2) नियुक्ति (क)/60-पार्ट III, दिनांक 22 जुलाई, 1974 को सदन की मेज पर रखता हूं।

(आ) अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 21वां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रेल, 1970 से 31 मार्च, 1971) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : याचिका का उपस्थापन। श्री भूराराम।

श्री भूराराम : अध्यक्ष महोदय, मैं आबू रोड में कॉलेज खुलवाने के सम्बन्ध में एक याचिका देने वालों के द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : शंकरलाल पाली।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय उपक्रम समिति, राजस्थान राज्य विद्युत्मंडल (अंकेक्षण प्रतिवेदन 1970-71, पैरा 108, 109, 110 व 111) से सम्बन्धित समिति के 24 वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति के तीसरे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गृहमन्त्रीजी।

स्थगन प्रस्ताव पर शासकीय वक्तव्य

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वश्री रतीराम, मोहम्मद गफ्फार अली, योगेन्द्रनाथ हांडा व केसरीमल विधायक द्वारा रखे स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है:—

दिनांक 7-7-74 को सुबह सब्जी मन्डी, अलवर में पुलिस ने सादा वेश में महावीर प्रसाद नामक व्यक्ति को साइकिल चोरी करते हुये रंगे हाथों पकड़ा और थाना ले जाने लगे। सब्जी मण्डी के दुकानदारों ने पुलिस पार्टी के साथ मार पीट की तथा महावीर प्रसाद को छुड़वाकर भगवा दिया। इस पर कोतवाली से फौरन पुलिस दस्ता भेजा गया जो पुलिस कर्मचारियों तथा झगड़ा करने वाले व्यक्तियों को कोतवाली ले आया। इसके बाद श्री हारूमल तोलानी, रामकिशोर, व ओंकार आदि भीड़ के साथ कोतवाली में घुस गए तथा पुलिस कर्मचारियों पर हमला कर दिया। श्री हारूमल ने हैड मोहर्रिर श्री श्यामसुन्दर के जो बावर्दी था, थप्पड़ मारा। इस हमले से एक सब-इन्सपैक्टर, एक हैड कॉन्स्टिबिल, तथा तीन सिपाहियों को चोटें आई। इस पर लाठी चार्ज किया गया तथा भीड़ को कोतवाली से बाहर निकाल दिया गया। और इस घटना के सम्बन्ध में मुकदमा नम्बर 199 अन्तर्गत धारा 147, 332, 353, 395, 224, व 452, आई. पी. सी. 16 मुलजिमान के खिलाफ दर्ज किया गया। इसके बाद श्री कृष्णकुमार की रिपोर्ट पर मुकदमा संख्या 200 के अन्तर्गत धारा 247, 323 आई. पी. सी. पुलिस के खिलाफ दर्ज किया गया। शाम को श्री रामानन्द अग्रवाल, विधायक ने होप सर्कस में एक सभा में उत्तेजनात्मक भाषण किया तथा कहा कि तोलानी ने हैड मोहर्रिर के थप्पड़ मारा है और यदि मैं होता तो डिप्टी एस. पी. के चाटा मारता।

दिनांक 8-7-74 को पुलिस द्वारा मुकदमा नम्बर 199 में 11 मुलजिमानों को गिरफ्तार किया गया जिसमें श्री हारूमल, रामकिशोर कौशिक, तथा कामरेड ओंकार सम्मिलित थे। इसी दिन दोपहर को जब मुलजिमानों को पुलिस की गाड़ी में पुलिस लाइन से थाना सदर ले जा रहे थे तो श्री हारूमल तथा उसके साथियों ने नारे लगाए।

Page No 21

21

(श्री गुलाबसिंह)

तथा मना करने पर हारूमल ने आर. ए. सी. के जवान श्री भंवरसिंह के मुंह पर थूक दिया । तथा उसके बायें हाथ पर दांत से काट खाया । जिस पर श्री भंवरसिंह ने अपने बचाव में श्री तोलानी को धक्का दिया । जिसके कारण गाड़ी में लगी हुई लोहे की शलाखों से टकराने से श्री तोलानी के दांतों को चोट पहुंची है । पुलिस थाना पहुंचने पर श्री हारूमल ने दिल की तेज धड़कन की शिकायत की । जिस पर मैडिकल ज्यूरिस्ट तथा अन्य डॉक्टरों से मुआयना कराया गया । डॉक्टरों ने राय दी कि अस्पताल में दाखिला कराने की कोई आवश्यकता नहीं है । फिर भी श्री रामानन्द अग्रवाल विधायक द्वारा आग्रह किये जाने पर जिलाधीश ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया ।

दिनांक 9-7-74 को न्यायालय द्वारा एक मुलजिम श्री आशुमल भोजवानी को जमानत पर रिहा कर दिया गया । 3 मुलजिमान को पुलिस का रिमाण्ड दिया गया तथा 7 मुलजिमान को जिनमें श्री हारूमल तोलानी, रामकिशोर कौशिक, तथा कामरेड ओंकार शर्मा सम्मिलित थे, को जुडिशियल रिमाण्ड दिया गया । श्री हारूमल तोलानी को छोड़कर अन्य सभी मुलजिमान की जमानत न्यायालय, अलवर में हो गई थी तथा श्री हारूमल तोलानी की जमानत हाई कोर्ट से दिनांक 17-7-74 को होने पर रिहा किया गया ।

इस विवरण से यह स्पष्ट है कि न तो किसी व्यक्ति के विरुद्ध झूठे मुकदमे बनाये गये तथा न ही किसी प्रकार का षडयन्त्र ही प्रशासन द्वारा किसी के विरुद्ध रचा गया ।

श्री रतिराम यादव (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों को पुलिस द्वारा पुलिस हिरासत में पीटा गया, इस पर अभी माननीय गृह मन्त्री की ओर से एक वक्तव्य दिया गया है, जिसके अन्दर उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य दिया है कि जिसे सुनकर मैं यह समझता हूं कि यह ठीक उसी तरह का वक्तव्य है जिस तरह से अंग्रेजों के जमाने में स्वतन्त्रता सैनानियों के खिलाफ पुलिस के द्वारा एक फर्जी षड़यन्त्र रचा जाता था और प्लाट रचा जाता था और उनको झूठे मुकदमों के अन्दर फंसाया जाता था, ठीक उसी प्रकार से, मुझे यह कहते हुए सदन के अन्दर अफसोस होता है इन गृह मन्त्री जी के इस वक्तव्य पर, जो स्वयं भी उसी प्रकार के एक सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं जिस प्रकार के हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के यह वरिष्ठ सदस्य हैं, जिनके साथ पुलिस ने इस तरह की वहशियाना घटना की है, लेकिन आज वही मन्त्री महोदय आजादी मिलने के बाद और जब कुर्सी के ऊपर आकर बैठते हैं तो भूल जाते हैं उस इतिहास को जिस समय वह स्वयं भी यह बात कहते थे, जब स्वतन्त्रता सैनानियों के खिलाफ तत्कालीन पुलिस द्वारा इस प्रकार के झूठे मुकदमे लगाये जाते थे, इस प्रकार के षडयन्त्र रचे जाते थे, तो उनके मुंह से भी यही बात निकलती थी, यह सब फ्राड है, यह सब षडयन्त्र है, यह सब झूठा केस बनाकर उनको फंसाया जा रहा है। लेकिन अफसोस है कि आज उसी भाषा

(श्री रतिराम)

के अन्दर, और उसी अपनी पुलिस की रिपोर्ट के ऊपर इस प्रकार का विश्वास करके, आंख बन्द करके, बिना विवेक से काम लिए हुए झूठी रिपोर्ट सदन के सामने उन्होंने पेश की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं माननीय गृह मन्त्री के वक्तव्य के आधार पर और कुछ ऐसी चीजें रखने का प्रयत्न करूंगा, जिनसे यह साबित हो जावेगा कि यह बिल्कुल पुलिस के द्वारा, पुलिस और वहां के प्रशासन द्वारा एक सोच समझ कर किया हुआ षडयन्त्र है, और हमारी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य को पीटने, उनसे बदला लेने का जान बूझ कर यह काम किया गया है। इसकी पृष्ठ भूमि बहुत पहले से है और इस आधार पर तैयार की गई है। सबसे पहले कामरेड हारूमल और हमारी पार्टी ने वहां पर....

श्री अध्यक्ष: सिर्फ एक बात मैं बीच में निवेदन करना चाहता हूं वह यह कि इस प्रश्न के लिए 1 बजे तक का समय निर्धारित किया है। 1 बजे से फिर खाद्यान्न पर बहस शुरु हो जायगी। उस लिहाज से आपको समय का निर्धारण करना पड़ेगा।

श्री रतिराम यादव: अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी ने, जिला प्रशासन और जिला पुलिस जिस प्रकार से ब्लैक मार्केटियर्स और जखीरे बाजों की ......

श्री अध्यक्ष: और पार्टी के भी बोलना चाहें तो उनके समय का भी ध्यान रखें, जिससे उनको भी अवसर मिल जाय।

श्री केदारनाथ: बोलेंगे।

श्री रतिराम यादव: उनकी मदद कर रही थी। हमारी पार्टी ने उनके खिलाफ अभियान चलाया हुआ था। 2 तारीख को हारूमल जी, जो जिला कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी हैं, ने एक पर्चा निकाला वहां के जिलाधीश और जिला पुलिस के खिलाफ, जिसमें उनके काले कारनामों का पर्दाफाश किया। इस बात से वहां के कलेक्टर महोदय, एस. पी. और पुलिस उनसे बुरी तरह चिढ़ी हुई थी। 6 तारीख को वहां के स्टूडेंट्स की तरफ से एक पुस्तक विक्रेता, जो पुस्तकों का ब्लैक कर रहा था, की दुकान पर जाकर उसकी दुकान को घेर लिया गया वहां हारूमल जी और स्वयं मैं घटना स्थल के पास थे। उस पुस्तक विक्रेता के बचाव के लिए वहां के डी. एस. पी., मदन मोहन अत्रे, जो वहां कोतवाली में रहते हैं, पुलिस दल के साथ वहां पहुंच गये और उन्होंने उस पुस्तक विक्रेता की मदद करनी चाही। इसका हमने विरोध किया। हमारी पार्टी की यह बात पुलिस को चुभ गई। उसके बाद 7 तारिख को सब्जी मण्डी के इज्जतदार लोगों के साथ कोतवाली के अन्दर बुरी तरह मार-पीट हो रही थी। जब और साथियों को पता लगा तो वे वहां पहुंचे और केवल पुलिस को यह कहा कि तुम इन लोगों, निर्दोष लोगों की मार-पीट क्यों कर रहे हो यह अच्छा नहीं है। उस समय श्यामसुन्दर नाम का हैड कॉन्स्टेबल है, वह सामने आया और उसने उल्टे सीधे ढंग से बात कही। और मदन मोहन ने इस बात से चिढ़कर यह कहा, और अच्छी तरह से इन लोगों की पिटाई करो, जिसके बारे में मन्त्री महोदय ने एक बिल्कुल फर्जी बात, पुलिस की गढ़ी गढ़ाई बात कही है कि हारूमल ने श्याम सुन्दर के मुंह पर चांटा मारा। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना

(श्री रतिराम)

चाहता हूं, मुझे अफसोस है, मन्त्री महोदय इस तरह की बात कैसे स्वीकार कर लेते हैं। वह स्वयं भी एक हैसियतदार और सार्वजनिक कार्यकर्त्ता हैं। कामरेड हारूमल लगभग उसी तरह के हैं उनकी हैसियत भी सार्वजनिक कार्यकर्त्ता की है, और शायद वह गृह मन्त्री महोदय से कितने ही साल ज्यादा होंगे। अगर मन्त्री महोदय इस तरह की हरकत कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि हारूमल ने जरूर की होगी। यह बिल्कुल गलत बात उन्होंने कही है। दूसरी बात मन्त्री महोदय ने कही कि हारूमल ने मोहरसिंह नाम के सिपाही के मुंह पर थूक दिया, और इस चक्कर में छीना झपटी हुई जिससे हारूमल गिर गये और उन्हें चोट आई। मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस रिपोर्ट दर्ज है, 11 सिपाही, रमेशचन्द्र हैड कॉन्स्टेबल और कैलाश चन्द्र गोयल, ट्रेफिक सब इन्सपेक्टर—इसके साथ पुलिस हिरासत में उन्हें ले जाया गया, जहां पर इस प्रकार की घटना नहीं हुई। मुझे यह कहते हुए शर्म लगती है, गृह मन्त्री को ध्यान नहीं आया, सभ्य जीवन हारूमल जी का रहा है, जिसका जीवन इतना अच्छा रहा है राजनैतिक और सामाजिक वह इस तरह की गिरी हुई बात कर सकता है, किसी के मुंह पर थूक सकता है ? गृह मन्त्री जी स्वयं अपने हृदय में विचार करके देखें क्या इस प्रकार की हरकत किसी के साथ कर सकते हैं ? तो इस बात को इस रूप में रखा गया जबकि उनको पीटा गया और उनके दो दांत टूटे। मैडिकल जूरिस्ट डी. एस. अग्रवाल ने जो मैडिकल रिपोर्ट दी है, उसमें यह दर्ज किया गया है कि इनके दांत चोट से तोड़े गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी सदन के सामने फैक्ट रखना चाहूंगा कि मान लो, जो गृह मंत्री ने यहां रिपोर्ट पेश की है कि हारूमल की हरकत की जो दो बातें उन्होंने मुख्य रखी हैं, पुलिस के हैड कॉन्स्टेबल के चांटा मारा और एक पुलिस के सिपाही के मुंह पर थूका, केवल इतनी बात है, जिसके कारण इतनी घटना हुई। मान लो, एक सैकन्ड को यह मान लिया भी जाय, वैसे मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं, मैं पहले कह चुका हूं, यह सिर्फ फर्जी, मन गढ़न्त और झूंठा मुकदमा बनाया गया है, तो मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसकी उसको सजा अलग हो सकती है, लेकिन क्या पुलिस को यह अख्तियार दे रखा है, क्या पुलिस को खुली छुट दे रखी है कि उन लोगों के ऊपर मुकदमा अलग चलाया जाय और उनको इस बुरी तरह पुलिस कस्टडी में पीटा जाय ? अगर यह गलती की तो उसके खिलाफ आप मुकदमा चलाते और उसकी उसे सजा मिलती। लेकिन यह किसने अधिकार दे दिया है कि पुलिस कस्टडी में इस प्रकार पीटा जाय। मैं समझता हूं, अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसी शर्मनाक मिसाल नहीं मिलेगी, जो हमें आजादी के पाने के बाद हमारे गृह मंत्री के पुलिस विभाग के द्वारा इस राजस्थान के अन्दर खास तौर से यह घटनायें पुलिस के द्वारा सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं के साथ की जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात सदन के नोटिस में लाना चाहूंगा, मान लो, यह सब हो चुका है, 8 तारीख को उनकी पिटाई हो चुकी और उन्हें सदर थाने के अन्दर ले जाकर बन्द कर दिया गया। मैडिकल जूरिस्ट ने जब मुआयना कर लिया और हारूमल

(श्री रतिराम)

जी ने यह मांग की कि मेरे मुंह से खून निकल रहा है, मेरी हालत खराब है, इसलिए मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाय। फिर क्या वजह थी कि कलेक्टर और एस. पी. साफ इन्कार कर देते हैं, कहते हैं, कोई जरूरत नहीं है। जब मैडिकल जूरिस्ट की रिपोर्ट है, हारूमल जी की हालत जबर्दस्त खराब है, और इनको तुरन्त हॉस्पिटल में दाखिल कराया जाय। उसके बाद में भी इन्कार कर देना—इससे साफ मालूम होता है, जिला प्रशासन और पुलिस का मिला जुला षड़यंत्र था, वह बदले की भावना से काम कर रहे थे, न कि हारूमल ने कहीं पर इस तरह की गुस्ताखी की है उसके बाद जब श्री रामानन्द अग्रवाल विधायक ने कलक्टर से यह बात कही तब उन्होंने लिखित में दिया कि हम चाहते हैं इनको इस समय अस्पताल भेजा जाए, अगर उसके बाद भी आप नहीं भेजते हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी होगी, मुझे आपके और पुलिस के कन्डक्ट में संदेह है, आप उनके साथ पुलिस कस्टडी में अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, इसलिए फौरन उनको अस्पताल भेजा जाए, अगर नहीं भेजेंगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी जो इसके दुष्परिणाम निकलेंगे। इतना कहने के बाद उनको अस्पताल भेजा गया।

इसके बाद एक और गंभीर बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि किस प्रकार से षड़यंत्र था। बदले की भावना से जब 9 तारीख का कोर्ट के अन्दर चालान किया तो वहां पर हारूमलजी की जमानत रिजेक्ट हो गई लेकिन उसके बाद हमने लिखकर दिया कि उनको पुलिस कस्टडी के बजाय जुडीशियल कस्टडी में रखा जाय क्योंकि वह अस्पताल में एडमिट थे इसलिए अस्पताल में ही रह गए लेकिन 10 तारीख को जिलाधीश महोदय पहुंचते हैं और डॉक्टर पर दबाव डालते हैं। रात को 9 बजे हारूमल को वहां से रिहा कराया गया। वह तो अचानक मैं और रामानन्दजी बाजार से आ रहे थे, पब्लिक मिटिंग थी, उसके बाद वहां पहुंचे अचानक खबर लेने के लिए, क्या देखते हैं कि पुलिस गाड़ी खड़ी है और हारूमल को पुलिस कस्टडी में ले जाने के लिए तैयारी की जा रही है। हमें आश्चर्य हुआ कि यह क्या हो रहा है। जब वह जुडीशियल कस्टडी में हैं तो सैंट्रल जेल भेजना चाहिए या मैडीकल जूरिस्ट की रिपोर्ट पर अस्पताल में रहना चाहिए। फौरन रामानन्दजी ने कलक्टर से बात की लेकिन उन्होंने इस बात का विरोध किया और रामानन्दजी ने कहा कि मैं दुबारा कहना चाहता हूं कि मुझे आपके कन्डक्ट में संदेह है। जब वह जुडीशियल कस्टडी में हैं तो या तो जेल के फाटक खुलवाइए और जेल भेजें नहीं तो अस्पताल में रहना चाहिए। अगर उसके बाद भी आप ले जाना चाहते हैं तो आपकी नीयत साफ नहीं है, आप बदले की भावना से काम कर रहे हैं।

तो ये सारे तथ्य हैं जिनकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट गृहमंत्री ने सदन में रखी है, एक ऐसे सार्वजनिक और राजनैतिक कार्यकर्ता की पिटाई के बारे में, वह मनगढंत और झूठी रिपोर्ट पेश की है, वह इस प्रकार सदन को गुमराह करना चाहते हैं और अपनी लाडली पुलिस को बचाना चाहते हैं। इसलिए मैं अन्त में कहना

(श्री रतिराम)

चाहूंगा कि सदन को बड़ी गंभीरता से इस बात पर विचार करना चाहिए कि अगर यही घटनायें हमारे सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के साथ होती रहीं तो, आज केवल कम्यूनिस्ट पार्टी के साथ हुई है, कल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ भी हो सकती हैं, कल समाजवादी पार्टी और जनसंघ सार्वजनिक और राजनैतिक कार्यकर्ताओं के साथ भी हो सकती हैं क्योंकि फिर तो इसके लिए हमारे गृह मंत्री ने रास्ता खोल दिया है, इस तरह की झूठी रिपोर्टें पेश होती रहेंगी और मामले खटाई में डाले जाते रहेंगे। इसलिए यह बड़ा गंभीर मामला है, जिस पर सदन को गंभीरता से विचार करना चाहिए और गृह मंत्री को बाध्य कीजिए इस बात के लिए कि वह इस रिपोर्ट को कूड़े में डाले, फाड़कर फेंके और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ और कलेक्टर के खिलाफ, जिनके कन्डक्ट के बारे में मैंने फैक्ट्स रखे हैं, तुरन्त कार्यवाही की जाए, जो दोषी हैं, उनको सस्पेंड किया जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और जो झूठे केसेज हमारे साथियों पर चलाए गए हैं उनको तुरन्त वापिस लिया जाए। इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मामले में उच्च स्तरीय जुडीशियल एन्क्वायरी बिठाई जानी चाहिए, जिसकी घोषणा आज इस सदन में गृह मंत्री करें। इस बात के साथ में अपनी बात खतम करता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): अध्यक्ष महोदय, गवर्नमैंट को इसमें रिप्लाई भी देना है, इसलिये समय इस तरह से बांटें ताकि एक बजे तक गवर्नमैंट भी रिप्लाई दे सके।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा: मतलब आप सदन को चर्चा नहीं करना देना चाहते।

श्री अध्यक्ष: ब्रीफ में कहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: थोड़ा सा ही समय लूंगा।

श्री हरिदेव जोशी: एक बजे गवर्नमैंट का रिप्लाई होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रतनगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहूंगा। तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी तथ्य सदन के सम्मुख रख दिये हैं। पुलिस ने जवाब लिख कर दे दिया और राज्य मंत्री महोदय ने वह सदन में पढ़ कर सुना दिया। कोई मामूली फौजदारी मुकदमा हो कोई दूसरा मामला हो तो पुलिस का बयान इस तरह से पढ़ा जा सकता है लेकिन राजनैतिक कार्यकर्ताओं की पिटाई का प्रश्न है और उस पर केवल पुलिस का दिया हुआ बयान रीड कर लिया जाये, मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह प्रजातन्त्र में सही एटीट्यूड नहीं है।

श्री हाकमल, जो कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय कौंसिल के सदस्य हैं और राजस्थान किसान सभा के प्रधान हैं, सिंध कांग्रेस कमेटी के भी वह प्रेजीडेन्ट किसी समय रह चुके हैं और उनके जीवन का अधिकतर समय कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्य में ही व्यतीत हुआ है। वह एक वरिष्ठ नेता हैं और एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। कम से कम जहां तक उनका सम्बन्ध था, माननीय गृह मंत्री जी को व्यक्तिगत जानकारी करनी चाहिए थी, दूसरी एजेन्सीज से जानकारी

Page No 26

26

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

करनी चाहिए थी और यह नहीं करना चाहिये था कि केवल पुलिस का लिखा हुआ बयान पढ़ लिया।

हारूमल जी के साथ साथ मेरे दल के नेता पर भी गृह मंत्री जी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने भड़काने वाली तकरीर 5 तारीख की रात को की जिससे उन्हें अरेस्ट करना पड़ता। उनको अरेस्ट नहीं किया यह तो आपकी मेहरबानी है। और उस भड़काने वाली तकरीर में हमारे नेता को यहां तक घसीटा यहां तक कह दिया कि यह तो हैड कॉस्टेबिल ही था, मै होता तो एस. पी. को भी थप्पड़ मार देता। अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट है और तथ्य इंगित करते हैं कि यह कहानी मनघड़न्त है। सात तारीख को सब्जी मन्डी में एक साइकिल खड़ी कर दी गई, उसको एक लड़के ने, जिसका नाम महावीर बताया जाता है, उठाया और उसको उस सिलसिले में पकड़ा गया। सब्जी मंडी वालों को उस पर ऐतराज हुआ क्योंकि लड़के को पुलिस द्वारा बेरहमी से वहीं पर ही पीटा गया। उसके बाद उस लड़के को थाने पर भी पीटा गया और मंत्री जी कहते हैं कि बीस तीस आदमी थाने में घुस गये, जिसका वह हजूम का नाम देते हैं, और वहां हारूमल ने हैड कांस्टेबिल का थाने के अन्दर थप्पड़ मार दी। उस समय हारूमल की पिटाई नहीं होती है, थाना सारा सूना था। वहां केवल हैड कांस्टेबिल बैठा था और वहां जाकर हारूमल ने उसको थप्पड़ मारदी। क्या बात कही जबकि पोजीशन यह है कि हारूमल और सीताराम को थाने के अन्दर और बाहर दोनों जगह पीटा गया।

तथ्यों को बारीकी से देखा जाये तो हारूमल जी के दो दांत टूटे हैं और मंत्रीजी ने मुकदमा केवल 323 का बनाया। इसके विपरीत पुलिस वालों ने 324 का मुकदमा दर्ज कराया है याने उन्हें काफी ज्यादा चोटें आई। बाकी दूसरे दफे तो पुलिस वाले हर राजनैतिक कार्यवाही के खिलाफ लगा ही लेते हैं, उसका अनुभव सभी राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं को है और माननीय श्री हरिदेव जोशी को भी होगा। यह बात निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता की जानकारी में है। अध्यक्ष महोदय, 8 तारीख को सुबह रामानन्दजी मय 8-10 व्यक्तियों के कलेक्टर महोदय से मिले। उस समय हारूमल जी भी उनके साथ थे। अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर के खिलाफ पर्चे निकलते हैं वह शिकायत करता है। सोरी पर्चे तारीख दो को निकले और 8 तारीख को रामानन्द जी डेपूटेशन ले जाकर कलेक्टर से मिले। अब यहां पर यह कहते हैं कि रामानन्द जी ने प्रोवोकेटिव स्पीच दी। अध्यक्ष महोदय, वहां पर स्टूडेन्ट फैडरेशन के स्टुडेन्ट्स ने जब वहां पर पुस्तकों व कापियों का दिक्कत देखी तो पुस्तक विक्रेता के यहां से हजारों की तादाद में पुस्तकें बरामद की। इसके बारे में मुख्य मन्त्री जी को भी सूचना है और मुख्य मन्त्री इस बात की स्वीकारोक्ति भी करेंगे। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह मन्त्री साहब उस दुकानदार की मदद में पहुंच गये। अध्यक्ष महोदय, 7 तारीख की शाम की घटना है। सात तारीख की रात को यह सभी लोग कलेक्टर, एस. पी. अन्य वगैरहा मीट करते हैं, एक प्लान बनाते हैं और बाद में उन्हें गिरफ्तार करते हैं 8 तारीख को। वह कहते हैं कि 8 तारीख को रामानन्द जी ने प्रोवोकेटिव स्पीच दी।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

अध्यक्ष महोदय, यहां पर जयपुर से मुख्य मन्त्री जी और गृह राज्य मन्त्री जी से टेलीफोन, ट्रन्क कोल हुए होंगे। अध्यक्ष महोदय, उनको 5-6 बजे गिरफ्तार किया जाता है। बाद में उन्हें ले जाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में रात को 11 बजे उनको एसकोर्ट में, पुलिस की एसकोर्ट में लेजाना चाहते हैं इसमें पुलिस थानेदार रमेशचन्द्र, पुलिस इन्सपेक्टर श्यामलाल मय 11 कॉन्सटेबिल्स के उन्हें ले जाते हैं। उन्होंने नारे लगाये। तो मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, क्या नारे लगाना खराब है, जुर्म है। कल की बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कल हमारे विधान सभा के बाहर सात विद्यार्थी पुलिस के घेरे में तीन घन्टे तक नारे लगाते रहे। उन्होंने नारे लगाये क्या जुर्म कर दिया? पुलिस ने उन्हें फेस किया तो श्री हारूमल जी ने अगर नारे लगाये तो क्या जुल्म किया। इसके अलावा यह कहा जाता है कि हारूमल जी ने आर. ए. सी. के जवानों पर थूक दिया था। यह बिलकुल झूठ बात है। मैं बड़ी अदब के साथ मुख्य मन्त्री जी से और गृह राज्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या नारे लगाना जुर्म है। क्या उन्होंने अपने राजनैतिक जीवन काल में नारे नहीं लगाये कि आपको अपना पुराना इतिहास याद नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ी दुःख की बात तो यह है कि उन्हें जहां पर रात को, जबकि ज्युडिशियल लोकअप में ले जाना चाहिये उस वक्त उन्हें कहीं दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। अध्यक्ष महोदय, शाम के समय उन्हें कोर्ट से ज्युडिशियल लोकअप में नहीं लेजाकर पुलिस थाने लेजा रहे थे। क्योंकि उनकी बेल रिजेक्ट हो गयी थी। अध्यक्ष महोदय, यह सभी जानते हैं कि उस वक्त उनको ज्युडिशियल लोकअप में भेजना चाहिये था। लेकिन वह उन्हें ज्युडिशियल लोकअप में नहीं लेजा कर रात को पुलिस थाने लेजा रहे थे। अध्यक्ष महोदय, यह तो रामानन्द जी को पता लग गया और वह घटनास्थल पर पहुंच गये और अगर वह घटना स्थल पर नहीं पहुंचते तो श्री हारूमल जी की थाने में इस प्रकार की निर्मम पिटाई की जाती कि वह 15 दिन तक नहीं उठ सकते थे। अध्यक्ष महोदय, जरा मन्त्री महोदय सोचें एक व्यक्ति, जो कि 65 साल का है जो कि अक्सर बीमार रहता है उस व्यक्ति के खिलाफ मे इस प्रकार की साजिश करके उनको फंसाने की हरकतें पुलिस ने की। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना जरूर कहूंगा कि चाहे राजनैतिक कार्यकर्त्ता हो, किसी दल का हो, कोई कांग्रेसी कार्यकर्त्ता हो, चाहे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्त्ता हो, चाहे जनसंघ का कार्यकर्त्ता हो, उनका थोड़ा तो ध्यान रखा जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जोजावर के कार्यकर्त्ता के बारे में निवेदन करूंगा कि जोजावर के मांगीलाल राजनैतिक कार्यकर्ता के ऊपर चर्चा हुई थी उस समय राजस्थान के मुख्य मन्त्री वह थे जो कि आज मैसूर के गवनर हैं। उस मांगीलाल कार्यकर्त्ता को पुलिस वालो ने जूतों की चोरी के मामले में गिरफ्तार किया और उसकी बहुत ही निर्मम पिटाई की गई। उसके लिये नाथूराम जी ने पुलिस को कहा लेकिन पुलिस का अध्यक्ष महोदय, यह इतिहास रहा है कि यह लोग राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ झूठें केस बना कर उन पर अत्याचार करते हैं। यह पुलिस के बडे बड़े ऑफिसर ब्यूरोक्रेट्स झूठी मनघड़न्त कहानियां बना कर उन्हें फंसा देते हैं। और जब कभी भी सदन में चर्चा चलती है तो

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

वह मनघड़न्त कहानियां सदन में मन्त्री महोदय द्वारा स्टेटमेन्ट के रूप में दे दी जाती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि अध्यक्ष महोदय, खासतौर से आपके मार्फत गृह मन्त्रीजी से कि किसी भी राजनैतिक कार्यकर्ता का मामला कभी भी आवे तो वह खुद इस मामले की जांच करावें ताकि उनके साथ ज्यादती नहीं हो। अगर अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय इसी प्रकार पुलिस की रिपोर्ट्स पर ही आधारित रहे तो मैं समझता हूं कि किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता इनसे सुरक्षित नहीं रहेगा। बस इतना ही मुझे कहना है।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। इस सारी बात से एक बात तो मोटे रूप से इस सदन में उभर कर आयी है कि जब कभी भी किसी भी राजनैतिक कार्यकर्ता के खिलाफ में कोई इन्क्वायरी होती है या केस बनाये जाते हैं तो उसके पीछे एक मनघड़न्त कहानी पुलिस द्वारा जरूर बना दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्री महोदय ने अपने स्टेटमैन्ट में कहा कि हारूमल जी ने पुलिस कॉन्सटेबल को दांतों से काटने की कोशिश की और उसने उनको झटका दिया जिससे कि उनके पास में जो लोहे की छड़ थी उससे टक्कर लगने से उनके दो दांत टूट गये। अध्यक्ष महोदय, ऐसी मनघड़न्त कहानियां पुलिस द्वारा अमूमन बनाई जाती है। कल भी इस प्रकार की एक चर्चा, जब कि सदन में गृह राज्य मन्त्री ने अपना स्टेटमैन्ट दिया उसमें कहा कि चोर ने पुलिस की हिरासत में से भागने की कोशिश की और उस दरमियान वह एक 20 फीट नीचे गड्ढे में गिर गया। अध्यक्ष महोदय, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोई दूसरी बात ही कहता रहा है। उसकी मृत्यु अध्यक्ष महोदय, गड्ढे में गिरने से नहीं हुई बल्कि पुलिस की निर्मम पिटाई द्वारा हुई थी। मुझे अति दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बावजूद पोस्टमार्टम रिपोर्ट दूसरी होने के, गृह राज्य मन्त्री उन पुलिस वाले हत्यारों के खिलाफ में कोई प्रकार की जांच कराने को तैयार नहीं हुए। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह जो पद्धति बनी हुई है कि पुलिस की रिपोर्ट का ही मन्त्री महोदय यहां लाकर सदन में पढ़ दें तो यह तो उचित नहीं है। इस पद्धति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जबकि कोई रिपोर्ट पुलिस के ही खिलाफ में हो और आप पुलिस के थानेदार से या एस. पी. से ही इन्क्वायरी कराते हैं तो आपको सही स्थिति का पता कैसे लग सकता है? उसमें पुलिस के एस. पी., डी. एस. पी. वगैरहा मिलकर उस केस को फालसीफाई करने की कोशिश करते हैं और उस फालसीफाई रिपोर्ट को आप सदन में लाकर माननीय सदस्यों को पढ़ देते हैं यह बात बिल्कुल ही हास्यास्पद मालूम होती है। इसलिये मेरा मन्त्री महोदय को यह निवेदन है कि राजनैतिक कार्यकर्त्ता का मामला, जहां पर हो उन मामलों में मन्त्री महोदय को विशेष तौर से अपने लेवल पर जांच करानी चाहिये। नहीं तो हारूमल जी के बारे में बात हास्यास्पद ही मालूम होती है। एक व्यक्ति जिसकी उम्र 65 साल की है और जो अक्सर बीमार रहता है वह व्यक्ति अपने दांतों से काटे यह कैसे हो सकता है। इसके अलावा यह कहना कि रामानन्द जी ने प्रोवोकेटिव भाषण दिया जिससे अलवर में हिंसा का वातावरण बन

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

गया। तो मेरा निवेदन यह है कि जब वातावरण इतना उग्र हो गया तो आपने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आपको चाहिए था कि उन पर प्रिवेन्टिव एक्ट के तहत दफा 107, 151 के अन्तर्गत कार्यवाही करते। आपने उसी वक्त जिस वक्त कि वह प्रोवोकेटिव भाषण दे रहे थे उस वक्त उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आपको एक्शन आन दी स्पोट लेना चाहिये था। आप आन दी स्पोट कार्यवाही नहीं करते, आपने उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? और जब आपने आन दी स्पोट एक्शन नहीं लिया तो इसका मतलब यह है कि यह सभी कहानियां कपोल कल्पित हैं। इसमें कहीं भी सत्यता का आभास नहीं होता। इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि अलवर के जिलाधीशों का इतिहास कुछ ऐसा ही रहा है। पहले एक जिलाधीश थे उन्होंने अपने बंगले में अफीम की खेती कर ली थी। जिसके बारे में यहां पर सदन में उसकी चर्चा हुई तो जांच करने के बाद मुख्य मन्त्री जी ने यहां पर कहा कि अलवर के जिलाधीश ने अपने बंगले में अफीम के कुछ पौधे जरूर लगाये थे। लेकिन उन्होंने उन पौधों से अफीम निकाल कर बेची नहीं थी। इसलिये आपने उनको वहां से सिर्फ ट्रान्सफर करके ही छोड़ दिया था।

ये वर्तमान जिलाधीश महोदय पहले बाड़मेर में जिलाधीश थे और इन्होंने जनसंघ के कार्यकर्त्ताओं को हथकड़ियां डाल कर घुमाया इसलिये कि उन्होंने अकाल घोषित करवाने के लिए आन्दोलन किया था। श्री शोभासिंह, जो जनसंघ पार्टी के जिला मंत्री हैं उनके विरुद्ध जिलाधीश द्वारा बारह बारह मुकदमे लगाये गये। तीस तीस, चालीस चालीस लोगों को हमेशा जेल पर आना पड़ता है। उन जिलाधीश में अच्छी बातें भी हैं। बाढ़ में उन्होंने अच्छा काम किया था। मैं किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध यह नहीं कहूंगा कि उसने कोई अमुक करप्शन किया है किन्तु मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं। राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं को, उनके जंच जाती कि सबक देना है, तो वे गये गुजरे साम्राज्यवादी तरीकों को अपनाते हैं। बाड़मेर में जितने मुकदमे उन्होंने चलाये हैं चाहे चौहटन के कांड हों, चाहे गिरवा का काण्ड हो, वे आज तक चल रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के बारे में कोई मापदण्ड होना चाहिये और यह हम को बनाना पड़ेगा। मैंने एक दफा पहले भी कहा था कि ऐसे काण्ड में अधिक संयम की आवश्यकता होती है। कुछ कोई दुर्घटना भी घट सकती है। मैं इस विशेष बात को नहीं कहता। माननीय हारूमलजी ने प्रोटेस्ट किया। जैसे एक तेली को मार दिया जब वह पुलिस कस्टडी में था। क्या उसी तरीके का बल प्रयोग किया जाय? क्या उनके दांत तोड़ दिये जांय? क्या वृद्ध कार्यकर्त्ता के दांत तोड़ देने चाहिये? यह एक अपमानजनक है। चाहे किसी भी पार्टी का कार्यकर्त्ता हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे जनसंघ का हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का कार्यकर्त्ता हो हमें इन सब बातों से ऊपर उठ कर सोचना होगा। और निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में कुछ नॉर्म्स से तय करने पड़ेंगे कि राजनैतिक कार्यकर्त्ता जब आंदोलन के लिये आते हैं तो किस प्रकार का व्यवहार उनके साथ करना चाहिये। मैं यह कभी नहीं कहता कि

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
कानून का रिलेक्सेशन कर दिया जाय, कानून का एक्जम्शन कर दिया जाय। किन्तु कानून का किस रूप में पालन किया जाय इसके भी नॉर्म्स होते हैं। हारूमलजी के दांत तोड़ने की घटना हुई, जिस तरीके से माननीय राज्य मंत्रीजी ने यहां पर कह कर टाल दिया वह कम से कम हम में संतोष और विश्वास पैदा नहीं कर सके।

मंत्री महोदय को अपनी तौर पर जानकारी करनी चाहिये और जैसा कि आरोप कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्यों ने लगाया है कि बाड़मेर से आये जिलाधीश को प्रोत्साहित किया है कि यहां पर भी वे ऐसे ही काण्ड करें जैसा कि ब्रिटिश जमाने में, अंग्रेजी जमाने में राजनैतिक कार्यकर्ताओं के साथ एट्रोसिटीज बरती जाती थी जो विभीत्स काण्ड उनके साथ किये जाते थे। वे ही तरीके इस जनतन्त्रीय जमाने में नहीं अपनाये जावेंगे इसके लिये उनको सबक सिखाना चाहिये।

श्री केदारनाथ (गंगानगर): अध्यक्ष महोदय, माननीय हारूमल और उनके साथियों के बारे में जो फर्स्ट इन्फोर्मेशन रिपोर्ट दी माननीय राज्य मंत्रीजी ने, जो यहां पर स्टेटमैन्ट दिया उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। उसी फर्स्ट इन्फोर्मेशन रिपोर्ट पर आपने यहां पर स्टेटमैन्ट दिया है।

पुलिस की कस्टडी में 18 आदमी हों और हारूमल जैसा आदमी, सीजन्ड पोलिटिशियन, कई बार मूवमेन्ट्स में पुलिस की हिरासत में वह रहा, आज तक कोई भी ऐसा इन्सीडेन्स नहीं आया कि उसने पुलिस पर थूका हो, उसको काटा हो और इस प्रकार की हरकत की हो। यह सारा का सारा पुलिस का मैनुपुलेशन है। कार्यकर्त्ता किसी स्टेज का हो पुलिस एजेन्सी के अलावा किसी दूसरी एजेन्सी से माननीय राज्य मंत्रीजी जांच करवा लेते तो इसका रूप ही दूसरा होता।

मेडीकल ज्यूरिस्ट ने जो रिपोर्ट दी है वह क्या है? वह रिपोर्ट भी पढ़ कर सुना दीजिये। 323 का केस बनेगा। ऐसे वक्त में, आखिर में यह कहना चाहता हूं, ऐसी पिटायी हुई है, प्राइमा फेसी केस बन जाय, ओन स्पोट जो ऑफिसर हैं उसको सस्पेन्ड कर दें और सीनियर अफसर की नियुक्ति कर दें तब आपको सही हालात का पता लग सकेगा। जब पब्लिक मूवमैन्ट चल रहा था। हारूमलजी ने वहां के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और अन्य व्यक्तियों को एन्टागोनाइज कर दिया था। उन दोनों ने मिल कर उनके विरुद्ध यह किया है। उस पुलिस अफसर को सस्पेन्ड किया जाय तब ही सही हालात मालूम हो सकते हैं।

श्री केशरीमल (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बातें हैं, जो तथ्य हैं उनको छिपाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: तीन आदमी पांच पांच मिनिट।

श्री केशरीमल: तीन मिनिट में ही समाप्त कर दूंगा।

तो मैं यह कह रहा था कि तथ्यों को छिपाया जा रहा है। ऐसे थानों और पुलिस से मेरा काफी वास्ता पड़ा है। अभी अभी

(श्री केशरीमल)

कुछ दिन पहले एम. एल. ए. बनने से थोड़े दिनों पहले ऐसी घटना का शिकार होने का मौका मुझे प्राप्त हुआ था । कृष्णा मिल में मजदूरों में आपस में बातचीत हो गई और कुछ मजदूरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब मैं उनकी जमानत देने गया तो थानेदार ने कहा कि आप भी बन्द हो जाइये । ठीक, बन्द हो गया। 11 बजे रात्री को दस पन्द्रह सिपाहियों ने मिल कर, थाने में इतना बड़ा मैदान है वहां पर मुझे खूब रगड़ा, घायल कर दिया । चार्जेज लगाये मेरे पर कि इन्होंने जान से मारने की कोशिश की इसलिये इनको गिरफ्तार किया गया। यह घटना क्यों हुई ? तीन दिन पहले मीटिंग करके एस. पी. के खिलाफ चार्जेज लगाये गये । ऐसी टैक्सी के जरिये जो रिश्वत में आयी थी तीर्थ यात्रा करने पहुंचे । इससे वे चिढ़ गये । उन्होंने षड़यन्त्र किया। ऑफिसर्स को इक्ट्ठा किया, दावत की और रात को यह षड़यन्त्र किया । षड़यन्त्र यह किया कि वे ऐसे बोलते हैं इसलिये इनको पकड़ कर सबक सिखाया जाय ताकि इनका बोलना बन्द हो जाय । 452, 117, 147 और न जाने कितनी ही दफाओं में, कहीं गुन्डा करार दिया, कहीं आवारा करार दिया और इस प्रकार की गिरफ्तारियां हुई और कई बार हुई ।

यह घटना हुई हारूमलजी के साथ जिसके पीछे एक बात है जो मैं कहना चाहता हूं । एक तो भूमिकर आन्दोलन और दूसरा वहां के विद्यार्थियों को किताबें नहीं मिलना । उस आन्दोलन के कारण काला-बाजारियों और पुलिस के मिल जाने और हमारे द्वारा उनके खिलाफ बोलने के कारण यह घटना माननीय हारूमल जी के साथ घटी । सरकार ने इस प्रकार की घटनाओं को बढावा देना और कालाबाजारियों को पनपाने में दक्षता प्राप्त की । कोई भी काम यदि ऐसा किया जाय जिससे उनकी जेबों पर असर पड़ता हो तो ऐसे षड़यन्त्र लगा कर उनको गिरफ्तार करके सरकार पिट-वाया करती है राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं को, यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है ।

क्या कारण है हारूमल जी ने काट खाया, क्या कारण था कि सिपाही पर उन्होंने थूक दिया ? कोई कारण तो होना चाहिये था ? क्या कोई गाली दी उसने जिससे गुस्सा आगया और हारूमल जी ने चांटा मार दिया ? क्या कारण था हारूमल जी ने काट खाया ? जरूर कोई कारण हो सकता है । नहीं तो, मनघड़न्त बात है । कोई कारण है तो निश्चित रूप से पुलिस के लोगों ने प्रवोक किया होगा । यह माना जाय कि उन्होने इस पर काट खाया ? यह सब षड़-यन्त्र है । जिस तरीके का राजनैतिक कार्य-कर्त्ताओं के साथ बर्ताव किया जा रहा है और जैसी व्यवस्था सामने आ रही है और जिस प्रकार के माननीय मंत्री महोदय ने बयान दिये हैं, उससे ऐसा लगता है कि यह सारा सरकार का सहयोग है कि रिश्वत खाने वाले ऐसे बदमाश लोग राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के साथ मारपीट करे, चाहे वह बाड़मेर की घटना हो या अलवर की घटना हो, इससे पता लगता है सरकार उनको पनाह दे रही है जो इस प्रकार गुनाह करते हैं राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के साथ । यदि इस प्रकार की घटनायें बढ़ती हैं तो इसके बहुत बुरे परिणाम निकलेंगे ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इसलिये, अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों पर सरकार विचार करे और ऐसे

(श्री केशरीमल)
व्यक्तियों को गिरफ्तार करे और हमें तसल्ली कराये वरना निश्चित रूप से तसल्ली नहीं होगी।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हारूमल जी के बारे में उनकी महानता का परिचय आसन की ओर से हाँसिल हुआ। आप स्वयम् उनके बारे में जानते हैं। आप स्वतन्त्रता संग्राम के एक बहुत बड़े सेनानी रहे हैं। यह आप भी मानते हैं कि इन्होंने अंग्रेजों के जमाने में उनके अत्याचारों के खिलाफ संग्राम किया। तब आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति किसी अफसर पर हाथ चला सकता है। या उनके साथ इस तरह से अभद्रता से बोल सकता है। अगर ऐसा कोई इस तरह के व्यक्तियों से उम्मीद करे तो या तो वह पागल है या फिर आप अपने पुलिस अधिकारियों की हां में हां मिला रहे हैं।

जिस तरह का स्टेटमेन्ट गृह मन्त्री जी ने सदन में दिया है वह केवल पुलिस का स्टेटमेन्ट हो सकता है, स्टेट के एक मिनिस्टर का कतई नहीं। जब कि तथ्य यह है कि हारूमल जी को पुलिस अपनी कस्टडी में रखती है, वहां उन्हें पीटती है, अस्पताल में नहीं भेजती, मैडिकल रिपोर्ट के बाद भी नहीं भेजती, रात्रि को निकाल कर ले जाती है। यह कॉमनसेंस की बात है कि जिस पर आरोप लगाया जावे वही व्यक्ति स्टेटमेंन्ट का मजमून बना कर गृह मन्त्री के हाथ में दे और वही स्टेटमेन्ट गृह मन्त्री जी सदन में पढ़ दें तो वह कहां तक सही हो सकता है? इस शासन व्यवस्था में यह एक दुर्भाग्य की बात ही कही जा सकती है कि इस तरह का एक्यूज्ड का बनाया हुआ ही स्टेटमेन्ट सदन में एक मिनिस्टर को पढ़ना पड़ता है। यह सामान्य समझ की बात है कि जिसे आप स्वयं एक बुजुर्ग स्वतन्त्रता संग्राम का मंझा मंझाया सैनिक मानते हैं क्या वह किसी पर थूकेगा? क्या वह यह बतावेगा कि नहीं, आप भले ही कितना ही अच्छा समझे मेरा स्तर तो इतना ही गिरा हुआ है कि मैं किसी पर भी थूंक दूं। तो आप पुलिस की ज्यादतियों को दबाने के लिये इस तरह के ऊलजलूल स्टेटमेन्ट सदन में दें कि गाड़ी में बैठे बैठे टकरा गये इसलिये दांत टूट गये। कितनी हंसी आती है आपके इस कथन पर? इस टकराहट, इस एक्सीडेन्ट के पीछे क्या था? क्या वह गाड़ी गलत ढंग से चल रही थी या गाड़ी चलाने वाला गलत आदमी था। किन परिस्थितियों में टकराये और किस तरह से उनके दांत टूटे? केवल झटके लगने से दांत टूट गये हों यह कोई भी मान नहीं सकता।

इसलिये निवेदन करूंगा कि इसकी आप अलवर के बाहर से किसी उच्चस्तरीय अधिकारी से जांच करवाएं। सही स्थिति की जानकारी लेकर गलती करने वाले को सख्त सजा दें।

एक तरफ आप जमाखोरों, मुनाफाखोरों के खिलाफ अभियान चलाने की बात करते हैं, विद्यार्थियो और समझदार नागरिकों का आह्वान करते हैं कि वे उनकी गति विधियों की जांच करें, उनको पकड़वाए। एक तरफ तो आप इस तरह के आह्वान करके उनको उत्साहित करते हैं और जब वे उत्साहित होकर कुछ करते हैं तो पुलिस को उन व्यापारियों, ब्लैकमारकेटियरों, होर्डरों और मुनाफाखोरों से सांठगांठ करके इनके ही

(श्री मूलचन्द सामरिया)

उत्साह को उल्टा ठंडा करते हैं और पुलिस का शिकार इनको ही बनाते है। अगर आपकी या आपके दल के निहित स्वार्थ वाले लोगों की इन जमाखोरों और मुनाफाखोरों को शह न हो तो पुलिस की मजाल नहीं कि वे ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ इस तरह के जुल्म तोड़ सकें। परोक्षरूप से यह सारी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है। अगर नहीं हैं तो आपको स्पष्ट करना चाहिये और तुरन्त जांच करके इस मामले में सख्त एक्शन लेना चाहिये। नहीं तो फिर यह सही है कि आप इस तरह के आह्वान करके सही पार्टियों को उत्साही कार्यकर्ताओं को एक्सप्लॉइट करते हैं, और उनको पिटवाते हैं उल्टे।

श्री अध्यक्ष : और भी बोलने वाले हैं। मेरी तरफ से तो आप बोलें।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं शीघ्र ही समाप्त करता हूं। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि मुख्य मन्त्री इसे देखें। पुलिस की हरकतें अगर इसी तरह से बढ़ती रहीं तो यह जनतन्त्र के लिये और राजनैतिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिये खतरनाक स्थिति होगी। अब चूंकि आपका जीवन भी राजनैतिक संघर्ष में से ही गुजरा है मुझे आशा है इस मामले में आप सख्त से सख्त कदम उठायेंगे। ऐसे निष्पक्ष लोगों से इसकी जांच करवाएं जो पुलिस के और अन्य प्रभावों और प्रलोभनों से ऊपर हों।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे अहम चीज यह है कि हारुमल जी को थाना सदर में ले जाया गया और उस समय आर. ए. सी. के बहुत से जवान उनको घेरे हुए थे। मेरी समझ में नहीं आता कि यह सेल्फ डिफेन्स कैसे हुआ। मैंने क्रिमिनल ला भी पढ़ा है, क्रिमिनल केसों की प्रैक्टिस भी कर रहा हूं। मुझे नहीं मालूम कि सेल्फ डिफेन्स का मतलब यह है कि कोई नारे लगावे तो उसको पीटा जावे या धक्का दिया जावे या थूक दे तो इसका मतलब यह हो जावे कि उसकी जान खतरे में आ गई। चांटा भी खायें तो क्या ऐसा धक्का लगाया जावे कि दांत टूट जायें।

असल में स्थिति यह थी कि एक मैमोरेण्डम हमने इस बारे में पेश किया था और आशा की थी कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी पर हमको अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि न तो हमें उसका सही जवाब मिला, न यह मालूम हुआ कि कौनसी निष्पक्ष जांच की गई। केवल तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर यहां रखा गया है।

असल तो यह है कि दो दांत उनके तोड़ दिये जिससे खून के छींटे जो उनमें से उछले तो वे उस सिपाही की वर्दी पर गिर पड़े। इसी को लेकर कह दिया कि सिपाही को पीटा गया।

हम राजनैतिक कार्यकर्ता हैं। 15-20 आदमियों के बीच में जाया करते हैं। नारे भी लगाते हैं पर आज तक पुलिस इस तरह से उत्तेजित होकर केवल नारों से उत्तेजित होकर मारपीट कर बैठे ऐसा न अंग्रेजों के जमाने में देखा न उसके बाद या रियासती जमाने में ही देखा। न उस जमाने में कभी कस्टडी में किसी की इस तरह से उत्तेजित होकर पिटाई ही की। उनको पीटा गया, उनके दांत तोड़ दिये गये। इसके बाद झूठी कहानी घड़ कर यहां सुनाई जा रही है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

गम्भीरता से नहीं कहना चाहते हैं तब तो मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, पर अगर आप इसे गम्भीरता से लेना चाहते हैं तो आपको ईमानदारी से सही जवाब देना चाहिये। तथ्य आपके सामने भी आते हैं, हमारे सामने भी आते हैं। आप हम सब जानते हैं सही बात क्या है। पर अफसोस है कि आप पुलिस के काले कारनामों पर पर्दा डालने का काम करते है और वैसा ही स्टेटमैन्ट देते है जिसका कोई आधार नहीं है। आप समझ सकते हैं हर कोई समझ सकता है कि इतनी अधिक तादाद में सशस्त्र पुलिस जवानों के घेरे में जो व्यक्ति हो वह क्या इतना पागल हो सकता है कि किसी के थप्पड़ मार दे। ऐसी किसी भी अकेले या दो चार की भी हिम्मत हो सकती है।

फिर अगर यही था तो जिस वक्त चांटा मारा बताया जाता है उस वक्त गिरफ्तार करते। उस वक्त क्यों नहीं मारा। उस वक्त क्या नहीं कहा जा सकता था कि आपने ड्यूटी पर रहने वाले व्यक्ति के चांटा मारा। दूसरे दिन कहा जाता है कि उत्तेजित भीड़ के कारण कुछ नहीं कर पाये। असल में तो सरकार को यह चाहिये था कि पुलिस के वर्शन को एक तरफ रखती हमारे भी वर्शन को अलग रखती। आप में से भी बहुत से व्यक्ति ईमानदार और निष्पक्ष हैं, स्वयं मंत्री जो निष्पक्ष हैं, हम मानते हैं वे खुद वहां जाने की तकलीफ गवारा करते और सब देखते तो उनको स्वयं को स्पष्ट हो जाता कि जो उन्होंने यहां कहा है वह कहां तक उचित है। इसका वाहन में थूकना और इतने उत्तेजित होना सिपाही का धक्के देकर दांत तोड़ना। आज हमारे दांत टूट गये है, कोई बात नहीं। हो सकता है कल जयप्रकाश जी की हुकूमत आ जाय तो उस वक्त फिर आप क्या करेंगे, वक्त बदलते देर नहीं लगती है। हमारी भी हुकूमत आ सकती है, राइटिस्ट की भी आ सकती है। कोई मुकम्मिल जवाब देते, कानूनी जवाब सुनने को हम तैयार नहीं है। हमें आशा थी मुख्य मंत्री जी को रिप्रजेनटेशन दिया है उसका उत्तर सही मिलेगा और हम यह चाहते है किसी निष्पक्ष आदमी से जांच कराली जाय। आपके 184 में से 144 आदमी है मेरा दावा है इनमें से किसी को जाच करने के लिये दे दीजिये और जो वास्तविक चीज है वह उभर कर आ जाये गी। उस नेता को जिसने अपनी सारी जिन्दगी जेल में गुजारी है, उन फासिस्टों के द्वारा जिन्होंने जुल्म किये उनके अत्याचारों को सहने के लिये कई बार जेलों में गये है। आज उस जुल्म में न सही बल्कि आपको इस हुकूमत के जरिये जो यह नारा है हम समाजवाद लाना चाहते है। मेरी गुजारिश है आप अपनी गलती का अहसास करते हुये अब भी आप अपने लोगो में से जांच करवायें। 395 की सजा पा लेंगे, हमारी जिन्दगी में कोई परिवर्तन आने वाला नही है। अंग्रेजों के समय कई बार जेलों में गये है। अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपकी सरकार से चले गये लेकिन मेरी गुजारिश है आपको तथ्यों को छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा किसी भी निष्पक्ष आदमी से जांच करवायें। अगर थप्पड़ मारा है तो हम कबूल करेंगे और अगर थूका है तो उस जुल्म की सजा उस अधिकारी को मिलनी चाहिये चाहे वह डी. एस. पी. हो, चाहे कलेक्टर हो और चाहे कोई कॉन्स्टेबिल हो।

श्री उपाध्यक्ष : गृहमंत्री जी !

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो स्थगन प्रस्ताव रखे हैं। उसके पहले जैसा अब माननीय साथी ने बतलाया मुझ से मिले थे। मैं उस व्यक्तिगत बात में बहुत विगत से नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि कुछ कार्यकर्ताओं की कार्यकर्ताओं से बातचीत थी किन्तु एक बात मैं माननीय सदस्यों को बहुत स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे मन में कहीं भी राजनैतिक कार्यकर्ताओं का अपमान हो, यह हरगिज भावना नहीं है। इसकी पृष्ठ भूमि में स्पष्ट कर दूं कि जब पुलिस ऑफिसर्स को एक रेफ्रेशर कोर्स टाइप की ट्रेनिंग शुरू की। मैंने विभिन्न पालिटिकल पार्टियों से निवेदन किया कि वे आकर पुलिस ऑफिसर्स को एड्रेस करें। वे किस तरह करें, कैसे करें इसके बारे में जब हम मिले तो स्पष्ट कहा अपने इन्डिपेन्डेन्ट विचार रखे। पॉलिटिकल पार्टियों को इस बात का निमंत्रण दिया गया। उन्होंने भी सुझाव दिये, मैंने भी सुझाव दिये और आज यह रेकार्ड पर है। तीन महीने पहिले की बात होगी, पुलिस को एक रेफ्रेशर कोर्स कराया जाय। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक रिफ्रेश हो—पब्लिक कन्डक्ट कैसे हो। इसमें साफ-साफ आज की पृष्ठभूमि में समझा जाय। मैं उपाध्यक्ष महोदय, कोई पुलिस के बहुत हक में हूं, यह बात नहीं है। मैं जानता हूं कभी सामन्ती पृष्ठभूमि के कारण से, और कभी इल्-लिट्रेट होने के कारण से पुलिस के अधिकारी भी पुलिस के कॉन्स्टेबिल कई बार ज्यादती करते हैं।

हमारा यह कर्तव्य होना चाहिये ज्यादती न करें। उन्हें आज इस प्रकार का वातावरण देने की आवश्यकता है जिससे आम आदमी पुलिस पर विश्वास करके चले और जो कुछ वे कहते है उसको सही मान कर चलें। मैं कहता हूं इसमें टाइम लग सकता है लेकिन हमारा उद्देश्य यही है। इस पर्टीक्यूलर केस में किसका कसूर है, किसने कितनी गलती की, इसमें नहीं जाना चाहता हूं किन्तु यह एक स्थिति है और ये फैक्ट्स है कि अलवर के अन्दर साइकिलों की चोरी बहुत होती थी। तब पुलिस वालों ने एक प्लान बनाया और प्लान बना कर उन्होंने एक साइकिल बाजार में खड़ी कर दी और थानेदार के नेतृत्व में प्लेन क्लोथ में चार कॉन्स्टेबिल खड़े कर दिये। ये बात करते रहे कि कौन इसको उठाता है, नई साइकिल थी। एक आदमी आया उसने साइकिल को थोड़ी देर देखा और फिर उसके बाद इधर उधर करने के बाद उसने पेडिल पर पैर रखा और उसको भी इधर-उधर करता रहा और फिर वह उसको लेकर चलता बना। अब चूंकि सारे लोग उसको देख रहे थे इसलिये 4-5 जनों ने उसको पकड़ लिया। घटना यह होती है कुछ लोग वहां आते हैं। पुलिस वालों ने जिसको पकड़ा था उन्होंने उन पुलिस वालों को पीटना शुरू कर देते हैं। इस पर जितने यहां पर माननीय सदस्य बोले हैं, इन्कार नहीं किया है। पुलिस वाले प्लेन क्लोथ में थे, वे घबरा जाते हैं वे कुछ कर नहीं पाते हैं। अब इतने में हां किसी प्रकार की व्यवस्था करके वे सिविल पुलिस को बुला लेते हैं। सिविल पुलिस आती है और जिन लोगों ने पीट पाट दिया था उनको पकड़ कर ले जाया जाता है। अब बाजार वालों ने जाकर क्या किया और क्या नहीं किया आई डॉन्ट नो। जितने भी सदस्य बोले हैं कि हम कोतवाली में चढ़ गये और मैं

(श्री हरिदेव जोशी)
पूछता हूं हारूमल जी का कोतवाली में जाने का क्या इरादा था....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : रास्ते में पिट गये या नहीं पिट गये लेकिन....

श्री अध्यक्ष Let him conclude his statement.

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य जब आप बोल रहे थे मैं कतई नहीं बोला। पुलिस वालों को पीटा गया, आप यह क्यों नहीं लेते हैं। इनको पीटा गया है। जो वरसन मेरे सामने आया है पुलिस वालों ने एक नई साइकिल वहां रखी थी। पुलिस के थानेदार और कॉन्स्टेबिल वहां खड़े किये गये। जब एक आदमी साईकिल लेकर जाने लगा तो कुछ आदमी टूट पड़े। यह तथ्य है। यह तथ्य है उसके बाद में पुलिस के दूसरे लोग आये और उन्होंने उनको पकड़ करके कोतवाली ले गये। अब कहा यह जाता है कि जो मुझसे कहा गया था वह यह है कि कोतवाली में उनको पीट रहे थे इसलिए हारूमल जी वहां गये और किसी भी माननीय सदस्य ने यह इन्कार नहीं किया है कि हारूमल जी वहां नहीं गये थे। इसके माने यह है कि हारूमल जी का अपना कोई काम नहीं था मगर हारूमल जी जिसको पुलिस गिरफ्तार करके ले गयी थी इनकी सपोर्ट में वहां गये। गिरफ्तार करके किन को ले गयी थी, साइकिल ले जाने वाले को और उन लोगों को जो कि उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस उनको ले गयी। मैं अत्यन्त गंभीरता पूर्वक यह कहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि मुझ पर विश्वास कीजिए कि मुझे यह कहा गया कि हारूमल जी ने थप्पड़ मारा। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। हांडा साहब अगर यहां पर यह कहते तो मुझे कोई ऐतराज नहीं था कि हारूमल जी ने थप्पड़ नहीं मारा लेकिन रतिराम जी कहते हैं इससे मुझे ऐतराज है।

एक माननीय सदस्य : और स्पष्ट कर दीजिए।

श्री हरिदेव जोशी : इसलिए कि हांडा जी नहीं जानते हैं। मेरे सामने थे उस समय नहीं कहा गया था। मगर जब मुझ से यह कहा गया कि हो सकता है थप्पड़ मारा भी हो। मैंने कहा कि कहो नहीं मारा है उन्होंने कहा 'हां'। मतलब यह है कि थप्पड़ मारा। मैं यह कहता हूं कि पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया इसका सवाल नहीं है। मगर हमारे कन्डक्ट से एक चीज साफ होती है। याने मैं अपने आपको आपकी कैटेगरी में रखता हूं। आप भी राजनैतिक कार्यकर्ता हैं और मैं भी एक राजनैतिक कार्यकर्ता हूं। कुछ राजनैतिक कार्यकर्ताओं द्वारा साइकिल चोरी करने वाले को छुड़वाया गया कुछ राजनैतिक कार्यकर्ताओं द्वारा जिन लोगों ने बाजार में हमला किया था और साइकिल चुरा करके ले जा रहा था उनको छुड़ाया उनको पुलिस ले गयी इसलिए उनके ऊपर उत्तेजित होकर हैड कॉन्सटेबल को थप्पड़ मारा। यह तथ्य है। इस बात से मैं कनविन्स्ड हूं। इस बात से मैं कनविन्स्ड हूं कि थप्पड़ मारा गया। मेहरबानी करके मुझे नाम मत पूछिये कि मुझ से किसने कहा।

अब आगे की स्थिति यह है कि आपने मुझसे कहा कि ऐसा हुआ है तब मैंने सावधानी बरती है। मैंने इमीडियेटली डी. आई. जी. को भेजा है और मैंने आपको

(श्री हरिदेव जोशी)
कन्वे कर दिया है कि मैंने डी. आई. जी. को भेजा है। डी. आई. जी. की रिपोर्ट मेरे पास में है। डी. आई. जी. मेरी इस बात से कोरोब्रेट करते हैं जिस बात को मैंने यहां कहा है। इसलिए मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि केवल उस थानेदार ने रिपोर्ट भेज दी हो और यहां पर उसको तोता रटन करवा दी यह बात नहीं है। इस मामले में मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने नॉन-ऑफिशियल एजेन्सीज से भी इस बात को कोरोब्रेट कर लिया है और वे सब लोग इस राय के हैं कि थप्पड़ मारा गया है।

अब रह जाता है सवाल आप मुझे टोकेंगे नहीं......

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं यह जानना चाहता था कि आप वह नाम बता दें।

श्री हरिदेव जोशी : वह नहीं बताऊंगा। क्या विश्वास नहीं है ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : विश्वास है। इसलिए आप अन्दर मत रखें। क्योंकि सदन जानना चाहता है, आपको विश्वास हो गया कि चांटा मारा गया है और आपको यह भी विश्वास हो गया कि किस ने कहा। जिसने कहा है उसका नाम सदन में रख दीजिए। गोलमाल रखने से कोई फायदा नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कहा। तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इसके बाद में मैंने नॉन-ऑफिशियल एजेन्सी से भी जो कि इधर-उधर बातचीत करते हैं, मिलते हैं जुलते हैं उन्होंने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि 'हां' थप्पड़ तो मारा। हारूमल जो पीटा गया और हॉस्पीटेलाइज करने की बात कही जाती है। मैं इस डिसप्यूट में नहीं जाना चाहता हूं। कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि रामानन्द जी के कहने पर किया और कलेक्टर ने कहा कि नहीं यह मैंने किया है। मैं मान लेता हूं कि रामानन्द जी के आग्रह पर किया।

इसके लिए तीन आदमियों का बोर्ड बनाया। सीनियर मैडिशन्स साइड के डॉक्टर, सीनियर सर्जरी साइड के डॉक्टर और मैडिकल जूरिस्ट उस बोर्ड में थे। उसने यह फाइन्डिंग्स दी कि हारूमल जी की ऐसी हालत नहीं है। अलबत्ता दांत निकल जाने से उनके ब्लीडिंग हुआ है लेकिन ऐसी कण्डीशन नहीं है कि उन्हें हॉस्पीटेलाइज किया जाये। मेरे पास पूरा लिखा हुआ है तीनों के दस्तखतों से। इसके बाद में जब बहुत आग्रह किया जाने लगा तो कलेक्टर ने उसके ऊपर यह लिखा कि ट्रीटमेन्ट पेशेन्ट के सेटिस्फेक्शन के लिए होना चाहिए। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि इस चीज को खत्म कर दिया जाये और हारूमल जी को हॉस्पीटल में भर्ती करवा दिया जाये। डॉक्टर यहां पर खड़े थे, सारे लोग खड़े हुए थे। हारूमल जी को हॉस्पीटल में भर्ती करवा दिया गया लेकिन कुल मिलाकर बात यह थी कि 65 वर्ष के आदमी के दो दांत निकल गए....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : कैसे निकले ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरी इल्तजा को सुने तो बात है। 65 वर्ष के आदमी के दो दांत निकल गए यह कुल मिला

(श्री हरिदेव जोशी)

कर सारी बिमारी थी । अब डॉक्टरों ने कह दिया कि ले जाओ आपका पेशेन्ट ठीक है पुलिस ने और उसको डिस्चार्ज कर दिया। वहां से फिर भी यहां पर आकर रामानन्द जी का कहना यह है कि जो रेकार्ड पर है और वह यह है कि पुलिस ले जाकर इसको पीटेगी कलेक्टर ने लिख दिया है कि इसको ले जाने की जरूरत नहीं है। हॉस्पीटल में ही रखा जाए और कल पुलिस कस्टडी में भेज देंगे । मैं समझ नहीं पाया हूं कि जो स्थिति है उनकी।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसको दूसरी चीजों के साथ में मिलाना नहीं चाहता लेकिन बाजमर्तबा माननीय सदस्य जिस प्रकार से तथ्यों को रखते है उससे बड़े परेशानी होती है । एक बार इस बात में और एक प्रकार के तथ्य रखे गए थे । माननीय वित्त मन्त्री जी के खिलाफ कि उन्होंने झूमर देवी नाम की अपनी साली को इतनी सीमेन्ट दे दी और यह कहा कि उसमें लिखा हुआ है, घर का एड्रेस भी लिखा हुआ है केयर ऑफ। यह सारी बातें थीं । मैंने उस केस को देखा और मैं दूसरी किसी भी विगत में नहीं जाना चाहता लेकिन फिर निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस बात से कनविन्स्ड हूं कि हारूमल जी, जब चोर को पकड़ कर पुलिस ले गई तब वहां कुछ लोगों के साथ में कोतवाली में गए, वह अभद्र भाषा में बोले और उन्होंने हैड कॉन्सटेबल को थप्पड मारा था । मैं इस बात से कनविन्स्ड हूं । इस बारे में थोड़ा बहुत इधर वर्सन हो सकता है, उधर वर्सन हो सकता है और यह इनवेस्टीगेशन का मामला हो सकता है । इसलिए जब मैं इस बात से कनविन्स्ड हूं कि हारूमल जी चोर को बचाने के लिए गए थे, हारूमल जी ने थप्पड़ मारा तो मैं ऐसा समझता हूं कि पुलिस ने कहीं किसी चीज को अपनी तरफ से जोड़ दिया हो मैं यह नहीं कहता कि यह सही कहा है या गलत कहा है लेकिन प्राइमाफेसी ऐसा लगता है कि हारूमल जी ने एक अच्छा काम नहीं किया। उनके जैसे स्तर के आदमी को और उनकी जैसी हैसियत के आदमी को, जो कि अपने राजस्थान किसान सभा के अध्यक्ष कहते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष हैं या सेक्रेट्री हैं वह अगर चोर के लिए झगड़ा करते हैं और जिसके लिए अलवर के सारे लोग परेशान हैं कि पेम्फलेट निकलते हैं कि इस सब्जी मण्डी में इस प्रकार से चोरियां होती हैं, इस सब्जी मण्डी में परेशानी रहती है और अमुक अमुक प्रकार के लोग हरेश करते हैं और जहां पर अलवर बन्द का काल दिया जावे और वह हो भी नहीं पायें तब मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से पब्लिक सिम्पैथी चोरी करने वाले के साथ में नहीं थी और इसलिए मेरे मन में यह होता है और माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि फर्दर इन्वेस्टीगेशन कराया जाय तो मैं फर्दर इन्वेस्टीगेशन भी करवा लूंगा और सीनियर ऑफिसर को भेज दूंगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है । लेकिन मुझे कोई यह कह दे, यह तथ्य बता दे कि हारूमल जी कोतवाली में नहीं गए। अगर एक चीज भी मुझे मिल जाय तो मैं मान लूंगा कि बाकी की सारी चीज

(श्री हरिदेव जोशी)
गलत है। यही मुझे निवेदन करना है और इन्हीं चीजों को मैं सदन में रखना चाहता हूं।

श्री निरन्जन नाथ आचार्य : एक प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, यह हारूमल जी 65 वर्ष के ही हैं, यह आपको कैसे मालूम हुआ ?

श्री हरिदेव जोशी : यह लिखा हुआ है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : दूसरा प्रश्न यह है कि हारूमल जी का प्रिवियस कन्डक्ट भी पुलिस में होगा। क्या उनमें असॉल्ट करने की प्रवृत्ति प्रारम्भ से रही हैं। कभी कोई ऐसा वक्त आया····

श्री हरिदेव जोशी : इसमें कई चीजें लिखी हुई हैं जिन्हें मैं यहां पर नहीं बताना चाहता हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसके अलावा जैसा आपने कहा कि 65 वर्ष के व्यक्ति हैं और उनके दांत कैसे रह गए और 65 वर्ष के व्यक्ति के दांत रहने ही नहीं चाहियें···

श्री हरिदेव जोशी : मेरा आपसे मतलब नहीं है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं सदन में यह कहना चाहता हूं कि आपकी पुलिस की थ्योरी क्या है····

श्री अध्यक्ष : नो फर्दर डिबेट।

श्री हरिदेव जोशी : आपके 65 वर्ष की उम्र में कितने दांत हैं और बाल काले क्यों हैं, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह तो सभी का समय आने वाला है ? किसके रह जाते हैं और किसके चले जाते हैं ? उनके दांत कैसे टूट गए इसके बारे में पुलिस का क्या वर्शन है ?

श्री अध्यक्ष : वह आ चुका है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसमें 325 का ऑफेन्स बनता है दांत टूटने के सम्बन्ध में तो क्या यह उचित है ?

श्री अध्यक्ष : खाद्य मन्त्री जी !

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : क्या उस साईकल चोर के खिलाफ कोई केस रजिस्टर हुआ है ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास वह डिटेल्स अभी नहीं हैं। मैं डिटेल्ड डिबेट के लिए प्रिपेयर नहीं था।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मेरी जानकारी यह है कि केस रजिस्टर नहीं हुआ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं देख लूंगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : बाहुन के बारे में आप फर्मा सकेंगे कि उसका क्या हुआ ?

श्री हरिदेव जोशी : मुझे कहा गया है कि साईकल चोर के बाबत केस रजिस्टर हो चुका है।

श्री अध्यक्ष : खाद्य मन्त्री जी !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : समय तो नहीं है, फिर भी आप पूछ लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : सबसे बड़ी बात तो यह है कि माननीय मुख्य मन्त्री के इस वक्तव्य ने रहस्य मय बना दिया कि किस व्यक्ति ने कहा कि हारूमल जी ने चांटा मारा। नम्बर दो, श्री हारूमल जी जैसा कोई भी कार्यकर्त्ता अगर वहां पर जनता के लोगों के साथ पिटाई हो रही है, जनता के लोगों के साथ पुलिस दुर्व्यवहार हो रहा है, सारे बाजार में दुर्व्यवहार के कारण सनसनी व्याप्त हो, चर्चा हो रही हो, कोई भी राजनैतिक कार्यकर्त्ता यदि वह सच्चा कार्यकर्त्ता है तो वह जानता है कि पुलिस के थानों में क्या होता है और वह वहां पर जरूर जाएगा और अगर वह सच्चा कार्यकर्त्ता नहीं है तो नहीं जाएगा। यह क्या कहानी बनाई मुख्य मन्त्री महोदय ने कि हारूमल जी थाने में गए या नहीं। इस पुलिस की मन घड़न्त कहानी के आधार पर वह हारूमल जी को दोषी सिद्ध करना चाहते हैं, इससे लचर दलील अध्यक्ष महोदय, और कोई हो नहीं सकती। मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि राज्य के मुख्य मन्त्री ने इस प्रश्न को गम्भीरता से नहीं लिया है, इसको मजाक में उड़ाने की कोशिश की है। दांत टूट गए क्योंकि बूढ़े थे, यह भी कोई दलील है। चोट लगी इसलिए दांत टूटे हैं।....

श्री अध्यक्ष : No right of reply now.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पुलिस कस्टडी में, अध्यक्ष महोदय, उनको पीटा गया, कोई सफाई सदन में आप शायद इस बात की नहीं दे सकेंगे और पुलिस की कस्टडी में एक राजनैतिक कार्यकर्त्ता को पीटा है और मुख्य मन्त्री के मुंह से यह निकला कि हम सब इन्स्पेक्टर को सस्पेंड करते हैं, मैं एस. पी. को वहां से हटाता हूं, कलेक्टर को रिमूव करता हूं। और इस घटना को हुए, अध्यक्ष महोदय, काफी दिन हो गए। 8 जुलाई की यह घटना है और आज 17 सितम्बर है, इतने दिन हो गए घटना को हुए....

श्री रघुनाथ विश्नोई : 17 अगस्त है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आज इस घटना को हुए एक महीना और 9 दिन हो गए, क्या एक्शन लिया आपने। मुख्य मन्त्री महोदय क्या आपने कोई अफसर को वहां से रिमूव किया, क्या वहां पर और कोई एक्शन हुआ। क्या न्याय दिया आपने। क्या कदम उठाया आपने और आप अपने आपको बहुत सिंसियर बनाते हैं। बड़ा दुख दर्द प्रगट करते हैं। निश्चित रूप से इस षड़यन्त्र के अन्दर मैं समझता हूं कि राज्य सरकार का संकेत था। क्या इससे पहले भी राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार अलवर में हुआ है, इस प्रकार की घटना हुई है?

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मुख्य मन्त्री महोदय ने राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के इस प्रश्न को गम्भीरता से नहीं लिया है जो लेना चाहिए। इसके अन्दर पुलिस की मनघड़न्त कहानी बना कर एक झूठी और गलत, बहकाने वाली कहानी को बेस बना कर आप यहां बात कर रहे हैं। यह बिल्कुल गलत तरीके से, कमजोर तरीके से उन्हें पुलिस अधिका-

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

रियों को डिफेंड करने का प्रयास किया गया है। जो राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं पर, वहां की आम जनता के लोगों पर अत्याचार करते हैं, जुल्म ढाते हैं उन्हीं को बचाने का प्रयास किया गया है। यह एक चक्र चलाया है कि राजनैतिक कार्यकर्त्ता उनको एड्रेस करें जिससे ये सुधर सकें। इन्हीं पुलिस अधिकारियों ने स्वतंत्रता आन्दोलन के समय जुल्म ढाये वे क्या केवल राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के भाषण से ठीक हो जायेंगे। इस प्रकार....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : राजनैतिक कार्यकर्त्ता के संबंध में, विशिष्ठ कार्यकर्त्ता के सम्बन्ध में आप उनसे कहानी लेकर यहां सदन में रख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह उनके साथ न्याय नहीं किया है, बड़े दुःख की बात है, बड़े खेद का विषय है। इस प्रकार से तो सम्भव नहीं होगा और वह नियति तो देख रहे हैं, अराजकता आपका दरवाजा खड़खड़ा रही है। वह खटखटाहट पटना से उठ रही है, वह बिहार से उठ रही है। वह अराजकता आपको न्यौता दे रही है। हम हमेशा इस राज्य की प्रगतिशीलता के साथ चलने वाले लोग हैं। आपके राज्य के अच्छे कामों के प्रशंसक हैं तो बुरे कामों की निन्दा करते हैं। कन्धा से कन्धा मिलाकर चलते हैं जहां पर आपकी नीतियां सही होती हैं। जहां नीतियां गलत होती हैं वहां आलोचना करके चलते हैं। आपका यह अत्यन्त ही, हमारे कार्यकर्त्ता के प्रति, हमारे सम्माननीय नेता के प्रति इतना तुच्छ एटीट्यूड है। यदि आप यह समझते हों कि आप इन्हीं नीतियों के आधार पर हम प्रतिक्रियावादी ताकतों का मुकाबला कर सकेंगे, दक्षिण पंथी ताकतों का मुकाबला कर सकेंगे, आप इस प्रजातन्त्र की हत्या करने वाले लोगों को रोक सकेंगे, अगर आप यह समझते हैं तो यह आपकी भूल है, आप इनको रोक नहीं सकेंगे। इनकी बढ़ती हुई ताकतों को रोक सकेंगे तो ऐसा नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : खाद्य मन्त्रीजी !

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, हमें निराशा हुई है इस मामले में सरकार ने अपना अच्छा रवैया अख्तियार नहीं किया। इस प्रोटेस्ट में हम वाक आउट करते हैं।

(सर्वश्री मौहम्मद गफ्फार अली, योगेन्द्रनाथ हाण्डा, रतिराम यादव एवं केसरीमल द्वारा सदन से बहिर्गमन)

(समय 1.28 म. प.)

श्री अध्यक्ष : खाद्य मन्त्रीजी !

खाद्य व दैनिक उपयोगों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि एवं वितरण तथा लेवी वसूली पर विचार

श्री शिवचरण माथुर (खाद्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खाद्य व दैनिक उपयोग की एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि एवं वितरण तथा लेवी वसूली पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : इसमें इतना निवेदन करना है कि मेरे पास 25 नाम हैं इस सम्बन्ध में बोलने वालों के और मैं सबको

(श्री अध्यक्ष)
आठ-आठ मिनिट देता हूं, सब माननीय सदस्य बोल लें उसके बाद सरकार की तरफ से उत्तर हो जाएगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय यह तो…

श्री अध्यक्ष : जिन्होंने काल अटेंशन नोटिस दिया था या एडजोर्नमेंट मोशन दिया था उन्हीं के नाम हैं। आप लोग कांग्रेस पार्टी वालों के साथ मिल कर तय कर लें कि अगर पार्टीवाइज बोलने का तय कर लिया जाय तो मुझे ज्यादा समय देने में कोई ऐतराज नहीं है, मैं मंजूर कर लूंगा। मेरे पास जो काल अटेंशन में जिन लोगों के नाम आए हैं उन लोगों को मैं मना नहीं कर सकूंगा।

श्री मीठालाल : कांग्रेस पार्टी वाले तो वही बात कहेंगे जो सरकार कहेगी। वह तो सरकार की नीति को ही दोहरायेंगे इसलिए उनको बिल्कुल टाइम नहीं दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : यह सम्भव नहीं है।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, जो आपने व्यवस्था रखी है कि जिन्होंने नोटिस दिया है उनको ही कहने का मौका मिलना चाहिए, यह आपका न्याय सही है, उसको ही रखना चाहिए।

(व्यवधान - अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले यह परम्परा रही है कि एक ही प्रश्न को लिया जाता रहा है, इस बार आपने आज खाद्यान्न, आवश्यक चीजों का अभाव, लेवी इन सबको सम्मिलित करके एक डिबेट रखी है और हमने पिछले दिनों रात्रि के 9/10 बजे तक बैठ कर के जो राज्य सरकार की ओर से लेजिस्लेशन आए हैं, उनको पारित करवाये है। तो मैं नहीं समझता हूं कि जब इन तीन प्रश्नों पर चर्चा हो रही है, डिबेट हो रही है और सदन के माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के संबंध में भी निवेदन करना चाहेंगे। इन सबको लेकर 8 मिनिट में विचार व्यक्त करना संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : सदन ज्यादा देर बैठना चाहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मेरा निवेदन है कि कम से कम दल के एक व्यक्ति को पूरा समय मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप जो बात कह रहे हैं तो दल का एक ही व्यक्ति बोले।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : खाद्यान्न की स्थिति के ऊपर मैं अपने विचार व्यक्त करूं मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय खाद्य मंत्री ने खाद्यान्न के सम्बन्ध में जो नोट माननीय सदस्यों को भेजना चाहिये था, उसको नहीं भेजा है और आज सदन के अन्दर आकर बैठे उसे समय टेबुल के ऊपर एक नोट भेजा गया है। इसका अर्थ स्पष्ट रूप से यह है कि माननीय खाद्य मंत्री इस महत्वपूर्ण मसले के ऊपर सदन के माननीय सदस्यों को साथ लेकर, सारे तथ्यों को रख कर, सारे आंकड़ों को रख कर, इस गंभीर प्रश्न पर विचार विनिमय नहीं करना चाहते। मेरा

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

यह निवेदन है कि पहले भी इसके बारे में कई बार निवेदन किया था, खाद्यान्न का प्रश्न, आवश्यक वस्तुओं का अभाव, किसान से लेवी का प्रश्न ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसके ऊपर राज्य सरकार को बताना चाहिये था कि उसने क्या व्यवस्था की है। कितना उसके पास में स्टॉक है। एक व्यक्ति को कितना अनाज आप देना चाहते हैं और पिछले सत्र के समाप्त होने के बाद आपने क्या व्यवस्था की है। यह सारा जानकारी आ जाने के बाद इस पर विचार किया जाता लेकिन तथ्यों, आंकड़ों को समय के ऊपर न देकर स्पष्ट रूप से माननीय खाद्य मंत्री यह चाहते हैं फार्मेलिटी के ऊपर खाद्य की डिबेट हो जाए और इस प्रश्न पर विचार किया गया, इस प्रकार की केवल एक औपचारिकता बरतनें की बात होगी। खेद है कि खाद्य मंत्री इतना लाइट इस प्रश्न को लेते हैं। कल भी मैंने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में कहा था इस प्रश्न के ऊपर विभाग की ओर से पूरा नोट नहीं आता है है तो बहस, डिबेट निरर्थक होगी। इस निरर्थक बहस को प्रारम्भ करते समय मैं अपना प्रोटेस्ट जो रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई हैं उस पर पेश करता हूं और जो रिपोर्ट अभी दी गयी है उस पर विस्तृत निवेदन करूंगा। इस रिपोर्ट में गोलमाल करके कुछ बातों का संकेत इसमें दे दिया गया है। थोड़ी सी रूपरेखा दी गई है और तथ्यों को नहीं बताया गया है। खाद्य का प्रश्न आज इतना गम्भीर है कि इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि जहां इस विधान सभा में इसके ऊपर विवाद हो रहा है, दूसरी विधान सभायें, विधान सभाओं के अन्दर, महाराष्ट्र, बिहार में और अन्य स्थानों पर नित्य प्रतिदिन संघर्ष हो रहा है और विधान सभा की कार्यवाही वहां के सदस्य अपने अभावों को लेकर चलाने में असमर्थ पा रहे हैं। मुझे इस बात का खेद है कि माननीय खाद्य मन्त्री जब से खाद्य मन्त्री के पद पर आये हैं, जब इन्होंने चार्ज लिया फूड डिपार्टमैन्ट को इनके अनुसार 60 हजार टन गेहूं उपलब्ध होता था। और चार्ज लेने के बाद अपेक्षा यह थी कि स्थिति में इम्प्रूवमैन्ट होगा क्योंकि हमारे यहां पर यह घोषणा की जा रही थी कि खाद्यान्न के प्रश्न को, संकट को हल किया जाएगा, ज्यादा उपलब्ध होगा। केन्द्र में राजस्थान की लॉबी सक्रिय होगी परन्तु अभी जो नोट प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार जून 73 में 60 हजार टन गेहूं राजस्थान को आवंटित होता था और 7 हजार टन माइलो आवंटित किया गया था और यह घटते घटते जून, 74 में केवल 5 हजार टन रह गया है।

म. प. 1.30 बजे

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, आप विचार करें 5 हजार टन के अन्दर राजस्थान के अन्दर वितरण करने की व्यवस्था होगी। आज यह वितरण व्यवस्था ठप्प हो गयी है, बेकार हो गई है। आज नाम के तौर पर यह वितरण व्यवस्था चल रही है। पांच हजार टन गेहूं राजस्थान की ढ़ाई करोड़ जनता को, उसके अन्दर वितरित किया जायेगा। सीमित स्थानों पर ही यह वितरित किया जाता है तो भी एक व्यक्ति को एक छटांक से अधिक यह गेहूं नहीं मिल सकेगा। यह व्यवस्था केवल नाम की है। इसलिए स्थिति आज यह है और इन्होंने स्वयं ने इस बात को स्वीकार

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
किया है कि हमें वितरण व्यवस्था को सीमित करना होगा। अधिक से अधिक गेहूं तीन किलो दे रहे हैं जो भी कम पड़ रहा है। खाद्य मन्त्री को इस बात को लेकर त्यागपत्र दे देना चाहिये था क्योंकि वे असफल हो गये हैं। प्रयास करने के बाद भी राजस्थान की जनता की तरफ वे ध्यान नहीं दे सकते हैं, जो राजस्थान के जनता के लिये दो जून रोटी का प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं, इस बात की व्यवस्था नहीं कर सकते, जनतन्त्र में वे किसी प्रकार खाद्य मन्त्री नहीं रह सकते हैं, इसके लिये कान्स्टीट्यूसनल सैंक्सन नहीं है। परन्तु हमारे खाद्य मन्त्री इस पद से चिपके हुए हैं। सत्ता के साथ में हैं। कहते हैं पांच हजार टन गेहूं लेंगे और उसी से एक वर्ष के लिये वितरण व्यवस्था कर रहे हैं। आज यह व्यवस्था ठप्प हो चुकी है। नाम के तौर पर वितरण कर रहे हैं। राशन की दुकानें नहीं हैं और जो हैं वे भी नाम की दुकानें हैं। इसलिये सबसे पहले मैं इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक वर्ष तक आप पांच हजार टन गेहूं ले रहे हैं, दूसरी ओर आप यह कह रहे हैं कि गेहूं की अच्छी लेवी वसूली हुई है तो यह लेवी का धान कहां पर चला गया है ? यह धान राजस्थान की जनता को उपलब्ध क्यों नहीं हो रहा है। राजस्थान का किसान गर्मी, सर्दी में मेहनत करके धान पैदा करता है और लेवी में देता है। उसके बाद ही वह धान उपलब्ध नहीं हो रहा है। आपकी वितरण व्यवस्था में भी वह धान नहीं आवे तो यह माना जाएगा कि यह सरकार की विफलता है। यह हमारे खाद्य मंत्री की असफलता है। हमारे मुख्य मंत्री और खाद्य मन्त्री का केन्द्र के अन्दर किसी प्रकार का भी प्रभाव नहीं है और इस कारण राजस्थान को लाभ नहीं मिल पा रहा है। कमजोर होने के कारण वे राजस्थान की जनता के साथ में इस प्रकार से विश्वासघात कर रहे हैं···· It is a treachery with the people of Rajasthan, ढाई करोड़ जनता को भूखा मारने का प्रयास किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह स्थिति राजस्थान के लिए अत्यन्त ही दयनीय है, क्रूरतम है और इसको जितनी भर्त्सना की जाय वह कम है।

उपाध्यक्ष महोदय मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि धान के प्रश्न को छोड़ दिया जाए और चीनी के प्रश्न को लिया जाये। चीनी के बारे में यह कहा गया है कि 325 ग्राम चीनी प्रति व्यक्ति उपलब्ध की जा रही थी जब वे खाद्य मंत्री बने और अब उनके बनने के बाद वह इतनी कम हो गयी है कि हमारे पास में आवंटन माह अगस्त, 74 को 300 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी बांटने का ही रह गया है। इट इज ए फ्रॉड। यह धोखा है। चीनी जनता को नहीं मिलती है मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो 325-300 ग्राम चीनी वितरित करने की बात आप कह रहे हैं, वह शहर के लोगों को भी पूरी नहीं मिलती है और गांव के लोगों को चीनी खाने, पीने का कोई अधिकार नहीं है। गांव को वितरित करने की बात छोड़ दी जाय शहर के लोगों को भी यह मात्रा पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कैरोसीन आज आधा लीटर एक व्यक्ति को उपलब्ध होता है वह भी शहर के अन्दर। गांव के अन्दर तो यह केरोसीन उपलब्ध ही नहीं है।

अब आप अन्दाजा लगाइये कि एक मजदूर अपनी झोंपड़ी के अन्दर, मकान के

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

अन्दर केरोसीन से वह सारा काम करता है उसके यहां पर बिजली नहीं है, लाइट नहीं है और जहां पर लाइट होती है उनको स्टोव चलाने के लिए केरोसीन की आवश्यकता होती है, लेकिन मंत्री महोदय उनको आधा लीटर केरोसीन उपलब्ध कराते हैं और वह भी बड़ी दुविधा से उपलब्ध होता है तो it is a complete failure on the food front. खाद्य मंत्री निश्चित रूप से असफल हुए हैं।

जहां वनस्पति की बात चलती है तो उन्होंने लिखा है वनस्पति दबा दिया गया है और वनस्पति वाले सहयोग नहीं करते हैं। यह आपने एक्सेप्ट किया है वनस्पति घी दबा दिया गया है। आप वनस्पति वालों को तेल का कोटा देते हैं, लाइसेन्स देते हैं उनको आप एलॉटमैंट ऑफ लैण्ड करते हैं, सारी इनर्जी इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड से राजस्थान सरकार द्वारा एलॉट की जाती है, लेकिन उनको आप दबा नहीं सकते हैं। उनको दबाते कब हैं जब आपको चन्दे के रूप में पैसा लेना होता है पार्टी के चुनाव के कार्य के लिए। उसके बदले में वे जनता का शोषण करते हैं। आज वनस्पति की यह हालत हैं मैं जोधपुर का उदाहरण दूं कि पिछले 6-7 महीनों से यहां से कमिश्नर के यहां से जितने परमिट जाते हैं वह यहां पर आकर बिकते हैं। वहां के रिटेलर्स और होलसेलर्स से यहां के वनस्पति मैन्यूफेक्चरर्स बात नहीं करते है और करते हैं तो कीमत कितनी है वह देनी पड़ती है उसके ऊपर, रकम और रिश्वत की ग्रोन रकम देनी पड़ती है। जब तक रिश्वत नहीं देंगे प्राइस के रूप में, पैसे के रूप में तब तक वनस्पति नहीं देंगे। उसके बाद भी एडल्टर्ड रूप में वनस्पति वहां पर जाता है। मेरा निवेदन यह है कि वनस्पति की व्यस्था खत्म हो चुकी है और वह राजस्थान के कोलेबोरेशन से है। मेरा यह चार्ज है कि राजस्थान गवर्नमैंट के ऑफिसर्स, मंत्रिमण्डल और राज्य सरकार यह सारे उसमें कोलेबोरेटर्स हैं, क्योंकि कोलेबोरेशन दो प्रकार से होता है - एक तो रिलेक्सेशन इन ड्यूटी यानि चुपचाप हो कर उनको सहयोग दें, सब कुछ सहन करके उनको फायदा दें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है ? यदि कोई परमिट सबमिट नहीं करता हो तो उसको प्रोसीक्यूट क्यों नहीं किया जाता है ? लेकिन यह कार्यवाही मंत्री महोदय नहीं करते हैं, यह कार्यवाही हमारी सरकार नहीं करती है, लेकिन वनस्पति के अभाव के अन्दर लाइन लगी हुई जहां कहीं मिलती है। बच्चे खड़े हुए हैं हाथ में डिब्बे लिये हुए। सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं लेकिन उनको नहीं मिलता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वनस्पति के मामले में राजस्थान सरकार निष्फल रही है। इतना ही नहीं जितनी एसेन्शियल कॉमोडिटीज हैं, कोयले के आइटम को ले लें। कोयले के बारे में यही स्थिति है। डीपो पर लाइनें लगी रहती है लेकिन कोयला उपलब्ध नहीं होता है। गरीब जनता को कोयला नहीं मिलता है। उनके लिए किसी प्रकार का साधन उपलब्ध नहीं होता है। इससे जनता में असन्तोष पैदा होता है। कोयले के बारे में उन्होंने अपने नोट में लिखा है कि वर्ष 1974 के माह जनवरी से जून तक के लिए 500 वैगन साफ्ट कोक प्रतिमाह का आवंटन भेजा गया। यह समस्त कोटा घरेलू उपयोग, हलवाइयों तथा रेस्टोरेन्ट वालों

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

के लिए हैं। रेलवे वैगन्स के प्रभाव तथा कोयले के मूवमैंट में कठिनाई के कारण आवंटित कोयले के कोटे का कुल करीब 33 प्रतिशत के आस पास राजस्थान में आ पाया है। इसका मतलब यह हुआ कि 77 पर्सेन्ट या 80 पर्सेन्ट कोटा लैप्स हो गया। दुर्भाग्य है कि राजस्थान की इतनी अकर्मण्य और निकम्मी सरकार है कि इतना कोटा एलॉट हुआ परन्तु वह कोटा नहीं ले सकी। पहले ही कोटे का कम एलॉटमेंट होता है क्योंकि केन्द्र सरकार के ऊपर हमारी सरकार का प्रभाव नहीं है, वह कमजोर हैं। जो कोटा दिया जाता है उसमें भी वह लिखते हैं कि 33 पर्सेन्ट के आस पास राजस्थान ले पाता है। यानी 77 पर्सेन्ट कोटा कोयले का लैप्स होता है और राजस्थान की जनता कोयले के लिए त्राहि-त्राहि करती है। कोयले के डीपो पर भीड़ लगती है, वहां पर झगड़े होते हैं और रॉयट्स होते हैं और कोयला ब्लैक में बिकता है। इस अकर्मण्य सरकार को जो कोटा एलाट किया जाता है सेन्ट्रेल गवर्नमेंट के द्वारा लेकिन वह नहीं ले सकती है। क्यों नहीं मन्त्री जी व सरकार जाती है। क्यों न मन्त्री महोदय जा कर धरना देते हैं ? जब बिहार में जा सकता है, गुजरात में जा सकता है, महाराष्ट्र में जा सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं आ सकता है हर चीज का कोटा लैप्स होता है। इसका अर्थ यह है कि मन्त्री महोदय यह चाहते हूं कि राजस्थान भी बिहार और गुजरात बने, है राजस्थान की विधान सभा में भी महाराष्ट्र विधान सभा के पंटर्न पर उनका घेराव हो, उनकी कार का घेराव हो उनके मकान का घेराव हो, और विधान सभा में हंगामा हो। क्यों न वह वहां जाकर चीनी लाते हैं, क्यों न वहां जाकर सीमेंट लायें, कोयला लायें। शान्तिपूर्वक भाषा में कहने का प्रयास करने का तो असर नहीं पड़ता है। वे अपने आपको प्रगतिशील कहते हैं, रेडिकल कहते हैं तो अपने आपको प्रगतिशील कहलाने वाले जनता का शोषण आज इस ढंग से किया जाता है तो मैं समझता हूं कि यह स्थिति बहुत अधिक शोचनीय स्थिति है।

इससे भी अधिक चिन्ता का विषय यह है कि राजस्थान में सभी जगह जैसी स्थिति बनी हुई है उसके अन्दर भ्रष्ट प्रशासन है तो मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, कि सारी वितरण व्यवस्था एक ऐसे दूषित दायरे के अन्दर आती है जिसके कारण राजस्थान की जनता फंसी हुई है और राजस्थान का मंत्रिमण्डल किसी प्रकार से निकल नहीं सकता।

इस नोट के अन्दर लिखा है कि प्रति राशन कार्ड 10 मीटर कपड़ा 6 माह में दिये जाने के लिए निर्देश दिये गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि 10 मीटर कपड़ा 6 माह में कहां दिया जाता है ? कहीं उसके दर्शन नहीं होते हैं। मैंने देखा है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बार गया रतनगढ़ तो वहां पर 2-2 मीटर कपड़ा दिया जा रहा था तो उसके लिए बड़ी भीड़ लगी हुई थी। गांव के लोग सुबह आते थे और शाम तक कपड़ा दिया जाता था। नाम के लिए कोटा कपड़े का डिस्ट्रिब्यूट होता था। कपड़े का कोटा यह था कि 1045 गांठें कपड़े की मिलती थीं। तो वह कहते हैं कि 10 मीटर 6 माह के लिए देते हैं। जो कपड़ा प्राप्त होता है तो उसके बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कपड़ा कहां से मिलता है, किस जगह पर मिलता है। कम से कम नाम के

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
तौर पर कुछ दूकानें लगाई है, लेकिन साधारण व्यक्ति को वह कपड़ा भी प्राप्त नहीं होता है।

इतना ही नहीं आपने अपने नोट में यह भी लिखा है कि 1507 सतर्कता समितियां बना दी गई हैं जो मोहल्लों में जाकर देखेंगे कि डिस्ट्रिब्यूशन प्रोपर होता है कि नहीं। वह कहां बनी है? मैं जोधपुर के लिए कह सकता हूं कि वहां पर कोई सतर्कता समिति नहीं बनी है। जिलाधीशों की रिपोर्ट फर्जी है या इस बात की जानकारी से इन्कार करते हैं कि सतर्कता समितियां कहीं पर वितरण व्यवस्था का कन्ट्रोल करती हैं। वे न गांवों में बनी हुई हैं और न शहरों में, और आपके जो सप्लाई ऑफिसेज बने हुए हैं, your district supply offices are dens of corruption. वह भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। सारा कोटा उनके हाथ में देने का है, चाहे वह चावल का हो, शुगर का हो, चाहे केरोसिन का हो, चाहे गेहूं का हो, या पेट्रोल के मामले में, डीजल के मामले में हो आज भ्रष्टाचार के जीवन्त रूप में राजस्थान के अन्दर वह लोग लगे हुए हैं। उनका एक मात्र लक्ष्य है, उपाध्यक्ष महोदय, कि विभिन्न एजेन्सियों के द्वारा इस प्रकार का काम करायें। मैंने इस बात को देखा है। हमारे वर्तमान खाद्य मंत्री ने आने के बाद में इस बात को मन्जूर किया था और उन्होंने घोषणा की थी कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन कर दूंगा वितरण व्यवस्था के अन्दर और इसमें जनता का कोलेबोरेशन करूंगा, पीपल्स पार्टीसिपेशन इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वह पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम केवल कागज में ही रह गया, घोषणा के रूप में रह गई कागजों पर। डी.एस.ओ. क्या करता है, कलेक्टर क्या करता है हमारे जोधपुर के अन्दर तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक उदाहरण देना चाहूंगा कि कलेक्टर ने रेट फिक्स्ड की घासलेट की तो दो पैसा ज्यादा कर दी, और 4-5 साल तक पेमेन्ट होता रहा, गरीब जनता द्वारा पेमेन्ट हो गया। कौन डिस्ट्रीब्यूशन करवाता था। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टिसिपेशन की बात है, it is a big fraud. There is no people's participation in the distribution system. It is the bureaucracy it is the Government's agents, stooges, who are doing this distribution and are actually minting money at people's cost.

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लेवी के मामले में भयंकर अत्याचार हुए हैं। मैं उदाहरण रखूंगा कि आपने लेवी के अन्दर क्या किया। आपने किसान से कहा कि अब जितना ज्यादा धान है 21-5-74 तक 20 क्विन्टल के अलावा या बीज से अलावा वह जमा करा दें। तो तुम्हारा प्रोसीक्युशन होगा। किसान ने अन्न जमा कर दिया। यह सोच कर कि 20 क्विण्टल से ज्यादा होगा तो हमारे खिलाफ मुकदमा चलेगा। अब 11 जून, 74 को दूसरा कानून बनाया कि किसानों के खेतों पर जाकर लेवी ली जायेगी। मैं जानना चाहता हूं या तो पहले कानून क्या केवल देखने के लिए बनाया था। अथवा यह दूसरा कानून गलत है। लेवी कहां से लेने वाले थे। जब आपने 31-5-74 तक सारा खाद्यान्न निकाल देने की बात की

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

थी। जो भी मात्रा से अधिक था। फिर वह लेवी कहां से लाये। लेवी के नाम पर लूट की गई है। राजस्थान के अन्दर आपने कहा है कि पटवारखानों पर केन्द्र खोल दिये गये थे। मैं एक गांव के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। मैं मऊ गांव में गया। वहां गरीब मीणा जाति के लोग हैं। 3 तारीख को वहां पर एस. पी., डी. एस. पी., 5-7 ट्रक लेकर पहुंचे। वहां की महिलाओं को कहा कि लेवी दो। उन्होंने कहा कि हमारे पास क्या है? उपाध्यक्ष महोदय, उनकी झोंपड़ियों को घेर लिया गया। उन पर अश्रु गैस चलाई गई। मैंने वहां की झोंपड़ियों को देखा है, जहां पर अश्रु गैस के गोले लगे हैं। राजस्थान में इससे ज्यादा कलंकित इतिहास नहीं मिलेगा। वहां आर. ए. सी. के लोग गये। जैसे डाकू जाते हैं, उस प्रकार से जाकर उनके मकानों के केलू की छतों के ऊपर चढ़ गये। केलू पर खड़े होकर हवाई फायर किये हैं। अश्रु गैस के गोले छोड़े गये हैं। गोलियां छोड़ी गई हैं। एक धाका नाम की 80 वर्ष की वृद्धा उससे जब जाकर पूछा तो उसने बताया कि उसे खम्भे से बांध दिया गया। उसके बाद में चिल्लाई। इससे गांव के लोग इकट्ठे हो गये। तो वहां खम्भे से हटा कर जीप के अन्दर डाला गया है। चोटी पकड़ कर घसीटा गया है। काश्तकारों की औरतों को इस प्रकार से खम्भे से बांध कर घसीटा जाये। चोटी पकड़ कर कर घसीटा जाये। उसके मैडिकल सर्टिफिकेट हैं हमारे पास, सारे प्रमाण हैं। मैं वहां पर पहुंचा तो सारे गांव के लोग भागने लगे। तो मैंने पूछा क्या बात है। वह लोग मेरे जाने से यह समझे कि लेवी के लिए फिर लोग आ गये। इस प्रकार से वहां पर आतंक है।

मऊ गांव का काण्ड राजस्थान सरकार के लिए कलंक है। उन्होंने काश्तकारों की झोंपड़ियों में आग लगाने की कोशिश की है। मैं निवेदन करूंगा कि यह जो उदाहरण है, एक गांव का ही उदाहरण है। लेकिन पूरे राजस्थान एरिया में लूट खसोट की गई है। मऊ गांव में क्या किया गया है। गरीबों के ताले तोड़ कर उनके जेवर निकाल कर ले गये हैं। प्रसव पीड़ा में एक औरत पड़ी हुई था। उसके जापे के लड्डू उठा कर ले गये। वहां पर मूंगफली के बीज पड़े हुये थे। उनको जहां पर जो भी मिला वह लेकर चले गये। जैसे चंगेज खान के जमाने में लूट हुई थी। नादिर-शाह के जमाने में लूट हुई थी। लूट ऑफ जंगल बना दिया है। काश्तकारों के घरों पर यह किया हुआ हमला निश्चित रूप से रंग लायेगा। वह धरती से अन्न पैदा करते हैं। वह सर्दी गर्मी और बरसात में अपनी मिहनत करके धरती माता से धान पैदा करते हैं। राजस्थान के अन्दर मऊ गांव का काण्ड एक घृणित काण्ड है। मैं खाद्य मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह लीपापोती करने के बजाय वहां जाकर जानकारी करें तो पता चल सकता है। आज भी उनकी छतों के केलू टूटे हुये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं, दोनों बातें कहते हुए यह कहा गया था, राजस्थान में बड़े-बड़े व्यापारियों के यहां छापे मार कर राजस्थान ने पहल की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास करता हूं। आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। तो जमाखोरी और मुनाफाखोरी बहुत बड़ी घातक है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, मन्त्री महोदय, जो छापे दिये गये हैं। राजस्थान में हनुमान सहाय चौधरी को भी गिरफ्तार किया गया

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

गया है। किया जाना चाहिए था। बहुत पहले गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। जैसा कि आज भी माननीय सदस्यों का प्रश्न था। क्या हनुमान सहाय चौधरी की बहियों और पुस्तकों में प्रमुख व्यक्तियों के नाम थे। प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम थे। जब हाईकोर्ट में मामला गया तो कमल गर्ग जो सुप्रिम कोर्ट के वकील थे, उस तस्करी हनुमान सहाय की वकालत कर रहे हैं। वहां पर रिप्रेजेन्टेशन राज्य सरकार ने जानबूझ कर ही रोक दिया है जिससे कि समय समाप्त हो जाये। मैं जानना चाहता हूं, सरकार ने क्या जवाब दिया। उसको इस वक्त सस्पेण्ड कर दिया गया है। तो मैं जानना चाहता हूं उस तस्करी के जाली संगठन में राजस्थान के कौन-कौन लोग थे। राजस्थान गवर्नमैन्ट ने एडीशनल एस. पी. के यहां भेज दिया। वह गवर्नमैन्ट को वापिस भेजा नहीं। मैं यह तो नहीं कहता कि माननीय मन्त्री स्वयं जिम्मेदार थे। माननीय मन्त्री महोदय ने तस्करी को एक तरफ तो पकड़ा है और दूसरी तरफ बचाने के लिए कर दिया। एक तरफ गिरफ्तार करते हैं। दूसरी तरफ बचाने की कोशिश करते हैं। यह तो मैंने उदाहरण दिया है। इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूं आबू रोड में भी इसी प्रकार का बताया है। जोधपुर में वंकटलाल था। उपाध्यक्ष महोदय, उसने हल्दी में गधे की लीद मिला कर लोगों को खिलाई है। वह अपने आपको कांग्रेसी बताता है।

श्री रणजीतसिंह : कौनसी कांग्रेस का?

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपकी हिन्दुस्तान की कांग्रेस पार्टी, जिसकी प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी हैं...

श्री रणजीतसिंह : जोधपुर के कौनसे वार्ड का है?

श्री गुमानमल लोढ़ा : जोधपुर के एक वार्ड में जो हुआ, उसकी आपकी स्वयं की रिपोर्ट है। वहां पर जो जनगण अखबार निकलता है, उसमें छपा है। बाद में कहा कि उसको एक्सपेल कर दिया है। यह केवल जोधपुर की बात ही नहीं है, जहां कहीं भी कोई तस्करी करते हैं, वह समझते हैं कि सफेद टोपी लगा कर तस्करी करना आसान हो जाता है। इसलिए वह सफेद टोपी लगाते हैं।

श्री दीपंकर : आपके आदमी ही फायदा उठा रहे हैं सफेद टोपी का।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जोधपुर की एक दुकान है, उस दुकान पर लिखा हुआ है, नथिंग इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन कन्जम्प्शन इन्सान के लिए कोई चीज नहीं मिलती है, वहां गधे के लिए हींग मिलती है, गाय के लिए नमक मिलता है, घोड़े के लिए मिर्च मिलती है। लेकिन इन्सान के लिए कोई चीज नहीं मिलती है। आप ध्यान दीजिये, उपाध्यक्ष महोदय, यह खाद्य मंत्री जी की आंखों के सामने हो रहा है ताकि अडल्ट्रेशन एक्ट में प्रोसीक्यूशन नहीं हो सके, इसलिए लिख दिया, ह्यूमन कन्जम्प्शन के लिए कोई चीज नहीं मिलती है। यह रसीद पर छपा हुआ है। खुले आम लोग अडल्ट्रेशन कर रहे हैं लोग और इस प्रकार उन्होंने लिखवा लिया है। इस प्रकार के एक नहीं, अनेक लोग बैठे हैं जो इन्सान को गधे की लीद खिला रहे हैं, खड़ी को लाकर वह नमक में मिलाते हैं, केलू को घिस कर मिर्च में मिलाते हैं और इन्सान के जीवन के साथ

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

खिलवाड़ करने वाले लोगों को, मौत के सौदागरों को इस प्रकार से बचाया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सरकार क्या कर रही है। केवल दिखाने के लिए कहीं पर दो चार व्यक्तियों को उन्होंने पकड़ लिया। आप चाहे खाद के मामले को ले लें, चाहे सीमेन्ट के मामले को ले लें। 22 जून को मुख्य मंत्री जी आबूरोड पधारे थे। उन्होंने घोषणा की थी कि यहां से, सरहद के ऊपर से गुजरात के अन्दर यूरिया खाद के कट्टे के कट्टे भर कर चोरी से जाते हैं, स्मगलिंग किया जाता है। वहां पर धर्मचन्द बोहरा और दीनू भाई, जो कांग्रेस के हैं और पचायत समिति के प्रधान हैं, को पकड़ा गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारा ब्लैक मार्केटिंग, सारा तस्कर व्यापार, सारा स्मगलिंग—यह राज्य सरकार के संरक्षण में होता है। यह तस्करी का काण्ड पकड़ा गया और मुख्य मंत्री को कहा गया कि आपके नेता, पंचायत समिति के प्रधान इस प्रकार स्मगलिंग में इन्वाल्व हैं। ड्राईवर ने बताया कि चौदह आदमी गिरफ्तार हुए हैं। उन लोगों ने कहा कि हम आज से नहीं, कई सालों से यूरिया खाद ले जा रहे हैं, यहां से ले जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार क्या कर रही है ?

आपने एक कानून निकाला, काश्तकारों को खाद पुरानी रेट पर दिया जायगा। आपने आज्ञा अच्छी निकाली, बुरी नहीं थी। लेकिन आपने क्या किया। उस आज्ञा के पीछे कोई कानून नहीं था। केन्द्रीय सरकार ने यूरिया की कीमत ज्यादा कर दी। आप केन्द्रीय सरकार को बाध्य नहीं कर सकते कि हमने यह फैसला लिया है कि जो पुराना स्टाक खाद का पड़ा हुआ है वह काश्तकारों को पुरानी कीमत पर दिया जायगा। लेकिन केन्द्रीय सरकार द्वारा खाद की कीमत डबल कर दी गई। आपकी यह ताकत नहीं है कि केन्द्रीय सरकार का सामना करें, केवल आपने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकाल दिया कि पुरानी खाद है वह पुराने भाव पर किसानों को दिलवा दी जायगी। आपका ऑर्डर अच्छा है, लेकिन उसके पीछे नीयत क्या है ? आप केन्द्रीय सरकार से यह आज्ञा नहीं करा सकते कि जो पुरानी खाद है वह किसानों को पुराने भाव पर दे दी जाय। फिर हुआ क्या। आपके हाईकोर्ट में 300 रिट हो गई। वहां पर राज्य के वकील ने जाकर अण्डर-टेकिंग दे दी, जब तक एडमिशन नहीं करते हैं, जब तक स्टे पर बहस फाईनल नहीं होती है तब तक पुरानी खाद जो पड़ी हुई है, वह पुरानी खाद नई रेट पर नहीं बिकेगी और वह खाद स्टॉक में पड़ी रहेगी।

श्री शंकरलाल : आपने अखबारों में पढ़ा होगा, यू. पी. के अन्दर हुआ कि यह डिसीजन वेलिड है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : वह खाद गोदामों में बन्द पड़ी है। आज किसान खाद खाद चिल्ला रहे हैं। उनको जून में खाद चाहिए थी। लेकिन आपके वकील ने हाईकोर्ट में अण्डरटेकिंग दे दी और आज तक वह खाद आपने अपने गोदामों में ब्लाक करके रखी हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप काश्तकारों को खाद तक नहीं दे सकते हैं, आप खाद किसानों को पुरानी रेट पर नहीं दिलवा सकते है। यह किसका कसूर है ? आपको चाहिए कि आप केन्द्रीय सरकार के पास जाए, और जाकर ऑर्डर लायें। आपने

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
चने की निकासी बन्द की, लेकिन केन्द्रीय सरकार ने आज्ञा निकाल दी और सारा चना यहां से चला गया आप केन्द्रीय सरकार की आज्ञा नहीं ला सकते । आपने मोटे अनाज की निकासी को बन्द किया। लेकिन उसके लिए भी केन्द्रीय सरकार की आज्ञा निकल गई। और आप मोटा अनाज भी लोगों को उपलब्ध नहीं करा सकते। इसका मतलब यह हुआ कि केन्द्रीय सरकार में जो मंत्री बैठे हुए हैं, केन्द्रीय सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, वह बड़े बड़े सेठों से सांठ-गांठ करते हैं और आप जो नीति बनाते हैं उसको विफल करते हैं। आप उनके खिलाफ खड़े हो जायं, उनके खिलाफ विद्रोह करें और कहें कि इन्दिरा गांधी की सरकार की सेठों से सांठ-गांठ है। हम चाहते हैं कि खाद पुरानी रेट पर मिले, लेकिन वह खाद वह नई रेट पर दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि चने की निकासी बन्द हो, मोटे अनाज की निकासी बन्द हो, लेकिन केन्द्रीय सरकार आज्ञा नहीं दे रही है। आप विद्रोह करें, आप उन पर जोर डालें और वहां पर जाकर धरना दें। हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन आपमें यह हिम्मत नहीं है। आप आज्ञा निकाल देते हैं लेकिन आपकी आज्ञा पूर्ण नहीं होती है। आज सारा चना राजस्थान से चला गया। यह सारा चना महाराष्ट्र में चला गया, यह चना अन्य स्थानों पर चला गया और वहां जाकर दुगने-तिगुने भाव पर बिका। उसको आप रोक नहीं सकते। राजस्थान का जो यह चना काण्ड है, यह मध्यप्रदेश के चना काण्ड से कई गुना अधिक गम्भीर है लेकिन....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन, सर !

श्री गुमानमल लोढ़ा : हम कहते हैं कि इस सारे काण्ड की जांच कराई जाय, तो जांच कराने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन सर ! अभी अभी एक अखबार मेरे पास आया है, आजाद संदेश !, जिसमें लिखा है, आजादी के 28 वें दिवस पर सभी योग्य मंत्रियों का आजाद संदेश परिवार हार्दिक अभिनन्दन करता है। इसमें 4 केबिनेट मंत्रियों का फोटो नहीं है, उनका अभिनन्दन नहीं किया गया है, 4 केबिनेट मंत्रियों को छोड़ दिया गया है, शिवचरण माथुर, परसराम मदेरणा आदि। क्या इन्होंने इस्तीफा दे दिया है या अयोग्य घोषित हो गये हैं। इसकी राज्य सरकार की ओर से मुझे जानकारी चाहिए।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसमें एड्वर्टाइजमेंट कहां कहां के हैं, भारत सरकार के भी हैं ?

श्री रामकिशन : ऐसा तो नहीं है कि सुन्दर-सुन्दर फोटो दे दी हैं और बाकी को छोड़ दिया हो।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इस कारण से सनसनी पैदा हो गई है। क्या कारण है ?

श्री दीपंकर : उनके ब्लॉक नहीं होंगे। क्या बात हो सकती है ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी सम्पात कीजिये, आपके दल का समय पूरा हो गया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जल्दी समाप्त कर दूंगा।

105 रुपये क्विन्टल के हिसाब से किसानों से लेवी लेना चाहते हैं, लेकिन इस लेवी को लेने के बाद में किसानों की जो अपनी आवश्कता की चीजें बाजार से लेनी पड़ती हैं, वह मंहगी हो गई है, उनकी कीमत दुगनी तिगुनी हो गई हैं। फिर भी किसान को अपने उत्पादन की पूरी कीमत नहीं मिलती है। इसके साथ ही राज्य सरकार मुनाफाखोरी करती है, वह 136 और 140 के भाव से धान को बेच रही है, जो उसने किसान से 105 रुपये क्विन्टल के भाव से लेवी के रूप में लिया है। उसको भी सड़ा कर, गला कर, मिट्टी मिला कर, कई महीनों तक उसको अपने गोदामों में रख कर उप-भोक्ताओं को देती है, उसमें भी 36 से 40 रुपये तक की मुनाफाखोरी राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार स्वयं मुनाफाखोरी करती है तो दूसरे मुनाफाखोरों को किस प्रकार से सजा देगी। न तो सही कीमत उत्पादन की किसानों के पास जाती है और न धान सही कीमत पर उपभोक्ताओं के पास जाता है। इस कारण से गरीब किसान आज पिसा जा रहा है। किसानों से कहा गया था कि हम लेवी लेंगे तो तुम्हें सुविधायें देंगे। लेकिन कौनसी सुविधा उनको मिली है। न तो किसानों को खाद मिली है, न सीमेन्ट मिली है और केवल सुविधाओं के नाम के तौर पर सुविधाओं की घोषणा कागजों पर कर दी गई है। मेरा निवेदन है कि किसानों को अपनी पैदावार की पूरी कीमत मिलनी चाहिए और जो 105 का भाव फिक्स किया गया है, वह बहुत कम किया गया है। यह भाव इसलिए भी कम है क्योंकि पहले से प्राइस इन्डेक्स बढ़ गया है, और चीजों की कीमत दुगुनी तिगुनी हो गई है। इसलिए 105 के भाव से किसानों के साथ न्याय नहीं हो सकता है। आज राज्य सरकार हर चीज की कीमत बढ़ाती हुई चली जा रही है। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार ने जो फूड प्रॉडक्ट्स और एग्रीकल्चरल प्रॉडक्ट्स 1972 में आयात किया, उस पर 627 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है। इसके साथ ही इस प्रकार से सरकार कई चीजों के भाव बढ़ाती जा रही है। वनस्पति के भाव में 2-1-73 को प्रति किलो 40 पैसे बढ़ा दिये। फिर वनस्पति 16-7-73 को 75 पैसे प्रति किलो के हिसाब से भाव बढ़ा दिये। यह भाव बढ़े लेकिन फिर भी भाव बढ़ने की स्थिति समाप्त नहीं हुई। फिर 1-12-73 को 54 पैसे से लेकर 60 पैसे तक भाव बढ़ा दिये, फिर 16-7-74 को एक रुपये 80 पैसे से लेकर 2 रुपये 20 पैसे तक भाव विभिन्न जोन्स में बढ़ा दिये। इसी तरह से कपड़े पर 1 अप्रेल, 1974 से 30 पर्सेन्ट इन्क्रीज कर दी उसकी एक्स मिल प्राइस पर। शक्कर 15-12-73 से उसकी एक्स फैक्ट्री शुगर प्राइस साढ़े सात पर्सेन्ट बढ़ा दी। यूरिया का भाव 55 से 105 कर दिया, सुपर फास्फेट 20 से 49 कर दी और पोटाश 55 से 150 कर दिया। इस प्रकार से सारी मामूली और वजनी बातों को ले लीजिये, खाद को ले लीजिये, सीमेन्ट को ले लीजिये, मैं आंकड़े देख कर बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं समझता क्योंकि सारे माननीय सदस्य परिचित हैं माननीय सदस्य जानते हैं कि वे उत्पीड़ित हैं और दुखी हैं। जहां जहां अपने क्षेत्र में जाते हैं देखते हैं कि लोग परेशान हैं, जो बट्टी साबुन की देंगे उसके साथ सर्फ 8)

(श्री गुमानमल लोढा)

रुपये का भी आपको लेना पडेगा, साबुन के साथ आपको सर्फ लेना पड़ेगा। क्या यह जनतंत्रीय, लोकतंत्रीय, समाजवाद, प्रगतिवाद की यह कल्पना है ? हर व्यक्ति को 10 किलो धान कम से कम मिलना चाहिये और सस्ते दाम पर मिलना चाहिए। यह कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि केन्द्र हमको नहीं देता है, बाई, बारो आर स्टील। जनता धान चाहती है, आपको धान देना पड़ेगा। जनोपयोगी वस्तुएं आपको उपलब्ध करानी पड़ेंगी। यह आपका संवैधानिक कर्त्तव्य है, मानवीय कर्त्तव्य है। यदि आप इससे च्युत होते हैं तो मन्त्रीगण और खाद्य मन्त्री हैंड्स-अप कर दें और कह दें कि हम फेल हो गए, हम राजस्थान की जनता को ये चीजें उपलब्ध नहीं करा सकते सस्ती कीमत पर, हम सीमेंट, कोयला, साबुन, यूरिया, केरोसिन आदि उपलब्ध नहीं करवा सकतें, अगर आप हैंडसअप करके त्याग-पत्र दें तो इति- में आपका नाम अमर हो जाएगा। पहली बार जो त्यागपत्र दिया वह और कारणों से दिया, इस बार जो देंगे तो आपका नाम उज्ज्वल हो जाएगा। नहीं तो वह स्थिति होगी जो गुजरात और बिहार में है, सड़कों पर लिखा हुआ है। समय रहते मंत्री महोदय चेतें नहीं तो विद्यार्थी जयप्रकाश के नारे लगाकर बाहर आए बाहर से आह्वान किया और यह आह्वान ऐसा नहीं है कि निरोध के बंडल लेकर लोग दिल्ली गए थे, यह आह्वान लोगों का आह्वान है, पिसती हुई जनता का आह्वान है, जनता की आवाज को सरकार सुने वरना सड़कों पर हमको युद्ध करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, अहिंसात्मक तरीके से संघर्ष करेंगे और उसके लिए राजस्थान के मन्त्रिमण्डल को तैयार होना चाहिए, उनकी वह स्थिति बनाई जाएगी जो स्थिति अभाव के कारण से गुजरात में हुई। गुजरात को सड़कों पर कोई व्यक्ति जाता तो छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे होते थे और साइकिल पर कोई जाता था तो उसको उतारकर उनसे कहते थे कि तीन बार कहो "चिमन भाई चोर है", तीन बार नहीं कहते तो आगे नहीं जाने देते। अगर ऐसी स्थिति पैदा करेंगे तो जलेबी चौक में ही आपको पकड़ लेंगे और हाथ पकड़ कर खड़ा करेंगे और आपका घेराव करेंगे। आप तीन किलो गेहूं देना चाहते हैं इससे काम नहीं चलेगा, पर्याप्त मात्रा में गेहूं मिलना चाहिए, एक किलो चीनी दें, वेजीटेबुल घी दें, मिलावट बंद करें, जमाखोरों, तस्करों और सारे व्यक्तियों को जो समाजद्रोही हैं, उनके लिए जनता का आग्रह है कि कटघरे में खड़ा करें वरना जनता और हम एक होकर राजस्थान सरकार जो जनता को दो जून रोटी देने में असफल रही है, उसको हर प्रकार से संघर्ष करने के लिए तैयार करना पड़ेगा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, आज महंगाई और लेवी के सम्बन्ध में चर्चा हो रही गई है उसमें मैं भी अपनी कुछ राय प्रगट करना चाहता हूं। पहले मैं लेवी वाले मामले को लूंगा यह बात आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश में सरकार के पास अनाज के भण्डार की कमी है, हमारे पास इतना अनाज नहीं है कि हम वितरण व्यवस्था को चालू कर सकें, दूसरी तरफ विदेशों से जो खाद्यान्न हमें पिछले वर्षों से मिलता था, उतनी मात्रा में इस वर्ष या आने वाले वर्षों में नहीं मिलेगा और जो मिलेगा वह बहुत ऊंची कीमत पर मिलेगा इसलिए सरकार के लिए आवश्यक

Page No 54

54

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

था कि वह अनाज का भण्डार एकत्रित रखे ताकि वितरण व्यवस्था चालू रह सके और दूसरी ओर हमारा बहुत बड़ा देश है उसमें अच्छी या बुरी फसल होना प्रकृति पर निर्भर करता है इसलिए यदि ग्रामीण क्षेत्रों में दुष्काल हुआ तो वहां भी अनाज की व्यवस्था की जा सके। इसलिये पहले सरकार ने पहले अनाज खरीदने की योजना बनाई, व्यापार का राष्ट्रीयकरण भी किया, वह नीति सफल नहीं हुई उसके बाद में व्यापारियों से लेवी लेने का तय किया, व्यापारी खिसक गया, सरकार के हाथ में नहीं आया, फिर लेवी शुरू की।

लेवी का जहां तक ताल्लुक है, खाद्य मन्त्री स्वयं जानते हैं कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर आसपास के क्षेत्रों में जहां कहीं काश्तकार एकत्रित हुए, लेवी लेने के लिए बार बार आग्रह किया लेकिन सरकार ने लेवी वसूली का जो तरीका अपनाया और जिस तरीके से लेवी ली उसको देखकर स्वाभाविक है कि हरेक व्यक्ति को दुःख हुआ। लेवी ली जानी चाहिये, लेवी होनी चाहिये, हमारे पास खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में रहना चाहिये इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। 10-12 जिलों में एक साथ अकाल की स्थिति है और यदि राज्य सरकार के पास में खाद्यान्न नहीं होते हैं तो महीना भर बाद ग्रामीण क्षेत्रों से भी मांग आने लगेगी और यदि अनाज है तो हमको सरकार कुछ दे सकेगी। लेकिन इसमें 3-4 प्रश्न सामने आते हैं। पहली बात यह है कि राज्य सरकार का यह घोषित नीति थी मुख्य मन्त्री जी दूसरे मन्त्रीगण और खाद्य मन्त्री जी बार-बार लेवी वसूली सम्बन्ध में यह कहते रहे कि जो खराबा हुआ शीतलहर के कारण फसलों में बीमारी के कारण उस सम्बन्ध में काश्तकारों को छूट दी जाएगी, मैं लम्बे चौड़े परपन्च में पड़ना नहीं चाहता लेकिन खाद्य मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि दिसम्बर व जनवरी के महीने में क्योंकि जालोर जिले के नहरी क्षेत्र में गेहूं को रष्ट हो गया था इसलिए आपने एक्सपर्टस की राय लेकर और आपने योजना बनाई हवाई छिड़काव की, याने आप खुद मानते हैं कि फसलों का खराबा हुआ है। जिन क्षेत्रों की रिपोर्ट बनाई उनमें जितना खराबा हुआ उसके अनुसार माफ किया या नहीं, नहीं किया है तो इसका क्या कारण है और जब लेवी वसूल हो रही थी उस समय बार बार इस ओर ध्यान हमने दिलाया। आप आश्वासन देते रहे और इतना ही नहीं राज्य सरकार के मन्त्रियों और जिम्मेदार लोगों के बार-बार स्टेटमैन्ट आते थे इसलिए शुरू में जो लेवी के कागजात बनवाए उनके अन्दर जिनका खराबा था माफ कर रखा था लेकिन आपकी घोषणा के बावजूद मेरे ख्याल से आपके यहां से ये आदेश गए कि क्योंकि किसान ने देना शुरू कर दिया है, यह कमजोर आदमी है मोहम्मद गजनवी ने हमला किया और देखा कि वापस बदला लेने वाला नहीं है तो दुबारा हमला किया। तो आपने दुबारा हमला किया ···

श्री गुमानमल लोढ़ा : मोहम्मद गौरी।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : गजनवी। तो दुबारा वसूली की गई उस खराबे के बाद में। गिरदावरी के लिए आप जानते हैं, यह जून के मध्य में आपने तय किया कि काश्तकार से लेवी ली जाएगी और दिसम्बर-जनवरी में घोषणा कर दी कि नहीं ली जाएगी। इसलिए गिरदावरियां

Page No 55

55

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

गलत तरीके से कर देते हैं और काश्तकार ने ध्यान नहीं दिया तो तीसरी बार आपने लेवी ली है। आपके यहां से आदेश गए कि जैसे कि गिरदावरी में लिखा हुआ है उसी के अनुसार लेवी ले ली जाए। तो इस जमाने में काश्तकार ही एक ऐसा व्यक्ति है, बाकी कोई आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, न मजदूर मानता है, यह गरीब किसान ही आपका कहना मानता है। तीन बार वसूली की थी। इतना ही नहीं जब यह खरीफ की लेवी आपने शुरू की तो कुछ जिलों ने बाईकाट किया, आपको लेवी में बिल्कुल ही नहीं मिला और हमने अभियान के तौर पर शुरू किया और लोगों को समझाया। काश्तकार हमसे लड़ता था कि हमारे साथ अन्याय क्यों। हम उनसे कहते थे कि अन्याय नहीं है, कल आपको अनाज की जरूरत पड़ेगी तो कहां से लेंगे? उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पूरी तरह से तो जानकारी नहीं है कि मेरी बात कहां तक सही है या सही होनी चाहिये। लेकिन मैं मन्त्री महोदय की जानकारी के लिए इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि आपने उन लोगों को जिन्होंने लेवी नहीं दी है उनके खिलाफ तो कोई केस नहीं बनाये है। लेकिन जिन जिलों के लोगों ने लेवी दी है उनमें दो तीन जिले ही ऐसे हैं जिन्होंने लेवी देने में अगुआई की है उसमें हमारे जालौर जिला ऐसा जिला है जिसने राजस्थान में हाईएस्ट लेवी दी है। उस क्षेत्र के काश्तकारों पर आपने अधिक मुकदमे बनाये गए हैं। आज सैकड़ों की तादाद में काश्तकार उन केसेज के लिए सौ-सौ मिल दूर से पेशियों पर आते हैं। यह आपका कहां तक न्याय है। इधर चूरू जिले में लूणाराम जी विधायक की बात तो नहीं करता जिनके पास आपके अधिकारी चले गये हैं और उन्होंने शर्म के मारे दस बीस पायली लेवी दे दी होगी। बाकी किसी ने भी लेवी नहीं दी है और लेवी का विरोध किया गया है, आपने उन जिलों के लोगों के खिलाफ में कोई मुकदमे नहीं बनाये हैं। तो क्या कारण है कि आपने उन जिलों के काश्तकारों के खिलाफ में मुकदमे नहीं चलाये। इस ओर मन्त्री महोदय को ध्यान देना चाहिये। इसके अलावा पहले आपने यह आदेश निकाला और मेरे ख्याल से आपने रेडियो पर भी एनाउन्स कराया था कि जिन काश्तकारों के पास सरप्लस गेहूं हों वह राज्य सरकार को बेच दे तो जिन काश्तकारों के पास सरप्लस गेहूं था उन्होंने सरप्लस गेहूं राज्य सरकार को बेच दिया। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय यह आपकी जानकारी में होना चाहिये कि पिछले साल अकाल था। उसके पहले का साल अच्छा निकला, फसल भी ठीक हुई। उसके पहले के दो दो साल के जो थे वह भयंकर अकाल के थे यह आपकी जानकारी में है। इसके अलावा काश्तकार पिछले दस साल से परेशान हो रहा है उसकी छाती पर उसका कर्जा वसूल करने वाला बैठा हुआ है वह कहता है मुझे मेरे पैसे दो। आखिर काश्तकार के पास इतना माल कहां से आया। बेचारे काश्तकार ने जब पहले उसके पास में जो गेहूं था वह राज्य सरकार को दे दिया। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने बाद यह कहा कि व्यापारियों से अनाज लिया जायेगा। कितने व्यापारियों ने आपको लेवी दी कितना क्विन्टल अनाज दिया। आप बताइये? मैं समझता हूं कि इन व्यापारियों ने नहीं के समान लेवी के रूप में

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

अनाज दिया । उपाध्यक्ष महोदय, आज जयपुर की आबादी करीब 8 लाख की आबादी है यहां पर व्यौपारियों ने कितने क्विन्टल अनाज दिया लेवी के रूप में और अगर नहीं दिया गया तो क्या जयपुर की मण्डी में अनाज नहीं आया और अगर आया तो व्यौपारियों ने लेवी क्यों नहीं दी । जब व्यौपारियों ने अनाज की लेवी नहीं दी तो आपने कितने जयपुर के व्यौपारियों के खिलाफ में मुकदमे बनाये । इसकी एवरेज में आप देख लें कि काश्तकारों ने ग्रामीण जनता ने आपको कितना अनाज लेवी के रूप में दिया । इसके साथ-साथ आप यह भी देखलें कि आपने कितने व्यापारियों के खिलाफ में मुकदमें बनाये और कितने ग्रामीण कांश्तकारों के खिलाफ में मुकदमें बनाये और अगर व्यापारियों के खिलाफ में मुकदमे नहीं बनाये तो क्यों ? इसके बाद में आपने फिर 16 तारीख से लेवी वसूली का अभियांन शुरू कर दिया । उपाध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि लेवी के मामले इतनी जुल्म और ज्यादतियां ग्रामीण काश्तकारों के साथ हुई हैं कि उनका बयान करना कठिन है । इसके साथ-साथ यह और कि आपने लेवी की वसूली के दरमियान जो जन प्रतिनिधि हैं उनकी कोई मदद नहीं ली । आप जन प्रतिनिधियों से मदद लेते तो हम आपकी मदद करते । लेकिन आपके अधिकारियों ने कर्मचारियों ने ग्रामीण काश्तकारों को डरा कर धमका कर जबरन लेवी वसूली की । उपाध्यक्ष महोदय, यह काश्तकार बहुत ही गरीब कौम होती है । जो कि हड़ताल कर नहीं सकती, महंगाई भत्ते के लिये कोई आन्दोलन कर नहीं सकती और न ही यह आन्दोलन कर सकते हैं कि उनकी तनख्वाह बढ़ाओं । यह तो जो भी आप जुल्म इन पर ढ़ोते हों वह सहता रहता है । इसके साथ-साथ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा आप काश्तकार के पास अनाज लेने तो पहुंच जाते हैं लेकिन जो जरूरी चीजें उसे मुहैया होनी चाहिये वह आप उसे देने को तैयार नहीं होते । घोषणायें आप लम्बी लम्बी करते हैं । आज उसे सीमेन्ट मिलता नहीं, क्रूड ऑयल मिलता नहीं आज शहरों में आप हजारों की तादाद में सीमेन्ट की बोरियां बड़े बड़े भवन बनाने के लिये दे देते हैं । लेकिन अगर काश्तकार दो तीन बोरी सीमेन्ट भी अपने इन्जिन फाउण्डेशन के लिये मांगे तो आप उसे देने को तैयार नहीं होते हैं । इसके अलावा आप उसे समुचित मात्रा में खाद भी देने को तैयार नहीं है । मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि अभी एक जून को जब खाद के पैसे बढ़े थे तो चन्द लोगों को लाखों रुपये की खाद मिल गयी जिससे उनको बहुत अधिक फायदा हुआ । आप चाहें तो इन्द्राजात देख लें और एक्शन लेना चाहें तो लेलें । तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार जो आप काश्तकार के साथ अन्याय कर रहे हैं वह अच्छी बात नहीं है । इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि आज जो महंगाई बढ़ रही है जब अन्य चीजों के भाव बढ रहे हैं तब आप काश्तकार के अनाज के भाव बढ़ाने को तैयार नहीं है । यह सवाल आपको दिल्ली में उठाना चाहिये कि अनाज की कीमत बढाना जरूरी है । पिछली बार आपने 72 रुपये क्विन्टल का भाव रखा जबकि भाव बाजार में 100 रुपये से ऊपर था उसके बाद आपने 105 का भाव रखा जबकि अभी इस साल 140 से ऊपर का भाव था अब आप अगले साल 140 के भाव आप निर्धारित करेंगे तब बाजार में

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

गेहूं का भाव होगा 200 रुपये प्रति क्विन्टल तो अब आप बताइये इस प्रकार काश्तकार आपको घाटा खाकर कब तक अनाज देता रहेगा। अब इसके अलावा यह भी मैं आपको बता दूं कि पर क्विन्टल पर आपके जो अधिकारी वर्ग लेवी वसूल करने जाते हैं उनका खर्च भी दो तीन या चार रुपये क्विन्टल तक आ जाता है।

श्रीमती सुमित्रा : ज्यादा आता है।

श्री पूनमचन्द : तो मेरा कहना यह है मन्त्री महोदय से कि आपको काश्तकारों के साथ व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। और इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिये कि काश्तकार को अपना पूरा पैसा मिल जाये। इसके अलावा अगर आप विदेशों से अनाज मंगाते हैं तो वह अनाज बहुत ही महंगा हमारे यहां पर पड़ता है। वह आपको पड़ता है 250 रुपये क्विन्टल तक। इसके साथ-साथ वह आपसे फौरिन एक्सचैन्ज में या तो सोना लेंगे या और कोई वस्तु लेंगे। वह आपके यह छपे हुए कागज के नोट नहीं लेंगे। फिर काश्तकारों को तो आपको सोना देना नहीं पड़ रहा है आपको उन्हें छपे हुए नोट देने में क्या तकलीफ है वह तो ले लेगा बेचारा। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि काश्तकारों के साथ ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिये जो कि व्यावहारिक हो। जबकि यह काश्तकार आपका हुक्म बजाता है यह गरीब जो भी आप आदेश देते हैं उसकी बिना बोले पालना करता है। फिर भी आपकी कृपा इस पर क्यों नहीं होती। हालांकि जन संख्या आपकी दूनी हो गयी तो इसने आपको उत्पादन दूना करके दिया फिर भी आप इसके साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इसके साथ अच्छा बर्ताव करें। बस लेवी के बारे में तो मुझे इतना ही कहना है। महंगाई के बारे में मुझे ज्यादा निवेदन नहीं करना है क्योंकि इस बारे में तो आपकी सरकार यह कह देगी कि आज महंगाई तो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। और विकासशील देशों में तो महंगाई बढ़ती ही है। अपने यहां पर महंगाई होने के दो तीन मुख्य कारण और हैं जो वाजिब भी हैं जैसे हमारे देश को तीन बार युद्ध करना पड़ा जिससे खर्चा हुआ उसके साथ-साथ बंगला देश के जो शरणार्थी आये उन पर हमें खर्चा करना पड़ा। इसके अलावा फौजियों पर भी खर्चा करना पड़ा, अपने देश की फौज बढ़ाणी, एअरफोर्स बढ़ायी। यह तो वाजिब ही है। इसके अलावा इन पिछले दस पन्द्रह सालों में विकासशील देशों में खास तौर से महंगाई अधिक बढ़ी है पर हमारे यहां पर कुछ अधिक रेट से महंगाई बढ़ी है जहां पर दूसरे देशों में 3-4 परसेन्ट महंगाई बढ़ी है वहां पर हमारे देश में बंगला देश में और इन्डोनेशिया में महंगाई जो बढ़ी है वह करीब 30 से लेकर 40 प्रतिशत तक बढ़ी है। यह बात जरूर है कि अगर हम महंगाई का ग्राफ बना कर देखें तो दूसरे देशों के मुकाबले में हमारे देश की महंगाई उसमें माउन्ट एवरेस्ट की तरह सबसे ऊंची दिखाई देगी। हमारे यहां पर जो महंगाई बढ़ी है उसमें ज्यादा खर्चा सरकारी तन्त्र पर बढ़ने से हुई है। आज आपने बहुत बड़ा भारी अमला सरकारी तन्त्र के रूप में रख लिया है जिनको कि आपको रेग्यूलरली देनी पड़ती है। यह जो आपका इतना भारी भरकम अमला है इसको आपको कम करना होगा। अगर आप महंगाई को घटाना चाहते हैं तो क्योंकि

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

इसमें ज्यादा तर स्टाफ ऐसा है जो कि ऋणकमाऊ कुनबा है। जो कि आपको कुछ भी कमा कर नहीं देता है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि आप अपने विभागों का री-ऑर्गेनाइजेशन कराइये उसमें जो बेकार हों उनको आप समाप्त करिये। इसमें मैं आपको बताऊं जैसे यह ग्रामसेवक क्या करता है यह कुछ भी नहीं करता है इसको आप दूसरी जगह लगाइये। इसके अलावा आपका यह जो फेमीली प्लानिंग डिपार्टमैन्ट का स्टाफ है जो कि एक तरह से फेल हो चुका है उसको आप दूसरी जगह लगाइये। आप ऐसी व्यवस्था करिये जिससे विकास का कार्य हो सके। और जो आपके यह ऋणकमाऊ लोग हैं जिनको कि आप बड़े-बड़े भत्ते देते हैं जिन पर आप काफी खर्चा करते हैं और उसके बदले में आपको कुछ भी आमदनी नहीं हो रही है जो कि तनख्वाह के साथ-साथ लाखों रुपये भ्रष्टाचार से कमाते हैं उनको आप सरप्लस करके दूसरे महकमों में लगाइये। आप इन्हें सरप्लस करें तथा अपने सारे इस प्रशासनिक ढांचे का री-ऑर्गेनाइजेशन करिये। अगर वे किसी में फिट नहीं होते हैं तो उनको सरप्लस कर दीजिये। इस चीज से मत डरिये। राज्य सरकार और जनता की इन लोगों को तनख्वाह देने की कितनी क्षमता है और ये कितने उद्यमी हैं यह देखना है। बहुतसी योजनायें असफल हुई हैं, अव्यवहारिक होने के कारण। उससे आर्थिक स्थिति पर बड़ा भार आया है। 70 करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि हजारों ओवरसीयर बेकार हैं, हजारों इन्जीनियर्स बेकार हैं, डॉक्टर्स बेकार हैं. आर्ट, कॉमर्स साइन्स के कितने ही स्नातक और हायर सेकेण्डरी और सेकेण्डरी बेकार बैठे हैं। शिक्षा प्रत्यक्ष रूप में आमदनी नहीं देती है परन्तु परोक्ष में गुणात्मक परिवर्तन लाती है। वहां के नागरिकों में ताकि उत्पादन की क्षमता बढ़े। किन्तु 70 करोड़ का खर्चा करने के बावजूद भी जो गुणात्मक क्षमता नागरिकों में आनी चाहिये वह नहीं आ रही है। उसका कारण है आज की शिक्षा उपयोगी नहीं है। गांवों में मां बाप के पास लड़का रहेगा, काम करेगा नहीं, नौकरी लगेगी नहीं। इस तरह की जो योजना है इसका इलाज नहीं करेंगे तो पिछड़े पन को दूर नहीं कर सकेंगे, गरीबी और महंगाई से हम मुक्ति नहीं पा सकेंगे। आपको यह देखना है कि किस प्रकार का वेस्टफुल एक्स्पेन्डीचर है वह समाप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिये मैं आपको एक आपके सीगे की बात बताता हूं। 5 करोड़ की लागत के 17 हजार प्रति घंटा डिस्चार्ज करने वाले आपके यहां ट्यूबवेल्स हैं लेकिन वहां एक बीघा में भी खेती नहीं हो रही है। गवार बोया। आंधी आगी खत्म हो गया। एक सीगे में ही आपका पांच करोड़ का वेस्ट हो रहा है।

ऊन महकमे को री-ऑर्गेनाइज करने के लिए ट्रेनिंग दी थी ऊन कतरेंगे, भेड़ें आवेंगी। लाखों रुपयों के बने हुए भवन आज तक मौजूद हैं और उनमें कबूतर जाते हैं।

इस तरह से मैं आपको यह बताता हूं कि आप इन सब का मूल्यांकन कीजिए कि कौनसा खर्चा फालतू है और कौनसा महकमा फालतू नहीं है। आज भी अच्छे आलीशान भवन बन रहे हैं और दफ्तर लगाए जा रहे हैं। अच्छा फर्नीचर लगाया जा रहा है। मोटरों में जाते हैं तो, किसी भी सड़क पर देख लीजिये कि प्राइवेट

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)
मोटरों में तो कम जाती है और 90 पर्सेन्ट मोटरें सरकार की आपको जाती हुई मालूम पड़ेगी । जबकि पैट्रोल का यह भाव है । इसलिए मेहरबानी करके आप अनाप शनाप जो खर्च हो रहे हैं उनको कम कीजिये ताकि आपको टैक्स कम लगाने पड़ें और अन कमाऊ लोगों को पैसा देने में भी कन्ट्रोल हो सकेगा ।

मैंने आपको ये सुझाव दिए हैं । चूंकि समयाभाव हैं अतः मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन !

श्री रामकिशन (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसी सदन में पिछले सत्र में खाद्य मन्त्री जी ने राज्य की खाद्य योजना का जिक्र किया और उस समय का जब जिक्र हुआ था तो माननीय खाद्य मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि व्यो-पारियों से अनाज इकट्ठा करेंगे और राज्य के किसी भी नागरिक का पूरा पूरा प्रबन्ध करेंगे ।

मैं समझता हूं कि खाद्य मन्त्री जी ने जो बयान दिया वह उनको याद होगा । जब यहां पर इस सम्बन्ध में बहस हुई थी तो आशंका प्रकट की थी कि सरकार को एक छटांक भी अनाज इस योजना के तहत प्राप्त नहीं होगा तो उस समय कांग्रेस दल के और दूसरे माननीय सदस्यों ने मेरा उपहास किया था । ठीक तरह अनाज इकट्ठा नहीं हुआ और इसको आप राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार स्वयं मानती है । इसको मानने के बाद लेवी से अनाज इकट्ठा करने का कार्यक्रम बनाया गया था । माननीय विश्नोई जी ने व्यवहारिक बात कह दी है और मुझे अब इस विषय में जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सदन का समय हो जावेगा ।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप में दिल्ली की सरकार और प्रशासन जो कुछ भी कह देता हूं पालन करने के लिए उसका विरोध करने की क्षमता की है या नहीं, उनको कोई सुझाव देने की क्षमता है या नहीं, उनसे कोई प्रार्थना करने की क्षमता है या नहीं । ये तीनों क्षमतायें हैं या नहीं । विरोध, प्रार्थना और सुझाव आप में इन तीनों की ही क्षमता नहीं है तो राज गद्दी पर बैठने का आपको शौक क्यों है ? क्यों बैठे हैं ? राजस्थान की हालत यह है कि सरकार ने लेवी से अनाज वसूल किया । आगे क्या स्थिति बनेगी वह बनेगी । भरतपुर जैसा जिला, जो सरप्लस जिला राज्य सरकार ने माना है और वहां से सरकार ने लेवी इकट्ठी की है वहां 240) रुपया प्रति क्विन्टल गेहूं का भाव है । जिस साधारण आदमी की आमदनी 20) रुपया से कम है । पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर सन् 1973 के आंकड़ों का उल्लेख कर रहा हूं उसके आधार पर राजस्थान में 1 करोड़ 80 लाख आदमी हैं जो गरीबी के नीचे के स्तर की जिन्दगी बिताते हैं । आप ही सोचिये कि यदि राजस्थान में 240) रु. क्विन्टल गेहूं बिके तो खाद्य मंत्रीजी आप ही अन्दाज लगाइये कि लोगों का जीवन कितने दिन रह सकता है । एक दम मौत न हो किन्तु धीरे धीरे अनाज की कमी और अपौष्टिक आहार के कारण काल के ग्रास होंगे ।

(श्री रामकिशन)

इस सब का सारा दोष मैं वितरण प्रणाली को नहीं दे सकता असल बात यह है कि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार की ओर से अनाज के उत्पादन की ओर जितनी तवज्जह देनी चाहिये थी वह नहीं दी गई है। आबादी बढ़ती जा रही है। हिन्दुस्तान के और राज्यों जहां आबादी 2½ परसेन्ट बढ़ रही है वहां राजस्थान के अन्दर आबादी 2.7 परसेन्ट बढ़ी है। आप खाद्य मंत्री है इसलिये आप दोनों विभाग को ठीक-ठीक देखें कि आपने उत्पादन बढ़ाने की क्या योजनायें बनायी हैं। चार छः दिन पहले प्रधान मंत्री का दौरा कराके उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो उस तरह की योजना से तो आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। यदि इस तरह के दौरे से ही अनाज का उत्पादन बढ़ने लगे तो न जाने हिन्दुस्तान के मंत्रियों ने कितने दौरे किये थे और उस दृष्टि से तो आज अनाज की कोई कमी ही नहीं रहती। और यहां की जनता भुखमरी का शिकार नहीं होती आपने चौथी पंचवर्षीय योजना में जो अन्न के सम्बन्ध में लक्ष्य निर्धारित किये थे वे आप पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ऐसी हालत है।

इसलिये वितरण प्रणाली को तो दुरुस्त करें ही किन्तु साथ ही साथ उत्पादन पर भी जोर दें। यदि दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही इस जरूरत को महसूस कर लेते तो आज देश के सामने यह संकट पैदा नहीं होता। पहली दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में जो लक्ष्य रखा गया था उत्पादन के वह बाद की योजनाओं में ढीला कर दिया गया और दूसरी चीजों पर चले गये। केवल बरसात पर छोड़ दिया। और यह अन्दाज लगाने लगे कि 56 तक तो आत्मनिर्भर हो जावेंगे। 74 आ गया है किन्तु आत्म-निर्भरता तो दूर रही, आज भी जो स्थिति है वह सामने है। यदि केन्द्रीय सरकार ने इस ओर गौर नहीं किया और अन्य खर्चों को काट कर इस पर जोर नहीं दिया तो देश को कोई भूखमरी से नहीं बचा सकता यदि गैर योजना खर्चों को और अनावश्यक योजना के खर्चों को नहीं काटा गया तो देश की और राजस्थान की तस्वीर नहीं सुधर सकती। आपको अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। कल भी कहा गया कि हम आत्म-निर्भर हो जायेंगे। बरसात हो जाती है तो पैदावार बढ़ जाती है। लेकिन यदि एक साल भी अकाल पड़ जाय तो हालत गम्भीर हो जाती है। मैंने इसी सदन में पहले भी कहा था कि अब आगे से हमें विदेशों से भी अनाज कम मिलेगा। जो विदेशों के अनाज पर निर्भर रहते हैं वे राजनैतिक कारणों से इसकी चर्चा नहीं करते। आज सारी दुनिया का इतिहास देखो। मैं विदेशों का जिक्र पहले ही कर दूं नहीं तो शिवचरण जी विश्व के इतिहास पर आवेंगे और विश्व की महंगाई का उल्लेख करेंगे इसलिए मैं पहले ही उल्लेख कर देता हूं कि जितने भी गेहूं के बोहरे देश हैं अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया उन्होंने एक प्रकार का प्रचार कर रखा है कि वे जो पैदा करते हैं वह सब काले देश खा जाते हैं। जेनेवा में कान्फ्रेन्स होने वाली है। हिन्दुस्तान के प्रतिनिधि निश्चित रूप से वहां जावेंगे। अगर मेरे सुझाव पर आपके प्रधानमन्त्री तैयार हों तो जो प्रतिनिधि वहां जायं उससे वहां यह पूछने को कहा जाय कि वे जो इस तरह का प्रचार करते हैं उसके सही सही आंकड़े दिये जायें। आंकड़ों को अगर देख लेंगे तो सारी स्थिति स्पष्ट

Page No 61

61

(श्री रामकिशन)

हो जावेगी। उनके इस थोथे प्रचार का भण्डाफोड़ हो जावेगा। असल बात क्या है? गोरी दुनिया के लोग और वैज्ञानिक दृष्टि से उन्नत देश अपनी औद्योगिक क्षमता बढ़ा रहे हैं और इसलिए वैसे ही उनकी अन्न की उपज कम हो रही है। आज हिसाब लगावें तो केवल 7 पर्सेन्ट वे दे पाते हैं। तो राजनैतिक कारणों से वे और जगह भले ही इस प्रचार का खण्डन न करें पर आर्थिक सम्मेलनों में बोल सकें तथ्य और आंकड़ों के आधार पर तो उनको बताना चाहिये। योरॉप के गेंहू की खपत का हिसाब ले लें तो स्पष्ट हो जावेगा कि कितना अमेरिका, कनाडा और आस्ट्रेलिया उत्पन्न करते हैं और कितना उनके ही देशों में खपता और कितना रूस में चला जाता है। पर जितना काले देशों को चाहिये उतना वे नहीं दे पाते। तो इस हिसाब से आप विदेशी सहायता पर निर्भर न रहें।

इसके लिये घबराने की भी बात नहीं है। यह एक आकस्मिक संकट है। आप अपने केवल दिल और दिमाग को ठीक करें। एक मोटा सुझाव मैं देना चाहता हूं। आप अपनी सारी अनुपयोगी योजनाओं को रोक कर केवल एक काम करें। सारे देशों में पानी का और जमीन का सम्बन्ध जोड़ दें।

जमीन और पानी का सम्बन्ध जुड़ जाता है तो इस आकस्मिक संकट को टाला जा सकता है। अन्यथा केवल प्रधानमन्त्री के दौरों से और थोथे भाषणों से यह संकट टलने वाला नहीं है।

लेवी आपने वसूल की। मैंने बताया उत्पादन का संकट है। वितरण का भी मैंने बताया। पर जैसी आपने तस्वीर रखी वैसा वितरण का भी अधिक संकट नहीं है। लेवी के सम्बन्ध में विश्नोई जी ने बात कही। शिवचरण जी भी सब समझते है। किसान मूक पशु की तरह है। इसलिये वह बर्दाश्त कर गया। राजनैतिक दल ज्यादा समझदारी से काम लेते हैं। नहीं तो आपका उनसे लेवी लेने का कोई नैतिक अधिकार नहीं था। आपने घोषणा की थी कि 31 अगस्त तक वे अपना सारा गेहूं अनाज का स्टॉक बेच दें। तो फिर किस आधार पर उनसे आपने लेवी वसूल की। मैंने देखा है। पुलिस के आदमी साथ गये हैं। किसान के घरों में वे घुस गये हैं। अब उनके पास स्वयं को खाने को था या नहीं, उन्होंने जबर्दस्ती उससे भी वसूल किया और ले गये। जिसके सरसों लिखी थी कागजों में वे बदल कर गेहूँ कर दिया गया और गेंहू की लेवी का अनाज उससे भी ले लिया गया बिना चिन्ता किये कि उसके पास खाने को क्या रह जावेगा। इस बारे में मुख्य मन्त्री जी से भी जिक्र किया गया। खाद्य मन्त्री जी से भी जिक्र किया गया। हमने शिकायतें की। पर क्या होना था?

भ्रष्टाचार की हालत यह है कि चालीस से पचास प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिनके पास दो महीने का भी खाने को अनाज नहीं रहने दिया गया है। शहरी व्यवस्था को आप किसी तरह थोड़ा बहुत जारी भी रख सकेंगे इस लेवी में वसूले गये अनाज से। पर उन देहातों में आप क्या व्यवस्था करेंगे। उस हालत में और भी कठिनाई हो गई है जबकि कई इलाकों में अकाल की स्थिति पैदा हो गई है, कहीं अतिवृष्टि से तो कहीं अनावृष्टि से। हमारे इधर अतिवृष्टि हो चुकी है। जो फसल बो दी गई थी वह गल चुकी है। दुबारा बोने के बहुत कम चान्स

(श्री रामकिशन)

रह गये हैं। जैसी आशा करते हैं अगर वैसी फसल न हो पाई तो संकट व्यापक हो जावेगा। लेवी से आपने जितना अनाज इकट्ठा किया है वह तो आप रक्खें ही, पर केन्द्र पर भी जोर डाल कर इस समय व्यवस्था कर लें। आप यह कहते हैं कि केन्द्र देती नहीं ? केन्द्र तो बहुत देती है। लेने वाले में कुव्वत होनी चाहिये।

महाराष्ट्र में काफी विधायकों को मुअत्तिल कर दिया। आप यह सोचते हों कि इसका कोई लाभ नहीं हुआ ? हुआ और तत्काल हुआ है। वहां की सप्लाई बढ़ गई है। ये तो अब तभी सुनते हैं जब आप में भी कुछ करने की हिम्मत हो। आप सोते रहेंगे तो केन्द्रीय सरकार समझेगी कि चलो सब ठीक है यहां तो। तो जैसे ही महाराष्ट्र में विधायक मुअत्तिल हुए नहीं कि उधर उसी समय तेल और दूसरे खाद्यान्नों की सप्लाई ठीक हो गई। तुरन्त पहुंचा दिया गया सभी सामान। यह कह कर मैं कोई आन्दोलन की या प्रचार की हवा बहाने की बात नहीं कह रहा हूं पर असेम्बली के मार्फत कड़ा रुख तो आप अपनाएं इन बातों की तरफ। सही ढंग से स्थिति तो रख दें जिससे जरूरत की चीजें प्राप्त हो जावें।

वितरण के बारे में सरकार की कोई नीति नहीं है। ये तो ऊपर वालों की कृपा और दया पर आश्रित हैं। जितना आवेगा वह बांट देंगे। पांच लाख टन आवेगा तो बांट देंगे और एक लाख टन आवेगा तो वह बांट देंगे। इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकेंगे। फिर एक चीज मैं और कह दूं। इसमें भी भिन्न-भिन्न जिलों में तादाद में फर्क क्यों है ? भरतपुर में एक किलो दिया जाता है ? वह भी कभी दिया जाता है, कभी नहीं। उदयपुर में क्यों ज्यादा दिया जाता है ? यह कह कर मैं कोई उदयपुर के नागरिकों से नाराज हूं यह बात नहीं है। वहां गेहूं, चना, तेल सभी ज्यादा दिया जाता है। आप तो समझ रहे होंगे कि आप उदयपुर को राजी कर रहे हैं। पर मैं कहता हूं कि आप इस तरह से एक बड़ा असन्तोष पैदा कर रहे हैं। उदयपुर से जब कभी कोई साथी आता जाता है और बात चलती है तो कहता है कि हमें तो एक किलो चीनी मिलती है, छः किलो गेहूं मिलता है इतना केरोसिन आइल मिलता है। आपके यहां इतना कम क्यों ? माननीय खाद्य मन्त्रीजी, मैं आपको याद दिलाऊं आपने इसी सदन में यह विश्वास दिलाया था कि इस तरह का भेदभाव नहीं बरता जावेगा। वह आपको याद नहीं होगा। आप भूल गये होंगे। वैसे प्रिविलेज मोशन इस पर बनता है, सदन को गुमराह करने का, पर प्रिविलेज मोशन आपके खिलाफ लाने की जरूरत तो है नहीं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि यह कहकर आपने सदन को गुमराह क्यों किया ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : क्या यह सही बात है ?

श्री रामकिशन : अभी जल्दी क्या है ? धीरे-धीरे सब मालूम हो जावेगा। उदयपुर प्रोपर में आप आज भी और जगहों से अधिक दे रहे हैं। यह भेदभाव आप बरत रहे हैं। आपने सदन में यह कहा था कि भरतपुर में तीन किलो बंटवा दूंगा। आपने कहा पर आप अपना कहना पूरा नहीं कर सके। इसमें अफसोस जैसी बात नहीं, प्रिविलेज भी मैं बनाना नहीं चाहूंगा। आप

(श्री रामकिशन)

झूठ नहीं बोलें, सच बात कह दें या साफ कह दें कि कलेक्टर मेरा कहना नहीं मानता। मैं तो चाह रहा था। या यह कह दें कि मेरी वाणी और बुद्धि दोनों ही खतम हो गई मुझे पता नहीं मैंने क्या कहा। अन्यथा तो फिर प्रिविलेज मोशन रखने दें। आपने सदन को गुमराह किया है। लाख कोशिश करने के बाद भी एक किलो से ज्यादा गेहूं नहीं दिला पाये भरतपुर में आप। भरतपुर के नागरिकों से मुझे कोई मोह हो या उदयपुर के नागरिकों से नाराजगी हो, यह नहीं है। यह इससे सब जगह असन्तोष और अविश्वास फैलता है। इससे सारे राज्य में व्यवस्था बिगड़ती है। विवाद और असन्तोष को ये बातें जन्म देती हैं।

एक बात और खाद्य मन्त्रीजी से कहनी है कि आप इन सारी व्यवस्थाओं को सुधारें।

दूसरी ताज्जुब की बात है। डालडा आता है जयपुर से। सरकार आदेश देती है, पर मिल मालिक डालडा नहीं देता। हजारों दुकानें हैं उनका तो आप प्रबन्ध नहीं कर सकते यह समझ में आ सकती है बात, पर एक फैक्ट्री का मालिक और वह भी आप की नाक के नीचे जयपुर में बैठा है और आपके जारी किये हुए परमिट पर डालडा देने से इन्कार कर दें तो आप पाबन्द करें। आज भयंकर भ्रष्टाचार है इसमें। हालत खराब है। माल नहीं भेजता भरतपुर कलेक्टर के परमिट पर, कारण यह है कि ज्यादा पैसा मांगता है। कलेक्टर ज्यादा दे नहीं सकता। दुकानदार जो ज्यादा देता है उसे दे देता है और कलेक्टर के परमिट को लौटा देता है। नतीजा यह है कि हर चीज में गबन और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है। अनाज का अभाव, तेल का अभाव, डालडा का अभाव, दियासलाई का अभाव। कभी मोमबत्ती तक नहीं मिलती। आपके नीचे डालडा वाला बैठा है और सरे आम भ्रष्टाचार और ब्लैक करता है और आप हैं कि चुप हैं, मायूस होकर चुपचाप बैठे हैं। इससे बढ़कर गन्दा राज और कोई हो सकता है, ऐसा गन्दा राज आज तक कभी आया नहीं। मैं तो आपके साहस की भी प्रशंसा करता हूं, हालत इतनी गम्भीर है, खराब है, तब भी यहां बड़े साहस के साथ जवाब देने के लिये खड़े भी हो जाओगे। नहीं तो, आपकी जगह कोई और शर्मदार सरकार होती तो त्याग पत्र फैंक कर कभी की चली गई होती अपनी कमजोरी बताते हुए कि हम देश का प्रबन्ध नहीं कर सकते।

मैं और निवेदन करूं। आपकी तरफ से जब तब घोषणाएं होती हैं कि फलां जगह इतने इतने तस्कर व्यापारियों को, चोर बाजारियों को पकड़ा, उनको हथकड़ी बेड़ी डालकर बाजारों में घुमाया। बड़ी लम्बी चौड़ी पब्लिसिटी होती है। वैसे ये घोषणाएं करने से सुधरता है वातावरण। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। ऐसा करना चाहिये। पर कभी कभी हथकड़ी लगाकर घुमा देते हैं तो इससे समाज में दूसरों पर डर बैठता है। तस्कर और चोर बाजारियों होर्ड करने वाले में आतंक फैलता है। पर साथ ही मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जिन चार पांच को हथकड़ी डालकर घुमाया पकड़ा क्या उनको अपराधी साबित कर पाये? बीकानेर का समाचार निकला मुरलीधर को हथकड़ी डालकर निकाला मिलावट करने के अपराध में। पर आगे क्या हुआ, मालूम हुआ है कि

(श्री रामकिशन)

लैबोरेटरी वालों ने यह लिखकर दे दिया है कि इसमें मिलावट साबित नहीं होती। अब इसके पीछे कहानी क्या है? मुरलीधर ने क्या ऐसी कोई व्यवस्था कर ली कि जिससे लेबोरेटरी वालों ने कुछ ले देकर ऐसा लिख दिया। अगर यह बात है तो भी बड़ी कलंक की बात है राज्य सरकार के लिए। ऐसा था तो पहले पकड़ा क्यों? और अगर यह नहीं है तो उस निरपराध को हैरान किया क्यों? आखिर यह सारी स्थिति है क्या? यह आपका क्या गोरखधन्धा है? निरपराध को हथकड़ी डालकर अगर घुमाया है तो बहुत बुरी बात है। और अगर वह पैसे के असर से निकल गया है इस चक्कर से तो यह इससे भी अधिक घोरतर अपराध हुआ है सब तरफ से।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे लगता है इन सबकी लगाम आपके मन्त्रियों के हाथ में नहीं है। उन लोगों के हाथ बहुत लम्बे हैं जिनकी पकड़ में ये आ जाते हैं उल्टे। ये सब ठीक ठाक कर लेते हैं। पकड़ में भी आ जाते हैं तो राजनैतिक हस्तक्षेप और प्रेशर शुरू हो जाता है और इस सबके पीछे वह कालाधन जो उन्होंने इकट्ठा कर लिया खेल दिखाता है अपने।

हनुमानसहाय जी के केस में क्या हो रहा है? आप जानकारी दें। यह राजस्थान में अपने ढंग का एक ही केस है। बहुत गम्भीर है। कितना स्मगलिंग किया। किस तरह से मनीऑर्डर और ड्राफ्ट बैंकों के मार्फत भेजे। जिन पुलिस अधिकारियों ने इसकी जांच की, जिन जिन और विभागों के अधिकारियों ने यह सारा केस डिटेक्ट किया उनके तबादले कैसे और क्यों कर दिये? चाहे गृह मंत्री ने किया हो, चाहे खाद्य मंत्री ने किया हो। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं जिन लोगों ने पकड़ा है उनको ट्रान्सफर कर दिया गया जब सी. आई. डी. ने पकड़ा तो दूसरी सी. आई. डी. को दे दिया गया। आज तक उनका किसी का चालान पेश नहीं किया जा सका है, सजा का प्रबन्ध नहीं किया गया है। राष्ट्रदूत राजस्थान का प्रमुख दैनिक पत्र है उस दैनिक पत्र में समाचार छपा था जब सीताराम महेश्वरी के यहां छापा मारा गया तो उसके मुनीम ने हिसाब में गड़बड़ी कर रखी थी उसको बता दिया गया तो क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि उसको कन्ट्राडिक्ट करती। अगर यह मामला सच है तो इससे गंभीर कोई मामला हो नहीं सकता। जितने केस इस मामले में आ रहे हैं यह सच लगता है कि इन्वेस्टीगेशन जो पुलिस अधिकारी करते हैं उसका बीच में ही ट्रान्सफर कर देते हैं। जो सी. आई. डी. के आदमी सही रास्ते पर ले जाते हैं उनका ट्रान्सफर कर दिया जाता है। अगर रसद विभाग के कर्मचारी पकड़ते हैं तो उनका भी ट्रान्सफर कर दिया जाता है। जो बही खातों में लिखा हुआ है उसमें सच्चाई है तो सरकार को इस प्रकार का प्रेशर नहीं देना चाहिये। इससे राजनैतिक जीवन गिरता है। जनता में यह आस्था बन जाती है कि राजनैतिक लोग ईमानदार नहीं होते हैं। अगर इस भावना को पुष्ट कर रहे हैं तो बहुत ही गलत चीज है। आपकी तरफ से सच्चाई हो जानी चाहिये। रेकार्ड सीज किया हुआ है कलेक्टर के पास। अब वह जालोर के अधिकारियों के पास पड़ा है या कहां पड़ा है। किसने कहां पैसा दिया और किसने कहां दिया और केस को रफा दफा करवा दिया अगर इसकी कोई

(श्री रामकिशन)

जानकारी है तो आज और जानकारी नहीं है तो जानकारी करके बतायें। मेरे पास कुछ तथ्य हैं, मंत्री महोदय जानकारी करना चाहेंगे तो मैं मदद कर दूंगा, वैसे उनको जानकारी है।

उपाध्यक्ष महोदय एक अफसोस लगता है, बड़ा दर्द लगता है, राज्य सरकार जो भी प्रयत्न करती है उसमें सच्चाई बहुत कम नजर आती है। मोटे रूप में मंत्री जी ने बता दिया कोटे का पूरा अनाज इकट्ठा कर लिया है, वह स्टेटमैंट दे दिया, काश्तकार से किया है वह भी रख दिया, कुछ बाजार में खरीदा है वह बता दिया। किस भाव से खरीदा है, कहां से खरीदा है इसकी भी जानकारी बता दें तो समझ में आ जाय और हम समझ जायं कि अखबारों में छपी है वह गलत छपी है। व्यापारियों से और काश्तकारों से लेवी लेने का जिक्र किया है, बाजार का नहीं किया है। इससे उपाध्यक्ष महोदय मालूम तो पड़ जाय कि राज्य सरकार ने साल भर के लिये कितना अनाज इकट्ठा किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ माननीय मंत्री महोदय से विशेष तौर से कहना है, लेवी के सम्बन्ध में कहना है जो कुछ कहना है और अब जो कुछ कर रहे हैं वह केवल औपचारिकता निभा रहे हैं किन्तु मेहरबानी करके अब उन पर मुकदमे मत चलाइये। आपने हजारों लोगों को नोटिस दे रखा है। शीतलहर से फसल नष्ट हो गई। विकास के नाम से भरतपुर में कुछ काम होता नहीं और विकास होगा भी नहीं, क्योंकि वहां अकाल पड़ा नहीं, कभी राज्य सरकार से विशेष मदद का आग्रह किया नहीं लेवी भी दी—शीतलहर के बावजूद दी है। राज्य सरकार ने घोषणा की कि राहत कार्य शुरू किये जायेंगे। कांग्रेस के माननीय सदस्यों से कहा आप करिये। वे कहते हैं हमने कहा तो अगले साल टिकट नहीं मिलेगा। पता नहीं इनको टिकट की क्या बीमारी हो गई है। हम लोगों की भी अपनी कुछ मर्यादायें हैं। टिकट का डर उनको हमेशा बना रहता है, अब यह क्या बला है आप जाने। मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं अगर यही तरीका अपनाया तो हम निश्चित रूप से विरोध करेंगे।

जो देने लायक हैं जो बड़े-बड़े किसान हैं उनसे अवश्य लीजिये और उनको बदले में सीमेन्ट, खाद, बीज आदि दीजिये। आपने एक बीघा वालों को भी नहीं छोड़ा है। छोटे काश्तकार क्या दे सकेंगे और क्या नहीं दे सकेंगे, इस पर आपने कभी विचार नहीं किया। भरतपुर में सिंचित और असिंचित क्षेत्र का कोई आपकी सरकार को पता नहीं। अब हमारे यहां भरतपुर में सिंचित क्षेत्र में 1 हेक्टर में दो क्विन्टल और असिंचित क्षेत्र में एक हेक्टर में एक क्विन्टल ली जायगी, लेकिन····

श्री शिवचरण माथुर :····(अश्रव्य) छोड़ कर····

श्री रामकिशन : किसी को न सिंचित क्षेत्र में छोड़ा है और न किसी को असिंचित क्षेत्र में छोड़ा है। आपके यहां की सिंचित और असिंचित की परिभाषा और होगी।

एक माननीय सदस्य : सिंचित में तो कोई छूट है ही नहीं।

श्री रामकिशन : असिंचित को ही किसी प्रकार सिंचित बना दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पानी का कोई नहरी इलाका नहीं है। केवल बारेठा का इलाका है वहां उचित है। वर्षा का पानी होता है अबतक भरतपुर का लगान का सिस्टम भरतपुर की परम्परा में सिंचित नहीं मानते थे, असिंचित मानते थे। अब उनसे भी लेवी वसूल कर ली। कलेक्टर से कहा गया क्या कर रहे हैं तो उन्होंने जवाब दिया हमें तो जिन्होंने मोटा अनाज मक्का आदि भी बो दिया उससे भी लेवी लेनी है और इस प्रकार के राज्य सरकार के आदेश हैं, उस लक्ष्य को पूरा करना है। खाद्य मंत्री जी क्या कहेंगे, कृषि मंत्री जी क्या कहेंगे, मुख्य मन्त्री जी क्या कहेंगे लेकिन जो नियम बनाये, उनका पालन नहीं किया और अगर कोई और मुकदमें चाहें तो करें लेकिन इन मुकदमों को मेहरबानी करके खतम करें। इनके अलावा उनको थोड़ा सा खाद दे दिया सीमेन्ट दे दिया, बीज दे दिया लेवी देने वालों को और कम कीमत पर दे दिया है। इस काम में आपने थोड़ा साहस दिखाया है। बड़े-बड़े व्यापारियों के असर में नहीं आये।

उपाध्यक्ष महोदय लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है लेवी देने वालों को आपने खाद दे दिया, सीमेन्ट दे दी, बीज दे दिया और बिना लेवी वालों को कुछ नहीं दिया तो उत्पादन बढ़ाने के लिये दोनों दृष्टिकोण रखने पड़ेंगे। बिना लेवी वाले जो किसान है उनका आर्थिक पक्ष देखकर, उनका सामाजिक पक्ष देख कर आपको कुछ तो करना चाहिये था। असल में तो वे ही किसान हैं जो छोटे हैं, परम्परा से जो छोटे हैं ऐसे लोगों के लिये अवश्य प्रबन्ध करना चाहिये। हमने इन्सेन्टिव दिया लेकिन उनको कुछ न कुछ सुविधा देनी चाहिये। खाद नहीं मिलेगा, चीनी व कपड़ा नहीं मिलेगा तो गांव में जो दरिद्र किसान हैं, हरिजन काश्तकार हैं उनको कुछ भी नहीं मिलेगा और यह कह कर कि चीनी, सीमेन्ट नहीं मिल सकता है, क्योंकि लेवी वालों को देना है। इस प्रकार का व्यवहार राज्य सरकार से कोई अपेक्षा नहीं कर सकता है। जहां तक चीनी का जिक्र किया है, आपकी चीनी की मात्रा घटने वाली है अबकी बार। चीनी की मात्रा का उत्पादन बढ़ा है 52 लाख टन से बढ़ कर यह साढ़े 59 लाख टन हुई है। साढ़े सात लाख टन चीनी का उत्पादन ज्यादा हुआ है। अब राज्य सरकार शायद यह रीजेन्ट करें कि केन्द्र की सरकार का इरादा विदेशी मुद्रा कमाने का है और चीनी का निर्यात करके विदेशी मुद्रा कमायेगी। अगर ऐसा ही आपका इरादा है तो फिर चीनी की लोगों में आदत क्यों डाल दी। जिस तरह विदेशी मुद्रा को लम्बे रेशे वाली रूई को खरीदने में लगा देते है तो चीनी को यहां रखें और उस रूई को मंगाना बन्द कर दें। वह लम्बे रेशे वाली रूई तो केवल इने गिने लोगों के काम की है। साधारण आदमी पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय बुराई के एक हिस्से को पकड़ते हैं। जहां विदेशी मुद्रा चीनी से कमाते हैं तो हम विदेशी रूई को बन्द कर दें। वह रूई किसी भी रूप में साधारण कपड़ों के काम में नहीं आती है। जितनी हम चीनी को निर्यात करके नहीं कमाते हैं उससे ज्यादा हम दूसरे देशों को दे देते हैं। और इससे 40 करोड़ की विदेशी मुद्रा में कमी हो जायगी

तो राज्य सरकार को इन सारी समस्याओं के ऊपर साथ-साथ ही विचार करना चाहिए।

(श्री रामकिशन)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस संबन्ध में यह भी निवेदन करना है कि जब खाद, सीमेन्ट और कोयले की बात आती है तो बड़ी हंसी आती है। राजस्थान में कोयले की कमी है। भट्टों के लिए कोयला नहीं मिलता और दूसरी तरफ आप कोयले को नहीं उठा सके और इसके लिए आपने कारण बताया कि यातायात की स्थिति बिगड़ी इसलिए कोयले को नहीं उठा सके। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह रेलों का यातायात तो थोड़े ही दिनों के लिए बन्द था। क्या यह सारा कोयला रेलों के यातायात की वजह से नहीं आया या सरकार की वजह से कोई कमी रह गयी उस कारण से नहीं आया। हमारे राज्य के औद्योगीकरण के लिए, गृह निर्माण के लिए और दूसरे उद्योगों के लिए कोयले की जितनी जरूरत है उतनी पहले कभी नहीं रही लेकिन आप कुल 73 पर्सेन्ट कोयला ही प्राप्त कर सके। एक तो चीज यह है कि हमारे यहां कोई चीज पैदा नहीं होती और वह चीज बाहर से आती है तो हम उनको उठा नहीं सकते। रेलों की हड़ताल के बारे में जो दृष्टिकोण है वह सरकार का यह है कि देश में मजदूरों के खिलाफ हवा बनाने के लिए आपने लिख दिया है। सारा कोयला इन्हीं दिनों ही नहीं आना था तो फिर आपने बीच के पीरियड में क्यों नहीं उठाया कोयला। अभी खाद्य मंत्री जी जवाब दे दें। और वह जवाब नहीं दे सकते हैं कितना 2 कोयला कब-कब उठाया तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार की गलती है, आपके प्रशासन की गलती है और इसको आपको सुधारना चाहिए।

एक बात मुझे उपाध्यक्ष महोदय, इस समय निवेदन करनी है और यह करनी है कि राज्य सरकार ने कई तरह की चीजों का जिक्र किया है इस वितरण में और इस वितरण के संबंध में आपने एक सतर्कता समिति का जिक्र भी किया है कि यह समितियां हमने बना दी हैं। मुझे पता नहीं कि अन्य माननीय सदस्यों का क्या मत है कि अन्य जिलों का क्या स्थिति है लेकिन भरतपुर जिले में जो सलाहकार समितियां बनाई थी उनकी भी मीटिंग नहीं बुलाई जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने चिट्ठी लिखी है कि आप सलाहकार समिति की मीटिंग बुलायें लेकिन आप उसको बुलाना ठीक नहीं समझते। अधिकारी आमतौर पर यह सोचते हैं कि जन प्रतिनिधि इकट्ठे होंगे तो वह अपनी कठिनाइयों को रखेंगे। राज्य सरकार का दृष्टिकोण इस सम्बन्ध में दूसरी तरह का है और इन अधिकारी लोगों का दृष्टिकोण दूसरी तरह का है। यह तो सतर्कता समितियां बनाई हैं इनकी कितनी उपयोगिता है इसके सम्बन्ध में मैं नहीं कह सकता लेकिन जिला सलाहकार समितियां बनी हैं उसकी मीटिंग कम से कम भरतपुर में तो नहीं बुलाई जाती और अन्य जिलों की मैं नहीं कहता, उसका पता अन्य माननीय सदस्यों को होगा। ऐसी स्थिति में कागजों पर सकर्तता समिति का जिक्र करके आप समझते हैं कि हमने अपना कर्त्तव्य पूरा कर दिया। मैं समझता हूं कि पिछले दिनों इस मामले में सरकार कुछ नहीं कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, सीमेन्ट का वितरण का सवाल है इसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा एक यूनीफार्म पॉलिसी बनानी चाहिए। सीमेन्ट के वितरण के लिए अलग अलग जिलाधीशों ने अलग अलग व्यवस्थायें कर रखी हैं। आखिर यह सीमेन्ट की कमी क्यों

(श्री रामकिशन)

है ? इसके ऊपर बहस की जा सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में सीमेन्ट के कई कारखाने खड़े हो सकते थे लेकिन आपकी गलत नीतियों के कारण नीम का थाना में जो सीमेन्ट का कारखाना लगने वाला था वह नहीं लगा। यदि यह सीमेन्ट का कारखाना नीम का थाना में बन जाता तो इससे राज्य को लाभ मिलता, देश को लाभ मिलता लेकिन कांग्रेस दल के किसी आदमी को नुकसान हो रहा था इसलिये यह कारखाना वहां नहीं लग सका। एक काम तो आप कर ही सकते हैं कि जितनी सीमेन्ट राज्य में आती है······

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उसका नुकसान हो रहा था तो दूसरी तरफ बिड़ला को फायदा हो रहा था।

श्री रामकिशन : मैं नुकसान की बात नहीं कह रहा हूं और न फायदे की बात कह रहा हूँ—मैं तो उत्पादन की बात कह रहा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक तरफ कुआ था तो दूसरी तरफ खाई थी।

श्री रामकिशन : बिड़ला के जितने भी कारखाने हैं वह बन्द कर दो इनके कारखाने को छोड़ कर। सबके कारखाने बन्द करवा दो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : किसी तीसरे भले आदमी को दिलवा दो।

श्री रामकिशन : वह नाम आप बता दो। मुझे तो उत्पादन से मतलब है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि सीमेन्ट का वितरण हमारे राज्य में एक यूनीफार्म तरीके से होना चाहिए। सीमेन्ट के वितरण के सम्बन्ध में आदेश प्रसारित होने चाहिएं एक तो राज्य में कहीं स्कूल बनता हो, गांव वाले लोग पैसा इकट्ठा करते हैं लेकिन सीमेन्ट नहीं मिलता और स्कूल नहीं बन पाता। मेरे खुद के जिले में जितने लोगों ने स्कूल बनाये हैं उनमें से 7 मकान तो गिर गए। लोगों ने पैसा इकट्ठा किया लेकिन उनको सीमेंट नहीं मिली। तो मेरे कहने का आशय यह है कि राज्य सरकार निश्चित कर दे कि या तो पंचायत समितियों की तरफ से या सार्वजनिक संस्थाओं की ओर से जहां कहीं स्कूल बन रहा हो, जहां कहीं अस्पताल बन रहा हो, पानी पीने के लिए कुआ बन रहा हो ऐसे कामों के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इससे दूसरी तरह की एक्टीविटीज बन्द हो जाती हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि स्कूल वगैरह के लिए प्राथमिकता देने के लिए राज्य सरकार एक यूनीफार्म पॉलिसी बनाये लेकिन जिलाधीश अपने अपने जिलों में अलग अलग तरह के फैसले कर लेते हैं, कोई गांवों का कर लेता है, तो कोई शहरों का कर लेता है। आपने एक जनरली कह दिया कि गांवों में जो सीमेन्ट बाटेंगे वह 69 पर्सेन्ट बाटेंगे······

श्री शिवचरण माथुर : 65 पर्सेन्ट।

श्री रामकिशन : हां 65 पर्सेन्ट होगा। इसमें कुछ ऐसा ही दीख रहा है। तो 65 पर्सेन्ट के लिए आपने कहा है। इसमें आप स्कूलों को अलग कर दो, हॉस्पिटल को अलग कर दो, पीने के पानी के लिए कुओं को अलग कर दो और कभी कभी जो हरिजन लोग हैं, मैं उन हरिजनों की बात

(श्री रामकिशन)
नहीं करता जो कि अपने आपको जाटव कहते हैं बल्कि मेहतरों के लिए बात करता हूं। इसके लिए राज्य सरकार ने कहीं कहीं पैसा दिया है। एक एक पंचायत समिति में दो दो गांवों को चुना गया है गांधी शताब्दी के अब उनके लिए पैसा दिया है तो उनको सीमेन्ट तो दे दो। हरिजनों की हैसियत तो नहीं है। पहले जो मकान बनवाना चाहते हैं वह भी गिर जायेंगे। हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए कि गरीब आदमी कहीं निगाह से बच न जायें। जितनी मदद कर सकें उतनी मदद करने की कोशिश करें।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मनोहरलाल जी जो कामा से आते हैं उन्होंने एक मामला उठाया था। वह उत्तेजना में वह गये और सदन उनकी बातों को समझा नहीं। कामा तहसील में तीन-चार गांव हैं माधोगढ़, टीटवा, नकबपुर यहां पर शरणार्थी लोग रहते हैं। इन लोगों से जो लेवी लेनी थी वह वसूल कर ली। उसके बाद उनके घरों से गेहूं-लाये। 12-12 क्वि. गेहूं अधिकारी लोग ले आये। उनके पास 20 क्वि. से ज्यादा नहीं है लेकिन वह 12-12 क्वि. ले आये और कहा कि लेवी की कीमत का पैसा लो क्योंकि अधिकारी कहते हैं कि यह हमारे खाने के लिए चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि जब सरकार ने आदेश कर दिये कि 20 क्वि. रखने के बाद किसान किसी भी कीमत पर बेच सकता है तो इनके साथ न्याय होना चाहिए। राज्य सरकार को छोटी छोटी बातों के ऊपर तवज्जोह देनी चाहिए। मैं राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में चाहूंगा कि इसकी जांच कराये और जिस अधिकारी ने गलत काम किया उसको सजा मिलनी चाहिए।

एक जानकारी और मिली है राज्य सरकार ने आदेश दिये थे कि लेवी के बाद 20 क्वि. से ज्यादा गेहूं नहीं रख सकेंगे। जब हम कांग्रेस का नाम लेते हैं तो दूसरे सदस्य खड़े नहीं होंगे तो जोधपुर से जो सदस्य आते हैं दीपंकर जी वह एकदम खड़े हो जायेंगे। नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है क्योंकि आपके ऊपर राज्य की जिम्मेदारी है बनिस्बत हमारे। आप भरतपुर के कई केसेज ऐसे देखेंगे कि कांग्रेस के लोगों ने जो आर. ए. सी. और पुलिस है लेवी के दिनों में 20 क्वि. से ज्यादा नहीं रख सकते थे फिर गेहूं कैसे बेचा है और ऊंची कीमत पर बेचा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय सदस्य महोदय आप मन्त्री महोदय से यह तो पूछो कि आपके यहां व्यापारियों ने 7-7 क्वि. ही लेवी दी है और आप वकालात करते हैं बिड़ला की। आपके यहां व्यापारियों की क्या स्थिति थी और सबसे कम आपके यहां ही कैसे वसूली हुई ?

श्री रामकिशन : आपकी बुद्धि जैसी तीव्र मेरी हो जाये तो इस देश का कल्याण ही हो जायेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं आपको सब कुछ दे सकता हूं बुद्धि नहीं दे सकता।

श्री रामकिशन : अगर आपकी बुद्धि ले ली जाय तो राजस्थान का नाश ही हो जायगा क्या आप में इतनी हिम्मत है कि श्री योगेन्द्रनाथ जी के कारखानों को छोड़ कर बाकी सारे कारखानों को सरकार नष्ट कर दे। करे तो जरा। मैं यहां बात कर रहा हूं उत्पादन की और

(श्री रामकिशन)

ये जोड़ रहे हैं बिडला मे, मुझे ताज्जुब होता है कि यहां व्यापारियों से लेवी लेने के बारे में बड़ा लम्बा भाषण था कि इतना अनाज इकट्ठा हो जाएगा, उस समय भी मैंने कहा था कि राज्य सरकार तो एक छटांक अनाज इकट्ठा नहीं कर पायेगी। यहां विधान सभा में मेरा भाषण हुआ था। यहां बड़े जोरों से कहते रहे कि दस किलो दो और बारह किलो दे दो लेकिन देते कहां से जब अनाज होता ही नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

वह बिलकुल अव्यवहारिक योजना जिसको आपको छोड़ना पड़ा और भरतपुर में 60 हजार क्विन्टल अनाज इकट्ठा नहीं हो सकता

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस समय अन्तर्राष्ट्रीय स्तिथि का जिक्र नहीं करना चाहता था कि, मैंने सारी बातें छोड़ दी हैं लेकिन चूंकि आपने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का जिक्र किया तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप इस भ्रम में नहीं रहें। जब कभी भी महंगाई की बात आती है तो ऐसा जिक्र जरूर कर देते हैं कि कीमतें बढ़ गई तो इसका कारण अन्तर्राष्ट्रीय होता है। अभी माननीय विश्नोई जी ने भी जिक्र किया कि युद्ध के कारण कीमतें बढ़ गई कितने दिन युद्ध चला, केवल 16 दिन का युद्ध और 16 दिन के युद्ध के परिणाम स्वरूप यदि महंगाई बढ़ गई इतनी तो वियतनाम जो एक बहुत छोटा सा देश है, राजस्थान से भी काफी छोटा देश है जो दस साल से अमेरिका से लड़ रहा है, छः साल तक फ्रांस से लड़ा और चार साल तक जापान के साथ लड़ता रहा है। अगर 16 दिन के युद्ध से शिवचरण जी माथुर और इन्दिरा गांधी यह समझती हैं कि युद्ध के कारण इतनी कीमतें बढ़ गई तो वियतनाम में जितना युद्ध चला तो उसके हिसाब से तो वहां पर एक मण चावल की कीमत एक लाख रुपया होनी चाहिये थी लेकिन वहां पर इतनी कीमतें नहीं हैं। अगर आप समझते हैं कि युद्ध के कारण कीमतें बढ़ी हैं तो आप देखें कि आज वहां पर वास्तव में चावल के भाव क्या हैं, मछली के भाव क्या हैं, तेल के भाव क्या हैं? कीमतें बढ़ने का यही कोई एक मात्र कारण नहीं है। युद्ध के कारण कीमतें बढ़ती हैं तो यह उसका एक आंशिक कारण जरूर है। कीमतें बढ़ने का मुख्य कारण मुद्रा का प्रसार है, आपकी गलत योजनाएं हैं, अनुत्पादक कार्यों में पैसा लगाने का परिणाम है जिसके कारण सारे देश में महंगाई बढ़ रही है। दुनिया के सारे देशों में जितनी महंगाई बढ़ी है उसका पर्सेंट पांच पांच पर्सेंट है, जापान में ढाई पर्सेंट है, यहां तक कि बंगला देश की महंगाई बढ़ने की दर भी 30-32 पर्सेंट हैं जब कि हिन्दुस्तान में महंगाई बढ़ने की रफ्तार 47 पर्सेंट है। इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ने का कारण सरकार की अपनी गलत नीतियां हैं और गलत नीतियों के परिणाम से ही यह महंगाई इतनी बढ़ी है।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर में तीन किलो अनाज बटवाना शुरू कीजिए जिस प्रकार की राज्य के

(श्री रामकिशन)

अन्य हिस्सों में आप तीन किलो के हिसाब से बांट रहे हैं । यह तीन किलो अनाज भरतपुर में बंटवाना आपने शुरू नहीं किया तो यहां मैं आपको इतनी चेतावनी दे देना चाहता हूं कि वहां पर लेवी जो वसूल हुई है वह दूसरे हिस्से में नहीं जा सकेगी । उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर में करीब करीब अकाल हो गया, सर्दी से फसल नष्ट हो गई, जिले के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ गई, अब इस स्थिति के बाद भी यदि सरकार तवज्जोह नहीं देती है तो हमको दूसरी बात सोचनी पड़ेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रसंग तो नहीं है लेकिन फिर भी कह देना पड़ता है कि पूर्वी इलाकों की उपेक्षा क्यों होती है । पूर्वी जिलों में अकाल पड़ जाय, बाढ़ आ जाय, सर्दी से फसल नष्ट हो जाए, बम्बार्डमैन्ट हो जाय तो कोई दिक्कत नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है । आखिर इसका कारण क्या है ? इस कारण को दुरुस्त करवाने के लिए अगर आपने दृष्टिकोण नहीं बदला तो यह हाईकोर्ट का प्रश्न नहीं हैं, यह रोटी का सवाल है, इस प्रश्न पर लोगों की भावना दूसरी होगी । लोग यह कहते हैं कि जैसी सर्दी भरतपुर में पड़ी अगर राजस्थान के दूसरे किसी हिस्से में पड़ती तो सरकार उनकी मदद करती है । जैसी सर्दी अलवर में पड़ती सवाई माधोपुर और जयपुर में पड़ी थी और जितना नुकसान हुआ था उस हालत में मदद करना तो दूर रहा लेकिन डण्डे के जोर पर पुलिस की मदद से लेवी वसूल की गई है । लेवी वसूल करने में किसानों को अपमानित किया गया है, लोगों को तंग किया गया है, छोटे किसानों के साथ जुल्म किया गया है और जिस तरह का व्यवहार किया गया है ऐसा व्यवहार शायद इतिहास में किसी राज्य सरकार ने किसानों के साथ शायद ही किसी ने किया होगा। उत्पादन करने वालों को हर देश मुहब्बत करता हैं, सहायता देता है लेकिन राजस्थान की स्थिति भिन्न है ।

इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि खाद्य के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है तो मैं भी कुछ नहीं कहूंगा । इस नोट में यह नहीं बताया गया है कि कितना अनाज दियाजाएगा, वितरण व्यवस्था क्या होगी । सिर्फ इतना बता दिया कि इतनी चीनी आ रही है, इतना तेल आ रहा है, इतना डालडा आ रहा है, इतनी सीमेंट आ रही है लेकिन भविष्य के लिए इस नोट से कुछ पता नहीं लगता । एक बात माननीय गुमानमलजी ने कही कि शिवचरणजी माथुर ने बड़ी चतुरता से काम लिया है, क्योंकि खाद्य पर बहस होगी इसलिए यह नोट भेज दिया गया है । इसमें या तो आपकी तथ्यों की छिपाने की तबियत थी या आप समझते थे कि वास्तविक स्थिति को आप प्रगट करना नहीं चाहते थे, यह हाउस का अपमान है । हमारे दिल में आपके प्रति कोई दुर्भावना की बात नहीं है । हमारे और आपके मन में समान रूप से दर्द है । मैं आपको अलग करके नहीं चलता यह बात दूसरी है कि आपकी पोलिटिकल थिंकिंग दूसरी है, तस्करी के धन्धे को आप बढावा देते हैं तो इसके पीछे आपके अपने कुछ कारण हैं, चुनावों में चन्दा देते हैं, यह सब बातें हो सकती हैं लेकिन जहां तक जनता के दुःख दर्द का सवाल है, आपके मन में भी दर्द है लेकिन अपनी मजबूरियों से उनको बढावा देते रहते हैं ! अगर आप वास्तव में इस पर विचार करना

(श्री रामकिशन)
चाहते थे तो पहले नोट वितरित करते, अगर अकाल पड़ गया तो इसका क्या इलाज करेंगे, बाढ आ गई है वहां पर क्या करेंगे, इन सब बातों को आपने छोड़ दिया है। यह बड़ी असंतोषजनक स्थिति है। राज्य सरकार को शांति से सोचना चाहिए कि हम इस पर किसी तरह से रास्ता निकालें। बस इतनी ही बात मुझे कहनी है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चिम्मनसिंह भाटी !

(अनुपस्थित)

श्री दलपतसिंह !

श्री दलपतसिंह (खारची) : उपाध्यक्ष महोदय, रसद विभाग की ओर से ·····

(व्यवधान—अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री दलपतसिंह : जो यह विवरण हमको दिया गया है उसमें यह बताया गया है ···

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऑन ए पोइन्ट ऑफ परम्परा····ट्रेडीशन···कन्वेंशन। यहां इस सदन की परम्परा के आधार पर अर्ज करना चाहता हूं। जो कोई भी सदस्य नए आयें उनको पहले मौका दिया जाना चाहिए। माननीय सदस्य किशोरीलालजी प्रथम बार यहां आए हैं। वे खड़े होना चाहते थे बोलने के लिए, मैं प्रार्थना करूंगा कि सदन भी उनको सुनना चाहता है, पहले उनका बोलने की आज्ञा प्रदान करें।

श्री दलपतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो विवरण, यह नोट रसद विभाग की ओर से हमको दिया गया है उसमें बताया गया है कि यह जो नीति केन्द्रीय सरकार की थी पहले व्यापारियों से लेवी लेने की और उसके बाद में काश्तकारों से लेवी लेने की इसके तहत हमने काम किया है और इस नोट में यह बताया गया है कि राज्य सरकार ने इसकी अमलदारी उनके कहने से की। लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस नीति की इम्प्लीमेंटिंग एजेन्सी जिस नीति की क्रियान्विति की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, अगर इसमें कुछ अच्छाई है या इसमें बुराई है या गल्तियां रह गई तो इसका श्रेय और जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

(व्यवधान-कई मा. सदस्य आपस में बातें करते रहे)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य !

श्री दलपतसिंह : उसकी अच्छाई का श्रेय और अगर उसमें गल्ती रह जाय तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। सरकार ने पहले व्यापारियों से लेवी लेने की कोशिश की जिसमें सरकारी मशीनरी बिल्कुल असफल रही। असफल रहने के बाद सरकार ने यह घोषणा कर दी कि अमुक तारीख तक काश्तकार अपने पास निर्धारित मात्रा में गेहूं रख सकता है इसके बाद में उसके पास अगर निर्धारित मात्रा से गेहूं ज्यादा होगा तो उसको जब्त किया जाएगा। इसकी तामील में काश्तकारों ने अपना गेहूं बेच दिया। बेचने के बाद में सरकार ने निर्णय किया कि काश्तकारों से लेवी वसूल की जाय यह निर्णय बिल्कुल न्यायसंगत नहीं है और ऐसा करने से काश्तकार परेशान होता है लेकिन सरकार की भी मजबूरी थी, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था।

(व्यवधान—अश्रव्य)

(श्री दलपतसिंह)

हमने समर्थन इसलिए किया कि यह राष्ट्रीय फर्ज है इसलिए समर्थन करना चाहिए। शहरी जनता को अनाज देना पड़ता है और हमने इस जिम्मेदारी को समझा है कि जब कि गांव वालों ने सस्ता अनाज सरकार से लिया है, जब उनके पास थोड़ा बहुत अनाज है तो वह अपना फर्ज निभायें और उन्होंने फर्ज समझ कर ही बड़ी खुशी से काश्तकारों ने अनाज दिया है। और जहां तक मेरी जानकारी है कि किसी प्रकार का सरकार द्वारा बल प्रयोग या पुलिस की इमदाद लेने की जरूरत नहीं पड़ी। सौ में से नव्वे फीसदी काश्तकारों ने लेवी बड़ी खुशी से दी है। हालांकि काश्तकारों के पास अनाज नहीं था और बहुत से काश्तकारों ने अपना खाने का जो अनाज था उस अनाज में से लेवी दी है बहुत से किसानों ने अपने बीज के अनाज में से लेवी दी है और बहुतों ने खरीद कर अनाज सरकार को लेवी के रूप में दिया है। इसमें एक बात और बता देना चाहता हूं, रेवेन्यू रिकार्ड में यह दर्ज किया गया कि शीत लहर से इतना नुकसान हुआ और खास तौर से पहाड़ी इलाके में हमेशा शीत लहर से नुकसान होता है, यह रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज है, उसका भी ख्याल न रख कर इन लोगों से वसूली की गई और वह बड़ी परेशानी हुई ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जहां काश्तकारों ने इस प्रकार से सरकार को लेवी दी है। उन्होंने इस अवसर पर अपना एक राष्ट्रीय फर्ज समझा और इसको पटवार सर्किल पर जाकर उन्होंने लेवी तुलवाई।

(विराम)

किन्तु खेद का विषय यह है कि जिस धारणा से सरकार को काश्तकारों ने लेवी दी है उस भावना के आधार पर सरकार ने घोषणा की कि काश्तकारों को, लेवी देने वाले काश्तकारों को सीमेन्ट मिलेगी, उर्वरक मिलेंगे, केरोसीन मिलेगा....

इसका कोई ख्याल नहीं रखा गया है। वह मिलना बड़ा मुश्किल है। जिन काश्तकारों ने लेवी दी है, वह लेवी पटवार सर्किल या पटवार में जाकर दी है। पटवारी के पास जाकर धान तुलवाया है। उर्वरक, खाद, केरोसीन लेने के लिए उसे तहसील हैडक्वार्टर पर जाना पड़ता है और एक तरह से दो-तीन दिन उसको रुकना पड़ता है। यह जो घोषणा की गई है उससे उसको परेशानी बढ़ गयी है और उसको उतना ही पैसा देना पड़ता है जितना कि ब्लैक मार्केट में देना पड़ता है।

दूसरी बात यह है कि बहुत सी जगह जितना टारगेट रखा गया था उतनी लेवी की वसूली हो गई है। लेकिन खेद है कि सरकारी मशीनरी ने कतई ख्याल नहीं किया पब्लिक रिप्रजेन्टेटिव का जो ग्रामीण मुखिया लोग है उन से परामर्श नहीं किया गया। अगर परामर्श लिया गया होता तो ज्यादा लेवी वसूल होती। किसी सरपंच, एम. एल. ए. तक को किसी ने नहीं पूछा और मनमाने ढंग से वसूली लेवी की करते रहे। यह प्रचार कर रहे थे कि राष्ट्रीय संकट के समय सरकार को अनाज दिया जाए। उन्होंने अनाज दिया। बहुत से एम. एल. एज. से कलेक्टर तक ने मिलने से अवाइड किया है। छोटे छोटे काश्तकारों से जो थोड़ी लेवी जबरन वसूल की गई इसलिये वह जरूरत से ज्यादा परेशान हो गया और बजार भाव से 160 रु या क्विन्टल के भाव से खरीद कर 105 रुपया क्विन्टल के भाव

(श्री दलपतसिंह)

वह अनाज उसने सरकार को दे दिया इस प्रकार लेवी के मामले में थोड़ी बहुत सरकार की तरफ से सख्ती की गई। यह सख्ती नहीं की जाती और ग्रामीण नेताओं, प्रधानों सरपंचों, एम. एल. ए. से सहयोग लिया जाता तो ज्यादा लेवी सरकार को मिलती और सहूलियत से मिलती।

आवश्यक वस्तुओं के वितरण के बारे में शिकायत सबको है। इसके बारे में दो चार शब्द अर्ज कर देना चाहता हूं। जहां तक चीनी का सवाल है गांवों में चीनी बहुत कम मिलती है। ऐसी बात नहीं है कि गांवों में कतई नहीं मिलती है। बहुत से गांवों में सरपंच कम तवज्जह देते हैं तो वहां पर दिक्कत है। और चीनी की मात्रा कभी पूरी नहीं मिलती है। कभी कभी चीनी जरूर मिल जाती है। इसमें जो डीलर लोग हैं, ऑफिसर हैं वे हर तरह की गड़बड़ी करते हैं और जितनी चीनी मिलनी चाहिये वह नहीं मिलती है।

वस्त्र वितरण के बारे में भी इस नोट में बताया गया है। प्रायः गांव में किसी को भी सस्ता कपड़ा नहीं मिलता है। तहसील हैडक्वार्टर पर मार्केटिंग सोसाइटी बनी है।

कभी कभी दो चार गांठें आ जाती हैं और प्रभावशाली लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। काश्तकारों को इस प्रकार का वस्त्र अभी तक नहीं मिला है।

(समय-समाप्ति सूचक-घंटी)

अभी तो पांच मिनिट ही हुए हैं। उचित मूल्य की दुकानों का सवाल है। मेरे ख्याल से कोई उचित मूल्य की दुकान नहीं दिखाई दी जहां से कोई आदमी सस्ते मूल्य पर जरूरी चीजें खरीद सके। इसमें वितरण समितियों का जिक्र किया गया है और यह बताया गया है कि 1507 ऐसी समितियां हैं जो कि वितरण का कार्य करती हैं। मेरे ख्याल में हमारे जिले में ऐसी कोई समिति नहीं है हमारे ब्लॉक में भी ऐसी समिति नहीं है जो कि इस काम को देखती है।

सीमेन्ट के बारे में हालत यह है कि काश्तकारों को सीमेन्ट नहीं मिल रही है और ब्लैक मार्केट से सीमेन्ट उसको खरीदना पड़ती है। प्रभावशाली लोग थोड़ी बहुत सीमेन्ट ले आते हैं।

गांवों में केरोसीन के बारे में सबसे ज्यादा मुश्किल है। एक तरह से गांवों के अन्दर केरोसीन का अभाव है। केरोसीन की एक बोतल, दो दो रुपये, ढाई रुपये में बिकी है। मिट्टी के तेल की व्यवस्था गांवों में कतई नहीं है। इस प्रकार आवश्यक वस्तुओं के अभाव से ग्रामीण जनता में असन्तोष है। राज्य सरकार इस ओर तवज्जह देने की कोशिश करे ताकि शहरों के लोगों के अलावा गांव के लोगों को भी कुछ राहत मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल।

श्रीमती निर्मलाकुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी समय दिया जाये।

श्री मीठालाल : अगर पहले आप बोलना चाहें तो बोल लें। मुझे आपत्ति नहीं है।

श्रीमती निर्मलाकुमारी : मीठालाल जी समय देना चाहते हैं। पहले मुझे समय दे दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप नहीं बोलना चाहते हैं।

श्री मोठालाल : उपाध्यक्ष महोदय, गत बार गेहूं का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसका जो कदम उठाया गया था, उस समय भी हमने यह कहा था कि आपकी यह नीति जो आप अपना रहे हैं, यह नीति सफल नहीं होगी क्योंकि न तो आपके पास ईमानदार अधिकारी हैं और न ही कोई सही मशीनरी है जो कि राष्ट्रीयकरण को सफल बना सके। यह नारा उस समय लगाया गया था कि बिरला, टाटा के कारखाने बन्द कर दो, उनका राष्ट्रीयकरण कर दो, सीमेन्ट के कारखाने का राष्ट्रीयकरण कर दो। केशोराय पाटन के शूगर कारखाने का क्या हाल है, यही आप देख लीजिये। सरकार ने अपनी इस गेहूं राष्ट्रीयकरण की नीति का प्रचार करने के लिये लाखों रुपया पेम्फलेट, पोस्टर में खर्च कर दिये। कहा गया गल्ले का व्यापार बहुत अच्छा है। इतना गल्ला इकट्ठा किया जाएगा। उस समय भी मैंने यह निवेदन किया था सरकार से कि आपकी यह नीति असफल होगी। इसके अतिरिक्त गत सत्र में खाद्यान्न का समस्या के बारे में चर्चा हुई थी और व्यापारियों से लेवी वसूली का कानून बनाया गया था। हमने उस समय भी कहा था यह कानून सफल नहीं होगा और सरकार को व्यापारियों से लेवी नहीं मिलेगी। इसका भी कारण है। सदस्यों ने यह दलील दी थी कि प्रधानमंत्री की व्यापारियों से बात हुई और उन्होंने लेवी देने का आश्वासन दिया था। अब व्यापारी लेवी देने से मुकर गये हैं। प्रधान मंत्री से व्यापारियों की यह बात जून, 73 में हुई थी। उस समय गेहूं का बाजार मूल्य इतना नहीं था। आज यह 160-165 तक पहुंच गया है। जिस समय व्यापारियों ने यह बात कही थी उस समय सरकार ने गेहूं 80-82 प्रति क्विन्टल के हिसाब से खरीदा था और 90-92 उपभोक्ताओं को वह वितरित किया था उसी गेहूं का भाव सरकार ने 128-138 कर दिया और इस हिसाब से वही गेहूं सस्ते दर की दुकानों से उपभोक्ताओं को बेचा जा रहा है इसके अतिरिक्त जो उत्पादन था उसमें भी बीस लाख टन की कमी थी। व्यापारियों से लेवी लेने का कानून बनाया गया। व्यापारी से आप लेवी वसूल करेंगे। जो व्यापार करेगा उससे लेवी लेंगे। परन्तु जो व्यापारी गेहूं का व्यापार नहीं करता है वह लेवी कैसे देगा इसके अतिरिक्त इस राष्ट्रीयकरण के मामले पर, पार्लियामेंट में हमारे केन्द्रीय खाद्य मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम साहब ने भी यह कहा है कि यह लेवी की नीति, व्यापारियों से लेवी लेने की नीति आगे जाकर सफल नहीं होगी। इसलिये इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। यह धारणा है कि आगे जाकर राष्ट्रीयकरण की नीति के सम्बन्ध में वे परिवर्तन करेंगे, करना पड़ेगा और राष्ट्रीयकरण के बारे में दुबारा सोचना पड़ेगा विदेशों से भी अनाज लावेंगे ऐसी कौन सी स्थिति है कि आप अपने उपभोक्ताओं को सही तरीके से वितरण कर सकेंगे। इतना उत्पादन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इसका एक मात्र उपाय है उत्पादन को बढ़ाना। तभी जाकर गल्ले के सम्बन्ध में खाद्यान्न के सम्बन्ध में आप सफल हो सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मामला यह आ जाता है कि देश के 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और 20 प्रतिशत शहरों में रहते हैं, लेकिन आज किसी विभाग को देख लें। विकास का काम शहरों में गांवों की अपेक्षाकृत अधिक किया जाता है। जबकि लेवी गांवों में ली जा रही है लेकिन अनाज का बंटवारा, वितरण शहरों में किया जायगा।

(श्री मीठालाल)
कोई भी विभाग का अगर विकास का काम होता है तो वह शहरों में होता है। गांवों के विकास के मामले में राशि नहीं देंगे और विकास राशि को वितरण के मामले में गम्भीरता में नहीं सोचेंगे जब तक किसानों का उत्थान नहीं होगा। किसानों और गांवों में जागृति नहीं आयेगी तब तक उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी, और उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी तो आपकी यह खाद्य-समस्या हल नहीं हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, गेहूं के या उत्पादन के किसी भी मामले में आपकी नीति जब तक सफल नहीं होगी जब तक कृषि के साथ कोई उद्योग नीति नहीं अपनाई जावेगी। जैसे कि आप उद्योगों को दो पैसे से साढ़े सात पैसे तक बिजली देते हैं उसी तरह से जब आप कृषि को भी अन्य उद्योगों की तरह सुविधायें क्यों नहीं देते जैसे उद्योगों को उद्योग मानते हैं उसी तरह से खेती को भी उद्योग मानिये। कृषि को जब तक उद्योग की श्रेणी में नहीं गिनेंगे, तब तक खेती का विकास नहीं हो सकता है। आज आप उद्योगों को दो पैसे से साढ़े सात पैसे पर यूनिट विद्युत् देते हैं और खेती में 12 पैसे से लगाकर 32 पैसे प्रति यूनिट तक देते देते है। यह फर्क क्यों? उद्योगों के विकास के लिए अलग अलग आयोग बने हुए हैं उसी तरह से कृषि के लिए भी बनें।

एक माननीय सदस्य : खेती को उद्योग मानेंगे तो सेल्स टैक्स लिया जायगा।

श्री मीठालाल : कृषि आयोग में किसी किसान को भी सदस्य बनाया है? उद्योग मण्डलों में हर प्रकार का मिल मालिक सदस्य बन सकता है मगर कृषि आयोग में या मूल्य आयोग में एक किसान को भी सदस्य नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता है?

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, किसी प्रकार के झगड़ों के मामलों में उनका कोई सही न्याय, न्यायाधिकरण नहीं होता है। उद्योगों में झगड़ा होने पर जैसे तीन पार्टियां होती हैं—सरकार, उद्योगपति और श्रमिक, और तीनों मिलकर उस पर निर्णय लेते हैं, तीनों मिलकर उस पर फैसला करते हैं, लेकिन न तो मूल्य आयोग में और न कृषि आयोग में कोई किसान सदस्य है। आज उसके बारे में कोई निर्णय लेते हैं तो सरकार केवल अपने बूते पर लेती है।

एक माननीय सदस्य : कृषि आयोग के अध्यक्ष श्री नाथूराम जी मिर्धा हैं, वह किसान हैं।

श्री मीठालाल : उनको आप भी जानते हैं कि किसान कितने हैं और पानी चोर कितने हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसका एक उदाहरण है कि कृषि आयोग में या कृषि के बारे में जो सोचने वाले हैं जिनको सरकार ने पद पर बैठा रखा है वह पाश्चात्य सभ्यता में प्राप्त होने वाले तरीकों से सोचते हैं। आज जो हमारे किसानों हालत की है उसमें वे नहीं नहीं सोचते हैं। आज किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने क्या दे रखा है। न उनको समय पर सीमेंट मिलता है, न खाद मिलता है, न बीज मिलता है। गत साल जब गेहूं का मूल्यांकन हुआ तब 135 रुपया प्रति क्विन्टल खर्चा मूल्य आयोग ने इसका निर्धारण किया था जब 135 रुपया प्रति क्विन्टल के हिसाब से गेहूं का मूल्य निकाला, लेकिन किसान से आपने 105 रुपया में लेना

(श्री मीठालाल)

चाहा। आखिर किसान कहां से देगा, और अगर दे भी देगा तो उसके बाद में खेती का क्या विकास कर सकेगा, अपने परिवार का किस तरीके से पालन कर सकेगा, यह सरकार ने नहीं सोचा।

लेवी के मामले में किसानों के साथ में क्या क्या अन्याय और अत्याचार नहीं हुए यह कई माननीय सदस्यों ने नहीं बताया। उसके लिए राज्य सरकार पर केन्द्रीय सरकार का दबाव था कि किसी तरह से लेवी वसूल करके सरकार को दे नहीं तो केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार को खाद्यान्न को कोई कोटा नहीं देगी। गेहूं का कोटा भी अगर लेवी वसूल नहीं करेंगे तो नहीं देगी। सरकार के दबाव से नीचे के अधिकारियों ने किस तरह से लेवी वसूल की, यह कम ही सदस्य जानते हैं अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करके उसने किसानों को लूटा। वे गांवों में गये, उनके साथ आर. ए. सी. जाती थी, ट्रक जाता था, वायरलैस गाड़ी में लगा होता था और गांवों से जाते ही वे किसानों के साथ मार पीट करना शुरू कर देते थे और जिन पर लेवी नहीं लगती थी उनसे भी वसूल कर लेते थे। उनके खाने का गल्ला रखा था उसको उठा लाये। इस तरह का तहलका मचा दिया और जो किसान लेवी नहीं देते थे उनको हथकड़ी डालकर सभी जगह घुमाया जाता था लेवी में इस तरह से अन्याय किया है यह शायद स्वतन्त्र भारत के इतिहास में मुश्किल से मिलेगा। किसानों ने जब गेहूं निकाल दिया तब आप जबरदस्ती लेवी वसूल करना चाहते हैं। सरप्लस जिलों से लेवी लेनी थी फिर जयपुर जिले में लेवी क्यों वसूल की गई। इसके लिए अगर कोई दोषी अधिकारी है तो उनके खिलाफ उचित कार्यवाही करना चाहिए ताकि सरकार के प्रति जनता में दूषित भावना न फैले।

इनकी वितरण प्रणाली के बारे में माननीय सभी सदस्य जानते हैं कि जितनी भी सस्ते गल्ले की सरकारी दुकानें हैं या व्यापारियों की दुकानें हैं उनको कितना कमीशन मिलता है। उनको इतना कमीशन देते हैं कि उनकी दुकान का भाड़ा और दुकान का खर्चा ही नहीं पूरा होता है फिर वह कैसे अपना गुजारा कर सकते हैं। वे अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। सोसाइटियां इसी वजह से कोटा नहीं उठा रही हैं, क्योंकि वे नाजायज तरीके से पैसा नहीं दे सकती हैं। जो दुकानों को कमीशन दिया जाता है उसको बढ़ाया जाय, नहीं तो इन दुकानों में भ्रष्टाचार चलेगा। जब तक हम कमीशन के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक यह रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, वनस्पति घी के बारे में मैंने गत बार सदन में प्रश्न उठाया था कि कुछ वनस्पति घी के मिल मालिक स्टे ऑर्डर हाईकोर्ट से ले आये और वे राजस्थान से बाहर घी भेज रहे हैं। कुछ जयपुर के मिल मालिक ऐसे थे जो कि स्टे ऑर्डर नहीं लाये थे कुछ मिल तो ऐसी थीं जो कि राजस्थान से बाहर भेज सकती थी और कुछ मिल ऐसे थे जो जयपुर के बाहर नहीं भेज सकती थी जिन दिनों वे मिल मालिक हाईकोर्ट से स्टे ले आये तो उन्होंने राजस्थान तो दूर जयपुर में भी घी नहीं दिया और राजस्थान के बाहर भेज रहे हैं। जायज बात तो यह थी कि जब भीलवाड़े और चित्तौड़गढ़ की मिलों को इजाजत दे चुके थे तो

(श्री मीठालाल)

जयपुर में क्यों नहीं दी। आप कानून में सुधार कर सकते थे लेकिन सरकार अपनी जिद् पर बनी रही और वह भी स्टे ऑर्डर ले कर आ गये और उन्होंने घी राजस्थान में ही नहीं बल्कि राजस्थान के बाहर भेज दिया।

अब आप एक नया कानून लाने जा रहे हैं वनस्पति के बारे में। यह सत्र 21 तारीख को समाप्त हो रहा है तो आज यहां यह बता दें कि वनस्पति घी के वितरण के मामले में आप जो कानून ला रहे हैं उसका ब्यौरा क्या है। इससे यह जाहिर होगा कि उपभोक्ताओं को क्या सुविधाएं मिल सकेंगी। वह वितरण का ब्यौरा बता दें ताकि उपभोक्ताओं को वनस्पति घी मिल सके।

चीनी के मामले में पहले आप 325 ग्राम पर व्यक्ति प्रति माह देते थे अब वह काट कर 300 ग्राम कर रहे हैं। क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने कटौती इस मामले में कर दी है। कितनी शिकायतें आपके अधिकारियों के पास आती हैं? एस. डी. ओ. के पास आती हैं। उसके बाद वह सारी की सारी गायब हो जाती हैं। इसी प्रकार से जन प्रतिनिधियों की मीटिंग का आपने ढिंढोरा पीट रखा है। कहीं होती नहीं हैं। दिनों दिन अधिकारी लूट में अपना हिस्सा बंटा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सीमेन्ट के मामले में बहुत कमी सीमेन्ट का रेट भी बढ़ा दिया है। कुछ दिनों पहले मिल भी रहा था। आपने 65% किसानों को देने की घोषणा कर दी है। लेकिन कितनों को मिल रहा है। एक तरफ आप रेट बढ़ाने की बात कहते हैं। दूसरी ओर आप कहते हैं कि किसानों को पुरानी रेट में ही दिया जायेगा। उसके बाद वह रेट भी चली गई। आप देखते है कि सीमेन्ट में आपको ज्यादा पैसा मिल सके। वितरण प्रणाली में धांधलेबाजी चल रही है। उसके बारे में सुधार नहीं करेंगे तब तक सीमेन्ट किसानों को मिल नहीं सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आज तक जिला अधिकारी ने सीमेन्ट के जितने भी परमिट काटे हैं, वह लालसोट न जाकर जयपुर में ही बिके हैं। विकास अधिकारी ने लालसोट के काटे हैं। लेकिन वह जयपुर में उठाये गये हैं। लालसोट में एक भी कट्टा लिया गया हो तो मैं चेलेंज करता हूं। जिनको अलॉट किया जाता है, तो स्थानीय एजेण्ट हैं, वह उनका परमिट खरीद लेते हैं। उनको पैसा दे देते हैं। इस प्रकार से जरूरतमन्द किसान को सीमेन्ट नहीं मिल पाता है। उपाध्यक्ष महोदय, जिन्होंने कच्चे कुवे खोदे थे, उनका दिनों दिन नुकसान हो रहा है। इसलिए अधिक से अधिक सीमेन्ट की व्यवस्था लालसोट के लिए करें अन्यथा किसानों का भारी नुकसान हो जायेगा।

इसके अलावा चीनी और वस्त्र के बारे में या सीमेन्ट के कोटे के बारे में ले लें। सीमेन्ट किसी में 30, किसी में 35 और किसी में 40 किलो उतरती है। इसकी पहले भी शिकायत की है। क्या सरकार ने इस बारे में जांच की है। लालसोट के जिस व्यक्ति के बारे में शिकायत आई तो उसका क्या हुआ? उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कैरोसिन ऑइल के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। जिनको मिलता है उनको खूब मिलता है। जिनको चाहिए उनको नहीं मिलता है। इसी प्रकार से सरकार खाद के बारे में डींग मार रही है। लालसोट में 3 पावरिन ट्रैक्टर चलते हैं। पावरिन कैरोसिन

Page No 79

79

(श्री मीठालाल)

और पैट्रोल को मिलाकर बनता है। उनको एस. डी. ओ. ने कहा है कि हमको इतनी ही कोटा मिलता है। ब्लैक से जितना चाहे ले लो। शिकायत की कि ब्लैक में बिक रहा है तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं। खेती के काम के लिए मांगते हैं तो फरमाते हैं कि केरोसिन तेल नहीं है। ब्लैक करने के लिए हजारों लीटर तेल मिल जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि खेती के मामले में जो ट्रैक्टर हैं, उनके लिए स्पेशल व्यवस्था करें। आपने गतबार हजारों टन ज्वार, बाजरा, मक्का वगैरह मंगा लिया। बाजरा यू. पी. से 133 रु. में मंगाया। मैं चाहता हूं कि आप कभी एक पार्टी से कभी दूसरी पार्टी से 133 रु. में बाजरा ले रहे हैं। यह प्राईवेट संस्थाओं के मार्फत मंगा रहे हैं। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से मंगा सकते थे। सरकार ने यह नियम बनाया था कि दो बोरी बाजरा के साथ में एक बोरी चावल बाहर भेज सकते है। मैं भी मानता हूं। लेकिन कुछ दिन पूर्व बाम्बे के लिए एक आदमी को 40 हजार का परमिट दिया गया। जबकि कानून दो बोरी बाजरे के साथ में एक बोरी चावल भेजने का था। फिर 40 हजार बोरी कैसे चली गई। इसी तरह से हनुमान सहाय चौधरी के बारे में भी है। उसके पास में जो नं. 2 के खाते थे उनमें जो रसद विभाग के अधिकारी, ट्रांसपोर्ट के आदमी हैं। सभी विभागों के आदमियों के नाम हैं। प्रभावशाली आदमियों के नाम हैं। उन आदमियों के नाम बता सकते हैं। उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है। वह भी बता दें। कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं, वह भी बता दें। जिन कर्मचारियों ने उसको पकड़ा। रसद विभाग के अधिकारियों ने, उसका परिणाम यह हुआ है कि उनको नौकरियों से निकाल दिया है। जिन्होंने गलत काम को रोक कर पकड़ा उनको आपने यह इनाम दिया है। जो ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों की जांच रखते हैं। ऐसे सी. आई. डी. वालों को, पुलिस वालों को उनको विभाग में नहीं रखा गया है। माननीय मन्त्री जी इसकी जरूर जानकारी दें। यह भी जानकारी दें कि प्रभावशाली आदमियों के नाम जो उन कागजों में आये हैं, वह आदमी कौन हैं। अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, मैं खेती के सुधार के मामले में कहना चाहूंगा कि जो ऊबड़ खाबड़ जमीन है, जैसे कि चम्बल एरिया है। इसके अलावा राजस्थान में कई ऐसे एरिया हैं। लालसोट में ऐसी जमीन पड़ी हुई है। आप बुलडोजर का इन्तजाम कर दें। आप मुफ्त में नहीं, उसका किराया ले लें। दो तीन महीने में लाखों एकड़ जमीन मिल सकती है। जब आप खर्च कर रहे हैं तो आप ऐसे एरिया की ओर ध्यान दें। जहां तत्काल सुधार से तत्काल लाभ मिल सके। राजस्थान कैनाल को केन्द्रीय सरकार के हाथ में लेने में सफलता नहीं मिली है। हालांकि बारबार मीटिंग होती है। गत साल 160 करोड़ रुपया खेती के लिए बढ़ाया है। 72 में 24 लाख टन कम हुआ है। इस प्रकार साढ़े 24 लाख टन ही हुआ है। बाकी की पूर्ति कहां से करेंगे। विदेशों से मंगायेंगे तो अरबों रुपयों का होगा। वह विदेशी मुद्रा में देना होगा। ढाई अरब रुपया माल के ढोने में खर्चा देते हैं। कम से कम 6 अरब रुपया खर्च कर रहे हैं। तो फिर एक अरब रुपया खेती के विकास के लिए खर्च कर दीजिये। गतबार 4 करोड़ रुपया सालाना केन्द्रीय सरकार ने दिया। जब नलकूप कराये गये तो समस्या आ गई बिजली नहीं मिली। वह बन्द पड़े हैं। इसी तरह से राजस्थान में

(श्री मीठालाल)

आप बिजली के उत्पादन की तरफ ध्यान जब तक नहीं देंगे तब तक खेती का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता है। आज अन-सैंक्शन्ड क्षेत्रों को बिजली देना तो दूर रहा, जो सैंक्शन्ड हैं, उनको भी बिजली देने में आप असमर्थ हैं। जब तक आप इन दोनों विभागों का तालमेल करके किसानों के कुओं पर बिजली नहीं देंगे तब तक आपको वांछित फल नहीं मिलेगा। आप किसान को बीज, खाद, सीमेन्ट नहीं दें तो नहीं दें, लेकिन कम से कम बिजली तो दे दें। फिर आप देखिये कि तत्काल इसका क्या परिणाम निकलता है। लालसोट क्षेत्र के मामले में मैं आपको बताऊं, वहां पर चार-पांच ग्राम ऐसे हैं, जिनके किसानों ने गत साल ही यह लिख कर दे दिया कि हम सारा खर्च देने को तैयार हैं, शत प्रतिशत खर्च देने को तैयार हैं। लेकिन उन किसानों को भी बिजली नहीं दी जा सकी है। वे किसान एक नया पैसा भी विभाग का नहीं लगाना चाहते हैं, उनको भी आप बिजली नहीं दे सकते हैं तो फिर क्यों ढिंढोरा पीटते हैं कि हम किसानों को सब सहूलियत देना चाहते हैं। आपने प्रधान मंत्री के यहां आने पर 14 लाख रुपया खर्च कर दिया। वह और चीजों पर करते, खेती पर करते तो हमारे यहां अच्छा उत्पादन होता। लेकिन 14 लाख रुपये आपने खर्च कर दिये और प्रधान मंत्री भी आपको एक जवाब दे गईं, आप अपने उपलब्ध साधनों से यहां का विकास करिये। आप किसानों का उत्साह बढ़ाइये, उनको प्रेरित करिये कि वह खेतों में उत्पादन बढ़ायें। किसान तो पहले से ही प्रेरित है, उसकी जो खाद की जरूरत हैं, बीज की जरूरत है, और दूसरी चीजों की जरूरत है, वह आप उसे मुहय्या कर दीजिये।

श्री सांवरमल मोर : 14 लाख रुपया प्रधान मंत्री के आने पर खर्च होने का सवाल नहीं है।

श्री मीठालाल : सीकर से कितने ट्रक भर कर लाये—वह मुझे मालूम है। कहां-कहां उनको रोटी खिलायी जयपुर में, वह भी मालूम है....

श्री सांवरमल मोर : वह भी जोड़ दिया ?

श्री मीठालाल : वह राजस्थान का ही हुआ है। नाजायजतौर पर ट्रान्सपोर्ट वालों से कितना पैसा लिया है, वह भी मुझे मालूम है। दिल्ली से रेलगाड़ी से आये हैं, वह कितनी विदेशी शराब की बोतल लाये हैं वह भी मुझे मालूम है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि खेती के विकास में ईमानदारी से जब तक सहयोग नहीं देंगे तब तक काम नहीं चलने वाला है। खेती के विकास के लिए तत्काल बिजली देने की आवश्यकता है, उसकी व्यवस्था करिये, सीमेन्ट उचित समय पर देने का प्रबन्ध कर दीजिये, खाद समय पर दीजिये तब तक खेती का उत्पादन बढ़ सकता है, नहीं तो नहीं। अभी खाद का झगड़ा चल रहा है, जबकि फसल के लिए खाद की तत्काल आवश्यकता है। हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, वह हाल फिलहाल सुलटेगा नहीं और उसके कारण से किसानों को यूरिया खाद मिल नहीं रहा है। रामकिशन जी ने कहा कि लेवी देने वालों को खाद मुहय्या

(श्री मीठालाल)

कराई है। मैं सवाई माधोपुर के बारे में बताऊं कि वहां से किसानों से लेवी ले ली लेकिन एक कट्टा भी सीमेन्ट या खाद नहीं दी है। इसलिए ऐसी व्यवस्था कर दें, जिससे समय पर खाद मिल सके। किसानों को सीमेन्ट की आवश्यकता है, यूरिया खाद की आवश्यकता है उसको समय पर देने की व्यवस्था कर दें ताकि उत्पादन बढ़ सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशोरीलाल !

श्री शिवचरण माथुर : मेकिंग ए मेडन स्पीच !

श्री किशोरीलाल (सलूम्बर) उपाध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य मंत्रीजी का आभार मानता हूं कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय हमारे विचारार्थ रखा है। मैं मानता हूं कि हमारी उपयोगी चीजों के मूल्यों, जिसकी वृद्धि इतनी तेजी से हो रही है, पर रोक नहीं लगाई गई, नियंत्रण नहीं किया गया, तो उसके जो परिणाम होंगे, उनको हम टाल नहीं सकते हैं। आज गावों में रहने वाले जो गरीब भाई हैं, उनकी क्या स्थिति है। मैं मानता हूं कि चार पांच रुपये कमाने वाले भाई रोटी भी नहीं खा सकते हैं, परिवार पालन तो बहुत मुश्किल है, वह नमक मिर्च भी नहीं ले सकते हैं। यह स्थिति उन लोगों की है। इस पर विचार करना जरूरी है। इसके अलावा मैं मानता हूं कि चीजों का अभाव है, लेकिन जो हमारी वितरण व्यवस्था है, उसमें सुधार होना बहुत जरूरी है। आज जो पक्षपातपूर्ण वितरण व्यवस्था है, आज जो बगावत करने वाले लोग हैं, उनको सब कुछ देने की बात होती है लेकिन जो शांति से रहने वाले लोग हैं, गावों के भाई हैं, वह बगावत करना नहीं जानते हैं, बगावत करने में उनकी रुचि नहीं है, शांति से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उन्हें समय पर जो सभी चीजें मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पाती हैं। इसमें पक्षपात होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि खाद्यान्न के बारे में शहरों की जनता और ग्रामीण जनता में आप सही ढंग से, न्यायोचित ढंग से वितरण व्यवस्था करें वैसे जो श्रम करने वाले लोग हैं उनको अधिक अन्न की आवश्यकता होती है। जो बुद्धि का श्रम करते हैं, उनको कम अन्न की आवश्यकता होती है। लेकिन जिन्हें कम अन्न की आवश्यकता है, उनको आप ज्यदा देने की बात सोचते हैं और जिनको ज्यादा देने की आवश्यकता है, जो श्रम करने वाले हैं, जिनको अच्छी खुराक नहीं मिलती है, जिन्हें न फ्रूट्स मिलते हैं, न शक्तिशाली पदार्थ मिलते हैं, उन अनपढ़ लोगों को कम मात्रा में देने की बात कही जाती है। इसलिए यह जो वितरण व्यवस्था है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है।

शक्कर के बारे में जो वितरण का ढांचा है, मैं मानता हूं कि

(3.55 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

जिस मिकदार से गांवों में शक्कर दी जाती है, उसकी सही ढंग से वितरण व्यवस्था हमारे व्यापारियों और प्रशासन के द्वारा नहीं हो पाती है। इसलिए उसमें सुधार करना बहुत जरूरी है।

(श्री किशोरीलाल)

इसके अलावा मैं बताऊं, गत वर्ष बाढ़ से जिन काश्तकारों के कुए धंस गये और जिन लोगों के मकान ढह गये, उन लोगों को मकान बनाने के लिए और कुओं का निर्माण करने के लिए सीमेन्ट की आवश्यकता थी लेकिन वह काश्तकारों को नहीं मिली है। मैं नहीं समझ पाता कि सीमेन्ट के जो आंकड़े दिये हैं, वह सीमेन्ट जाती कहां है ? जो बड़ी बड़ी हवेली चार पांच मंजिली बिल्डिग खड़ी करते हैं, उनके यहां यह सीमेन्ट जा रही है और एक काश्तकार को दो तीन थैले सीमेन्ट चाहिए, जिसके बगैर मकान गिरने की स्थिति में है, जिसके बगैर कुआ ठीक नहीं हुआ है, जिससे वह परेशानी में पड़ा हुआ है, उसको सीमेन्ट दिलाने की ओर खासतौर पर खाद्य मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। यह छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जो हैं बहुत बड़ी और उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो शांति से रहने वाले लोग हैं, वह बगावत करना नहीं चाहते हैं, उनकी ओर अगर ध्यान नहीं दिया तो एक दिन आ सकता है कि वह क्रांति की ओर अग्रसर हो जायं। इसलिए इस ओर सतर्कता रखना जरूरी है।

मुझे खुशी है कि यह आंकड़े आपने प्रस्तुत किये हैं। लेकिन एक जो विपत्ति आ गई है, उसकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया है। कई क्षेत्रों में दो महीने से वर्षा नहीं हो पा रही है, कहीं 2 इंच हुई है, कहीं 3 इंच हुई है। पानी पड़ा नहीं है, इसलिए भयंकर सूखे के आसार दिख रहे हैं और काश्तकारों की फसल समाप्त हो रही है। दो दो महीने हो गये हैं लेकिन वर्षा नहीं हो रही है। पानी के अभाव में लोग परेशान हैं। मैं मानता हूं कि जो उनके पास था, वह उन्होंने लेवी में दे दिया, और वह देना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रीय प्रोग्राम है। अगर इसमें हम लेवी नहीं देते हैं तो विपत्ति के समय में हमें अनाज नहीं मिल सकता है। जो भाई लेवी का विरोध करते हैं, मैं मानता हूं वह अराष्ट्रीयता करते हैं। लेवी का विरोध राष्ट्रीयता का विरोध करना है। लेवी देनी चाहिए। हमारे क्षेत्र के लोगों ने सहर्ष लेवी दी। मैं उदारहण देना चाहता हूं, एक काश्तकार के पास आधा बीघा जमीन थी। उसने बाजार मे लाकर लेवी दी। उसे लोगों ने समझाया, तू मत दे। उसने कहा, लेवी देनी चाहिए। राज्य में हिस्सा देना चाहिए। इस प्रकार से काश्तकारों ने लेवी में अपना हिस्सा दिया तो हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम काश्तकारों को सीमेन्ट दें, खाद दें, और चीजें दें।

राशन के लिए मैं बताऊं कि गांवों में राशन नहीं मिलता है क्योंकि उपभोक्ता भण्डार तहसील में खुले हुए हैं। इसके अलावा तहसील में एक दुकान है उस पर भी पर्याप्त कपड़ा नहीं है। वह भी पच्चीस मील से किसान आकर ले, नहीं तो नहीं ले सकता। उस दुकान पर दो चार मीटर कपड़ा मिलता है, किसान का गांव से वहां आने में बहुत समय नष्ट हो जाता है। फिर भी समय पर उसको मिलता नहीं है, उसको दो तीन बार भटकना पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसके अलावा अकाल की भयंकर स्थिति पैदा हो गई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तहसील हैडक्वार्टर में अन्न की कमी है, तहसील के गांवों में अन्न नहीं है। मैं मानता

(श्री किशोरीलाल)

हूं कि जिला हैडक्वार्टर पर भी अन्न की कमी है। आप फर्मा सकते हैं कि हमने अनाज भेजा है। लेकिन हमारी जानकारी यह है कि जिला स्तर पर भी अनाज की कमी है, तहसील स्तर पर अनाज की कमी है ही। यह स्थिति रही और समय पर व्यवस्था नहीं की गई तो आज न लोगों के पास पैसा है, और न अनाज है, भूखे नंगे हैं, पहाड़ी इलाके के अन्दर आदिवासी, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग और दूसरे लोग। मैं बताऊं कि हमारे इलाके में तीन चार साल से अकाल पड़ता आया है। गत साल अतिवृष्टि से नुकसान हुआ, कहीं 90 इं. कहीं 100 इंच पानी पड़ा और लोगों की फसल नष्ट हो गई। रबी की फसल का अन्न पका, तो उसके अन्दर जो पुरानी बकाया थी, वह चुकाया। राज्य का जो बाकी था, वह चुकाया। इस कारण आज किसानों के पास न पैसा है, न अनाज है मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी अकाल के जो सहायता कार्य हैं या अन्न पहुंचाने की व्यवस्था करनी है उस तरफ शीघ्रातिशीघ्र ध्यान दें। मैं मानता हूं, हमारी मशीनरी का इस तरफ कोई ध्यान नहीं गया है। उन इलाकों में जहां वर्षा नहीं हुई है जहां फसल नष्ट हो गयी है और लगातार विगत वर्षों से अकाल पड़ता रहता है, वहां लोगों की हालत खराब हो गई है। इसलिए वहां सस्ते मूल्य के अनाज की दुकानें खुलवाई जाए। यह कहता हुआ मैं आभार मानता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे अवसर दिया।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री दीपंकर : सभापतिजी.......

श्री सभापति : जिन माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव दिए हैं पहले उनको बोलने का अवसर दिया जाएगा।

श्री दीपंकर : मेरा भी दिया हुआ है।

श्री सभापति : आपको भी अवसर मिलेगा।

श्री दीपंकर : क्रम को बनाकर रखें।

श्री सभापति : क्रम को तोड़ने की बात नहीं है।

श्रीमती निर्मला कुमारी : सभापतिजी

श्री सभापति : आपका कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री नाथूलाल (बागीडोरा) : सबको मौका मिलना चाहिए।

श्री सभापति : सबको मौका दिया जाएगा। श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : सभापतिजी, राजस्थान में लेवी वसूली के लिए राज्य सरकार ने बड़े व्यापारियों से लेवी वसूल करने के लिए निर्णय लिया। उस समय भी जब बजट सत्र समाप्त होने जा रहा था और अंतिम दिन खाद्य स्थिति पर बहस थी, मैंने खाद्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया था कि अगर आप लेवी वसूल करने जा रहे हैं तो अभी से अपना कार्यक्रम बनायें और मैंने वहां सुझाव दिया था कि व्यापारियों के जरिये लेवी वसूल होना बड़ा मुश्किल होगा और आप अगर उत्पादकों से लेवी वसूल करना चाहें तो अभी से कार्यक्रम बनायें और मैंने सुझाव दिया था कि अमुक स्थानों पर क्रय केन्द्र खोलें परन्तु दुर्भाग्य से

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

मुझे अफसोस है कि उस समय राज्य सरकार से समय पर व्यवस्था नहीं हुई, नतीजा यह हुआ कि हमारे वहां जालोर जिले में, खासतौर से मेरे क्षेत्र में हजारों की संख्या में गुजरात के काश्तकार काश्त करते हैं, उन्होंने आग्रह किया था कि 50 प्रतिशत गेहूं तुलवा कर ले लो और हमें गेहूं बाहर निकालने की इजाजत दो। राज्य सरकार को जिलाधीश के मार्फत सुझाव भी आया था और गुजरात वालों से भी लेवी वसूल होती, व्यापारियों के रूप में देना चाहते थे तो 10-15 हजार क्विन्टल वसूली हो सकती थी। राज्य सरकार से कहा तो सरकार ने कहा कि कोई ऐसा कानून नहीं है। जब चावल के लिए इजाजत है तो गेहूं के लिए क्यों नहीं है ? जो दूसरे राज्यों के काश्तकार यहां काश्त करते हैं तो उस कानून को इग्जामिन क्यों नहीं करवाते ? आपने इजाजत नहीं दी और किसी रूप में उन काश्तकारों ने, पुलिस वालों व पटवारी से मिलकर स्मगलिंग किया, चोरी छिपे गेहूं ले गए, आपके हाथ नहीं आया। नतीजा यह हुआ बाद में कि दो महीने इन्तजारी के बाद राज्य सरकार को मालूम पड़ा कि व्यापारी सहयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर काश्तकारों पर लेवी लगानी पड़ी। एक तरफ 31-5-74 को आदेश जारी किया कि 20 क्विन्टल से ज्यादा कोई गेहूं रखेगा तो वह गैर कानूनी होगा, नतीजा यह हुआ कि लोगों ने गेहूं बेच दी। उसके बाद फिर डिमांड स्लिप तो जारी नहीं कर सकते थे। उसके बावजूद आदेश निकाला कि सिंचित क्षेत्र में प्रति हैक्टर दो क्विन्टल के हिसाब से और असिंचित क्षेत्र में एक क्विन्टल प्रति हैक्टर के हिसाब से वसूल कर सकते थे परन्तु डिमांड स्लिप जारी नहीं कर सकते थे। नतीजा यह हुआ कि गेहूं बाहर चला गया व्यापारियों ने सहयोग नहीं किया लाइसैंस नहीं लिया। बाद में अधिकारियों की फौज आई, पुलिस की मदद से जोरों से वसूली की गई। हमने भी सहयोग करने की कोशिश की, साथ रह कर लेवी वसूल करवानी पड़ी। उसके बावजूद मुझे अफसोस है कि एक बार लेवी वसूल की फिर दुबारा की और तीसरी बार भी उन्हीं लोगों के दरवाजे खटखटाए। आप अगर जांच कराए कि काश्तकारों की हालत क्या है, आपने दो क्विन्टल गेहूं भी उनके पास नहीं छोड़ा तो यह क्या न्याय है ? कागजों में सरक्यूलर कुछ निकालते हैं, करते कुछ और हैं क्योंकि आपने कहा कि लक्ष्य पूरे करने हैं। एक अभाव की स्थिति, दूसरे बारिश नहीं हुई, काश्तकारों को गेहूं कहां से देंगे ? वापस गांव-गांव में जाकर पूछेंगे कि हम वापस देना चाहते हैं क्योंकि शहर वाले हल्ला करते हैं, उनके लिए ही पूरी नहीं पड़ती। गांव वाले आन्दोलन करने नहीं आयेंगे। ऐसी हालत में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। आप तो अधिकारियों पर छोड़ देते हैं, हमारे साथ में वसूली करने के लिए तैयार नहीं हैं फिर भी अधिकारी समझते हैं कि हम आयेंगे तो विरोध करवायेंगे। जानबूझकर हमको साथ में नहीं रखना चाहते हैं। तो यह लोगों के साथ अन्याय क्यों ? एक तरफ तो बरकत साहब ने घोषणा की थी कि जिनसे वसूली करेंगे उनको फर्टीलाइजर और सीमेंट देंगे। वह भी नहीं दे पाए क्योंकि आपके पास नहीं है। उसके बाद में भी आपने कम भाव में गेहूं लिया 72) बाजरा लेवी ली प्रतिशत 66) और कभी 69) में। हमने रिप्रेजेन्टेशन दिया कि आप कम पैसा क्यों दे रहे हैं उसके उपरांत भी दो-दो महीने पैसा

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

नहीं दो, एजेंसी का सिस्टम भी बना रखा है कि एजेन्ट के मारफत खरीदेंगे तो एफ. सी. आई. की व्यवस्था आपको मालूम ही है। न मालूम क्यों एजेन्ट के मारफत खरीदते है। बाद में मैंने सुझाव दिया था कि मौके पर पैसा तो दें। अब की बार पटवार केन्द्र पर वसूली करके पैसा मौके पर दिया, तो जो लोगों के पास गेहूं था वह दे दिया। कम से कम देर आये दुरुस्त आये, तो यह तो अच्छा ही किया। एक तो गेहूँ कम भाव में ले फिर समय पर पैसा नहीं दें। गेहूं उन्होने पैदा किया है और पटवारी उनके पीछे फिर रहे हैं। आखिर पैदा करने वाले चोर तो नहीं हैं, इतना उनके पीछे क्यों पड़ रहे हैं ? अब कहते हैं गेहूं कहीं भी नहीं ले जा सकते, 30.5 के आदेश के बाद सारा आपने ले लिया, अब कहां ले जायेंगे ? इतनी परेशानियां काश्तकार के लिए पैदा की जाती हैं, भगवान के नाम पर ऐसा न करें और आइन्दा के लिए भी मन्त्री महोदय ने कहा कि हम सुझाव दें। इसलिए सभापति महोदय मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इसके लिए मेरा मन्त्री महोदय से मेरा यह निवेदन है कि आपको अगर लेवी वसूल करना है तो पहले आप इसके लिए एक प्रोग्राम बनाइये। आप लेवी वसूल करना चाहते हैं तो जब फसल तैयार हो गई हो जब लेवी वसूल करना चाहिये। ताकि उसी वक्त खड़ी फसल पर आप लेवी ले लो और गरीब काश्तकारों का पिण्ड तो छोड़ो। वरना तो आपने किसी के फसल हुई क्या नहीं हुई हो आपने तो हर एक काश्तकार से फिक्स लेवी वसूल करना शुरू कर दिया है। आपने तो गुड़ शक्कर खाण्ड खल एक भाव कर दिया। इसके अलावा जिन लोगों ने लेवी नही दी है उन लोगों पर आप मुकदमा चला रहे हैं। सभापति महोदय मुकदमा भी आजकल चीफ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में किया जाता है। तो बेचारे काश्तकारों को उस चीफ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में चल कर जालोर आना पड़ता है। क्योंकि हमारे यहां पर चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट का दफ्तर जालोर में है। सभापति महोदय उन लोगों ने जो पिछला बाजरा की लेवी वसूली के लिए चालान किए थे वे आज तक बेचारे कोर्ट में फिरते रहते हैं। उनको तरह तरह से परेशान किया जाता है। मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि आपने सैंकड़ों मुकदमे सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ उठा लिए तो फिर बेचारे इन काश्तकारों के खिलाफ आप मुकदमे क्यों नहीं उठा रहे हैं। आखिर आपको कुछ मानवीय दृष्टिकोण तो अपनाना चाहिए। सभापति महोदय इसके अलावा मैं आपसे यह भी अर्ज कर दूं कि आज गुजरात में अनाज पैदा नहीं किया जाता है तो गुजरात को अनाज स्मगलिंग होता है वहां के पुलिस वाले कहते हैं कि तुम माल इधर ले आओ आप काश्तकारों को उसका उचित मूल्य देने को तैयार नहीं है। तो फिर गरीब काश्तकार अपना अनाज वहां पर भेजेगा जहां पर उसको फायदा हो। तो मेरा यह भी निवेदन है कि आप कम से कम अनाज के ठीक भाव रखें। ताकि काश्तकार उचित मूल्य पर अपना अनाज बेच सकें। आज जितना उसके अनाज के प्रोडक्शन पर खर्चा होता है उससे बहुत ही कम उसको पैसा मिलता है जिससे काश्तकार बहुत ही दुखी है। इसके अलावा पहले आपने घोषणायें तो

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कर दीं कि जो लेवी देगा उसको फर्टीलाईजर देंगे, सीमेन्ट दी जाएगी और कई सुविधायें भी दी जावेंगी । पर आपने उनको कुछ नहीं दिया । इसलिए मेरा सुझाव है कि मौके पर आप जाकर उन्हें यह सभी चीजें उपलब्ध करावें इसके लिए एक फिक्स प्रोग्राम बनावें । अगर ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपको लेवी जरूर मिलेगी । इसके अलावा आज जो आप गिरदावरी रिपोर्ट को बेस मान कर लेवी वसूली करते हैं यह बिल्कुल गलत है । Girdavari does not have a good record for levy. गिरदावरी रिपोर्ट पटवारी लोग घर बैठे-बैठे अन्दाज से भर लेते हैं । इसके अलावा मैं मन्त्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप पहले सोइल का क्लासिफिकेशन कराइये । उसके बाद में आप लेवी की वसूली करिये । जैसे गंगानगर में इर्रीगेटेड एरिया है वो भी आपने दो क्विटल लेवी लगा दी भैरो वाली सोइल है वहां पर भी आपने दो क्विन्टल की लेवी लगा दी और दूसरी जगह जहां पर साधारण सोइल है आपने एक क्विन्टल लेवी लगादी यह फार्मूला आपका गलत है । आपको इसमें चेन्ज करने की जरूरत है । इसके लिये आप क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल के हिसाब से लेवी लगाइये । ताकि आपको लेवी भी अधिक मिले और काश्तकारों को भी तकलीफ नहीं हो । इसके साथ साथ आपसे यह बात और निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले साल मैंने सदन में कहा था कि हमारे यहां की फसल को गेरू नामक बीमारी लग गयी है, रस्ट हो गया है । और उस बात को एग्रीकल्चरल एक्सपर्टस ने माना है उन्होंने रिपोर्ट दी कि फसल खराब हो गयी है । सभापति महोदय वहां पर एक दस लाख रुपये लगा कर जो प्रोजेक्ट लगा था उसे कैन्सिल करना पड़ा । इसके अलावा सभापति महोदय अबकी बार जो लेवी की वसूली हुई उसमें जब हमने जाकर उन लोगों से कहा था तो उन्होंने कहा कि ऊपर के इन्स्ट्रक्शन्स हैं कि लेवी वसूली की जाय चाहे किसी के पास अनाज है या नहीं उसे लेवी देनी होगी । बेचारे काश्तकारों को खरीद कर लाकर लेवी देनी पड़ी । कलेक्टर कहता है कि ऊपर से इन्स्ट्रक्शन है । वहां पर मानवीय दृष्टिकोण नाम की तो कोई चीज ही नहीं है । इस ओर मैं मन्त्री महोदय का ध्यान विशेषतौर से आकर्षित करना चाहता हूं । थोड़ा सा मानवीय दृष्टिकोण अपनायें । जिन लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है आप गिरदावरी के रिपोर्ट पर कैसे उनको लेवी नहीं देने के मामले में चालान कर रहे हैं । सभापति महोदय बेचारे काश्तकारों को बेकार परेशान किया जा रहा है । मैं यह नहीं कहता कि आप लेवी की वसूली मत करो लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया कि सोइल के क्लासिफिकेशन के हिसाब से लेवी लो । वैसे भी बफर स्टोक बनाना जरूरी है । आगे आने वाला जमाना बहुत ही खराब आने वाला है । वैसे भी इन्टरनेशनल कण्डीशन फूड प्रोडक्शन की खराब आने वाली है इसलिये हमको इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए । लेकिन आप इसके लिये काश्तकारों की सहायता तो कीजिये । इसके साथ साथ आप हमारे साथ प्रोग्राम बना कर आइये हम आपको सही स्थिति से वाकिफ भी करा देंगे और आपको लेवी वसूली भी करायेंगे । अगर आप इस सरकारी मशीनरी के भरोसे रहे तो आपको फालतू लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी लेवी नहीं मिल सकेगी और बेचारे काश्तकार इससे परेशान होंगे । अगर आप

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

वास्तविक लेवी वसूल करना चाहते हैं तो आप जन प्रतिनिधियों को अपने साथ लीजिये आप हमें साथ ले जाइये आप जिले जिले का दौरा करिये जैसा कि प्राईमिनिस्टर ने किया है आप को लेवी बराबर मिलेगी। लेकिन जहां पिछले पांच सालों में कभी अकाल, कभी फ्लड आये हैं जहां पर पूरी तरह से प्रोडक्शन नहीं हुआ। जहां पर फसल होते ही उनसे जो लोग पैसा मांगते हैं चाहे बैंक वाले हों चाहे रेवेन्यू आँथोरिटीज हों उनसे वसूल कर रही हैं और सभापति महोदय पुरानी रिकवरीज की वसूली हो रही है। इसके पहले 70 परसेन्ट तो उन पर मनी-लेन्डर्स का कर्जा है। वह उनसे 70 परसेन्ट तो उनकी इनकम लेगये अब उनके पास क्या रक्खा है। फिर आप उनसे जबरन लेवी वसूली कर रहें हैं। मेरा आपको सुझाव है कि आप एक इन्ट्रगेटेड प्रोग्राम बना कर चलें तो आप को सक्सेस मिल सकती है अन्यथा नहीं।

श्री सभापति : कृपया शीघ्र समाप्त करें।

श्री रामकिशन : विश्नोईजी को आज बोलने दें। वह दिल से बोल रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं तो जब भी बोलता हूं तो दिल से ही बोलता हूं।

श्री रामकिशन : रोज तो दिमाग से बोलते हो। आज जरा दिल से बोल रहे हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : तो मेरा यह निवेदन है कि अगर मन्त्री महोदय इन्ट्रग्रेटेड प्रोग्राम लेकर चले तो हम दावे से कह सकते हैं कि आपको काफी लेवी मिलेगी। मैं आपको निवेदन करदूं सभापति महोदय कि हमारे जालोर जिले में हमने राजस्थान में सबसे ज्यादा लेवी दी है। वहां से 20 हजार क्विन्टल काश्तकारों ने लेवी अकेले सांचोर तहसील ने दी है और 5 हजार क्विन्टल लेवी वहां के व्यापारियों ने दी है हालांकि यह कम है उन्होंने स्मगलिंग भी किया है लेकिन दूसरे जिलों के व्यापारियों ने तो नहीं के समान लेवी दी। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आपको उन जिलों से फरटीलाईजर, सीमेन्ट, कैरोसीन वगैरह ट्रान्सफर करने चाहिये जिन जिलों के काश्तकारों ने लेवी नहीं दी है। इससे लोगों में लेवी देने की भावना बढ़ेगी और हमारे वहां के काश्तकार जिन्होंने सरकार का साथ दिया उन्हें उनको उचित रेम्यूनेरेशन तो मिलना चाहिये वैसे आप घोषणायें तो कर देते हैं लेकिन आप काश्तकारों को यह फरटीलाइ-जर वगैरह मुहैया नहीं करते हैं। आज फ्लड वगैरह में कई लोगों के कुए टूट गये, वह सिर्फ घेरे बन कर ही रह गये हैं उन्हें आप कम से कम पांच पांच बोरी सीमेन्ट तो दो ताकि वह लोग अपने कुए की हालत सुधार लें। उन्हें आप कैरोसीन तो दें, आपको चाहिये उन्हें आप अच्छे सीड दें। आज आप शहरों में कैरोसीन वगैरह देते हैं वहां पर आप ग्रामीण क्षेत्रों में कैरोसीन देने को तैयार नहीं। आखिर क्यों। जबकि ग्रामीणक्षेत्र के काश्तकार आपको अनाज दे देते हैं। इसलिये मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आपको जिन लोगों ने लेवी दी है आप उनको कुछ सहूलियतें तो दें। आप उन्हें धन्यवाद तो दें कि आपके जिले के काश्तकारों ने लेवी दी। सभापति महोदय वैसे कहने को तो बहुत कहना है लेकिन चूंकि और भी माननीय सदस्य सदन

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

में बोलना चाहेंगे इसलिये मैं ज्यादा समय सदन का न लेकर इतना ही कहूंगा कि जिन सरकारी अधिकारियों ने हमारे जिले में काश्तकारों के खिलाफ में केसेज बनाये हैं वह झूठे केसेज हैं क्योंकि तीन तीन बार हमारे यहां से कानून के खिलाफ लेवी दी गयी है उनके खिलाफ में इन्क्वायरी करा कर उन्हें सजा देने की व्यवस्था करावें। और उन लोगों के खिलाफ में जो केस आज काश्तकारों के खिलाफ में चल रहे हैं उन मुकदमों को राज्य सरकार उठाने की व्यवस्था करावे। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री मोहम्मद गफ्फार अली !

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जयपुर) : सभापति महोदय आज सदन में एक बहुत ही गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है उस पर मैं भी कुछ गुजारिश किया चाहता हूं। आज महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है और पिछले साल से इस साल में घरानी करीब बीस से लेकर 200 प्रतिशत तक घरानो बढ़ी है। और आज देश में एक ऐसी हालत पैदा कर रहे हैं कि जिससे अराजकता बढ़ रही है आज एक प्रकार से हमारे यहां पर कुछ तत्व डेमोक्रेसी को खतरा पैदा कर रहे हैं। आज देश में लोग यह कर रहे हैं कि पार्लियामेंट को भंग करो, विधान सभा को भंग करो। सभापति महोदय हमने पिछले सत्र में यह सरकार को आगाह किया था कि राज्य सरकार अपनी नीतियों से हट रही है जब राज्य सरकार ने व्यौपारियों से लेवी के बारे में हाथ बढ़ाया था हमने कहा था कि व्यौपारी वर्ग आपको लेवी देने वाला नहीं है आज उसी गलत नीति का कारण है कि आपको इतनी दिक्कत देखनी पड़ रही है। आज व्योपारियों की गड़बड़ से ही गेहूं के भाव दो सौ से लेकर 250 रुपये तक हो रहे हैं। हमने तो पहले ही कहा था कि काश्तकार को उचित मूल्य दो और उनसे लेवी लो इसके साथ में हमने यह भी कहा कि छोटे काश्तकार से लेवी न लो और मध्यम काश्तकार को भी थोड़ी रियायत दो लेकिन बड़े और धनी काश्तकार से आप 50 से लेकर 60 प्रतिशत तक लेवी लो चाहे वह काश्तकार किसी भी दल को बिलोंग करता हो। इसके साथ साथ आप उन्हें फैसीलीटीज दीजिये लेकिन आप धनी काश्तकार से लेवी जरूर लें। और वह लेवी 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक हो। आपने उस नीति के खिलाफ जो नीति अपना रखी है वह सिद्धान्त रूप से गलत है। आरम्भ में आपने लेवी वसूल नहीं की। आपने गल्ला वसूल नहीं किया और गल्ला व्यापारी ने किसानों के खलिहान से गल्ला उठा कर बेच दिया तब जाकर आपने बाद में यह फैसला किया। आप व्यौपारियों से केवल, जैसे आपके आंकड़े हैं लेवी वसूली है, 20-25 हजार टन गल्ला वसूल किया है। और जब आपने प्रोड्यूसर से लेना शुरू किया तो आपको पूरी सफलता प्राप्त हुई। शुरू में आपने यह किया नहीं तो इसकी जिम्मेदारी किस की है ? हमने आपको शुरू में ही चेतावनी दी थी व्यौपारियों ने आज तक किसी को निहाल नहीं किया है और यह आपको बरबाद करके छोड़ेगा। आप यह समझते रहे कि कुछ व्यापारी ईमानदार होते हैं और आपने इसी सदन के प्रांगण में कहा था कि कुछ पर आप भरोसा किया चाहते हैं। वे कौनसे व्यापारी हैं जिन पर आपने भरोसा किया था ? पहले जहां आप

[redacted]

(श्री मौहम्मद गफ्फार अली)

पांच मीलियन टन गेहूं प्राप्त करते थे अब आप सोचते हैं कि 6 मीलियन टन अमेरिका कैनाडा या अर्जेन्टाइना से मंगायें। और उस पर 600 करोड़ रुपया खर्च करें। क्रूड ऑयल, स्टील, फर्टीलाइजर मंगाते हैं आप और पैसा खर्च करें तो आपके पास फोरिनएक्सचेन्ज, विदेशी मुद्रा कितनी रह जावेगी और आपकी क्या स्थिति पैदा होगी और दुनिया के मार्केट में आप कहाँ रहेंगे ?

उस वक्त भी हमने कहा था कि आप छोटे किसानों को प्रोत्साहन दीजिये, उनको इन पुट दीजिये, उनको आप क्रेडिट फैसिलिटीज दीजिये ताकि आपको ज्यादा पैदावार, ज्यादा उपज पैदा करके दे सकें और वे आपको लेवी भी दें।

परन्तु अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपके दिमाग में कोई सुधार पैदा नहीं हुआ। मैं बार-बार सदन में कहता हूं कि आपने यह फैसला इतनी देर से लिया कि किसानों से लेवी ली जाय उसका धनी किसान पर कोई भी असर नहीं पड़ता। उनकी और उनके रिश्तेदारों की जो जमीन है, उनके भाई बेटों की जो जमीनें हैं उनमें कितना गल्ला पैदा हुआ। अभी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं ने आपस में बहस की उससे यह साफ जाहिर हुआ कि किसी के पास 800 बीघा जमीन है किसी के पास 300 बीघा जमीन है। एक दूसरे पर इल्जाम लगा कर भंडा फोड किया। बहुत से ऐसे धनी किसान हैं जो इस असेम्बली में भी बैठे हैं जिन्होंने लेवी नहीं दी है और दिक्कतें लेवी में पैदा करते हैं।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप उस नीति को बदलें। आपने नीति बदल कर जो नया मोड़ दिया है आप उस पर कायम रहें। मरहूम बरकतुल्ला साहब ने 500 क्विन्टल तक व्यापारी को रखने की छूट दी थी उसको बढ़ा कर आपने दो हजार क्विन्टल कर दिया। इसके खिलाफ हमने आवाज बुलन्द की थी। व्यापारियों ने हमको वसूली में कोई सहायता नहीं दी, कोई सहूलियत नहीं दी और उसने जो गल्ला बेचा उसका 50 फीसदी आपको नहीं दिया और ब्लैक मार्केट में देते रहे। उस सूरत में आपने जो रियायतें दे रखी हैं वे वापिस क्यों नहीं लेते हैं।

मैं मानता हूं कि खाद्य मंत्री जी प्रगतिशील नीतियों के हामी हैं। हमने 1½ हजार साबुन की बट्टियां प्राइस कन्ट्रोल में बंटवाई न पुलिस ने दखल दिया और न ही डी. एस. ओ. ने दखल दिया। उनके सहयोग से बंटवाई। हम इस प्रोग्राम को रखना चाहते हैं। जिस तरह से साबुन बंटवाया, क्या यह संभव नहीं है कि चना बंटवायें, चावल के बोरे बंटवायें। हम नहीं चाहते हैं कि छीन कर बाहर फेंक दें, डकैती करें। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप हमको समर्थन देंगे। डीजल मंगवाइये। 5 पर्सेन्ट के नफे से बेचने की इजाजत दीजिये ब्लैक मार्केट में या सारी चीजें बेचने देना नहीं चाहते नहीं चाहिये भी।

इतनी गम्भीर स्थिति है, मैं निवेदन करना चाहता हूं बहुत सा ऐसा इलाका है कि जहां पर बारिश नहीं हुई और उदयपुर के बहुत से इलाके में तो बेहद पड़ने की संभावना है। बाड़मेर और जैसलमेर में भी कोई बड़ी उपज नहीं होने वाली है। मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि यह हमारी आर्टिजन्स की रीढ़ की हड्डी है, उस पर

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

कब्जा नहीं करना चाहते किन्तु आपको यह कहना चाहते है कि आपकी पॉलिसी के खिलाफ हमारी मांग है कि मोटे अनाज को बाहर मत जाने दीजिये। कसरत के साथ अनाज भेजा जा रहा है। जब राजस्थान से मोटा अनाज चला जावेगा यहां की जनता का, चाहे उदयपुर की जनता हो, चाहे जयपुर की जनता तो, उसका क्या हस्र होगा।

मैं स्पष्ट शब्दों में यह अर्ज किया चाहता हूं कि यदि यही नीति रखी गई तो राज्य सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा इल्जाम आबाद होगा। और उसका जबाब देना मुश्किल हो जायगा। इसलिये मैं स्पष्ट शब्दों में गुजारिश किया चाहता हूं कि मोटे अनाजों को आप टेक ओवर कर लीजिये। होल सेल रूप में टेक ओवर नहीं कर सकते है तो आपकी प्रगतिशील नीतियों पर गम्भीर असर होगा। राजस्थान की एक गम्भीर स्थिति है। कहीं अधिक बारिश से फसल गल गई है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

सभापति महोदय, हमारी पार्टी को कितना टाइम दिया है ?

श्री सभापति ; जल्दी समाप्त करिये।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : कितना टाइम दिया है हमारी पार्टी को ?

श्री सभापति : पांच मिनिट में पूरा कर दीजिये।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : कितना टाइम दिया है ?

श्री सभापति : और कोई बोलने वाला नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : है।

श्री सभापति : पांच मिनिट में कर दीजिये।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि आपने जो आंकड़े हमारे सामने रखे हैं उससे बहरहाल अन्दाज हो जाता है कि किसान से जो लेवी लेना आपने प्रोग्राम रखा है उसको आप सही मानने में चाहते हैं। अब जो त्रुटियां हैं उनको समाप्त करना आवश्यक है। अगर उनको समाप्त नहीं करेंगे तो आपकी हालत गम्भीर हो जावेगी।

अब मैं आपको नट शेल में कुछ चीजें बताना चाहता हूं। जैसा आपको मालूम होगा आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में दस फीसदी की कमी हुई है। और इण्डस्ट्रियल आउट पुट में 6 पर्सेन्ट की वृद्धि हुई है। इण्डस्ट्रीज ने प्रोडक्शन की कमी करके यह हालत पैदा की है, यह संगीन हालत पैदा की है। बदअमनी पैदा करना चाहते हैं। डालडा वाले डालडा पैदा नहीं करना चाहते। सीमेन्ट वाले सीमेण्ट नहीं पूरा पैदा करना चाहते हैं। पैदा भी करते हैं तो वे बड़े कारखाने वाले उसको विदहोल्ड कर लेते हैं। दिखाते नहीं हैं। क्या ऐसा इन्तजाम नहीं हो सकता है कि जो प्रोड्यूस करे उसके आंकड़े आपके पास हों। जो डालडा प्रोड्यूस करता है, कोई चेतक प्रोड्यूस करता है, कोई बीना प्रोड्यूज करता है और कोई नाम से कारखाना चलाते हैं, जाजू साहब चला रहे है जिसका मैंने पहले जिक्र किया था।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितने इण्डस्ट्रियलिस्ट हैं उन लोगों ने षडयन्त्र करके एक अपनी नीति तै कर ली है कि जानबूझ कर उत्पादन कम करना ताकि गरीबों को लाभ न हो। मालदार को हो। कपड़े का उत्पादन करना है उनको तो टेरीलिन करेंगे, सूती और कोर्स नहीं करेंगे। यही हाल सब चीजों का है। आप इन पर कन्ट्रोल नहीं कर सकते क्यों कि आप के अधिकारी ऐसा करने को तैयार नहीं और आप में वह कुव्वत नहीं कि आप अपने नौकरों को अपनी नीति के माफिक चलने के लिए मजबूर कर सकें और न करें तो उनको लम्बा कर दें, घर भेज दें।

एक सुझाव मैं देना जरूरी समझता हूं कि जो हुआ सो तो हुआ। अब आगे से आप कोर्स ग्रेन समेत सारे फूड ग्रेन्स को टोटली टेक ओवर करिये। नहीं तो यह होगा कि आपकी लेवी के डर से किसान गेहूं की क्रॉप में दिलचस्पी नहीं लेगा और जिस क्रॉप में उसे अधिक लाभ होगा वह कमर्शियल क्रॉप बोएगा। इससे खाद्यान्न के उत्पादन पर बुरा असर पड़ेगा।

दूसरा सुझाव मेरा है कि गल्ला या दूसरा जीवनोपयोगी जो भी सामान जो कन्ट्रोल्ड कमोडिटी में शुमार है बड़े-बड़े काश्तकारों के पास है उनसे लेने में मत संकोच करिये। चाहे फिर वह कोई भी हो, चाहे गफ्फारअली हो, रामनारायण या रामचन्द्र चौधरी हो, या हाण्डा साहब हों। आप सबसे वसूल करिये। इसलिये कि आज यह हमारा अपना निजी पेट का सवाल नहीं है, नेशन का राष्ट्र का सवाल है। हमें इसके लिये राष्ट्र के हित के लिये किसी भी तरह की कुरबानी करने के लिये भी तैयार रहना चाहिये। अगर कोई नहीं दे तो आप फौज की मदद से उनसे लेवी वसूल करिये चाहे वह फिर कोई हो बड़ा हो या छोटा हो।

इसके अलावा डिहोर्डिंग के लिये मेरा सुझाव है कि जो भी चीजें हैं चना है, जौ है, बाजरा या चांवल है जहां-जहां जमा है व्यापारी या किसी भी व्यक्ति के बही खातों में अगर वह जमा नहीं हैं तो उसे जब्त किया जाकर उचित दामों पर बिकवा दें।

तीसरा सुझाव मेरा है कि आपने पहले यह कहा था कि जो ट्रेडर्स लेवी में सरकार की मदद करेगा उसे आप मदद देंगे। उसने चूंकि कोई लेवी नहीं दी जैसा कि आप स्वयं कह रहे हैं तो जो सहूलियतें आपने उसको दी हैं उनको तुरन्त वापिस ले लिजिये। आप उनको फिर से कह दीजिये कि अब दो हजार क्विन्टल नहीं पांच सौ क्विन्टल से ज्यादा नहीं रख सकते।

इसके अलावा चौथा सुझाव यह है कि जो इण्डस्ट्रीज में लीकेज है उसे रोकें। आपने उनको लाखों रुपया दे रखा है जैसे डालडा वाले को दिया है जानबूझकर उत्पादन कम करते हैं, लोगों को तंग करते हैं और सरकार का रुपया भी नहीं लौटाते हैं उन पर या तो आप यह पाबन्दी लगावें कि कम से कम इतना उत्पादन तो हर हालत में उनको करना ही होगा नहीं तो उनको टेक ओवर कर लिया जावेगा। फिर देखें आप कि कितना जल्दी नतीजा निकलता है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

यह सही है कि आप लोगों का किसी न किसी से कुछ न कुछ नाता रिश्ता है। पर देशहित में प्रगतिशील नीतियों को आगे बढ़ाने में आपको सख्ती बरतनी होगी। यह सही बात है कि आप में से ही कुछ लोग आपको पीछे खींचना चाहते हैं, रिएक्शनरीज को सपोर्ट करना चाहते हैं पर आपको तो आगे बढ़ना है।

(घंटी)

मैं तो बहुत अपेक्षा रखता हूं आपसे। दो मिनिट में समाप्त करता हूं।

पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के बारे में आपने सदन में ऐलान किया था कि इसको हम सही मानते हैं। पर उस पर कदम नहीं उठाये। विश्नोई जी बोल रहे थे। स्पष्ट कहा उन्होंने कि उनसे कोऑपरेशन ही हासिल नहीं किया गया। अगर सही तरह से आप करना चाहेंगे तो किसान सहयोग देगा। यह हमारी मांग है कि पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम करिये। कोटा की दिक्कत है तो उसे आप बढ़ाइये और संजीदगी के साथ परकेपिटा राशन की मात्रा भी बढ़ाई जानी चाहिये। जो राशन आप दे रहे हैं वह इतना कम है कि उससे पेट भर नहीं सकता। एक तरफ आपकी राशन की दुकानों पर अनाज नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ ब्लैक में 225 रुपया क्विन्टल के भाव से खूब मिल रहा है।

आपकी यह मशीनरी लैंड रिफार्म्स नहीं करना चाहती। सीलिंग का कानून आपने बनाया। उसे आपने लागू करने से पहले ही खतम कर दिया। उसका जनाजा ही निकाल दिया। रामचन्द्रजी इस बात पर नाराज भी हुए। कहने लगे कि उन्होंने तो पहले ही अपनी जमीन अपने बेटों में, बेटियों में, रिश्तेदारों में बांट दी। मैं कहता हूं कि आपको जब मालूम था तो यह ईमानदारी का तकाजा था कि आप उसे नहीं बांटते। तो क्या यह दयानतदारी है। कांग्रेस के रैंक और फाइल में बैठने वाले आजादी के जंग में जो शामिल हुए वे लोग आज इस तरह का तरीका निकालें और उसे इस्तेमाल करें रिफार्म्स से बचने के लिये यह अफसोस की बात है। फिर लैंड रिफार्म्स में आपकी रफ्तार धीमी है। कौम के हित में आप काम करिये।

अभी जो देश में रैली हुई नौजवानों की और जिसमें आह्वान किया गया उनको, उसके लिये मैं बधाई देता हूं। नौजवान डिहोर्डिंग करावेंगे, उनके जज़बात ठीक हैं। मैं भी ईमानदारी के साथ आह्वान करता हूं कांग्रेस के रैंक और फाइल्स को कि वे लोग भी डिहोर्डिंग के काम में दिलोजान से मदद करें न कि उसके विरुद्ध कोई कदम उठावें। इसमें हम भी आपकी मदद को तैयार हैं। आपकी सहायता हमें इसमें प्राप्त होनी चाहिये। इतना ही कह कर मैं बैठता हूं। आपका अधिक वक्त लेना नहीं चाहता। आप मेहरबानी करके एक काम तो करिये कि जो मोटा गल्ला बाहर जा रहा है राजस्थान से उसे तो रोकिये आज की अकाल की पैदा होती हुई हालत को देखते हुए नहीं तो हम और तबाह हो जावेंगे। असेम्बली में भी लोग भूखों मरने लगेंगे तो फिर क्या होगा।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल !

श्री दीपंकर !

श्री दीपंकर (लाडनूं) : सभापति महोदय, मैं बहुत कम समय लूंगा। उत्पादन और वितरण के बारे में मन्त्री महोदय ने जो सुझाव और सहयोग मांगा है यह उनका प्रसंशनीय काम है। इनके बारे में काफी उपयोगी सुझाव और सलाह उनको दी जा चुकी है। मैं उनको दोहराऊंगा नहीं।

सबसे पहले मैं लेवी के लिये निवेदन करूंगा। भारत सरकार ने बहुत पहले यह निर्णय लिया था पर राज्य सरकारों की तैयारी नहीं थी इसके लिये। दूकानदारों पर भरोसा किया गया। अगर पूरी तैयारी पहले से हम कर लेते तो बाद में दूसरी बात का परीक्षण करने की नौबत नहीं आती। लेवी किसानों से मांगी गई और उसने दी। लोगों ने दी वे दे देते तो क्रम जारी रहता लेकिन वह क्रम तोड़ दिया गया इसलिए उस नीति से हटना पड़ा। वही सही नीति है। बिचौलिये को हटा कर उपभोक्ता और उत्पादक का सम्बन्ध जोड़ देना चाहिये। बीच में दूकानदारों ने धोखा दिया। जो कुछ हुआ वह सबके सामने है परन्तु जो गल्ला प्राप्त हुआ भारत सरकार से और या जो कुछ, गल्ला स्टॉक में था वह अकाल में तो गांवों में पहुंचाने की कोशिश की और गांवों में ऐसी जगह पहुंचाया जहां रीलीफ वर्क थे परन्तु अधिकतर गांवों की जनता यह इन्तजार करती रही कि हम तक गल्ला पहुंचेगा लेकिन वह नहीं पहुंच पाया।

जहां लोग सुसंस्कृत हैं, जानकार हैं, अखबारों में निकलवा सकते हैं, जो मीटिंग कर सकते हैं उन तक ही राज्य सरकार उलझ जाय यह नहीं होना चाहिये। गांवों में भी हमारा दृष्टिकोण जाना चाहिये गांवों में अकाल के समय से लेकर अब तक, भगवान करे अच्छी फसल हो और जहां अच्छी बरसात हुई है वहां आमदनी होगी तो वे लोग गुजर बसर कर सकेंगे लेकिन गये अकाल में उचित मात्रा में गल्ला नहीं पहुंचाया। हमें यह सर्वे करना चाहिये हजारों हजारों की तादाद में जो गरीब हैं, शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं वे बड़े-बड़े काश्तकारों के आश्रित हो चुके हैं, उनके गुलाम हो चुके हैं और केवल रोटी, कपड़े पर अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं। इस स्थिति में आज भी कई लोग हैं। हम जो कुछ सुविधायें पहुंचाने की बात करें वह केवल शहर तक करें ठीक है उनको भी जरूरत है लेकिन वहां तक भी हमारा दृष्टिकोण होना चाहिये। इस ओर सभापति महोदय, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जहां तक शहरों की दूकानों का सवाल है और जो रिटेलर हैं, शहरों में कई मोहल्ले हैं जहां सीमेन्ट, डालडा या ऐसी वस्तु जो आप अपने परमिट के सिस्टम से देते हैं ऐसी होनी चाहिए कि एक ही जगह से उपभोक्ता खरीद सके। बहुत से मजदूर ऐसे हैं जो अपनी कमाई से केवल शाम तक का ही खरीद सकते हैं और जब वे राशन की दूकानों पर जाते हैं तो वह कह देते हैं एक-दो दिन में ले जाना नहीं तो स्टॉक खतम हो जायेगा। दूकानदारों के उन लोगों के राशन कार्ड नम्बर नोट किये हुये रहते हैं। उनके पास पैसा समय पर नहीं होने से वे उन चीजों को खरीदने से महरूम हो जाते हैं और उनके राशन पर जो जीवनपोयोगी वस्तुएं मिलती है वे उसको ब्लैक में बेच देते हैं। इसलिए इस ओर मंत्री महोदय का ध्यान जाना चाहिए। जो कुछ आप दे पा रहे हैं शहरों में या देहाती क्षेत्रों में पहुँचता है वह भी नहीं मिलता है इसलिये इस कष्ट को भी दूर किया जाना चाहिये।

(श्री दीपंकर)

आज रिटेलर के लिये ओपन चर्चा करते हैं—वैसे अधिकारियों के सामने भी और जन-प्रतिनिधियों के बीच में भी और बाजार में भी जो वस्तु वे लाते हैं उसमें आपका जो भारतीय खाद्य निगम है वह उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं। जो भण्डार व्यवस्था भारत सरकार ने बनाई है तो क्यों नहीं राजस्थान सरकार भी अपना खाद्य निगम बनाये और उससे जोड़ दे। राजस्थान की खाद्य की जो समस्या है वह सही लोगों तक पहुँच सके।

भारतीय खाद्य निगम कहता है आज गल्ला नहीं तोलेंगे और अगर तोलेंगे तो इतना कम ले जाना पड़ेगा। इस तरह की जो कमी है, वह भारत सरकार को बदनामी देती है, राजस्थान सरकार को बदनामी देती है और आप यह कह दें कि भारतीय खाद्य निगम अपने कन्ट्रोल में नहीं है, हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूं उपभोक्ता इस बात को नहीं समझते हैं। वह तो सरकार का दोष ही बताते हैं अब सरकार चाहे राजस्थान की हो और चाहे भारत सरकार की हो। जो इस तरह के लोग बैठे हुये हैं उनको दूर करने की कोशिश करें और राजस्थान का खाद्य निगम अलग बनाने की व्यवस्था करें।

मैंने जो प्रस्ताव दिया था वह सीमेन्ट के बारे में दिया था। सभापति महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जितना सीमेन्ट का उत्पादन होता है वह सीमेन्ट जरूरतमन्द लोगों को मिले, इसकी भी ठीक व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये। गांवों के पटवार सर्किल से लेकर राजधानी तक अगर लोगों की जरूरत को ध्यान में रखकर बंटवारा करना चाहते हैं तो काफी जनता को सन्तोष दिला सकते हैं आज बहुत सी जगह बान्ध टूटे हुये हैं, बहुत से लोग जो काश्तकार हैं, उनकी पानी की टंकियां टूटी हुई हैं और मरम्मत चाहती हैं और जो कई चीजें क्षतिग्रस्त हैं जैसे स्कूलें हैं, अस्पताल हैं, कोई सार्वजनिक स्थान है, उनकी मरम्मत के लिये आप अगर सीमेन्ट मुहैय्या नहीं करा सकें तो यह सोचनीय है। जहां तक जो सीमेन्ट उपलब्ध होती है उस सीमेन्ट की भी ऐसी स्थिति है वह पूरी मात्रा में नहीं पहुंचती है। जो इसके लिये नौकर हैं या लाइसेन्स शुदा हैं वे कहते हैं उससे ज्यादा पैसा लेते हैं इसलिये हमें कुछ पर्सेन्ट फ्री करवा दें। मंत्री महोदय ने एक लिस्ट दी है सवाई माधोपुर में इतनी पर्सेन्ट फ्री, नागौर में इतना पर्सेन्ट फ्री और अमुक-अमुक जिलों में इतना-इतना पर्सेन्ट फ्री। सीमेंट विक्रेताओं को पता नहीं अलग-अलग रिटेलरों से 20 पर्सेन्ट, 25 पर्सेन्ट फ्री करवाते है, यह क्या नीति है। बोरी को झाड़पूंछ कर उतना तो देते ही है। अगर सही मायने में उनके गोदामों में झाड़ू लगाई जाय तो 20-25 बोरी तो कभी भी प्राप्त कर सकते है और आप फ्री और कर रहे हैं। वे इसको 30 और 40 के भावों पर बेचते है। इस प्रकार दूकानदार कम करते रहते हैं तो इसका बुरा असर पड़ता है। जो फ्री करने का सिस्टम है वह बन्द हो।

अगर आप परमिट से बिकवाना चाहते हैं तो चाहे डी. एस. ओ. हो या तहसीलदार हो वे पूरा कोटा कभी नहीं देते हैं तो क्यों नहीं आप अपने सरकारी स्तर पर विशिष्ट ऐजेन्सी कायम करें और उन ऐजेन्सियों द्वारा बिकवाये ताकि जो बदनामी होती है, कम तोलते हैं, फ्री करवा लेते है। आपका

(श्री दीपंकर)
विकास अधिकारी और स्टाफ जो देना चाहते हैं वह नहीं दे सकते हैं। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था अवश्य करिये......

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभापति महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, यहा तक साबुन जैसी चीज बाजार में नहीं मिले, डालडा की भी यही स्थिति है माल अवश्य है परमिट के लिये लेकिन मैंने देखा है 40-50 आदमी इस प्रकार घूमते फिरेंगे जो जिलों के लिये परमिट लाते हैं और कम्पनियों में जाकर माल लाते हैं मैं भी गया था माल था और काफी मात्रा में माल था लेकिन देते नहीं हैं। मैंने स्वयं ने देखा है हर 15 मिनिट में ट्रक माल लेकर जा रहा है लेकिन माल उनको नहीं मिला। आपसे हर प्रकार की छूट ले सकते हैं लेकिन जो साधारण उपभोक्ता है, उस तक चीज नहीं पहुंचे, ऐसा तो कम से कम नहीं करें। इस तरह की जो कमजोरी है उसके लिये क्या व्यवस्था है। यह स्थिति आपकी सोचनीय है। इसलिये आशा है हर तरह से आप सरकारी मशीनरी को चुस्त करें और इस तरह के जो उपभोक्ता हैं उनकी जरूरत को पूरी करें. सामाजिक दृष्टि से करें।

हमारे इधर की बैंचेज पर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने इस विषय पर अपने विचार रखते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस दल वाले बहुत बड़ा चन्दा कर लेते हैं और उनको छूट दे देते हैं। यह तो सावन के अंधे को हरा हरा ही दीखता है कांग्रेस के ऊपर चाहे जैसे चार्ज लगायें लेकिन हम बिलकुल बेदाग हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री दीपंकर : अन्त में निवेदन करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं। कपड़े की समस्या है और यह काफी बड़ी समस्या है.......

श्री सभापति : कुछ बातें बहुत जरूरी हो सकती हैं। मंत्री महोदय से बात कर लें और भी लोगों को मौका मिल सकेगा।

श्री दीपंकर : कपड़े की व्यवस्था आप कम से कम पंचायत हैडक्वार्टर तक तो कीजिए। क्योंकि अभी जिला स्तर पर ही कपड़ा आता है और वह वहीं बेच देते हैं तो जिला स्तर से पंचायत स्तर तक पहुंचे। यह आपके ध्यान में आना चाहिए कि गांव के लोग कपड़े के लिए तीन-तीन और चार-चार दिन तक तहसील हैडक्वार्टर्स पर बैठे रहते हैं और उनको मोटा कपड़ा उपलब्ध नहीं होता। इसकी आप कम से कम व्यवस्था कीजिए। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द सामरिया !

(श्रीमती निर्मलाकुमारी एवं श्री मूलचन्द सामरिया के एक साथ बोलते रहने पर) इनके बाद में आपको (श्रीमती निर्मला कुमारी):—समय मिल जायेगा।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : सभापति महोदय, जो विवरण खाद्य मंत्री द्वारा हमको दिया गया है उसको पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पर आते हैं कि हमारी राज्य सरकार ने हमेशा दिल्ली की ओर देखा है। किस तरह की नीतियां हम निर्धारित कर सकते हैं इसके लिए तो आपने अपनी मजबूरियां जाहिर की हैं लेकिन जिस तरह के एक्शन प्रेक्टिकल तरीके से इसको इम्पली मेंट

(श्री मूलचन्द सामरिया)
करने के लिए किये हैं उसके लिए मैं सदन का समय लेना चाहूंगा क्योंकि यह नीति आपकी नहीं थी और आपने मजबूरियां जाहिर कर दीं।

जहां तक खाद्य समस्या का सवाल है सर्वप्रथम मैं गेहूं और लेवी के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। जिस समय सरकार ने गेहूं की लेवी की बात की तो उससे पहले दोनों ही पक्षों की ओर से इस पर चर्चा हुई तो लोगों ने आशंकायें जाहिर की थी कि व्यापारियों से लेवी लेने की नीति असफल रहेगी और ऐसा ही हुआ, लेकिन समय के पहले न तो सरकार सोच सकती है और सरकार ने जिद्द की, और कहा कि नहीं व्यापारियों से लेवी लेंगे। उसमें असफल होने पर सरकार ने यह भी घोषणा की थी कि 31 मई तक किसान अपना अनाज बाहर निकाल सकेंगे और उस घोषणा के बाद किसानों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार अनाज तो अपने पास रख लिया और बाकी का अनाज उन्होंने निकाल दिया। तो मैं पूछना चाहूंगा कि फिर सरकार ने जो गेहूं था उसमें से लेवी के नाम से वसूली करने का दूसरी तरह का आर्डर क्यों दिया? किसान देहात में रहता है, अलग-अलग ढाणियों में रहता है वह आन्दोलन कर नहीं सकता। एक दो दिन भी यदि वह आन्दोलन करें तो वह अपनी फसल नहीं छोड़ सकता और यदि छोड़ दे तो सालभर की रोटी उसकी चली जाये। तो सरकार इस तरह से मजबूर करे, कि जो उसकी आवश्यकता के अनुसार रखा हुआ गेहूं है उसमें से भी तुलवाये तो यह कहां तक उचित है? मैं यह पूछना चाहता हूं कि किसान के काम में आने वाला खाद, बीज, बिजली और सीमेंट आदि जो चीजें हैं सरकार उनसे जिस तरह से लेवी में 105 रुपये क्वि. के हिसाब से गेहूं लेती है और आज मार्केट में उसकी वैल्यू 210 रुपया क्वि. है 50 पर्सेन्ट में लेवी ली है तो क्या सरकार वादा कर सकती है कि जितना भी अनाज लेवी में लिया जायेगा उसकी एवज में सरकार आधी कीमत पर या कन्सेशन कीमत पर किसान को यह जरूरत की चीजे मुहैया करायेगी? मैं समझता हूं कि सरकार ऐसा नहीं कर रही है। मैं समझता हूं कि किसानों के साथ अन्याय होता है। मैं पूछना चाहूंगा कि जब सरकार ने किसानों से लेवी ली है तो क्या कारण है कि उसी गिरे हुए भाव पर और एक निश्चित मात्रा में जरूरत की चीजें देने के लिए सरकार क्यों नहीं कदम उठा सकती है? मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस समय लेवी की बात की गयी थी तो मैंने वहां ए.डी.एम. से बात की और शिकायत की कि लेवी में गेहूं तो कृषक से ले लिया गया और जिन्होंने खेती ही नहीं की फिर भी उनसे लेवी क्यों ली जा रही है? मैं मिसाल देना चाहता हूं कि हमारे दौसा में वकील श्री गुलाम मोहम्मद के पास जमीन थी जिसमें उन्होंने खेती की लेकिन उनकी आवश्यकता से भी कम उनका अनाज पैदा हुआ और जो भी गेहूं नहीं था लेकिन ए. डी. एम. ने नोटिस दे दिया। उसने कहा कि मैं कहां से दूंगा? मैंने इस सम्बन्ध में ए. डी. एम. से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी नीति में है और वह बताऊंगा नहीं लेकिन अनाज अवश्य लूंगा।

सभापति महोदय, इसका नतीजा यही निकला कि जो लोग शरीफ थे, अपनी इज्जत से डरते थे और सरकार से घबराते थे उन

(श्री मूलचन्द सामरिया)

सबसे सरकार ने लेवी वसूली कर ली और जो लोग झगड़ा कर सकते थे, लेवी में रोडा अटका सकते थे उनको छुआ तक नहीं चाहे वह किसान छोटा हो या बड़ा हो और नतीजा यह हुआ कि लोगों के खिलाफ मुकदमे बनाये गये और मुकदमों में लोगों के हजारों लाखों रुपये वर्बाद होने के साथ-साथ उनको अपनी खेती के काम छोड़ कर यहां आना पड़ा । मैं रामस्वरूप और श्रवणलाल शर्मा दो भाई हैं उनको 3 क्वि. और 1 क्वि. 75 किलों के लिए नोटिस दिया गया। दोनों भाइयों ने अनाज को गाड़ी में भर कर ए. डी. एम. श्री श्रीवास्तव के पास चक्कर लगाते रहे लेकिन ए. डी. एम. ने गेहूं नहीं तुलवाया और जब उन्होंने टेलीग्राम दिया तो गेहूँ तो तुला दिया लेकिन आज तक एक पैसा भी उनको नहीं दिया ···

श्री जयनारायण रोत : माननीय सभापति महोदय, सदन में कई माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं और कई सदस्यों ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर रखे हैं इसलिए मैं प्रस्ताव करूंगा कि सदन का समय बढ़ा दिया जाये ।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : सभापति महोदय, आज की कार्यवाही चले तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाये ।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

(सदन का समय 7 बजे तक के लिए बढ़ाया गया)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : माननीय सचेतक महोदय ने प्रस्ताव रखा है कि जब तक कार्यवाही चले तो यह कल तक भी चल सकती है ।

श्री जयनारायण रोत : यह प्रस्ताव नहीं था । सभी सदस्य अपने विचार प्रकट कर सकें ।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं रामस्वरूप और श्रवणलाल की बात कह रहा था कि आज तक उनको पैसा नहीं दिया गया है और उन्होंने दरख्वास्त भी दी और शायद मिनिस्टर साहब को भी दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ । अनाज के मामले में हमारी सरकार की कोई नीति नहीं है और केन्द्र के अनुसार भी यदि करना पड़े तो मैं यह निवेदन करूंगा कि एक तरफ आपकी पार्टी और आपकी नीति और केन्द्र के लिहाज का सवाल है तो दूसरी तरफ आपको राजस्थान की जनता को भोजन और अनाज मुहय्या कराने का भी बड़ा प्रश्न है इसलिए सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार और खाद्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने केन्द्रीय नेताओं पर इस तरह का दबाव डालें, अपनी विवशता जाहिर करें और उनके पास राजस्थान की पूरी जनता की आवाज को लेकर संगठित होकर संघर्ष करें तो हमें हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों के बराबर सहूलियत वह दे सकेंगे । अगर आपने हमेशा की तरह अपनी पलायनवाद की नीति का परिचय दिया तो राजस्थान की जनता के लिए आये दिन जो संकट है उनमें आप और धकेलते रहेंगे और अपनी असमर्थता बता कर आप उनको सन्तोष नहीं दे सकेंगे । सभापति महोदय, जहां तक आवश्यक

(श्री मूलचन्द सामरिया)

वस्तुओं की बात है उसके संबंध में कहा जाता है कि सीमेंट आ रही है, लोहा आ रहा है, पुरानी रेट पर मिलेगी। मैं यहां पर सीमेंट के बारे में इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि आज सीमेंट की कीमतें ड्योढ़ी हो गई हैं। एक तरफ सरकार यह कहती है कि पुरानी रेट पर सीमेंट देगी। डीलर भी सीमेंट देने को तैयार हैं लेकिन उसको मालूम नहीं है कि पुरानी रेट क्या है? इसका परिणाम यह हो रहा है कि दौसा और लालसोट तहसील में आज तक सीमेंट पड़ा हुआ है, डीलर देना चाहता है और जिनके पास परमिट हैं वे लेना चाहते हैं, किसी को लेने से इन्कारी नहीं है लेकिन प्रसाशन को मालूम ही नहीं है कि पुरानी रेट क्या है? अथवा सरकार की दोहरी नीति क्या है इसको आपका एस. डी. एम. समझ नहीं सकता है कि उसको क्या करना चाहिये? वहां सीमेंट पड़ी है जिसके बारे में आप कुछ व्यवस्था करावें तो वह काम में आ सकती है। सभापति महोदय, इस सवाल को मैं यहां पूर्व और पश्चिम का सवाल कहते हुये फिर भी झिझकता हूं लेकिन आए दिन इस प्रकार की बातें प्रेक्टिकल तौर पर होती हैं कि यदि इधर वर्षा की कमी हो तो भी पूर्व को नेग्लेक्ट किया जाता है। यहां हाई कोर्ट का प्रश्न नहीं है लेकिन यहां पर लोगों के भोजन और चीनी का प्रश्न है। उदयपुर शहर के लोगों की आवश्यकतायें या उनका स्टेंडर्ड इतना ऊंचा है या उनमें ऐसी क्या बात है कि उनको अधिक अनाज दिया जाता है, अधिक मात्रा में चीनी दी जाती है जबकि जयपुर शहर को कम दी जाती है....

श्री मनोहर कोठारी : यह माननीय सदस्य को गलत जानकारी है।

श्री मूलचन्द सामरिया : वहां पर एक किलो चीनी दी जाती है। यह आखिर कौनसा मापदण्ड है जो आपने भिन्न भिन्न शहरों के लिए बना रखा है...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह जमाना गया जब उदयपुर की चलती थी, अब तो उदयपुर की हालत आपसे भी ज्यादा खराब है।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गेहूं आवश्यकता से ज्यादा किसी के पास नहीं था उससे भी आपने लिया और जिन गरीब किसानों के पास इतना भी नहीं था कि वे साल भर की आवश्यकता की पूर्ति कर सकें उनसे भी अनाज ले लिया। उनके पास एक दो महीने से ज्यादा का अनाज नहीं है जो खत्म हो रहा है। ऐसे लोगों से जिनके पास अपनी आवश्यकता के लिए गेहूं था उनसे आपने डण्डे के जोर पर, पुलिस के जोर से वसूली की है। उसके बाद क्या गारन्टी है कि जिस प्रकार आप शहरों के अन्दर तीन किलो प्रति माह अनाज बांटना चाहते हैं, देहात के लोगों को भी इसी तरह की गारण्टी देंगे ताकि वह भूखों नहीं मरें और जितनी उनको अनाज की आवश्यकता होगी, तीन किलो जिस प्रकार शहरों को देते हैं उसी प्रकार देहातों को भी देते रहेंगे और देहात के लोगों को भी बराबर तीन किलो प्रति माह गेहूं बांटते रहेंगे और देहात के लोगों को यदि आप यह समझते हैं कि ये गेहूं खाने के काबिल नहीं हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि जौ, ज्वार, मक्का, चना कुछ भी दे दीजिए, उसी से वह अपना भरण पोषण कर लेंगे। लेकिन अगर उनके साथ भेदभाव हुआ तो लोग

(श्री मूलचन्द सामरिया)

संगठित होकर इसका मुकाबला करेंगे, वे भी आवाज उठा सकते हैं। मरता हुआ क्या नहीं कर सकता है। इस समय जितना शहरों के लोग आन्दोलन नहीं कर सकते मैं समझता हूं, सभापति महोदय, अगर किसान संगठित हो गए तो उससे ज्यादा अपने अधिकारों की मांग के लिए आन्दोलन करेंगे। आप इस राज्य में गुजरात और बिहार की हालत पैदा न करें। यह नहीं कि आप शहरों को ही सारी रियायतें देते रहें और देहातों की ओर नहीं देखें। मैं निवेदन करूंगा कि जो रियायतें आप शहरों को देते हैं वही रियायतें देहात के लोगों को मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय, जहां शहर में बड़े-बड़े लोग रहते हैं, शहर के अन्दर मालदार लोग रहते हैं, उनकी आय का औसत देखेंगे तो वह देहात के मुकाबले बहुत ज्यादा है। पर समाजवाद का नकाब लगा कर बैठी हुई सरकार क्या यह मानती है कि देहात में रहने वाला व्यक्ति, झोंपड़ी में रहने वाला व्यक्ति जो है उसकी कोई आवश्यकता नहीं हैं। उसको शहर के मुकाबले कुछ भी सहूलियत नहीं मिलनी चाहिए, क्या यह जस्टीफाइड है? समाजवाद के नाम पर शहरों को तो आप सभी आवश्यकता की चीजें देते हैं और देहातों को नेग्लेक्ट करते हैं। मैं समझता हूं कि इन सब बातों पर अगर आप ध्यान देकर विचार करेंगे

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

तो आप इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि इन सारी चीजों की जरूरत पैसे वालों के बनिस्पत देहात के लोगों को ज्यादा है।

इसी तरह से जो आपने वसूली की है मैं समझता हूं कि जितना लवाजमा सरकारी नौकरों का है, तहसीलदार, एस. डी. ओ. सारे पुलिस अधिकारी, सारी पंचायत समितियों का स्टाफ इन सब लोगों को आपने इस काम में लगा दिया। उनकी तनख्वाह, उनके टी. ए., डी. ए., पर तो खर्चा होगा ही साथ ही इस संदर्भ में जो किसानों के ऊपर केस करेंगे, उस पर भी खर्चा होगा। इससे परेशानी बढ़ेगी। मैं समझता हूँ, सभापति महोदय, ईमानदारी से हिसाब लगायेंगे तो आप पायेंगे कि ढाई सौ रुपये क्विन्टल से कम सरकार को गेहूं का भाव नहीं पड़ेगा। जो तनख्वाह दी जाती है वह भी तो सरकारी खजाने से दी जाती है, वह भी तो जनता का पैसा है, जनता की जेब से दिया गया है। अगर इसके मुकाबले में प्राइमरी स्टेज पर ही सरकार ओपन मार्केट से गेहूं खरीदती तो सवा सौ रुपये, 135) रु. क्विन्टल में ओपन मार्केट से सरप्लस एरिया से जितना चाहिए था, जितनी जरूरत थी सरकार गेहूं खरीद सकती थी। लेकिन इनको तो किसानों को तंग करना था। उन लोगों के गेहूं हुआ या नहीं हुआ इनको तो किसानों से गेहूं लेना था। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार अपनी कीमत आंक कर देखे तो मालूम होगा कि ओपन मार्केट में सरकार आसानी से टार्गेट पूरा कर सकती थी और एक बार स्टाक बढ़ा कर मार्केट को कन्ट्रोल कर सकती थी। जब तक आपके पास खुद का स्टाक नहीं होगा आप मार्केट के फ्लक्चुएशन को कन्ट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसलिए एक बार ज्यादा भी कीमत देनी पड़े वह ज्यादा कीमत देकर, इसमें चाहे जितना दुःख आपको हो, लेकिन एक बार ओपन मार्केट से गेहूं खरीद कर अपना स्टाक बढ़ा लेते

Page No 100

1 00

(श्री मूलचन्द सामरिया)

हैं तो फिर आपकी वितरण व्यवस्था भी सुधर सकती है और जरूरत पड़ने पर आप अपना खुद का स्टाक भी काफी बढ़ा सकते हैं और इस तरह से इकोनॉमी को कन्ट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने खुद की इच्छानुसार काम किया, राजस्थान की जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता के साथ अन्याय करेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

दो मिनिट और।

सभापति महोदय, इसी तरह से जो शहर के लोग हैं उनको केरोसिन तेल मिल जाता है, डिस्ट्रिक्ट के सब हैडक्वार्टर पर भी मिल जाता है लेकिन देहात की झोंपड़ी में रहने वाले किसान को तेल इसलिए नहीं दिया जाता है कि हमको पहले शहरों को देना है, कस्बों को देना है और उसके बाद में डीलर्स की व्यवस्था के अभाव में मना कर देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि शहरों में तो कन्ट्रोल रेट पर केरोसिन मिल जाता है लेकिन देहात के लोगों को दो दो रुपया, तीन-तीन रुपया बोतल में, लीटर में भी तेल नहीं मिल पाता है और लोगों को अंधेरे में गुजारा करना पड़ता है। लोगों को बिना तेल के बहुत परेशानी होती है। मैं यहां एक मिसाल भी देना चाहता हूं कि कुछ लोगों को जहरीले कीड़े, जानवरों से भी खतरा होता है। लेकिन इस सरकार की नीति मैं समझ नहीं सकता, जो भी लेवी लेगी वह तो किसानों से लेगी और फैसेलिटी देगी तो शहरों को। क्या आप किसानों को जागृत करना चाहते हैं कि जब तक आप लोग संगठित होकर हमसे मुकाबला नहीं करोगे, हमको मजबूर नहीं करोगे तब तक तुम्हारे साथ इसी प्रकार से भेदभाव किया जाएगा। क्या सरकार यह चाहती है कि पूर्वी राजस्थान की जनता संगठित होकर और बड़े नेताओं की चापलूसी करना छोड़ कर अपने अधिकारों की मांग नहीं करेगी तब तक पूर्वी राजस्थान की अवहेलना ही की जाएगी, भेदभाव को बढ़ावा देते रहेंगे। मैं समझता हूं कि कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति, जो पूर्वी राजस्थान का रहने वाला हो या पश्चिमी राजस्थान का रहने वाला हो इस तरह के सरकार के डिस्क्रिमिनेशन का मुकाबला करना चाहेगा। सरकार को सब को समान समझना चाहिए, दुःख में दुखी और सुख में सुखी सबको समान रूप में साथ लेकर चलना चाहिए तभी आप इस तरह की गलत भेदभाव की नीति को रोक सकेंगे नहीं तो सरकार के लिए यह निंदा का कारण बनता है।

श्री सभापति : श्रीमती निर्मलाकुमारी।

श्रीमती निर्मलाकुमारी (चित्तौड़गढ़) : माननीय सभापति महोदय, इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता, इस तथ्य को छुपाया नहीं जा सकता कि बढ़ती हुई महंगाई ने वास्तव में एक बहुत ही दयनीय स्थिति पैदा कर दी है। यदि हम पिछले दो-तीन वर्षों के आंकड़े देखें और उनकी तुलना, कीमतों के बढ़ते हुए आंकड़ों से करें तो हमें एक आश्चर्य मिश्रित, एक तरह से कहना चाहिए, दुःख होगा। इतनी अधिक महंगाई आखिर क्यों बढ़ गई, एक प्रश्न-चिह्न हमारे दिमाग में आता है, सब व्यक्तियों के सामने आता है कि महंगाई दिन प्रति दिन इतनी क्यों बढ़ रही है?

(श्रीमती निर्मलाकुमारी)

अर्थ शास्त्र का एक सीधा सा सिद्धान्त है कि जब पूर्ति कम होती है और मांग अधिक होती है तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में मांग इतनी अधिक बढ़ गई है ? मांग जनसंख्या की बढ़ोतरी के साथ बढ़ती है। तो क्या मांग इतनी ज्यादा बढ़ गयी है जिसकी वजह से महंगाई दुगनी, तिगुनी दिखाई देती है ? इसका सीधासा उत्तर है, मान्यवर, कि जनसंख्या इतनी अधिक नहीं बढ़ी है जिस अनुपात से महंगाई बढ़ती हुई दिखाई देती है। हमारा जो उत्पादन है उसमें कमी हो रही है। इसका सीधा सा उत्तर है कि हम उत्पादन के बारे में इतना अधिक ध्यान नहीं दे पाये हैं, जितना कि देना चाहिये था। यदि हम अपने प्राकृतिक साधनों की ओर दृष्टिपात करें तो हमें यह प्रतीत होता है कि उनके जरिए हम महगाई जैसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। महंगाई सभी देशों में बढ़ रही है। कुछ परिस्थितियां प्रत्येक देश में होती हैं। हमारे देश में भी महंगाई है किन्तु यहां की परिस्थितियां भिन्न हैं। ऐसी स्थिति में इस महंगाई से छुटकारा पाया जा सकता है।

आज हमारे हर व्यक्ति के सामने जो मूल समस्या खड़ी हुई है वह है अन्न की समस्या। इस अन्न की समस्या से एक हद तक सभी प्रकार की बढ़ती हुई कीमतों की समस्या लिंक्ड है, इससे जुड़ी हुई हैं। यदि हमारी सरकार केवल अन्न की समस्या में उलझी रहे या अन्न की खोज में ही भटके या कहना चाहिये अन्न एकत्रित करने में ही अपनी सारी शक्ति लगा दे तो ऐसी स्थिति में जो विकास के कार्य हैं वह सब रुक जाएंगे और विकास के कार्यों की ओर ध्यान न दे पाएंगे। बिना पैदावार बढ़ाए अन्न की खोज करें तो यह एक तरह की ऐसी भूल भूलैया है, मान्यवर, जिसमें से निकला नहीं जा सकता है। यदि हम अन्न की खोज करते ही रहे, केवल लोगों से अन्न इकट्ठा करने की ओर ध्यान देते रहे तो यह समस्या सुलझेगी नहीं। इस समस्या को सुलझाने के लिये उत्पादन बढ़ाना होगा। अभी एक सेन्ट्रल सर्वे हुआ था उसके अनुसार यह प्रतीत होता है कि एक कृषक का एक क्विन्टल गेहूं पैदा करने में 135 रुपया खर्चा होता है। यह सेन्ट्रल सर्वे की बात है। हो सकता है किन्हीं विशेष स्थानों पर यह खर्च ज्यादा आता हो। ऐसी स्थिति में ये अनाज की कीमतें बढ़ रही हैं परन्तु मैं यह कहना चहती हूं कि और कितनी ही वस्तुओं के दाम बढ़ते दिखाई देते हैं जैसा कि रासायनिक खाद। इसकी जो बढ़ती हुई कीमत है, इस बढ़ती हुई दरों के कारण किसानों ने रासायनिक खाद की खरीद कम कर दी है। मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में 20/30 प्रतिशत खाद की खरीद कम हुई है। जो हमारे बढ़ते हुए चरण हैं, हरित क्रान्ति की ओर बढ़ने का जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य के ऊपर एक प्रकार की रोक लग जाएगी, चेक लग जाएगी, ऐसी स्थिति में हम बजाय पैदावार बढ़ाने के दस वर्ष पीछे और चले जाएंगे। महंगाई को समाप्त करना है तो कृषि की पैदावार को बढ़ाना होगा। कृषि को एक तरह का उद्योग मानना होगा और सरकार को भी कृषि को उद्योग के रूप में देखना होगा। आज सभी वक्ताओं ने बताया कि कृषकों को समय पर बीज, खाद नहीं मिलता

(श्रीमती निर्मलाकुमारी)

है और विद्युत के बारे में अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब गांव के लोग विद्युत की मांग करने के लिये जन-प्रतिनिधियों के पास आते हैं तो जन प्रतिनिधियों को भी एक विद्युत सा झटका महसूस होता है एक गांव में विद्युत लाने के लिये कई प्रकार की परेशानी उठानी पड़ती है कई प्रकार की प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं। फिर भी दो साल में एक दो गांवों की ही सैंक्शन होती है। ऐसी स्थिति में मान्यवर, पैदावार कैसे बढ़ायी जा सकती है? महंगाई जैसी समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है ? किसान जी तोड़ मेहनत करता है, परिश्रम करता है। साथ ही साथ अधिक अन्न उपजाओ, इस तरह के भाषण भी सुनता है परन्तु फिर भी जब उसकी पैदावार का मूल्य निर्धारित करने का समय आता है तो सरकार ही निर्णय लेती है। किसी प्रकार से भाव निर्धारित कर दिये जाते हैं। किसान को कोई पूछता नहीं है। उद्योगों की बात को आप लीजिये। किसी प्रकार की कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान करने के लिये मिल मालिक, सरकार और श्रमिक एक साथ एकत्रित होंगे। कृषकों की समस्या होती है तो वह तबका नहीं होता है केवल सरकार निर्णय करती है। मान्यवर, क्यों नहीं जो कृषक हैं, जो कृषकों के प्रतिनिधि हैं उनकी सलाह ली जाय और सही स्थिति का अवलोकन किया जाय कि किस प्रकार की उनको परेशानियां हैं ? आज हम यह देखते हैं कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई प्रकार की सहकारी समितियों का निर्माण किया गया। परन्तु जो ग्राम की सहकारी समितियां हैं, उनके ऊपर होल्ड किसका है ? अधिकार किसका है ? यदि इस पर सूक्ष्म दृष्टिपात करें तो प्रतीत होगा कि उसके ऊपर बड़े किसानों का, बड़े व्यापारियों का नियन्त्रण है। छोटे किसान, लघु कृषक, सीमान्त कृषक आज तक इन को-ऑपरेटिव सोसाइटी से, इन सहकारी समितियों से लाभ नहीं उठा पाये हैं। जो सहकारी समितियां बनती हैं, वह कुछ व्यक्तियों, उसके रिश्तेदारों, निकट के मित्रों की बनती हैं और उनको ही रजिस्टर्ड हो जाती हैं। साल भर व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं। साल के अंत में पैसा जमा कर देते हैं। इस प्रकार का कारोबार चल रहा है। साथ ही साथ, मान्यवर, जब उन कृषकों को पता चलता है कि उन्हें किसी एक विशेष प्रकार की चुनाव की विधि से हटाया जा सकता है तो वे भी इस प्रकार के तरीके अपनाते हैं जिससे कि इन सहकारी समितियों पर उनका कब्जा बना रहे और इस प्रकार वे उन पर कब्जा कर बैठे रहते हैं। मेरा सुझाव है कि जिन व्यक्तियों के पास दस बीघा जमीन है, को-ऑपरेटिव सोसाइटी से जा ऋण मिलता है वह उनको नहीं मिलना चाहिये।

मान्यवर जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के हमारे भाई हैं उन्हें कभी भी को-ऑपरेटिव सोसाइटी से लाभ नहीं मिल पाता है। उनके नाम पर नाना प्रकार के आडम्बर किए जाते हैं। कई प्रकार की सोसाइटियां बनायी जाती हैं किन्तु उन्हें वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता है। जब तक इन छोटे किसानों को लाभ नहीं पहुंचेगा तब तक महंगाई रूपी दानव को समाप्त नहीं कर पाएंगे और जैसा कि मैंने अभी पूर्व में बताया है हम केवल भूल भूलैया में ही घूमते रहेंगे।

(श्रीमती निर्मलाकुमारी)

आधुनिक कृषि का जितना भी तकनीकी ज्ञान है उसका लाभ बड़े कृषकों को हुआ है। मान्यवर, हमें यह ज्ञान सीमान्त कृषकों, लघु कृषकों को भी पहुंचाना है। कृषकों की हालत नहीं सुधरेगी तब तक यह महंगाई की समस्या नहीं सुधर सकती है। रूरल इकोनोमी को बदलना होगा, उसमें परिवर्तन लाना होगा, महंगाई के साथ साथ, इसको मिटाने के लिये कृषि के साथ साथ उद्योगों की ओर भी ध्यान देना होगा। मान्यवर, आज स्थिति यह है कि एक व्यक्ति उद्योग लगाना चाहे तो लाल फीताशाही, कागजी कार्यवाही इतनी ज्यादा होती हैं कि व्यक्ति अपने जीवन काल में उद्योग नहीं लगा पाता है। हो सकता है कि उसके बेटे उसका लाभ कमा सकें। ऐसी स्थिति रही तो हमारे देश का आर्थिक ढांचा विघटित होता रहेगा। किसी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। केवल नीतियां बनाते रहेंगे और व्यवहार में कुछ नहीं होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

आज हम देखते हैं कि व्यापारी वर्ग नाजायज तरीके से किस प्रकार से कमाने में जुटा हुआ है। हर चीज का वह अपने पास स्टॉक कर लेता है और इस प्रकार कृत्रिम रूप से अभाव पैदा कर के कीमतें बढ़ाता जा रहा है। कीमतें बढ़ाने में आज जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, वह है काला धन काले धन की वजह से, जिस व्यक्ति के पास में काला धन है वह दुगुनी, तिगुनी, चौगुनी कीमत देकर भी एक आवश्यक वस्तु खरीद लेता है। जो सामान्य व्यक्ति है जिसको वास्तव में किसी चीज की आवश्यकता है वह उसको नहीं खरीद सकता है। मान्यवर, मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो काला-धन है, वह हमारी अर्थ व्यवस्था की जो जड़ है उसको खोखला कर रहा है। काले धन की तुलना एक केन्सर रोग से की जा सकती है। यदि इसका प्रारंभ में इलाज नहीं किया गया तो हो सकता है वह हमारे अर्थ तंत्र को विकृत कर दे। अब प्रश्न यह है कि यह काला धन आता कहां से है? काला धन खासतौर से करों की चोरी से आता है। मान्यवर यह काला धन हमारे देश की जो अर्थ व्यवस्था है, उस अर्थ व्यवस्था के शरीर में बहुत अधिक गहन रूप से प्रविष्ट हो चुका है। शायद ही कोई व्यापारी हो जिसके पास काला धन न हो। यह जो नौकरशाही है, यह कर्त्तव्यहीन है और वह इसका पालन पोषण कर रही हैं ऐसी स्थिति में ज्यों ज्यों काला धन बढ़ेगा त्यों त्यों महंगाई बढ़ेगी इसलिये इस काले धन को चेक किए बिना महंगाई की समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। आज एक तरफ एक गरीब मजदूर, गरीब किसान का बेटा जब जीवन की साधारण वस्तुएं भी प्राप्त नहीं कर पाता है तब दूसरी ओर जिस व्यक्ति ने बहुत अधिक काला धन जमा कर लिया है, उसका पुत्र इस काले धन से सारी सुविधाओं का उपभोग करता है। इस प्रकार की असमानता जो है यह महंगाई की जनक है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनिट और लेना चाहूंगी।

श्री सभापति : जितना जल्दी हो सके समाप्त करें। जितना संक्षेप में कह सकें कहें।

श्रीमती निर्मलाकुमारी : मैं संक्षेप में ही निवेदन करूंगी दो मिनिट में।

श्री सभापति : दो मिनिट में कर दें समाप्त।

श्रीमती निर्मलाकुमारी : उपभोक्ताओं का खून तो महंगाई के द्वारा चूसा ही जा रहा है उसके साथ साथ एक और दानव आज उसके ऊपर अटेक कर रहा है, वह है मिलावट, जो किसी से छिपा हुआ नहीं है। महंगाई की समस्या से मिलावट की समस्या बहुत बड़ी दिखाई देती है। मार्केटिंग साइन्स में यह बात कही जाती है कि उपभोक्ता एक तरह का राजा है, और राजा की इच्छा से सब प्रकार के मार्केटिंग की व्यवस्था होती है। यदि यह प्रश्न है तो क्या हमारे देश में वास्तव में उपभोक्ता इस मार्केटिंग साइन्स के हिसाब से राजा हैं? या उसके विपरीत हम चल रहे हैं? क्या वह निर्देश देता है कि मिलावट की जाय? क्या वह निर्देश देता है कि काली मिर्च में पपीते के बीजों की मिलावट की जाय, गेहूं में धतूरे के बीज की मिलावट की जाय? इस प्रकार की जो मिलावट की चीजें हमको दिखाई देती हैं तो क्या वास्तव में मार्केटिंग साइन्स के हिसाब से हम चल रहे हैं? इसके लिये आज वास्तव में यदि हम देखें तो हम लोगों की समस्याओं का कुछ समाधान नहीं कर पायेंगे। उससे व्यक्ति अनुचित तरीके से धन कमाता रहता है।

इस प्रकार की हरकत व्यक्ति क्यों करता है? इस प्रकार का नरपिशाच वह क्यों बनता है? इसका सीधा सा उत्तर है। व्यापारी जो है वह धनी बनना चाहता है छोटे रास्ते से। अमीर बनने में वह ज्यादा समय नहीं लगाना चाहता हैं। इसी वजह से बनार्ड शॉ ने कहा है कि पूंजीपति का कोई भगवान नहीं होता है। उसका ईश्वर जो है वह है स्वर्ण और प्रचुर मात्रा में लाभ। इस प्रकार से कमाई यदि व्यापारी करता रहेगा तो हमारे समाज का उत्थान कभी नहीं हो सकता। माननीय खाद्य मंत्री जी विधान सभा में हमारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, हमारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में बात कह देंगे लेकिन इन समास्याओं का वास्तविक समाधान नहीं हो पायेगा।

हर प्रकार के जो नमूने लिये जाते हैं मिलावट के उसमें यह देखा गया है कि चार में से एक नमूना है उसमें जरूर मिलावट पाई जाती है। यह क्रम सामान्यतः देखा गया है। वैसी स्थिति को हमें रोकना पड़ेगा।

गेहूं के व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया गया। वह वास्तव में एक सराहनीय कदम था। यह एक तरह का वरदान सिद्ध होता यदि सही रूप से लागू किया जाता। परन्तु गेहूं के व्यापार को असफल करने के लिए व्यापारियों ने बहुत अधिक तरकीबें सोचीं। कई प्रकार के कदम उठाये। उन्हीं व्यापारियों के ऊपर हमने फिर भरोसा कर लिया और फिर लेवी की उन्हीं से वसूल करने की बात सोची। माननीय मुख्य मंत्रीजी और खाद्य मंत्रीजी यदि समय पर न चेतते और व्यापारियों पर निर्भर रहते तो सम्भव था कि वह हमें बड़ी दयनीय स्थिति में डाल देते, विकृत स्थिति में डाल देते। परन्तु यह उनकी सूझबूझ का परिणाम है कि व्यापारियों को हटाकर किसानों से लेवी लेने की बात सोची। किसानों की मैं इस बात के लिए प्रशंसा करूंगी कि उन्होंने हम लोगों को खासतौर से नगर के व्यक्तियों को भूखों मरने से रोका है, और लेवी देकर केवल एक सराहनीय कदम का उदाहरण ही प्रस्तुत नहीं

(श्रीमती निर्मलाकुमारी)

किया है परन्तु मानवता के क्षेत्र में उन्होंने एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। परन्तु जो कुछ भी अन्न इकट्ठा किया गया है वह हमारा बफर स्टॉक नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी, इसके बारे में पहले भी विधान सभा में मैंने सुझाव दिया था कि हमें बफर स्टॉक बनाने के लिए केवल लेवी पर ही निर्भर नहीं रहना है, वल्कि किसानों से जितना भी कर लेते हैं वह कैश में न लेकर काइण्ड में लेना चाहिये अनाज के रूप में हमें एक तरह से कर लेना चाहिए। किसान इसको आसानी से देने को तैयार हो जाएगा। उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार को भी इसमें आसानी होगी तो किसान को भी होगी, क्योंकि किसान अपने नाज को वेचने के लिए बाजार में जाता है और उसका रुपया इकट्ठा करके फिर जमा करता है, तो सीधे कर के रूप में नाज ले लिया जाय तो उसके लिए वह सुविधाजनक होगा।

मान्यवर, एक वात मैं और कहना चाहती हूं महंगाई और गरीवी की समस्या के बारे में। आज आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। इस समस्या का समाधान तब तक नहीं हो पायेगा जब तक कि समाज में असमानता रहेगी (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) एक सैकण्ड।

आज हम यह देखते हैं कि जो किसान है उसको अपने कुएं की मरम्मत कराने के लिए, अपनी टूटी झोंपड़ी की मरम्मत कराने के लिए सीमेंट नहीं मिलती हैं जबकि दूसरी ओर कई ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कि गगनचुम्बी अट्टालिकाएं खड़ी करने के लिए पूरे का पूरा सीमेंट ले आते हैं। एक उदाहरण आपके सामने रखूंगी, एक गरीब किसान का बेटा एक चम्मच चीनी के लिए मचलता है और दूसरी ओर वोरियां की वोरियां गला कर मिठाइयां बनाई जाती है। इस पर हम नियन्त्रण नहीं करेंगे मान्यवर, तो इस महंगाई की समस्या और गरीबी की समस्या का समाधान नहीं हो पायेगा। इस विषय में मेरा यही सुझाव है कि यह जो फैक्ट्रीज हैं, खासतौर से सीमेंट फैक्ट्रीज या चीनी की मिलें हैं उनका राष्ट्रीयकरण होना ही चाहिए तभी जाकर इस समस्या का समाधान कर पायेंगे।

आज की वितरण व्यवस्था पर कई माननीय सदस्य कह चुके हैं। मैं इतना ही कह पाऊंगी कि वितरण-व्यवस्था में जो असमानता दिखाई देती है उसको ठीक करना होगा। खासतौर से ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बहुत अधिक अन्तर है। ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी नहीं मिलती है, समय पर कपड़ा नहीं मिलता है। तो, मान्यवर, क्या हम इस असमानता को बनाये रहेंगे। क्या यह जो नगर और ग्रामीण क्षेत्र का अन्तर है हम इसको समाप्त नहीं कर पायेंगे ? मैं अधिक नहीं कहना चाहती हूं और माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूंगी पुरजोर प्रार्थना करना चाहूंगी कि इस प्रकार की वितरण की असमानता जो है उसको जल्दी ही समाप्त किया जाय।

श्री सभापति : श्री जयनारायण रोत!

(अनुपस्थित)

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : सभापति महोदय, इधर का....

श्री भगराज चौधरी : सभापति महोदय, हमारी पार्टी को....

श्री सभापति : श्रीमती सुमित्रा सिंह!

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सभापति महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मेरा भी है। मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहीं लुप्त तो नहीं होगा ?

श्री सभापति : है आपका।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं): माननीय सभापति महोदय,....

श्री भगराज चौधरी : लेडीज को प्रिफरेन्स दी जा रही है।

श्री सभापति : आपको कोई आपत्ति है इसमें ?

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : सुबह से यदि देखा जाय और बोलने वालों की गणना की जाय तो लेडीज में से सिर्फ मैं ही बोली हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति जी, समाजवाद के लिए निष्ठावान और समर्पित काम करने के लिए बहुत लालायित और प्रगतिशील कहलाने वाले खाद्य मंत्री जी ने विभाग के द्वारा तैयार, जो अपना एक नोट इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है, मैं समझती हूं कि वह बहुत ही निराशाजनक है। हम सोच रहे थे अपने मन में कि शायद खाद्य वस्तुएं और सभी वस्तुएं जो वितरित की जाती हैं उनके वितरण में कुछ सुधार आयेगा और उस सुधार को लाने के लिए खाद्य मंत्री जी ने शायद कुछ न कुछ अपने नोट में इस तरह की बात कही होगी। लेकिन बड़ी निराशा हुई उस नोट को पढ़ने के बाद में। कहीं पर भी वितरण व्यवस्था के सुधार के बारे में कोई चर्चा उन्होंने नहीं की है, और वर्तमान असन्तोष जो इस वितरण व्यवस्था से आज जनता में, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों में और सभी वर्गों में है चाहे उन्हें सरकारी मुलाजिम कहिये, चाहे काश्तकार कहिये और आज मध्यम वर्ग, गरीब, अमीर सभी तबकों में जो खाद्य वस्तुओं व अन्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण में जो कमी और धांधली चल रही है, उसका कुछ कारण प्रतीत नहीं होता है। यह भी प्रतीत नहीं होता है कि उसमें कुछ सुधार होगा। बल्कि आशंका होती है कि हमारी जो वितरण व्यवस्था चल रही है कहीं इससे भी खराब व्यवस्था न हो जाये। पहले हमारा बफर स्टॉक 1,86,000 टन का था। जो कोटा मिलने वाला था वह था 60,000 टन गेहूं और 30,000 टन माइलो। इसी प्रकार लेवी से इकट्ठा हुआ 1,18,000 टन।

(5.31 सायं)

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पदासीन)

इस प्रकार से हर महीनों में मिलने वाला अनाज कम किया गया है, उससे बड़ी आशंका हो गई है। इस सबका क्या होगा? कैसे होगा ? कई जगहों से आने वाले माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है, खाद्य मंत्री का भी ध्यान आकर्षित किया है। बफर स्टॉक बनाने के बारे में हमारी सरकार ने अपनी असफलता का परिचय दिया है। असफल नीति का परिचय

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

दिया है। सबसे पहले व्यापारियों से लेवी की बात कही गई। लेकिन बाद में चाहे वह मजबूरी हो सरकार की, प्रोड्यूसर से लेवी या काश्तकार से लेवी लेनी पड़ी। मैं सदन के सम्पूर्ण माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूंगी, हमारे उत्तर भारत में जितने राज्य हैं, उनमें प्रोड्यूसर पर लेवी कहीं नहीं है। पता नहीं किस बेबसी की अवस्था में यह किया गया है। मैं इस बात को स्वीकार करती हूं और सदन के सभी माननीय सदस्य भी इससे सहमत होंगे। मैं काश्तकारों से लेवी लेने के विरुद्ध नहीं हूं। लेकिन जिस परिस्थिति में, जिस बेबसी में लेवी लगाई है, वह उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। जबकि उत्तर भारत में कहीं भी प्रोड्यूसर पर लेवी नहीं लगाई है। दक्षिण भारत में एक राज्य है, जहां प्रोड्यूसर पर लेवी है। उत्तर भारत में एम. पी., यू. पी., पंजाब, गुजरात, हरियाणा में कहीं भी नहीं है। राजस्थान से लगे हुए जितने प्रदेश हैं, उनमें कहीं भी नहीं हैं। किसी में प्रोड्यूसर पर लेवी नहीं लगाई गई है। खासतौर से राजस्थान में भारत सरकार की सहमति से, क्योंकि हम फेल हो गये, व्यापारी हमें सहयोग नहीं करते हैं, व्यापारियों का अनाज रखने का कोटा 2,000 क्विन्टल कर दिया फिर भी असहयोग किया तो काश्तकार पर लेवी लगाई गई। व्यापार के भी कुछ नियम हैं। मैं निवेदन कर रही थी कि असमय में, समय निकल जाने के बाद काश्तकार पर लेवी लगाई है। 31 मई तक समय दिया गया था। फिर 1 जून। इस प्रकार से जो कानून को मानने वाले काश्तकार थे, जितना राज्य सरकार के कानून के अनुसार अपने पास रख सकते थे, उस हिसाब से उन्होंने रखा और बाकी बेच दिया। जब उन्होंने अपना अनाज निकाल दिया तो उसके बाद उनको मजबूर किया गया है। मुझे गिला है। राज्य सरकार से और आपत्ति भी है। राज्य सरकार ने बड़ी सख्ती से लेवी वसूल की है, इसकी भी मुझे गिला है सरकार से। झुंझुनूं जिले में गेहूं सिर्फ 40-50 गांव ही बोते हैं। वहां पुलिस को ले जाकर, लेवी वसूल की पुलिस की उस समय जो ज्यादतियां हुई थीं उनके बारे में उस समय भी मैंने मुख्य मन्त्री महोदय और खाद्य मन्त्री महोदय, दोनों को ही कहा था कि यह अनुचित है। यदि समय रहते लेवी लागू होती तो यह उचित था। लेकिन पाले में जिसका सब कुछ नष्ट हो गया, जिसकी फसलों की रक्षा आप नहीं कर पाये हैं, आज आप उसे बाध्य कर रहे हैं कि बाजार से खरीद कर दो। किसी भी तरह से वह आपकी अहं भावना की पूर्ति करे। क्योंकि आपके पास संगठन है इसलिए आपको देना होगा। उस समय भी मैंने खाद्य मंत्री को कहा था। मैं सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहती हूं, राज्य सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि पटवार सर्किल पर गेहूं की वसूली की जायगी लेकिन इसका पालन नहीं किया गया जहां-जहां एफ. सी. आई. के गोडाउन्स हैं, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के गोडाउन्स हैं, वहां आकर दें। वहां पर ढुलाई आदि किसानों से नहीं ले सकते हैं। जहां काश्तकारों से पटवार सर्किल पर नहीं लिया गया है, राजस्थान वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में अनाज लिया गया है, उसकी चेयरमैन यहां बैठी हैं, खाद्य मंत्री बैठे हैं, उनसे मैं कहना चाहती हूं कि वहां उनसे ढुलाई और लदाई वसूल की गई है। उनसे लाने का खर्चा वसूल किया गया है जो बिल्कुल गलत है वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के 22 गोदाम

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

पर यह हुआ है। आप चाहें तो मैं रसीद पेश कर सकती हूं। आपने कहा है, ऐसी बात है तो हम एक्शन लेंगे। (श्रीमती कान्ता कथूरिया के कुछ कहने पर) आप तो चुप बैठी रहें। खाद्य मन्त्री जी जवाब देंगे।

तो मैं निवेदन कर रही थी, इन सब बातों की जाच करा कर, इनका हल निकाल कर जिन लोगों ने इस प्रकार की गड़बड़ियां की हैं, उन पर एक्शन लेने की बात करेंगे। इसके साथ-साथ मुझे गिला है इस बात की, एक तरफ तो प्रोड्यूसर से लेवी ली जाती है दूसरी तरफ आपने गेहूं वितरण का कोई बन्दोबस्त नहीं कर रखा है। गांवों में भी वही आदमी रहते हैं। जो सर्दी में ठिठुरते हुए खेत में पानी देता है, मई में धूप में तपता हुआ अनाज निकालता है, वह क्या खायेगा। आपने क्या व्यवस्था कर रखी है, शहरों में रहने वाले आदमियों को ही आप वितरित करेंगे। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जनप्रतिनिधि होने के नाते लोग मुझे पकड़ते हैं, घेरते हैं। लोग यह कहते हैं कि हमने किया है। हम जमीन में अनाज नहीं करते तो क्या यह हो सकता था। आज हमको अनाज वितरण नहीं करते हैं। राज्य सरकार की यह भेदभाव पूर्ण नीति है जो मेरी समझ में नहीं आती है। मेरी समझ में नहीं आता है कि जो पैदा करें, उसको वितरण न करें।

दूसरी बात मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं खाद्य मंत्री जी से डीजल, केरोसिन और सीमेन्ट के बारे में। खाद्य मन्त्री जी ने एक बार मेरे प्रश्न के उत्तर में कुछ आंकड़े दिये थे जो हास्यास्पद आंकड़े थे। अभी भी मैं निवेदन करना चाहूंगी, आपको कहना चाहूंगी, बिजली के अभाव में किसानों की खेती का जो हुआ सो हुआ। मैं निवेदन करती हूं पैट्रोलियम का जो मामला देश में चल रहा है, उसकी कमी का हल राजस्थान के खाद्य मन्त्री के पास नहीं है। फिर भी खाद्य मन्त्री जी से निवेदन इसलिए करूंगी, जिस क्वान्टिटी में आज है और जहां आवश्यक समझा जाय, वहां भेजने की आवश्यकता है। कितनी ही जलप्रदाय की योजनाएं पी. एच. ई. डी. ने बन्द कर दी हैं। बिजली का वितरण आप नहीं कर सकते हैं तो उनको पीने के पानी की कैसे व्यवस्था हो। क्या हो यह व्यवस्था करने की, यह देखने की भी आपकी जिम्मेदारी है ताकि राज्य सरकार का लाखों रुपया इन्वेस्ट होकर बेकार पड़ा हुआ है, उसका कुछ उपयोग हो सके।

इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आप ऐसा क्यों नहीं करवाते हैं कि सारे जिलों के अन्दर जिन लोगों ने डीजल सेट लगा रखे हैं, जिनके डीजल पम्पिंग सेट लगे हुए हैं, जिन इलाकों में बिजली नहीं दे पाये हैं, लोगों ने मेहनत करके, इन्वेस्ट करके, कर्ज करके डीजल सेट लगवा लिये हैं लेकिन उनको डीजल की सप्लाई आप नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन लोगों के लिए 15-20 हजार के इन्वेस्टमेंट को कर्ज को चुकाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपके पास ऐसी फहरिस्त हो, ऐसे जिलों की कि जिससे आप लोगों की आवश्यकता के अनुसार डीजल सप्लाई कर सकें, तब तो आप हरित क्रांति की बात करिये, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है, हमारे खाद्य मंत्री जी क्रांति के शब्द के पीछे पागल हो गये हैं—कभी कहते हैं, हरित क्रांति ! कभी

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

कहते हैं, श्वेत क्रांति। आप हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की बात बहुत करते हैं लेकिन यह सफल कैसे हो। उसको सफल बनाने के बारे में आप अभी तक दिमागी तौर पर उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं, क्रांति की बात जब आप करते हैं तो क्रांति को कारगर बनाने के लिए उपाय करने की भी आप कोशिश कीजिये ताकि क्रांति सफल हो, वरना क्रांति क्रांति शब्द ही रह जायेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति जी, बस एक मिनिट में मैं समाप्त करती हूँ।

मैं निवेदन कर रही थी, इसके साथ साथ अन्तिम बात निवेदन करते हुए समाप्त करूंगी। जो कुछ आंकड़े हैं, उनसे यह बात सही है कि राजस्थान सरकार ने इस बार मिलावटखोरी करने वालों, जमा करने वालों ब्लैक मार्केटिंग करने वालों और इस तरह के लोगों के खिलाफ मुहिम चलाने का असफल प्रयास किया है। प्रयास किया है, लेकिन मैं असफल प्रयास इसलिए मानती हूं क्योंकि इससे जनता को राहत नहीं मिली है। जनता को राहत इसलिए नहीं मिली है कि जो कुछ भी जब्त किया हुआ माल होता है, उसका वितरण जनता के अन्दर नहीं होता है। वह जब्त कर लेते हैं, वह जब्त रहता है जब तक कोर्ट में केस चलता है। उसको वितरित करने की व्यवस्था करने के लिए जब तक कानून में तरमीम नहीं होती है तब तक जनता को राहत नहीं होने वाली है। इसलिए मैं मानती हूं कि आप चाहें मुनाफाखोरी करने वालों, ब्लैक मार्केटिंग करने वालों और मिलावटखोरी करने वालों को पकड़िये, लेकिन उससे जनता को राहत नहीं होने वाली है।

दूसरे इसके साथ-साथ यह बात भी है, ठीक है राज्य सरकार बधाई की पात्र है, वह मुहिम चलाना चाहती है, इसके लिए हम उसे साधुवाद का पात्र मानते हैं और उसके साथ सहयोग करने को तैयार हैं। लेकिन यह जो आंकड़े दिये हैं, वह निराशाजनक हैं। व्यक्तिगत तौर पर मुझे बड़ी निराशा हुई। निराशा इसलिए हुई, सारे केस आपने किये हैं, 882। लेकिन इनमें से चालान दर्ज किये हैं, वह 882 में से केवल 115 मामलों में चालान दर्ज किये हैं। बाकी मामलों में चालान नहीं होने का क्या कारण है। इसके अन्दर ऐसा तो नहीं है, चाहे उन्हें आप ब्यूरोक्रेट्स कह लीजिये, या राजनैतिक लोग कह लीजिये, उनके दबाव में आकर बाकी के बारे में आप कुछ कर नहीं पाते हों

(समय-समाप्ति-सूचक--घंटी)

मैं आधा मिनिट में अपनी बात समाप्त कर रही हूं। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि सजायें हुई हैं केवल 51 केसेज में। इसका मतलब यह हुआ कि जितने केसेज अभी तक पकड़े गये हैं, उनमें से केवल 5 पर्सेन्ट लोगों को सजा मिली है। आप कहेंगे, यह हमारे वश की बात नहीं है. यह अदालत का मामला है। मैं कहूंगी, यह बिलकुल आपके वश की बात है। जब तक आप केस स्ट्रोंग नहीं बनायेंगे, जब आप उसमें लेकूना छोड़ देंगे, अपने आप लोगों को सजा नहीं मिलेगी, अपने आप लोग बरी हो जायेंगे। तो यह देखने की भी जिम्मेदारी आपकी है। जिसको पकड़े, उसको सजा दिलाना चाहते हैं, जनता को राहत दिलाना चाहते

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

हैं, दूसरों को सबक देना चाहते हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप केस परस्यू करें और केस स्ट्रांग बनवायें। इसके बाद इस मामले में आपको कुछ न कुछ स्ट्रिक्ट और सख्त दिल भी रखना पड़ेगा।

साथ-साथ अन्तिम बात कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगी। खाद्य मंत्री जी, आपके विभाग ने नोट तैयार किया है, इसमें लिखा है कि सहकारी समितियों का वितरण व्यवस्था के अन्दर पूरा समावेश किया जायगा। लेकिन मैं व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर यह निवेदन करना चाहती हूं कि सहकारी समितियों का समावेश नहीं किया जा रहा है। मैं ऐसे कई इन्स्टान्सेज कोट कर सकती हूं, लेकिन समय नहीं है, कई सहकारी समितियां हैं, जिनके बारे में खाद्य विभाग को बार-बार यह लिखने पर भी, कि यह वितरण कार्य सहकारी समितियों को सौंप दिया जाय, सहकारी समितियां यह काम करने को तैयार हैं, और यहां तक भी लिखा है कि वह यह काम कर सकती हैं, जिला अधिकारियों ने इस बारे में कोई सुनवाई नहीं की है। 5-6 महीने बीत गये हैं फिर भी सुनवाई नहीं हुई है। इससे एक तरफ लोगों को चीजों का वितरण नहीं होता है, दूसरी तरफ राज्य सरकार और देश की जो नीति है, पॉलिसी है, राष्ट्रीय नीति है, उसका पालन भी नहीं होता है। लेकिन खाद्य विभाग ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कुछ नहीं कर पाता है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं, आप तो समाजवाद के प्रति भी समर्पित हैं। सहकारी आन्दोलन में, जिसे कहना चाहिए, सहकारी नीति में भी आपका विश्वास है; फिर आपके विभाग में इस प्रकार की कमजोरियां क्यों हैं कि खास करके आपका ही ऑर्डर न माना जाय ? ऐसी आखिर कौनसी बात है ?

मैं अंतिम बात निवेदन करती हूं, हमें बड़ी उम्मीद थी, हमें बड़ी आशायें थीं, हम ऐसा मानकर चलते थे कि आपकी इन बातों में लागलपेट नहीं है, इसलिए इन मामलों में बिना लाग लपेट रखते हुए मौजूदा वितरण व्यवस्था में जो कुछ आपके पास है, उसकी वितरण व्यवस्था तो ठीक कर देंगे। वैसे हमारी बेबसी है कि हम भारत सरकार पर निर्भर हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, न बफर स्टॉक बना पाये हैं, न उत्पादन बढ़ा पा रहे हैं, जो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति है उसको कारगर नहीं कर पा रहे हैं। और बातों में भारत सरकार पर निर्भर हैं, तो कम से कम जो कुछ आपके पास है, उसकी वितरण व्यवस्था तो ठीक कर दीजिये। इस बात को हम मान सकते हैं कि कोई चीज देश में न मिले वह हमें भी न मिले। हम उसे बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वह ऊंचे भाव पर मिले, काला बाजारी में मिले। इसे बर्दाश्त करने को हम तैयार नहीं है। मैं आपसे नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगी कि जो कुछ अवेलेबल है, उसकी वितरण व्यवस्था को सुधारने के बारे में आप कारगर कदम उठायें। इस नोट में इस बारे में तो कोई दिशा निदेश कम से कम मुझे नहीं मिला है।

श्री सभापति : श्री जयनारायण रोत !

और मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, इस विषय पर विचार व्यक्त करने वाले बहुत हैं।

(श्री सभापति)

इसलिए समय की सीमा में अपने विचार व्यक्त करें। मेरा विचार है कि सात-सात मिनिट में, आठ-आठ मिनिट में विचार व्यक्त करें तो ठीक होगा।

श्री जयनारायण रौत।

श्री जयनारायण रौत (लसाड़िया) : माननीय सभापति महोदय, खाद्य और अन्य आवश्यक वस्तुओं के बारे में और लेवी के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं आज के विषय पर चर्चा न करते हुए, मेरा जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, उस पर ही मैं केन्द्रित रह कर माननीय मंत्री महोदय और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सभापति जी जो उदयपुर जिला है और उदयपुर का सब-डिवीजन आदिवासी और सारा पहाड़ी क्षेत्र है, इस पहाड़ी क्षेत्र की अजीब स्थितियां हैं। यहां के जो निवासी हैं मूलतः ज्यादातर आदिवासी और हरिजन लोग हैं, इन लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वह बड़ी दयनीय है। इनके पास जो जमीन है वह नहीं के बराबर है और उन जमीनों पर सिंचाई आदि के कोई भी साधन उपलब्ध नहीं हैं। गत वर्ष आपने देखा, उदयपुर के सारे डिवीजन के अन्दर बाढ़ की एक अजीब स्थिति बनी थी। इतनी भयंकर बरसात हुई थी कि सारे क्षेत्र के अन्दर जो खरीफ की फसल थी वह सारी की सारी नष्ट हो गई। आदिवासी क्षेत्रों में वहां के लोगों की जो मूल फसल है वह खरीफ की फसल होती है उसमें मक्का और चावल है, वह गत वर्ष प्रायः नष्ट हो गई। रबी की फसल अवश्य हुई लेकिन उसमें जिन किसानों के पास में मैदानी इलाके की जमीनें थीं और जिनके पास कुएं के साधन थे, नहर के साधन थे, उनकी फसल हुई, बाकी किसानों के रबी की फसल नहीं हुई। इसलिए गत वर्ष से ही आदिवासी लोगों की कमर टूट गई थी और उनकी क्रय शक्ति इतनी क्षीण हो चुकी थी कि किसी तरह से कोई चीज क्रय करने में अपने आप को समर्थ नहीं पाते थे। इस वर्ष उदयपुर डिविजन में वर्षा ऋतु में जो भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है उसकी ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राज्य सरकार की ओर से यह बात कही गई है कि उदयपुर जिले की कुछ तहसीलें खराब हैं। उसमें वर्षा अच्छी नहीं हुई है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं और राज्य सरकार भी अपने जिलाधीशों से यह आंकड़े मंगाकर देख ले कि उदयपुर जिले में वर्षा की क्या स्थिति है। जैसा कि सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उदयपुर का सारा जिला अकाल की भयंकर स्थिति के मुंह में जा रहा है। मैं लसाड़िया से आता हूं वहां गत वर्ष 102 इंच बरसात रेकार्ड की गई थी। आज वहां पर 10 इंच बरसात भी नहीं हुई है। इस स्थिति के होते हुए भी और गत वर्ष आदिवासियों की जो विषम स्थिति बनी थी उसके अनुसार इस वर्ष आदिवासियों को बोने के लिए समय पर बीज भी उपलब्ध नहीं हो सका। जो बीज किसी तरह से उपलब्ध किया गया उसकी कीमत 3) या 5) रुपये किलो तक की थी। इस स्थिति में भी आदिवासियों ने किसी प्रकार अपने खेतों में बीज डाले लेकिन उसके पश्चात् समय पर बरसातें नहीं हुई और वह फसल उग भी नहीं पाई। जहां-जहां बरसात हुई फसल उगी

(श्री जयनारायण रौत)

लेकिन आज करीब 25 दिन हो गए सारे उदयपुर डिविजन में बरसात का नाम भी नहीं है और सारी फसल सूख रही है। अगर आप या और कोई मन्त्री उस क्षेत्र का दौरा करके देखें तो अनुभव होगा कि सारे क्षेत्र की फसल सूख रही है। आज भी समय पर बरसात हो जाए तो मैं मानकर चलता हूं कि रुपये के अन्दर चार आने भी फसल काश्तकारों को प्राप्त नहीं होगी।

माननीय सभापतिजी, इस विषम स्थिति में खासतौर से आदिवासी और हरिजन भाइयों की जो स्थिति बनी है वह दयनीय है। अखबारों में भी हमने पढ़ा था, डूंगरपुर जिले के चौरासी से आने वाले माननीय सदस्य का एक वक्तव्य छपा था और उसमें उन्होंने कहा था कि डूंगरपुर जिले में आदिवासी लोग चावल के ऊपर जो छिलका होता है, वह उतारते हैं और जो कुछ माइलो उपलब्ध हो जाता है, उन दोनों को मिलाकर वे अपनी रोटी बनाकर खाते हैं। मैंने भी उस क्षेत्र का दौरा किया था और लोगों से सम्पर्क करके यह बात पूछी थी तो निश्चित रूप से यह बात सही पाई गई। इतना ही नहीं, मेरे क्षेत्र मे भी जब 9 तारीख को मैं गया तो आदिवासियों ने मांग की थी इस क्षेत्र में अगर समय पर काम प्रारम्भ नहीं किए गए और समय पर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया गया तो एक भयंकर स्थिति उत्पन्न होने वाली है। आज आदिवासी क्षेत्रों में जो कुछ सम्पन्न लोग हैं, वे भी इस बात को बहुत गम्भीरता से सोचते हैं और महसूस करते हैं कि अगर अकाल की स्थिति बनती गई तो उनका जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। कुछ लोग तो यह बात खासतौर से कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि उस क्षेत्र में चोरियां प्रारम्भ हुई हैं और जिनके पास खाने को नहीं है वे निश्चित रूप से इस तरह की बात करेंगे। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर डिविजन के आदिवासी क्षेत्रों में खासतौर से अकाल सहायता कार्य प्रारम्भ करायें और उसके साथ-साथ खाद्यान्न माइलो, मक्का, जो कुछ उपलब्ध हो वह उस क्षेत्र में जल्दी से जल्दी पहुंचाने की व्यवस्था करायें ताकि जो एक अशान्ति की स्थिति पैदा होने जा रही है उससे वे लोग राहत पा सकें।

मैंने मन्त्री महोदय से खाद्यान्न पहुंचाने के सम्बन्ध में अभी कुछ दिन पूर्व निवेदन किया था लेकिन दो दिन पश्चात् मैंने जिलाधीश उदयपुर से सम्पर्क किया था तो उन्होंने बताया कि आदिवासी क्षेत्रों में और खासतौर से धरियावद में खाद्यान्न नहीं पहुंचा पाये हैं। मेरी समझ में नहीं आता, ऐसी भयंकर स्थिति में भी अगर खाद्यान्न समय पर नहीं पहुंचाया जायेगा तो वहां के लोगों की क्या स्थिति होगी? खाद्यान्न के पहुंचाने के साथ-साथ जो लोगों की क्रय शक्ति शून्य हो गई है उसको भी उतना ही महत्व देने की आवश्यकता है नहीं तो आपका खाद्यान्न तहसील हैडक्वार्टर्स पर पहुंचा तो यूं का यूं धरा रह जायगा और आदिवासी उसे खरीद नहीं पायेंगे।

श्री सभापति : श्री भगराज चौधरी !

श्री भगराज चौधरी (राणीवाड़ा) : सभापति महोदय, खाद्यान्न वस्तुओं के जो मूल्य बढ़े हैं हमारे लिए वह सोचने का

(श्री भगराज चौधरी)

विषय बन गया है। हमें देखना यह है कि आया जितनी भी जीवन की आवश्यक वस्तुएं हैं चाहे कपड़ा, तेल, साबुन, चमड़ा, एग्रीकल्चरल इम्पलीमेंट्स, एग्रीकल्चरल इनपुट्स या लुब्रीकेंट्स हों जो जीवन निर्वाह के लिए, शरीर ढकने के लिए और समाज को जीवित रखने के लिए जरूरी वस्तुएं हैं उन सबकी कीमत बढ़ गई हैं, इसका क्या कारण है ? मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस पर कुछ रोशनी डाली। मगर आज जो कीमतें बढ़ी हैं, क्या यह दौर भारत में ही चल रहा है या प्रान्त में ही चल रहा है अथवा अन्य देशों में भी चल रहा है। कुछ मायने में देखें तो अन्य देशों में भी मूल्यवृद्धि का दौर चल रहा है। मगर केवल इसलिए ही हम सन्तोष कर लें कि हमारे देश में भी मूल्यवृद्धि होना अवश्यम्भावी है, तो यह सही नहीं है। मैं समझता हूं, ज्यों-ज्यों हम तरक्की करते हैं, अपने आप हमारी आशायें और हमारा स्टेंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जाता है, हमारी सेलेरीज बढ़ती जाती हैं, उत्पादन क्षमता बढ़ती जाती है, जब जीवन स्तर ऊंचा बनता है तो क्रय शक्ति भी बढ़ती है। ऐसी हालत में मूल्यवृद्धि बहुत जरूरी है और अर्थशास्त्र के अनुसार भी वस्तुओं की मूल्य वृद्धि होना लाजमी सिद्धान्त है। इस दृष्टिकोण से सोचें तो मैं समझता हूं कि अपने को इससे चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। आजाद होने के बाद हमारे देश ने तरक्की की है, हमारे यहां पर कल कारखाने बढ़े हैं, साइन्टिफिक बेसिस से खेती भी होती है उससे हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ा है। इससे यह तो अपने को मानकर चलना ही चाहिये कि हमारे देश की नेशनल वैल्थ बढ़ी ही है। और जब नेशनल वैल्थ बढ़ती है तो लोगों की क्रय करने की कैपेसिटी बढ़ती है। लोग अधिक खर्चा करते हैं तो अपना स्टेन्डर्ड बढ़ता है। और यही कारण है कि आज बाजार में कीमतें बढ़ने के बाद भी हम चीजें खरीद रहे हैं। इसलिए जो लोग यह कहते हैं कि यह खराब है उनसे मैं एग्री नहीं करता हूं। अभी सदन में चित्तौड़ से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और उसके बढ़ने का मुख्य कारण यह है कि खाद्यान्न की चीजों के भाव बढ़ गए हैं इसलिए आज सर्वत्र ही महंगाई बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ साथ मेरा इसी दृष्टिकोण के विपक्ष में यह कहना है कि आज बाजार में हर चीजों के भाव बढ़े हैं जैसे बिजली के पैसे बढ़े हैं, इनपुट्स के खर्चे बढ़े हैं, एग्रीकल्चर इम्पलीमेन्ट के भाव बढ़े हैं। लुब्रीकेंटस के भाव बढ़े हैं तो अगर कोई यह सोचता है कि खाद्यान्न के ही भाव बढ़े हैं, काश्तकार ही अनाज के भाव बढा रहा है तो गलत है। अगर आप यह चाहते हैं कि खाद्यान्न के भाव नहीं बढ़ें तो फिर काश्तकार को सस्ती दर से बिजली दी जावे, पानी की दरों में भी कमी की जावे, सस्ता और पर्याप्त मात्रा में फर्टीलाइजर उनको दिया जावे। अगर आप यह काश्तकार को देने को तैयार नहीं हैं तो काश्तकार इतना मूर्ख भी नहीं है कि वह महंगी चीजें लेकर सस्ते दामों में अनाज देगा। आप यह चाहते हैं कि गरीब काश्तकार से कि वह 105) रुपये के भाव से गेहूं बेचे और उसको घर में गेहूं पड़ता है 150) रुपये क्विन्टल से ऊपर। सभापति महोदय, आज यह बार-बार

(श्री भगराज चौधरी)

जो लेवी के बारे में जो घोषणायें वगैरह करते हैं वह किन लोगों के लिए की जा रही है ? वह तबका है शहर में रहने वालों का, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बदले में कुछ भी देने को तैयार नहीं हैं । आज जो दस से लेकर 15 प्रतिशत जनता शहर में रहती है उसके लिए आप यह सब कर रहे हैं। आप उन लोगों को फीड करने के लिए, उनको सस्ता अनाज दिलाने के लिए यह कर रहे हैं ताकि यहां पर हड़ताल वगैरह नहीं हो, लॉ एण्ड ऑर्डर मैनटेन होता रहे। लेकिन मैं यह मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आप अपने आपको काफी प्रगतिशील मानते हैं और समाजवादी मानते हैं तो आपको चाहिये कि है उस तबके को, जो कि वाकई में गरीब है, उसको जरा राहत पहुंचावें। आप ऐसी व्यवस्था करावें कि समाज के एक तबके, जो कि नीचे है, को थोड़ा ऊपर उठावें और एक तबका दूसरा है जो कि ऊंचा है उसे थोड़ा नीचे लावें। इससे दोनों में बराबरी हो जावेगी। आज जब किसान के खुद के पास गेहूं 150) रुपये क्विन्टल पड़ता है तो वह आपको 105) रुपये क्विन्टल गेहूं कैसे देगा ? आप काश्तकार को सस्ती दरों में कपड़ा, चीनी, सीमेन्ट, लुब्रीकेन्ट्स, फर्टीलाईजर दिला दें वह आपको सस्ती दर में गेहूं दे देगा। लेकिन आप यह चाहते हैं कि आज हमारे देश की जनसंख्या जो कि 80 प्रतिशत है वह तो त्याग करें लेकिन जो 15 या 20 प्रतिशत जनता है वह उनके लिए कोई प्रकार का त्याग करने को तैयार नहीं है। यह कैसे हो सकता है ? आज किसान को उसकी जरूरी चीजें उपलब्ध नहीं होती हैं, उसे ब्लैक में खरीदनी पड़ती हैं और फिर आप उसको कहो कि सस्ते दामों में वह अनाज देवे। इसके लिए मैं खाद्य मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि आपको किसान को इनसेन्टिव देना चाहिये उसी प्रकार जिस प्रकार कि जब कोई पौधा छोटा होता है तो उसे बढ़ा करने में खाद वगैरह दी जाती है, उसकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है तभी तो वह बड़ा होता है। मैं यह नहीं कहता कि आप लेवी वसूल मत करो। आप लेवी वसूल करिये लेकिन उसको एक तो टाइमली वसूल करिये, दूसरे उसके लिए आपको किसान को रेम्यूनरेटिव प्राइस देनी चाहिये जिससे उसको किसी प्रकार की पीड़ा नहीं हो। आज किसी के पास 50 एकड़ जमीन है या 40 या 30 एकड़ जमीन है उसमें पैदावार भी अधिक हुई, उससे अगर आप लेवी थोड़ी अधिक मात्र ले लें तो कोई बात नहीं लेकिन जिसके पास सिर्फ एक दो क्विन्टल गेहूं ही हुआ या तीन चार क्विन्टल ही हुआ का तो आपको लेवी कैसे देगा—वह अपने खाने के लिए तो कुछ रखेगा। खैर अगर आपका आदेश आ गया तो वह भी दे देगा उसमें से लेकिन जब उसके पास कुछ अनाज ही नहीं है खाने को तो वह कैसे लेवी देगा। वह तो बाजार से खरीद कर लाकर देगा। महंगे भाव में खरीदेगा और सस्ते भाव में आपको लेवी देगा। तो इसके लिए मेरा निवेदन है कि आपको टाइमली लेवी वसूल करनी चाहिये। आखिर उसके पास कोई जादू का डन्डा तो है नहीं कि आप जब भी चाहे वह लेवी दे दे। इसके अलावा लेवी के बारे में मैं यह भी कहना चाहुंगा कि इस बार राजस्थान में लेवी के लिए किसानों को बुरी तरह से परेशान किया गया है। उन पर मुकदमें

(श्री भगराज चौधरी)

चलाये गए हैं और जबरदस्ती लेवी वसूल की गई है। आपने कहा कि 1 जून से 31 जुलाई तक लेवी ली जावेगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक जून से लेकर आपके सरकारी कर्मचारियों के टी. ए. डी. ए., और दूसरे मोटर पैट्रोल वगैरह में आपने खर्च किया और वीयर एण्ड टीयर में आपके लाखों रुपये खर्च हो गये। इसको जोड़ने पर तो गेहूं आपको तो यों ही 150 रुपये क्विन्टल पड़ गया। मैं खाद्य मन्त्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं कि आप यह गेहूं किसके लिए ले कर रख रहे हैं ? मैं समझता हूं उस तबके के लिये जो कि काश्तकार की किसी भी प्रकार से मदद नहीं करता। आज वही तबका जो 10 से लेकर 15 प्रतिशत है, जो शहर में रहता है उसके लिये तो आप सब कुछ करने को तैयार हैं लेकिन एक गरीब तबका जो कि आपके हर हुक्म को सहता है, उसके लिये आप जरूरी चीजें भी मुहैया करने को तैयार नहीं हैं। आखिर आपको कुछ तो व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। यह मान भी लें कि आगे आने वाला जमाना खराब है। हमारे देश में अन्न की कमी आ सकती है इसके लिये हमें बफर स्टाक बनाना जरूरी है। लेकिन इसके लिये आपको उत्पादन भी बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या 55 करोड़ से ऊपर है। इस उत्पादन को बढ़ाने में आपको किसान को फर्टीलाइजर ज्यादा मात्रा में और कन्सेशनल रेट पर देना होगा, सीमेन्ट देना होगी, पानी देना होगा, बिजली की व्यवस्था कनसेशनल रेट पर करनी होगी, केरोसिन की व्यवस्था आपको उसके लिये सस्ती दर पर करनी होगी तभी तो आपका उत्पादन बढ़ेगा और किसान को इन्सेन्टिव मिलेगा और वह आपको गेहूं पैदा करके देगा। अन्यथा आपको उसे व्यवहारिक दृष्टिकोण से रेम्युनरेटिव प्राइस तो देनी चाहिये। यह बात दूसरी है कि कोई बड़ा काश्तकार है उसके उपज अधिक हुई है और अगर उसके गेहूं 150 रुपये क्विन्टल पड़ता है तो आप उसको दस रुपये कम दे दो वह ले भी लेगा लेकिन जिसके पास गेहूं कम हो उससे आप कम पैसों में गेहूं लेवी के रूप में कैसे प्राप्त करना चाहते हैं। बड़े काश्तकार को आप चाहें तो आप दस रुपया कम दे सकते हैं। आपको हिसाब से, मार्केट प्राइस से प्रोड्यूस को लेना चाहिये। जहां करोड़ों लोग वसते हों करोड़ों देशवासियों के लिये सरकारी मशीनरी अपने आप में सक्षम नहीं हो सकती है कि वह अनाज इक्ट्ठा कर ले, उसको बेच ले। व्यापारियों का काम भी करने लगे तो सारे कामों में हाथ डालने से सब ही काम पूरे नहीं हो सकेंगे। उत्पादन में ह्रास होने लगेगा जबकि आज उत्पादन को बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता है। फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़े, बिजली में उत्पादन बढ़े, नये नये कारखाने लगें तो नये नये तरीके प्रोडक्शन बढ़ाने के ईजाद करने चाहियें और डिस्ट्रिब्यूशन भी होना चाहिये।

कुछ लोगों का कहना है कि अनाज की पैदावार बहुत बढ़ी है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री सभापति : आप दो मिनिट में समाप्त कर दीजिये।

श्री भगराज चौधरी : चार वर्ष के आंकड़े इस प्रकार से हैं। काश्तकार अपने अनाज को पैदा करने के लिए मजदूर, हल

(श्री भगराज चौधरी)

बैल, लुब्रिकेन्ट्स आदि रखता है और उनको काम में लाता है। उन सबकी जब कीमत बढ़ जाती है तो स्वाभाविक है उसका उत्पादन भी जो होगा वह महगा ही पड़ेगा क्रूड आॅइल सन 1971 में 90 ड्रम था। उसका भाव आज बढ़ कर 270 ड्रम हो गया है। इस प्रकार पिछले चार वर्ष में तिगुने पैसे बढ़ गये हैं। इसी प्रकार मोबिलआॅइल 1971 में 400 ड्रम था उसका भाव बढ़ गया 700 ड्रम। पम्पिंग सेट और लुब्रिकेन्ट्स आदि की भी कीमत बढ़ी हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

थोड़ा कह दूं।

श्री सभापति: बहुत से माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। संख्या बहुत है। फिर तो इस तरह से 12 बजे रात तक भी यह समाप्त नहीं हो सकेगा। इसलिये पहले ही 8 मिनिट की समय सीमा रखी थी अपने विचार प्रकट करने के लिये। आपको 14-15 मिनिट हो गये हैं।

श्री भगराज चौधरी: एक मिनिट।

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि कीमतों के बढ़ने के साथ साथ जीवन स्तर भी बढ़ा है। जैसे जैसे जीवन स्तर बढ़ रहा है किसान भी यह उम्मीद करता है कि खाद्यान्न की पैदावार करके वह अपना केवल पेट पालन ही नहीं करना चाहता है किन्तु कुछ बचाना भी चाहता है और साथ ही साथ अपने जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाना चाहता है। जैसे शहरों में रहने वाले व्यक्ति हैं, जिस शान से लोग रहते हैं और जैसा जीवन स्तर है, उसी प्रकार किसान भी चाहता है। क्या आप किसान को 25 वर्ष की आजादी के बाद भी मजदूर बनाने का दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं? इससे किसान आगे नहीं आवेगा। 80 पर्सेन्ट किसान गरीब हो जावेंगे। हमारा देश आगे नहीं बढ़ पायेगा। किसान अगर कमजोर रहेगा तो देश की रीढ़ की हड्डी कमजोर रहेगी। देश किसी मायने में भी आगे नहीं बढ़ सकता। किसान तब ही आगे बढ़ सकता है, तब ही और समृद्ध हो सकता है जबकि खेती को बढ़ावा दिया जाय, नये औजार और नये तरीके उसको सस्ते भाव पर उपलब्ध कराये जायं। साथ ही साथ लुक्रेटिव प्राइसेज आपको देनी चाहिये। लेवी नहीं देगा तो हजार रुपया उस पर जुर्माना हो जावेगा, 6 महीने की सजा हो जावेगी इस प्रकार के कानून की व्यवस्था करने जा रहे हैं यह तो डेमोक्रेसी का काम नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति: श्री विद्यासागर!

(अनुपस्थित)

श्री देवीलाल!

(अनुपस्थित)

श्री मनोहर कोठारी!

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा: सभापति महोदय ......

श्री सभापति: आपका नाम ही नहीं है लिस्ट में।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : हमारी पार्टी को टाइम अलॉट किया था।

एक माननीय सदस्य : मैं भी बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति : समय निर्धारित हो चुका है। आप बिराजिये।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : माननीय सभापति महोदय, जहां तक हम जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श यहां पर कर रहे हैं, उसका प्रश्न है, उसके औचित्य से कोई इन्कार नहीं कर सकता है और हमारे रसद विभाग ने जो टिप्पणी सूचना के तौर पर, हम लोगों में प्रसारित की है, उसे देखकर वास्तव में यह अनुभव नहीं होता है कि हमारी राज्य सरकार वास्तव में यह अनुभव नहीं होता है कि हमारी राज्य सरकार वास्तव में इस समस्या का समाधान भी ढूंढ़ना चाहती है या नहीं। जो कुछ भी सूचनायें यहां प्रस्तुत की गयी हैं वे सारी की सारी असन्तोषजनक हैं। एक बात कह दी गई है कि हमने व्यापारियों की सुविधा के लिए 500 क्विण्टल से बढ़ाकर दो हजार क्विण्टल की छूट कर दी है वे इतना स्टॉक अपने पास रख सकते हैं कि और साथ में यह भी कह दिया है कि व्यापारी ने हमारे साथ सहयोग नहीं किया। व्यापारी ने आपके साथ सहयोग नहीं किया केवल यही एक तथ्य नहीं है। व्यापारी ने सहयोग नहीं किया किन्तु राज्य सरकार इतनी दयावान बनकर बैठी रही कि जो सुविधायें आपने व्यापारी को दीं वे सुविधायें आपने आज भी दे रखी हैं, वे विथड्रा नहीं हैं। क्या कारण है ? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, केवल व्यापारी ने ही असहयोग नहीं किया है किन्तु आपकी नौकरशाही ने भी असहयोग किया है और उस तथ्य को आपने प्रकट नहीं किया। व्यापारी के असहयोग करने से राज्य सरकार को केवल लेवी ही नहीं मिली बल्कि उससे बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। बिक्री कर की चोरी हुई। आय कर भी नहीं देगा। मैं कहना चाहता हूं कि इन सारी समस्याओं के प्रति राज्य सरकार कितनी जागरूक है, क्या कदम उठाना चाहती है, इसके बारे में कहीं कोई संकेत नहीं है, कहीं कोई सूचना नहीं है।

चित्तौड़गढ़ से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि काले धन के कारण यह सारी की सारी मुसीबत हम पर बरपा होती है। यह बात वास्तव में सत्य है। लेकिन काले धन का पोषण कौन कर रहा है ? काला धन एक पेरेलल इकॉनोमी की तरह हमारे देश और प्रदेश में छाया हुआ है और उस काले धन का उत्पात ही आम जनता को आज परेशान कर रहा है, एक सामान्य गरीब जन को इस तरह से परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है। मूल में काले धन का ही उत्पात है लेकिन उस सम्बन्ध में हमारी राज्य सरकार क्या करना चाहती है उसके सम्बन्ध में कहीं कोई संकेत नहीं है। केवल एक सूचना यह दे दी गयी है कि व्यापारी सहयोग नहीं कर रहा है और फिर जब आपने व्यापारी को आपने समय दिया और उस समय काश्तकार ने अपना गल्ला बेच दिया और जब किसान से गल्ला वसूली का समय आया तो आपने पांच आयुक्तों को नियुक्त कर दिया। इन्हें नियुक्त किया इस कार्य के लिए कि काश्तकारों से गल्ला वसूल करें। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब व्यापारी से गल्ला वसूल

(श्री मनोहर कोठारी)

करने का समय था तो आपने पांच विशिष्ट आयुक्तों की क्यों नहीं नियुक्ति की ? पांच के बजाय दस को भी नियुक्त किया जा सकता था। उसके लिए कोई भी व्यवस्था क्यों नहीं की ? इसके बारे में कहीं कोई संकेत नहीं दिया है।

एक बात और है। आपने जहां एक ओर किसानों से लेवी वसूल की है और काश्तकारों ने भी इस स्थिति में राष्ट्रीय फर्ज समझ कर इस सम्बन्ध में सहयोग किया। राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी कि हम उनको इनपुट्स देंगे और उसी पुरानी कीमत में देंगे। आज न उनको खाद मिल रहा है और न ही और कोई चीज मुहैया की जा रही है।

मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि खाद के व्यापारियों ने हाईकोर्ट में रिट लगा कर वहां से स्टे हासिल कर लिया इस कारण खाद अभी तक मिल नहीं रहा है। पर राज्य सरकार को जागरूक रहना चाहिये कि वे लोग खाद को बढ़ी हुई कीमतों पर तो, हाईकोर्ट के जजमेंट से पहले पहले बेच नहीं रहे हैं। उनसे स्टॉक की सूची प्राप्त कर ली है आपने कि नहीं ? और इसके बाद भी पूरा सख्त चैंकिंग आपका है या नहीं कि व्यापारी जो डिक्लेरेशन देते हैं वह सही है या नहीं ? इस सम्बन्ध में भी राज्य सरकार को पूरी तरह से जागरूक रह कर कार्यवाही करनी पड़ेगी। वरना रिट का फैसला होगा उससे पहले पहले सारा स्टॉक व्यापारी ब्लेक में बेच कर बैठ जावेंगे और आपके सारे प्रयासों को विफल कर देंगे। इससे किसानों के मन में आपके प्रति अविश्वास पैदा होगा।

इस नोट में एक सूचना और है कि बड़े काश्तकारों से वसूली लेवी की अभी बाकी है। इसका मतलब यह हुआ कि छोटे किसानों ने सरकार की भावनाओं को ध्यान में रख कर, उसकी आवश्यकता को देख कर, अपनी जरूरत को गौण करके भी समय पर लेवी दी। सुनने में तो यहां तक आया है कि बाजार से खरीद कर दी अगर उसके पास नहीं थी तो मैं पूछ रहा हूं कि ऐसी सूरत में बड़े काश्तकार क्यों बच रहे हैं ? आपकी मशीनरी क्या कर रही है ? क्या वह समर्थ नहीं है कि उनसे वसूल कर सके ? वह क्या केवल गरीबों को दबा कर उनसे ही लेने का काम कर सकती है ? आपने आज तक इसके बारे में क्या किया, इस बारे में आपकी कोई सूचना नहीं है।

वितरण व्यवस्था के बारे में आपने बताया कि आपने कुछ सतर्कता समितियों का गठन किया है और उनकी संख्या भी आपने दो चार नहीं, पूरी 1507 बता दी है। लेकिन जहां तक उदयपुर जिले का प्रश्न है ऐसी कोई समिति वहां बनी हो, वह मेरी जानकारी में नहीं आई। कुछ और भी मेरे साथी विधायकों ने कहा है कि उनको भी मालूम नहीं है कि ये सतर्कता समितियां सरकार ने कब बनाई, इनमें कौन और हैं और उनका उपयोग क्या है।

एक तरफ आप ये समितियां बना रहे हैं दूसरी तरफ पहले से ही आपकी वितरण समितियां बनी हुई है जिनको महीने में एक बार मिलना चाहिये, उनका कार्य विवरण सूचना आदि प्राप्त होनी चाहिये पर वे अर्से से डिफेक्ट पड़ी हुई हैं। तो मैं समझ नहीं पाया आपकी इस काम करने की प्रणाली को, तरीके को। आप क्या जनता का

(श्री मनोहर कोठारी)

सहयोग चाहते हैं, उन प्रतिनिधियों से क्या अपेक्षा आप कर रहे हैं ? कुछ भी तो स्पष्ट नहीं है। आप इन वितरण समितियों की व्यवस्था ठीक करिये। हालांकि आपकी वितरण प्रणाली इतनी दोषपूर्ण है कि आप केवल शहरों को ही देने की बात सोचते हैं।

(6.25 सायं)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आपको काश्तकार की समस्याओं को भी सोचना होगा। आज राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से में अकाल की छाया पड़ रही है। अगर अब बरसात बरस भी जावे तो उससे खेतों में बीज पनपने की सम्भावना समाप्त हो चुकी है। वहां पर्याप्त अन्न नहीं हो सकेगा। ऐसी स्थिति में अभी से इसके लिये सतर्क होकर व्यवस्था आपको करनी चाहिये। नहीं तो असन्तोष तीव्र गति से फैलेगा और मौतें तक होने की सम्भावना हो सकती है। अभी से सभी उपयुक्त जगहों पर आप अनाज चारे आदि का स्टॉक कर दें नहीं तो जैसे पहले हुआ, आपको समय पर कुछ नहीं मिल सकेगा। फूड कार्पोरेशन से भी आप अपनी व्यवस्था बिठा लें।

और चीजों की महंगाई का रोकने के लिये भी आप क्या करने जा रहे हैं इसकी जानकारी हमें नहीं है। एक अखबार में समाचार पढ़ा। कुछ समय पहले राजस्थान यातायात निगम की 1001 वीं बस के उद्घाटन समारोह के अवसर पर अजमेर में आपकी रोडवेज के प्रबन्धक महोदय ने यह कहा कि हमें भी ब्लैक से टायर और गाड़ियों का दूसरा सामान खरीदना पड़ रहा है। अगर राज्य सरकार और राज्य के निगम की यह हालत है तो मुझे कुछ नहीं कहना। पर एक बात पूछना चाहूंगा कि इस ब्लैक की खरीद का जमा खर्च आप अपनी पुस्तकों में कैसे करते होंगे। यह थोड़ा बताने की कृपा करें। यह बड़ी दयनीय स्थिति है। इस पर गहराई से सोचने की आवश्यकता है।

आप अनाज की कमी की समस्या का एक समाधान यह भी कर सकते हैं कि भू-राजस्व आप पैसे में न लेकर किस्म में लेना प्रारम्भ करें। इस सम्बन्ध में आचार्य विनोबाजी ने भी अपना समर्थन दिया है और हमारे देश के बड़े बड़े चिन्तक और विचारक भी इस दिशा में सोच रहे हैं। भू-राजस्व की 20 करोड़ की आय है उतना अगर अनाज आ जाय तो आपको और कोई लेवी आदि का बखेड़ा करने की भी और व्यापारियों से भीख मांगने की भी जरूरत नहीं रहेगी। किसान भी आसानी से यह आपको दे देगा। पर प्रश्न यह है कि इसकी व्यवस्था ठीक ढंग से की जाय।

यदि हमारी आज दिन तक की असफलताओं का सबसे बड़ा कोई कारण रहा है तो मेरी दृष्टि से ये आई. ए. एस. अधिकारी हैं जिनको हम सब रोगों की रामबाण दवा समझ बैठे हैं कि ये सभी काम कर लेंगे आपका। व्यापार भी ये कर लेंगे, व्यवस्था भी ये कर लेंगे, अनुशासन भी ये कायम रख लेंगे और सरकार भी चला लेंगे और सदन में जो सूचनाएं और जानकारी आती हैं वे भी ये दे देंगे। ये सब तो ये कर लेंगे पर क्या कभी इन्होंने यह भी अनुभव किया है कि जनता के प्रति भी इनका कोई फर्ज है। इनको पब्लिक सर्वेन्ट्स

(श्री मनोहर कोठारी)

के नाम से पुकारा जाता है। नियमों में, कानून में यही कहा जाता है इनको। पब्लिक सर्वेन्ट्स हैं ये इसलिये सारी सुविधायें इनको दी गई हैं, अधिकार दिये गये हैं। पर ये कैसे पब्लिक सर्वेन्ट हैं कि एक तरफ जनता इनके आगे हाथ जोड़े खड़ी है और ये उस ओर देखते तक नहीं। ये अपने ऐशो-आराम में मशगूल हैं। सत्ता के मद में चूर हैं। राज्य और राष्ट्र की आज जो स्थिति बन गई है उसमें ये अपना कोई दोष नहीं मानते न कुछ ईमानदारी से करने का इनका मानस है। इस बात को लेकर जनता में इनके प्रति रोष का होना स्वाभाविक है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन आने वाले दिनों में, आगे के आने वाले समय में महीना दो महीना और अगला वर्ष और भी मुश्किलों का होगा। उस स्थिति में से हमें पार होना है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इसमें जनता का सहयोग लेना पड़ेगा आपको और इसके लिये जन प्रतिनिधियों को पहले सहयोग के लिये कहना होगा। और वितरण प्रणाली उनके हाथ में रहे तो आपकी जो समस्यायें हैं उन समस्याओं का निराकरण होता रहे, इसके सम्बन्ध में भी आपको थोड़ा सा उनका सहयोग लेने की आवश्यकता है।

खासतौर से अन्त में मैं यह निवेदन करता हूं कि उदयपुर जिले का, उदयपुर डिविजन का बहुत बड़ा भाग अकाल की छाया की गिरफ्त में आ गया है और मैं समझता हूं कि गत वर्ष के पहले अकाल के वर्ष में सबसे ज्यादा मुसीबत उदयपुर के लोगों को हुई है। मैं उदयपुर शहर की बात नहीं कह रहा हूं, उदयपुर जिले के लोगों को जो तकलीफ हुई है, उदयपुर डिविजन के लोगों को हुई है इसलिए कि वहां के कलेक्टर के सामने एक गांव में लोगों ने कहा था कि यदि आप हमें काम नहीं दे सकते, रोजगार नहीं दे सकें तो हम अनाज नहीं खरीद सकते। यदि हमें अनाज भी आप नहीं दे सकें तो लकड़ी का प्रबन्ध कर दीजिए जिससे गिद्ध और कौवे हमारी लाशों को नहीं नोचें और हमारा क्रियाकर्म तो हो सके। जो किसानों ने गांव में कहा था उस बात को दोहरा रहा हूं, मैं अपनी तरफ में यह नहीं कह रहा हूं। आप विनय व्यास से पूछ लीजिए कि किसने यह बात कही थी। उस समय मैं भी उनके साथ था।

फिर आपकी शक्कर की, सीमेंट की वितरण प्रणाली भी दोषपूर्ण है। हमें सार्वजनिक कामों के लिए, जन सहयोग से जो काम कराये जाते हैं, उन कामों के लिए सीमेंट नहीं मिलती है। फिर शहरों में शक्कर ज्यादा दे रहे हमारे यहां गांवों में तो डेढ़ सौ ग्राम, दो सौ ग्राम शक्कर दे रहे हैं और शहरों में

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

जहां पर ये बड़े अधिकारी रहते हैं उनमें ज्यादातर मधुमेह के मरीज हैं आप अस्पताल से रिपोर्ट मंगा लें, आपको मालूम हो जाएगा कि कितने लोग मधुमेह के रोग के शिकार हैं, वहां उदयपुर में एक किलो शक्कर देते हैं। जयपुर के अन्दर ज्यादा शक्कर देते हैं लेकिन गांवों में शक्कर क्यों कम देते हैं। मेरे क्षेत्र नाथद्वारा में आज तक नाथद्वारा के इतिहास में मधुमेह का कोई भी केस रिकार्ड नहीं हुआ है ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वहाँ भी दो हजार महन्त मधुमेह के शिकार हैं, आप देख लीजिए।

श्री मनोहरलाल कोठारी : यह बिल्कुल असत्य है मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप समान वितरण कीजिए, शहर और कस्बे के भेद को मिटायें, कस्बे और गांव के भेद को मिटायें मैं समझता हूँ कि तभी हम इस सम्बन्ध में कुछ कर सकेंगे।

तो मैं इस बारे में अन्त में यही निवेदन करता हूँ कि माननीय मंत्री जी क्योंकि युवा पीढ़ी के मंत्री हैं, हमारी युवा पीढ़ी की भावनाओं के प्रतिनिधि हैं, उनसे इस बात की अपेक्षा करना ही चाहिए और मेरे जैसे साथी के लिए उनसे अपेक्षा करना अनुचित भी नहीं होगा, इस सम्बन्ध में वार-फूटिंग पर आप जुट जायं और भविष्य के लिए प्रेरणा लें। आप व्यापारियों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं तो वह मिलने वाला नहीं जब तक कि आपकी मशीनरी सशक्त नहीं हो, व्यापारियों के शिकंजे से निकाल कर उनसे कुछ ले सकें तब तक यह सम्भव नहीं है, इसलिए आपसे यह आशा करते हुए मैं स्थान ग्रहण करता हूं कि आगामी वर्ष जो काफी कठिनाई का वर्ष है, उसमें आप सफल हों और हम सब सहयोग देने को, वांछित सहयोग देने को वचनबद्ध हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उषा प्रकाश !

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : मुझे भी समय दिया गया था।

श्री उपाध्यक्ष : आपको भी दूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा नाम कौन से नम्बर पर है ?

श्री उपाध्यक्ष : नम्बर जानकर आप अपना रिजर्वेशन कराना चाहते हैं।

श्री बनवारीलाल : मेरा भी नाम है कि नहीं, यह बता दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यों के हैं।

श्री रामगोपाल : जिनके नाम नहीं हैं उनको टाइम मिलेगा या नहीं।

श्रीमती उषा प्रकाश (बैर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि आसन की तरफ से कुछ समय की पाबन्दी के ऊपर काफी ध्यान दिया जा रहा है जो सुबह से नहीं दिया जा रहा था, तो अब मैं यह कोशिश करूंगी कि मेरे से पहले वक्ताओं ने जिन मामलों पर कहा है उन मामलों को मैं नहीं दोहराऊं और सरकार का ध्यान उन बातों की ओर आकर्षित करूं, उन स्पेसिफिक बातों की ओर आकर्षित करूं जिससे कि तात्कालिक समस्याओं का हल भी सरकार निकाल सके और जिसके हल निकलने से एक बहुत बड़ी आम जनता को उससे राहत मिलने वाली है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां सदन में सभी जन प्रतिनिधियों को इस सारे प्रश्न के ऊपर जो गहन चिन्ता है उसका आभास आज सुबह से हमें मिल रहा है। खाद्य मंत्री जी भी बड़ी शांति से सुन रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं और सभी को आश्वासन भी देंगे। खाद्य मंत्री जी कृषि का विभाग भी संभाले हुए हैं और आज खाद्य मंत्री की जितनी जिम्मेदारी है उतनी ही या उससे भी अधिक जिम्मेदारी एक कृषि मंत्री के नाते मंत्री महोदय की हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि चारों तरफ से जो समाचार आरहे हैं, चारों तरफ से

(श्रीमती उषा प्रकाश)

जो सूचनाएं मिल रही हैं वह काफी ध्यान आकर्षण करने वाली हैं, काफी चिन्ता पैदा करने वाली हैं। एक तरफ लगातार वर्षा से खरीफ की बुआई नहीं हो पाई और खरीफ की सोइंग भी कई जगह वर्षा नहीं होने की वजह से जल रही है। तो आने वाली खरीफ की फसल क्या नतीजा लायेगी और कितना उससे अन्न उत्पादन कर सकेंगे यह भी एक चिन्ता का विषय है। और इस चिन्ता से निपटने के लिए मैं आशा करती हूं कि खाद्य मन्त्री जी कोई ऐसा ठोस कदम उठायेंगे और जो किसान आज तक बेताब हैं उनको राहत पहुंचा सकेंगे। मेरे यहां, उपाध्यक्ष महोदय, जिन गांवों में बाढ़ से फसल खराब हो गई है वे चाहते हैं कि उनको ऐसा कोई मार्ग दर्शन हो, ऐसा कोई बीज और खाद मिले कि जिससे थोड़ा बहुत आयन्दा वे पैदा कर सके और अपना गुजारा कर सकें। 13-14 गांव ऐसे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जिनमें बाढ़ से क्षति हुई है, और खरीफ की फसल नहीं होने वाली है। उन गांव वालों की यह मांग है, वे कोई रीलिफ कार्य नहीं चाहते हैं, किसी भी तरह का दान नहीं चाहते हैं पर आगे की फसल के समय तक अनुदान और सहायता समय पर चाहते हैं। हम कृषि मन्त्री जी से यह चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा बीज और खाद उपलब्ध तुरन्त करवाइये ताकि हम पेट भराई कर सकें और वहां के जानवरों के लिए चारा और मवेशियों के लिए खाना उपलब्ध करा सकें। फिर उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर सौभाग्य से एक ऐसा जिला है, जहां अच्छी पैदावार होती है। आपके खाद्य विभाग की जो रिपोर्ट निकली है उसमें इसको गेहूं बाहुल्य क्षेत्र में रखा गया है। हम इसको बड़ा सौभाग्य मानते हैं लेकिन कभी कभी विधि की विडम्बना होती है, कुदरत की विडम्बना होती है कि शीत लहर के मारे किसानों की फसलें खराब हो गई। शीत लहर के कारण गेहूं, जौ, चना कितना खराब हो गया है, भरतपुर के रेवेन्यू रिकार्ड से देख लीजिए कि कितना खराबा हुआ है, कितनी पैदावार हुई है और आज वहां के किसानों पर कितना संकट है, कितनी उनकी सामर्थ है फिर भी सरकार ने किस शक्ति के साथ लेवी की वसूली की है। मैं यहां लेवी की समस्या का निरूपण नहीं करूंगी क्योंकि काफी सदस्य इस बारे में कह चुके हैं लेकिन जिस सख्ती से, अमानवीय दृष्टिकोण से लेवी की वसूली हुई है वह काफी एक चौंकाने वाली है और कहीं भी हमदर्दी से व्यवहार नहीं किया गया। जब वहां पर इतना खराबा हुआ, गेहूं का दाना पैदा नहीं हुआ और ऐसी हालत में जबकि उनके प्रति हमदर्दी होनी चाहिए थी, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हो तो दिल में दर्द होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हम यह जानते हैं कि अच्छे और बुरे समय के लिए सरकार को, एक जिम्मेदार सरकार के नाते कुछ न कुछ स्टॉक रखना पड़ता है ताकि आम जनता को मुहय्या करा सकें। हमको आपत्ति नहीं है कि हमसे आप लेवी लें। लेवी के लिए हमेशा भरतपुर से, अकाल के दिनों में जबकि चारा नहीं हुआ, अनाज नहीं हुआ, लेवी दी है, परन्तु जब भरतपुर के किसान स्वयं आपत्ति में हैं तब सरकार ने उनकी क्या मदद की है। मैंने एक प्रश्न भी इस बारे में पूछा है कि जब वहां पर फसल खराब हो गई है उसके बाद सरकार ने क्या मदद दी, क्या रीलिफ वहां के लोगों

(श्रीमती उषा प्रकाश)

को दी ? सरकार ने सिर्फ एक काम किया है और वह यह है कि लेवी को वसूल करने में सहयोग मांगा और यह भी हमने हर्ष के साथ दिया और भरतपुर के किसान इसमें पीछे नहीं रहे। उन्होंने अपने खाने के लिए अनाज नहीं रखकर टार्गेट पूरे किए हैं और एक लाख क्विन्टल गेहूं करीब भरतपुर से वसूल किया है। लेकिन अब कुछ मदद दीजिये ताकि भरतपुर में 210) से लेकर 250) रुपये क्विन्टल तक गेहूं का भाव हो रहा है वह न हो। चना इजीली मिल नहीं रहा है, सरसों बिलकुल खतम हो गई है इसलिये किसान के पास पैसा नहीं है। इसलिये गेहूं बाहुल्य क्षेत्र मान कर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में मदद नहीं करेंगे तो वहां किसान रोता ही रहेगा तो मैं आज यह निवेदन करती हूं जिस किसान ने हमेशा हमारा साथ दिया है, उसका साथ आप मुसीबत में दीजिये, रेवेन्यू रेकार्ड उठाकर देख लीजिए कितना नुकसान हुआ है, लेवी दी है, है चाहे डण्डे के बल पर दी हो और चाहे कैसे भी दी हो। बयाना में हन्ड्रेड पर्सेन्ट लेवी की वसूली हुई है और अभी बयाना में 210) रुपये से लेकर 240) रुपये क्विन्टल के आस पास का भाव है। जौ और चना नहीं मिल रहा है। मैं एक सरकार से निवेदन करती हुई सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगी, परसों के दिन या दो दिन पहले सतर्कता समितियों के मामले में एक प्रश्न उठा था। हमने पूछा था क्या हरएक जिले में सतर्कता समिति काम कर रही हैं, क्या हरएक जिले में सतर्कता समितियों का सहयोग लिया जा रहा है ? यह एक बहुत अहम प्रश्न है, यह सरकार को देखना चाहिये। बहुत कमेटियां बनी हैं, सरकारी लेवल पर एडवाइजरी कमेटी बनी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कमेटियां बनी हैं लेकिन उन कमेटियों की कितनी मीटिंग हुई है यह भी देखना चाहिये। मैं आशा करती हूं सरकार इसको देखेगी और जो कुछ कार्यवाही करनी है, वह करेगी।

आज हमारा जो फूड डिस्ट्रिब्यूशन का सिस्टम है, अभी जो 1972-73 की ऑडिट रिपोर्ट रखी गई है उसमें पिछले दिनों एक बहुत ही ध्यान आकर्षित करने वाली चीज, उपाध्यक्ष महोदय, सामने आई है और वह यह है कि फूड ग्रेन स्कीम में हमारा टर्न ओवर 92 लाख के करीब है....

(व्यवधान — अश्रव्य)

उसमें 80 लाख का लॉस उठाया है। बड़ा चौंकाने वाला फिगर है। मैं आशा करती हूं आपका खाद्य विभाग इसकी डिटेल में जायगा। डिटेल रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट में अवेलेबल नहीं है लेकिन जो चौंकाने वाला फिगर है 91-92 लाख का टर्न ओवर उस पर हम 80 लाख का घाटा उठा रहे हैं। लेवी वसूल करने के लिये पिछले वर्ष 72 या 78 की सरकारी इजाजत मांगी थी, यह उसमें शामिल है या नहीं, यह तो मैं नहीं जानती लेकिन यह सरकार को बहुत बड़ा लॉस है। 70 के गेहूं 136 पर बेचे हैं तो इतना बड़ा घाटा क्यों ? क्या लेकूना इसमें रह गया है। इस पर सरकार को सीरियसली सोचना चाहिये।

कभी कभी, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इन्सेन्टिव कार्यक्रम बहुत अच्छे होते हैं। हमारी नीतियों को अगर हम अमल में लायें तो एक बहुत अच्छा हिन्दुस्तान स्वप्न में आता है परन्तु कहीं न कहीं प्लानिंग की, फोरसाइट की कमी नजर आती है। मिसाल

(श्रीमती उषा प्रकाश)

के तौर पर 17 अप्रैल को सरकार का एक आदेश हो गया, उस समय जिला बन्दी करने में क्या आपत्ति थी ? उस समय जिला बन्दी इसलिये नहीं की कि आपके जयपुर शहर में अनाज खूब आ जाय। आप शहर के लोगों से डरते हैं और इसलिये आपने उस समय जिला बन्दी नहीं की। हजारों मन अनाज जयपुर में आकर बिक गया। जिला बन्दी कब की जब आपने किसानों से लेवी लेना शुरू किया। क्या आप यह नहीं सोच सकते थे कि व्यापारी लेवी नहीं देंगे और ऊपर का ऊपर ट्रान्जेक्शन कर लेंगे ? हमने व्यापारी को अन्डरमाइन किया। मेरा ख्याल है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एण्ड प्रोक्योरमेंट में प्रैक्टिकल फोर-साइट की बहुत जरूरत है। व्यवहार में जो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वह शायद इन किताबों में नहीं लिखा है, जो पढ़ कर हम आते हैं तो मेरा निवेदन कोई भी कदम उठाने से पहले चाहे वह खाद्य वितरण का मसला हो, चाहे खाद्य प्रोक्योरमेंट का हो और चाहे खाद प्रोडक्शन का हो जो प्रैक्टिकल थिन्किंग से प्रेक्टिकल फारसाइट से आगे बढ़ना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, असेन्शियल कामोडिटी की संख्या आज बहुत बढ़ गई है। सीमेन्ट की, हर गांव में, हर शहर में अलग अलग इण्डस्ट्रीज में एक असेन्शियल सप्लाई है। कोयला असेन्शियल सप्लाई है और कोयला बड़े बड़े शहरों में ईंधन के काम में आता है। इसी तरह मिट्टी का तेल असेन्शियल कमोडिटी है। आज जो डिपार्टमेंट ने नोट रखा है उसमें उन्होंने अपने आप मन्जूर किया है कि हमें जो अलॉट होता है कोयला उसमें से सिर्फ 35 प्रतिशत कोयला ही पहुंच पाया है। इसका बहुत व्यापक असर पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, जो इन्डस्ट्रीज में कोयला काम में आता है। चाहे वह ईंट का छोटा भट्टा ही क्यों न हो और चाहे बड़ी फैक्टरी हो, इन सबको कोयले की उपलब्धि से फर्क पड़ता है, व्यापारियों को जो ब्लैक से कोयला लेना पड़ता है वह घर से तो देने वाला नहीं है। जो कामोडिटीज वह बनाता है उस पर चढ़ा देता है और इस तरह हर एक कामोडिटी का भाव बेतहाशा बढ़ रहा है और दलील यह देते हैं कि उसकी सप्लाई हम मेन्टेन नहीं कर पा रहे हैं। और कोयले के मामले में मुझे पता नहीं मंत्री महोदय बता सकेंगे या नहीं कि आज कल कौनसा सिस्टम अपना रहे हैं। पिछले दिनों कहा था, वैगन की कमी रहती है। इसलिये मेरा निवेदन है, पूरी की पूरी रेक्स अलग अलग लाने के बजाय हम पीस मील में कोयला उठायें तो मेरा ख्याल है 33 पर्सेन्ट का जो फर्क है वह पूरा कर सकेंगे और कोयले का स्विफ्ट मूवमेन्ट हम करा सकेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय कोयले के बारे में मैंने आज आपका ध्यान इसलिए आकर्षित किया क्योंकि ईंटों के भट्टों का एक बहुत बड़ा काम भरतपुर में है। ईंटों का भाव आज आसमान छू रहा है, इसकी सारी वजह कोयला है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? यह मेरी समझ में नहीं आता है कुछ भट्टों को तो कोयले का कोई कोटा नहीं मिला है और दूसरी तरफ एक विशेष व्यक्ति को 40 वैगन का अलॉटमेंट करते हैं। क्यों नहीं सभी भट्टों को और इस प्रकार का काम करने वालों को बांटते है ? यह आपकी क्या

(श्रीमती उषा प्रकाश)

क्या नीति है ? सभी फैक्ट्रियों को एट पार करना चाहिए । एक पर्टीक्यूलर इण्डस्ट्री को तरफ तो हमारा एक फर्म ओपीनियन हो जाता है यह मेरी समझ में नहीं आता है । मैं बहुत कोशिश करती हूं इण्डस्ट्रीज के लिये जो कोयले का आवंटन होता है उसको अपने लेवल पर क्यों नहीं देते हैं ? जो असली उपभोक्ता है उसको फायदा मिलेगा लेकिन उनको भी जितना फायदा मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है । एक भट्टे को तीन महीने से कोयला नहीं मिले और दूसरी तरफ 40 वैगन का अलॉटमेन्ट हो जाता है, वह बहुत बड़ी विडम्बना है और मैं आशा करती हूं मंत्री महोदय इसको सुधारने की चेष्टा करेंगे ।

आज जो नोट दिया गया उसमें यह भी कहा गया है साबुन, माचिस बहुत सारी जब्त की गई । मेरे सामने एक प्रश्न यह भी है कि इन जब्त की हुई चीजों से क्या बाजार में अवेलेबिलिटी घटती नहीं है । अगर अवेलेबिलिटी घटेगी तो उसका असर उसके भावों में अवश्य पड़ेगा और उसको पाने के लिए भी क्यू में खड़ा होना पड़ेगा । इसलिए मैं निवेदन करूंगी अगर मार्केट में नहीं भेजें तो भी जब्त किया गया सारा माल पब्लिक को उपलब्ध हो जाय ताकि आर्टीफिशियल स्केयरसिटी न हो ।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में एक छोटी सी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगी । आज हमारे कृषि विभाग में डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, ब्लॉक और ग्राम लेवल पर दूसरे कृषि से सम्बन्धित अधिकारी हैं । आज मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या किसी भी अधिकारी ने कभी भी आकर मौके पर किसान का मार्गदर्शन किया है कि तुम इस तरह से यह बीज इस समय में लगाओ तो पैदावार होगी ? अगर कृषि विभाग के पास इतने साधन नहीं हैं तो फिर क्या है वही जमीन है, वही पानी है, वही जलवायु है फिर भी उत्पादन नहीं हो पाता है । आप फिर क्यों साइन्स को मखौल उड़ा रहे हैं ? इससे किसान भी चक्कर में पड़ जायेगा कि कौनसा बीज डाले एच. सी. 1 डाले या एच. सी. 3 डाले । इस सब का एक ही मतलब है कि जो विभाग का स्टाफ है वह निष्क्रिय हो रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका उदाहरण दूं, शुरू में जैसा इसमें लिखा गया है कि लेवी के साथ में खाद प्राप्त कराया है । शुरू में 2 क्विन्टल जो लेवी देगा उसको एक बोरा खाद का देंगे, इस तरह के आदेश थे । अब, उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ में एक प्रश्न यह पैदा हुआ कि जो छोटे काश्तकार हैं और जिन्होंने 2 क्विन्टल से कम लेवी दी है तो उनको वह सुविधा नहीं मिलेगी । फिर जब हमने यहां बात की तो यहां से इन्सट्रक्शन्स पहुंचे कि छोटे काश्तकारों को भी इसका फायदा मिले और जिन्होंने 1 क्विन्टल से 2 क्विन्टल के बीच में लेवी दी है उनको भी खाद मिले । यह आदेश करीब पिछले 20 दिन पहले हुए होंगे लेकिन पिछले दिनों जब मैं अपने क्षेत्र में गई थी तो लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम था कि 2 क्विटल लेवी में अनाज दिया नहीं है फिर भी वह खाद लेने के अधिकारी हैं । मैंने जब पूछा कि क्या आपके पास ग्रामसेवक आते हैं, क्या आपके पास एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर आता है और क्या वह आपको बताते हैं कि किसी को खाद मिलेगा और कब मिलेगा ? तो सब का जवाब एक ही था 'ना' । बड़े बड़े काश्तकार ट्रैक्टर के पीछे ट्रोली भरकर खाद और सीमेन्ट ले गए

(श्रीमती उषा प्रकाश)

लेकिन छोटे काश्तकार जिन्होंने 1 क्विन्टल से अधिक और 2 क्विन्टल से कम लेवी दी है उनको खाद उपलब्ध नहीं हुआ है। तो आज हमारी सरकार यह कहे कि हम छोटे लोगों के लिए हैं तो वह किस मुंह से कहें हम कैसे आश्वासन दें कि हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि यह शीघ्र व्यवस्था कराई जाये, जिन्होंने दो क्विन्टल से कम लेवी दी है और खास करके मेरे क्षेत्र में जो किसानों को खाद नहीं मिली है उनको खाद दिलाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्रीमती उषा प्रकाश : सीमेंट का कह कर समाप्त करूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि स्माल फार्मर्स डवलपमेन्ट एजेन्सी (लघु कृषक के विकास के लिए एजेन्सी) भरतपुर में काम कर रही है उनके अन्तर्गत पिछले दिनों एक अभियान चलाया गया कि वहां पर कुए बनें और प्रोडक्शन करें। अकेले मेरे वैर क्षेत्र में मुझे मालूम है कि 900 से ज्यादा एप्लीकेशन इस काम के लिए आई कि हम छोटे किसान हैं और हमें सुविधायें दी जायें ताकि कुआ बनायें और अपना प्रोडक्शन बढ़ायें। लेकिन हमारे सामने यह समस्या है कि आपने कुओं के लिए डिमाण्ड तो क्रियेट कर दी कि छोटे काश्तकार कुए बनायें और अपना प्रोडक्शन बढ़ायें परन्तु जितने भी किसानों ने एप्लीकेशन दी विशेष करके इस अभियान के अन्तर्गत उनमें से कितने प्रतिशत किसानों को आप सीमेंट दे पाये हैं कुए बनाने के लिए यह भी प्रश्न है। वह किसान पहले ही छोटे थे और इसके बाद वह और गरीब हो गए। किसानों ने अपनी जमीनें गिरवी रख दीं और बैंक ने जिसको चाहा उसको लोन दे दिया और उसके बाद किसान के भी हाथ पैर कट गये जमीन को गिरवी रखने के बाद में। न तो वह साधन जुटा सकता है और न कुछ कर सकता है। जिसने अपनी मेहनत से कुए के अन्दर काम शुरू करा दिया उनको आपने सीमेन्ट नहीं दी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सामने एक दृश्य है। वल्लभगढ़ का जब बांध टूटा और बांध टूटने से जो बाढ़ आई वहां गांव में एक छोटे से धोबी ने कुआ बनाया। पहले तो उसको लोन नहीं मिला तो उसने अपने सारे जेवर बेचकर कुआ बनाना शुरू किया। कुछ सिमेन्ट उसने लगाई और बाकी सीमेन्ट नहीं मिलने से उसका कुआ आधा ही रह गया और इस फ्लड में पता नहीं उनका कुआ कितने नीचे जाकर बैठ गया होगा। अब वह किसको रोये? उस किसान के आंसू हम कैसे पोंछेंगे? तो यह तो मैंने उपाध्यक्ष महोदय मिसाल दी है। ऐसे पता नहीं कितने किसानों के कुएं नीचे बैठ गये हैं। उन्होंने जो ब्याज पर लोन लिया उसका ब्याज भी चालू हो गया लेकिन सीमेन्ट नहीं मिलने से वह बर्बाद हो गये हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमने विशेष अभियान चलाया तो हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए कि इस अभियान के पीछे क्या चाहिए। अगर हमारे पास साधन नहीं हैं और हमारी क्षमता नहीं है तो हम अभियान ही क्यों चलायें? गरीब किसान एक कोने में बैठा रहेगा। वह कम से कम रोयेगा तो नहीं। कभी बयाना का चक्कर, कभी भुसावर का चक्कर, तो कभी भरतपुर का चक्कर तो नहीं काटना पड़ेगा। वह चुपचाप घर में रोटी पका कर तो खायेगा। खास करके

(श्रीमती उषा प्रकाश)

जहां जहां बाढ़ आ गयी है वहां के गांवों के किसानों की तरफ विशेष हमदर्दी रखिये। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगी कि उनको सीमेन्ट और कपड़ा आदि वस्तुएं उपलब्ध कराये।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देती हुई अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा!

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री जयनारायण रोत : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिए मैं प्रस्ताव करूंगा कि माननीय खाद्य मन्त्री जी का जवाब हो जाये तब तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि आज की डिबेट का समय मन्त्री जी का जवाब होने तक के लिए बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

(सदन का समय मन्त्री महोदय के जवाब होने तक के लिए बढ़ाया गया)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा!

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद से हमारा देश गम्भीरतम संकट से गुजर रहा है। आजादी के बाद ऐसा समय कभी नहीं आया जब एक ही वर्ष के अन्दर 47 पर्सेन्ट कीमतें बढ़ गयीं और बाजार से खाद्यान्न, साबुन, तेल, मिट्टी का तेल और सारी की सारी उपभोक्ता वस्तुएं गायब होनी शुरू हो गयी। उपाध्यक्ष महोदय, यह क्राइसिस केवल भारतवर्ष में ही आया हो ऐसी बात नहीं है। देश में राज्य करने वाले लोगों के पूंजीवादी मार्ग पर चलने के कारण यह क्राईसेस है और विश्व में साम्राज्यवाद के द्वारा उत्पन्न यह एक क्राइसेस है और केवल भारतवर्ष ही इसका शिकार हुआ हो ऐसी बात नहीं है। आज दुनिया के सारे पूंजीवादी देश इस क्राइसेस के शिकार हुए हैं। यू. एन. ओ. की एक रीसेन्ट रिपोर्ट के मुताबिक जितने भी केपिटिलिस्ट देश हैं उनके अन्दर कीमतों के बहुत बड़े इजाफे हुए और कोई भी सोशलिस्ट देश ऐसा नहीं है, यू. एन. ओ. की रिपोर्ट की मुताबिक जिसमें पिछले दस सालों के मुकाबले में एक प्रतिशत कीमत बढ़ी हो बल्कि कई देशों के अन्दर कीमतें गिरी हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि घोर पूंजीवादी मार्ग की ओर साम्राज्यवादी शोषण की एक गंभीर परिणति है और आज इस परिणति तक पहुंचाने के लिये इजारेदारी, मुनाफाखोरी, सट्टेबाजी, सामन्ती अवशेष, ये सब बहुत दूर तक जिम्मेवार हैं और इन सारे दुश्मनों से लड़ना बहुत ही आवश्यक हो गया है। अगर प्राइस इन्डेक्स को आप देखें उपाध्यक्ष महोदय, तो जहां 1961-62 के अन्दर, 1961-62 के पहले का 100 ग्राम मान लें तो, 101.3 थोक मूल्यों का आंकड़ा था। 1973-74 में यह आंकड़ा 267 के ऊपर पहुंच गया और आज यह आंकड़ा 1974 के अन्दर जबकि इस वर्ष के अन्दर दो प्रतिशत प्रति सप्ताह कीमतों में वृद्धि हो रही है, यह आंकड़ा 310 के करीब पहुंच गया है। यह कीमतों की वृद्धि चरम संकट है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार जो दूसरी बातें करती है, और जिस प्रकार

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

का रास्ता अपना रही है वह कुछ ऐसा ही है जैसे कि मुर्दे के बाल काट कर मुर्दे का वजन कम करना चाहती है। आप जब तक सामन्ती अवशेषों को समाप्त नहीं करते, जब तक आप ब्लेकमनी, जो कि 15 अरब से ऊपर चली गयी है, को समाप्त नहीं करते गैर पूंजीवादी रास्ते पर नहीं आते, मैं समझता हूं कि कीमतों की वृद्धि समाप्त होने की संभावना नहीं है। जो कदम हम उठा रहे हैं, जो केपेटिलिस्ट कन्ट्री कदम उठा रहे है, वह कदम भी हम नहीं उठा रहे हैं। फूड ग्रेन चाहे कोर्स हो, चाहे ह्वीट हो, हम एक रास्ता नहीं अपना रहे हैं। जापान जो कि घोर केपेटिलिस्ट कन्ट्री है, बर्मा जो घोर पूंजीवादी व्यवस्था का पोषक है, उसने भी नेशनलाइजेशन का रास्ता अपनाया है। परन्तु हम वह रास्ता भी नहीं अपना पाये हैं पूरी तरह से। हमारे राज्य के मुख्य मंत्री ने स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया है कि प्रोड्यूसर लेवी ही एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम बफर स्टाक क्रिएट कर सकते है और अनाज का स्टोर कर सकते हैं।

अनाज के डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्थिति है, उपाध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट के मुताबिक तो वह बड़ी दयनीय है। आज जहां पर कि हमें सन् 1973 के जून में 60 हजार टन गेहूं और 30 हजार टन माइलो उपलब्ध थी, 1974 के जून में वहां पर 5 हजार टन गेहूं और 8 हजार टन माइलो ही उपलब्ध है और 15 मई से तो कीमतों की वृद्धि दुर्लक्षपूर्ण हो गई है। स्टेट ने लेवी का निर्णय लिया और लेवी की वसूली हुई। यह राज्य सरकार का पूंजीवादी रास्ता है जो अपने आप अपनी कहानी कहता है। हमारी सारी लेवी जो व्यापारियों से वसूल हुई है, या उनसे प्राप्त हुई है वह 20,028 टन है और जो लेवी हमें उत्पादकों से प्राप्त हुई है वह है 98,772.08 टन। इस प्रकार कुल लेवी प्राप्त हुई है 1 लाख 18 हजार 801.8 टन और अगर इस लेवी अभियान के अन्दर झांक कर देखें तो कई स्थानों पर लेवी वसूली की स्थिति बड़ी दयनीय है। बांसवाड़ा जिले के अन्दर, जहां से कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय तशरीफ लाते हैं, व्यापारियों से लेवी प्राप्त हुई है केवल 3.7 टन। मैं यह मानता हूं कि बांसवाड़ा जिले की अन्न स्थिति संकटपूर्ण है। वहां पर अनाज की स्थिति संकटपूर्ण है। परन्तु राज्य के मुख्य मंत्री जहां से आते हैं, राज्य के उस जिले के अन्दर व्यापारियों से जो लेवी की वसूली हुई है वह केवल 3.7 टन है। व्यापारियों से लेवी वसूल न होने का क्या कारण है? किस को आप जिम्मेदार ठहराते हैं? दूसरी स्थिति को देखें। लेवी की सब से कम वसूली किस स्थान से हुई है, उनमें मुख्य स्थान हैं, सब से कम जहां से हुई है वह है भरतपुर जो कि एक सरप्लस जिला हम ने डिक्लेअर कर रखा है। कुछ जिलों के अन्दर हमने इन्टर डिस्ट्रिक्ट मूवमेन्ट ह्वीट का बंद किया था और इन सारे जिलों में आप गंगानगर को छोड़ दें, एक कोटा जिले को छोड़ दें एक अजमेर जिले को छोड़ दें बाकी जिलों के अन्दर क्या स्थिति रही है····

श्री नाथूराम : बांसवाड़ा जिले में किसानों से कितनी लेवी वसूल हुई है यह आपने नहीं बताया ?

श्री योगन्द्रनाथ हाण्डा : यह 506 टन किसानों से वसूल हुई है···

श्री नाथूराम : यह 6000 क्विन्टल है माननीय सदस्य....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : 27 मन का एक टन होता है। मैं टन में बता रहा हूँ। यह 506 टन सरकार का आंकड़ा है। मेरे घर का आंकड़ा नहीं है। वहां के किसानों ने गेहूँ दिया है, यह मैं मानता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर खाद्य मंत्री के क्षेत्र को देखें तो आप कह सकते हैं कुछ सराहनीय कार्य हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष : ये आंकड़े तो सभी माननीय सदस्यों को सरक्यूलेट हुए हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : भीलवाड़ा जिले के अन्तर्गत माण्डलगढ़ है, जहां से कि हमारे खाद्य मंत्री निर्वाचित होकर आए हैं। सब से कम लेवी माण्डलगढ़ से प्राप्त हुई है। स्थिति यह है कि वहां की कांग्रेस कमेटी ने एक इश्तिहार निकाला लेवी के विरोध में जो एक्स एम. एल. ए. किस्तूरीलाल हैं, उन्होंने और वहां के कांग्रेसियों ने लेवी का विरोध किया। लेवी विरोधी अभियान में पूरी तरह से हिस्सा लिया और एक्स एम. एल. ए. को सस्पेन्ड किया गया और दूसरे कांग्रेसियों को नोटिस दिया गया। तो यह स्थिति वहां पर है। माण्डलगढ़ से खाद्य मंत्री आते हैं। यह स्थिति वहां की है। तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि 22 रजवाड़ों के पास हजारों लाखों एकड़ भूमि है, उन रजवाड़ों से कितनी लेवी वसूल हुई ? महाराजा गजसिंह के पास में हजारों एकड़ भूमि का फार्म है। आपने उनको 5 हजार क्विन्टलें लेवी का डिमाण्ड नोटिस दिया और 500 क्विन्टल पर ही सौदा तय कर लिया। कोटा के महाराजा को हजारों क्विन्टल का डिमाण्ड नोटिस दिया और कुछ क्विन्टल पर ही लेवी का सौदा क्यों तय कर लिया ? अलवर के महाराजा को नोटिस दिया, थोड़े से क्विन्टल पर ही यह सौदा क्यों तय हो गया ? जोधपुर के महाराजा के पास जाकर राज्य के मुख्य मंत्री ने बात कर ली और 5000 क्विन्टल के बजाय हजार क्विन्टल लेवी ही क्यों वसूल की ? मैं साधारण प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या राजस्थान केनाल क्षेत्र के अन्दर कोई आई. ए. एस. अधिकारी नही हैं ? ऐसे भू-पति, करोड़पति हैं जिन्होंने हजारों एकड़ भूमि दबा रखी है। बागड परिवार के पास 5000 एकड़ जमीन है। राज्य के फूड कमिश्नर भटनागर साहब की 20 मुरब्बा जमीन है। मैं जानना चाहता हू कि भटनागर साहब से और उनके 20 आदमियों के परिवार से कितनी लेवी वसूल की गयी है ? रेवेन्यू बोर्ड के दीपचंद माथुर और उनके परिवार के लोगों का 20 मुरब्बा जमीन है। मैं पूछना चाहता हूँ कि श्री दीपचंद माथुर से कितनी लेवी प्राप्त हुई है ? श्री जेड. एस. झाला, जो कि एक्स चीफ सेक्रेटरी हैं, से कितनी लेवी प्राप्त हुई है ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन अधिकारियों से कितनी लेवी राज्य सरकार को प्राप्त हुई है ? इनकी सारी की सारी सूची बनी हुई है। जोधपुर के महाराजा की 5 हजार एकड़ जमीन है, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और स्टे हुआ है, मैं पूछना चाहता हूं वहां से कितनी लेवी प्राप्त हुई है ? करोड़पति सेठ मालपानी का 5 हजार एकड़ जमीन पर कब्जा है, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उस से कितनी लेवी प्राप्त की गयी है। सुल्तानसिंह के पास कोई कम जमीन नहीं

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

है। मैं जानना चाहूंगा कि सुल्तानसिंह जी से जो कि एक्स आई. जी. पी. हैं कितनी लेवी प्राप्त की गई है? अगर मैं गिनाऊं तो सारे का सारा समय समाप्त हो जाएगा। इन आई. ए. एस. अधिकारियों, राजनीतिज्ञ बड़े बड़े लोगों से कितनी लेवी ली यह मैं इन कागजों से बता सकता हूं। हाईकोर्ट ने जजमैंट दिया है कि पुराने सीलिंग केसेज पुराने कानून के तहत तय किये जायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने 16 लाख एकड़ राजस्थान में सीलिंग के तहत लेने की घोषणा की थी और 3 लाख एकड़ गंगानगर से जमीन सीलिंग में लेने की बात की थी, उन लोगों से कितनी लेवी प्राप्त की? बड़ी डींग हांकी कि 5 सीनियर कमिश्नर्स आपने तय किए हैं। इन्होंने क्या किया? आखिर इसी सदन में और दिल्ली के अन्दर राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को कहना पड़ा जिनको आपने दो हजार क्विन्टल स्टॉक करने का अधिकार दे दिया, जिन व्यापारियों को आपने 105) रुपए में लेकर 200-250) रुपये क्विन्टल की रेट तक बेचने की खुली छूट दे दी और जिनके ट्रक एक बाउण्ड्री से दूसरी बाऊण्डरी क्रॉस करते गए। माननीय सदस्यों ने आंकड़ों को पढ़ा होगा कि कितने केसेज होर्डिंग के हुए हैं। 885 केसेज दर्ज हुए हैं, केवल 115 केसेज चालान हुए और 61 केसेज में लाईसैंस रद्द किया। मैंने पूछा था कि डी. आई. आर. में कितने केसेज पकड़े गए तो कहा कि महावीरप्रसाद हनुमान प्रसाद को पकड़ा गया। माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव रखा। जिनको पकड़ा गया उन्होंने चावल का अनाप-शनाप धंधा किया था। जो उनके वही खाते पकड़े गए उनके अन्दर जो बड़े-बड़े पोलिटिशियन्स के नाम आए, बड़े-बड़े दिग्गजों के नाम आए, आखिर उन नामों को क्यों नहीं सरकार सामने लाती? इन्कम टैक्स अधिकारियों के पास उनके वही खाते पड़े हुए हैं, उनके अंदर कभी कहा जाता है कि खेतसिंह का नाम दर्ज है, कभी कहा जाता है कि मेरा नाम दर्ज है, कभी कहा जाता है कि उन खातों के अन्दर रामकिशन जी का नाम दर्ज है, बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों के नाम लिए जाते हैं। वे खाते सरकार लाए जिनके अन्दर उनकी एन्ट्रीज हैं, अगर सरकार अनाज के बारे में सही दृष्टिकोण रखती है तो हनुमान प्रसाद के खाते, जो इन्कम टैक्स के लिए पकड़े गए हैं, सदन की मेज पर रखे जायें और फिर पता लगेगा कि राज करने वाले किस प्रकार से ब्लैक मार्केटिंग करते हैं...

श्री रामकिशन : किसी का नाम मत लो।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जिनके होते हैं सो होते ही हैं।

श्री रामकिशन : उसमें खेतसिंह जी का भी नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कई लोगों के नाम लाखों रुपऐ हैं। यह तो हमारी खाद्य नीति है। सरकार की क्या नीति है? मानसिंहका का स्थगन प्रस्ताव मैंने रखा था कि 20 हजार लोगों को मृत्यु भोज दिया। कलेक्टर से रिपोर्ट आई कि कोई भोज नहीं दिया गया। एडीशनल आई. जी. पी. श्री माथुर वहां गए, 62 लोगों के स्टेटमेंट्स लिए जिनमें वकील थे, खाद्य मंत्री के मित्र थे, गवर्नमेन्ट ऑफिसर्स थे। दो इन्सपेक्टर्स, जिन्होंने मानसिंहका के संबंध में सूचना दी,

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

को 100-100 रुपये की राइज दी और सदन को गुमराह किया गया। क्यों नहीं श्री माथुर, एडीशनल आई.जी.पी. की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाए ? क्यों नहीं मानसिंहका, जिन्होंने 20 हजार को भोज दिया, के हथकड़ियां डाली जाती या डी. आई. आर. के तहत, मेन्टेनेन्स ऑफ इन्टरनल सीक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया ?

यहां के एक विधायक ने अपने 8 वर्षीय पुत्री के विवाह में 6 हजार लोगों को दावत दी, अखबारों में चर्चा है। किस विधायक ने भोज दिया ? खाद्य मंत्री कोई स्पष्टीकरण नहीं करना चाहते। विधायक को चिंता नहीं कि स्पष्टीकरण दें। अपने आप को प्रगतिशील कहलाने वाली पार्टी के विधायक और फिर 8 साल की पुत्री का विवाह करें और भोज में 6 हजार लोगों को बुलायें और.......

श्री रामकिशन : कौन है वह विधायक ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रामसिंह। उससे पहले ग्राम लाडपुरा निर्वाचन क्षेत्र मांडलगढ़, जो खाद्य मंत्री की खुद की कॉन्स्टीट्यूएन्सी है, के महेश्वारी सेठ ने भोज दिया, उसमें हजारों लोग शामिल हुए, उसमें खाद्य मंत्री खुद सम्मिलित हुए, मैं जब भीलवाड़ा गया तो बहुत से लोगों को देखा ......

श्री शिवचरण माथुर : आप अनर्गल बात कह रहे हैं। मैं किसी भोज में शामिल नहीं हुआ था। तारीख बताइए कहीं न कहीं तो सचाई होना चाहिए।

श्री रामकिशन : लड्डू तो आए थे बाद में ?

श्री शिवचरण माथुर : बिल्कुल गलत है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वहां के लोकल पेपर्स में चर्चा है।

श्री शिवचरण माथुर : लोकल पेपर्स जो छापते हैं उसको आप सच मानते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी तरफ से कोई कान्ट्रेडिक्शन नहीं है और मानसिंहका ने 20 हजार लोगों को भोज दिया और सदन में कहा गया, कलेक्टर की रिपोर्ट है, आप उस समय बोले नहीं। आपने इस सम्बन्ध में उसी प्रकार चुप रह सकते हैं। आपका समाचार लोकल पेपर्स में छपा, आपको कान्ट्रेडिक्शन देना चाहिये और फिर इतना ही, नहीं जाजू साहब का केस सदन में आया था, वहां के कलेक्टर लक्ष्मीनारायण गुप्ता ने जाजू के घी के अन्दर ग्रीस की मिलावट पकड़ी। जाजू का घी खाकर लोग बीमार हो गए। बनीपार्क में उसके विवाह पर हजारों लोग शामिल हुए। गोटेवाला लाईब्रेरी कमेटी के अध्यक्ष हैं वह भी गए। इन्हीं जाजू साहब के ट्रक श्री कन्हैयालाल माथुर के यहां भीलवाड़ा में बिके और कालरा साहब रोते फिर रहे हैं। 15 हजार ट्रक के प्रोफिट पर एक लाख रुपया, इन्हीं कन्हैयालाल ने ले लिया। आखिर कालरा साहब की संतुष्टि आप कर लें। ऐसे कई केसेज हैं। मैं समझता हूँ मानसिंहका को देश का कानून पकड़ ही नहीं सकता। 18 जून को मांडलगढ़ में इन्हीं मानसिंहका साहब के 2256 पीपे वेजीटेबल के पकड़े गए.....

श्री शिवचरण माथुर : मांडल में पकड़े गए ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मांडल स्टेशन पर पकड़े गये। 1500 जमुनालाल से, 756 महालक्ष्मी होटल से, मानसिंहका की फैक्टरी भीलवाड़ा में भी है। वनस्पति प्राइवेट लि. और पचोलिया में भी उनकी फैक्टी है, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात में है। क्या उनका कोई मांडल के अन्दर स्टोर है ? क्या वह स्टोर रजिस्टर्ड है ? आखिर यह घी पचोलिया से आया, इन्होंने इन्टर-डिस्ट्रिक्ट मुंगिया क्रॉस की ? वह घी सुमेरपुर और जोधपुर जा रहा था। आखिर मांडल कौनसा हॉल्टिंग स्टेशन है ? घी कभी भीलवाड़ा का बताया जाता है कभी कहीं का। आखिर प्रूफ होगा। इन्टर स्टेट में जब घी आया है आज राजनीतिज्ञों के प्रोटेक्शन के अन्दर हर प्रकार की रियायत, उपाध्यक्ष महोदय, दी जा रही है। कोई कार्यवाही नहीं हुई है। दो इन्फोर्समैन्ट इन्सपेक्टर, जिन्होंने यह घी पकड़ा है, उनका तबादला कर दिया है। वह वहां नहीं रह सकते हैं क्योंकि उन्होंने मानसिंहका का घी पकड़ लिया है। एक और बात, उपाध्यक्ष महोदय, आसाम फ्लोर मिल, दूसरी फ्लोर मिल कोटा को है जिसके मालिक लांकूराम भोजूराम हैं, उसके बारे में यह सारा "आजाद सन्देश" ("आजाद सन्देश" साप्ताहिक पत्र दिखाते हुए) भरा पड़ा है। जयपुर रोलर फ्लोर मिल देशवासियों का अभिनन्दन करती है। और जाजू साहब की फ्लोर मल को कण्ट्रोल का गेहूं दिया जाता है, मैदा और चपड़ा, सूजी बनाने के लिए। उनका वह चपड़ा 40) रुपया मन के हिसाब से वेचा जाता है। वह जयपुर में इस समय 137) रुपये के हिसाब से बेचते हैं। महात्मा गांधी के ग्रन्थ हमने पढ़े हैं। उसमें लिखा है कि चपड़े के साथ में अनार के दाने भी खाने चाहिएं। पपीता भी इसके साथ खाना चाहिये। नहीं तो खाद्य मन्त्री महोदय, यह चपड़ा हजम होने वाला नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न आपके सामने है। मैं तो और अर्ज करना चाहूंगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अब खत्म करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं सीमेण्ट का प्रश्न उपस्थित करना चाहूंगा। आपको सीमेण्ट का कोटा भारत सरकार से प्राप्त होता था। अब वह कम प्राप्त होता है। लेकिन मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं खाद्य मन्त्री महोदय से यह कोटा 1,11,750 टन प्राप्त हो रहा है इसका ब्लैक कैसे हो रहा है ? धर्मेन्द्र, कटेवा का मार्केट भरा हुआ है। खोसला ब्रदर्स है। यह शालीमार टॉकीज है। जिनका हमेशा यह धन्धा रहा है कि हर साल एक सिनेमा टॉकीज बनवाना और बेचना। यह विन्द्राबन एण्ड कम्पनी है, जिसको 750 मील के डिफैंस के पिलर्स बनाने का काम मिला हुआ है, जिसने हजारों सीमेण्ट के थैले रायसिंह नगर में ब्लैक किये हैं। कैरोसिन ब्लैक किया है। यह ठीक है, वह कहते हैं कि राजस्थान सरकार से मिल रहा है। लेकिन आज वह पिलर्स डिफैंस के लिए बन रहे हैं। पाकिस्तान से हिफाजत के लिए बन रहे हैं। इससे बड़ा और देशद्रोह क्या हो सकता है ? आज एरोड्रम बने, वाच टॉवर बने उस वक्त सीमेण्ट की जगह उसमें मिट्टी मिलाई जाये। उपाध्यक्ष महोदय, एक नीति जो माननीय खाद्य मन्त्री महोदय ने निर्धारित की है, मेरी समझ में नहीं आता है आज आप गरीब किसान को

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

को-ऑपरेटिव सोसाइटी या सरकारी एजेन्सी से क्यों नहीं सहायता देते। वह थोड़े से ही आंकड़े हैं, लेकिन ऐसे ही सारे देश के आंकड़े हैं। जिन कल्टीवेटर के पास 500 की किस्म है, उनको पर ईयर 2.3 रु. प्राप्त होता है। यह एवरेज है। कुछ और हैं जिनको 20 सालों से 170.5 रु. प्राप्त होता है। उपाध्यक्ष महोदय, एक हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर जमीन होगी तो 2 क्विण्टल लेवी लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूं जो बिल्कुल मार्जिनल फार्मर हैं, अनिश्चित के फार्मर हैं, आपने नियम बनाया है कि आप उसी को दवा, खाद, सीमेन्ट देंगे, जिसने लेवी दी है। मैं नहीं समझता राजस्थान के अन्दर अधिकतर लोगों ने पैसा दिया है। 105 रु. की कीमत पर भादू ने दिया है। मनफूलसिंह ने दिया है। 105 का भाव है लेकिन लेवी के लिए 155 रु. में दिया है। 155 रु. क्विण्टल। इस भाव में गेहूं दिया है, उन गरीब किसानों को लेवी के रूप में देने के लिए। इतना ही नहीं उनको जो प्राप्त होने वाले परमिट हैं। फर्टिलाइजर केरोसिन, सीमेण्ट वह सारे उन्होंने अपने कब्जे में कर लिये हैं। यहां तक कि इसके लिए 10 आदमियों को बिठा रखा था। भीलवाड़ा के क्षेत्र में अकाल की काली घटायें घिरती जा रही हैं। लेकिन जिस प्रकार से लोग कहते हैं, अपनी पेट की आग बुझाने के लिए अबलायें इज्जत बेचने के लिए मजबूर होती हैं। जहां धान का दाना नहीं मिलता है, जहां चावल का चोकर बना कर पीस कर खाते थे, वहां अब सागड़ी प्रथा लौटकर आ रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, रिकवरी में एक मन अनाज की जगह 2 मन अनाज देना पड़ा। वहां पर उनके नाम से परमिट खाद और सीमेण्ट के सारे के सारे मनीलेण्डर्स को जाने वाले हैं। मैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और अर्ज करूंगा, कम से कम मोटा अनाज तो बाहर मत जाने दीजिये। इन्दिरा गान्धी को भी कहें। आपने मोटे आंकड़े बताये कि 30 लाख टन अनाज पैदा हो जायेगा। आपके सिंचाई के जो मजबूत साधन हैं, जो आपको अनाज दे सकते हैं, वे सारे के सारे डांवाडोल हैं। आपकी राजस्थान कैनाल का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। सेंसर कर रही है भारत सरकार। राजस्थान नहर का पता नहीं, कब बर्स्ट हो जाय। पंजाब के लोगों ने अनाप-शनाप बांध बनाना शुरू कर दिया है। 16 लाख रुपया पंजाब सरकार को दिया था, वह सारा का सारा पंजाब लगा नहीं पाया है। नहर को 2300 क्यूसेक पानी लेना चाहिए था, जबकि 1300 क्यूसेक से अधिक पानी ले नहीं रहे हैं। इसी प्रकार पानी के एडीशनल रिसोर्सेज जो हैं, भाखरा प्रोजेक्ट, गंग कैनाल, राजस्थान कैनाल—इनकी डांवाडोल स्थिति हो रही है, इनकी पूरी यूटिलिटी नहीं है। फिर आप कल्पना करके चलें कि 30 लाख टन अनाज पैदा कर लेंगे, तो ऐसी स्थिति नजर नहीं आती है। इसलिए आप मोटे अनाज को सील कीजिए, डी. आई. आर. का सख्ती से उपयोग कीजिये, मैं तो कहूंगा कि अनाज का राष्ट्रीयकरण कीजिये।

एक बात के लिए मैं खाद्य मन्त्री जी को बधाई दूंगा, वह यह है कि लेवी के मामले में सारे देश के अन्दर देखा जाय तो राजस्थान के प्रान्त ने पूरी शक्ति के साथ में लेवी वसूल की है, अनाज का स्टॉक क्रियेट किया है, लेकिन वह स्टॉक इतना नहीं है,

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

जो कि राजस्थान भर के लोगों के पेट में रोटी डाल दे। इसलिए इसमें बुनियादी परिवर्तन करने की जरूरत है, आप पूंजीवादी मार्ग छोड़ें, गर पूंजीवादी मार्ग आपको अपनाना पड़ेगा।

आपने समितियों की बात कही ? आपने लोगों को एक्टीवाइज करने की बात कही। मैं कहता हूं दो कलेक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 1500 के करीब समितियां, छोटी छोटी बनाई हैं। वह कलेक्टर की रिपोर्ट है। मैं खाद्य मंत्री जी का आह्वान करता हूं, आज जरूरत इस बात की है कि मुनाफाखोरी का डट कर मुकाबला किया जाय, जखीरे बाजी का डट कर मुकाबला किया जाय। इस बात की जरूरत है, 9 अगस्त को जो नौजवानों की रेली में कहा गया था, उसके अनुसार जगह-जगह कमेटीज को मोबिलाइज किया जाय। आप डीहोर्डिंग के लिए मैदान में उतरिये। जरूरत इस बात की है कि जखीरे बाजों को इस तरीके से कसा जाय कि उनके गोदामों के ताले तोड़ कर उन चीजों को बाजार में लाया जाय, चाहे साबुन का प्रश्न हो, चाहे वेजिटेबल का प्रश्न हो और इस सारे काम के लिए सारी मशीनरी को एक्टीवाइज किया जाय। उनके चौकीदार, गोदामों के मालिक हैं, जयप्रकाश नारायण का ठप्पा लगा कर, देश के नौजवानों को उत्तेजित करके, दक्षिणपंथी ताकतों को एक जुट करके देश के अन्दर से प्रजातंत्र को समाप्त कर देना चाहते हैं, साम्राज्यवाद की काली परछांई को देश के अन्दर घुसाना चाहते हैं। इन दक्षिणपंथी ताकतों से इस देश को बचाइये। इसके लिए आप अपने वर्कर्स की टीम को मोबिलाइज कीजिये, गांव-गांव के अन्दर समितियां बनाइये और डीहोर्डिंग को समाप्त करने के लिए उनका आह्वान करिये, आप मैदान में आइये, जितने भी सोशलिज्म की विचारधारा वाले लोग हैं, वह भी मैदान में उतरें, आप फिर डीहोर्डिंग करें और जखीरेबाजों का नाश करें, मिलावट करने वालों को समाप्त करें और जो ब्लैक मनी है, उसको नंगा करें। सारे देश को इस दिशा में ले जायें। सौ रुपये का नोट है उसको आप जब्त करें और जितनी भी जनोपयोगी चीजें हैं उनका नेशनलाइजेशन करें, चाहे वह सीमेन्ट हो, चाहे वह खाद हो, चाहे वह पेपर हो, चाहे वह मोटा कपड़ा हो। आप नेशनलाइजेशन की दिशा के अन्दर कदम ले जाएं तब तो प्रगतिशीलता है। वरना आपकी प्रगतिशीलता जो वह नीचे वालों तक सीमित है, इस कारण राजस्थान का भविष्य अन्धकारमय हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री महेन्द्रकुमार !

श्री महेन्द्रकुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के अन्दर कई माननीय सदस्यों ने खाद्य नीति और अन्य काम की वस्तुओं की जो कीमत बढ़ती हुई जा रही है, उसके बारे में काफी प्रकाश डाला है। इसलिए इस सम्बन्ध में और ज्यादा नहीं कह कर जिला डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उदयपुर में आज जो भयंकर अकाल की स्थिति पैदा हो रही है, उसके बारे में खाद्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर जिला, बांसवाड़ा और उदयपुर आदिवासी एरिया हैं और उनके पास ज्यादा न तो जमीन है और न

(श्री महेन्द्रकुमार)
अन्य तरह के उद्योग धन्धे हैं, जिसकी वजह से वे अपना गुजर बसर कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर, बांसवाड़ा लगातार तीन-चार वर्ष से अकाल पीड़ित चला आ रहा है। इस साल भगवान की दया से रबी की फसल अच्छी पकी थी जिससे लोगों में थोड़ा सा सन्तोष पैदा हुआ था कि इसी तरह से हर साल अनाज पकता रहे तो अकाल की स्थिति दूर हो जायगी। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, भगवान की अकृपा रही पता नहीं क्यों, हर दूसरे साल अकाल पड़ता ही है, अभी भी इसी तरह की हालत पैदा हो गई है जिले में। एक बरसात बरसी तो लोगों ने अनाज बोया, एक बार बोया, दो बार बोया और तीन बार बोया लेकिन बरसात टाइम पर नहीं होने की वजह से वह बीज जमीन के अन्दर रह गया है और जो फसल पैदा हुई है, वह भी आज सूख रही है। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही भयंकर हालत पैदा हो गई है। यदि वर्षा नहीं हुई तो मैं कहूं कि चार साल का अकाल का समय निकला है, उससे भी ज्यादा भयंकर अकाल यह होगा। इसलिए मैं खाद्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि आदिवासियों के लिए जल्दी से जल्दी अनाज की व्यवस्था करें और उनके लिए मजदूरी की व्यवस्था भी करें। अगर सरकार ने अनाज की व्यवस्था कर दी और मजदूरी की व्यवस्था नहीं की तो उनकी समस्या हल नहीं होने वाली है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस साल रबी की फसल पकी, उसके बाद भी लोगों के पास में कोई अनाज रहा नहीं क्योंकि लेवी की वसूली की जो सरकार की नीति थी, उसका गरीबों ने स्वागत किया और लेवी दी। लेकिन उस लेवी देने में उनको कोई लाभ नहीं मिला। मैं आपको बताऊं, डूंगरपुर जिले में लक्ष्य से ज्यादा लेवी वसूल हुई है। यदि सरकार ने टाइम पर वसूली की होती, तो मैं समझता हूं, लोगों पर इतना असर नहीं पड़ता। अभी जो गेहूं पका इस गेहूं के पकने से आदिवासियों के पास में कोई गेहूं स्टॉक में रहा नहीं, क्योंकि फसल जब बोता है तो वह बीज खरीद कर बोता है। वह महाजन दूना बीज ले लेता है, उसने दूना बीज ले लिया। उसके बाद में जो बचा था, वह कुछ कर्ज में दे दिया और जो बचा, वह तकावी आदि चुकाने में गया, बचे हुए से कर्ज चुकाया। इसके बाद में सरकार ने लेवी वसूल की तो मैं बताऊं, उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासियों के पास गेहूं नहीं था। कई आदिवासियों ने मोल लाकर, खरीद कर गेहूं लेवी में दिया है। लेकिन आज लेवी देने के बदले उनको गेहूं के बदले माइलो खाने को नहीं मिल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, कई आदिवासी ऐसे थे, जिनके घर में गेहूं नहीं था और उन्होंने जमीन में गेहूं नहीं बोया था, लेकिन उनके नाम से लेवी आयी तो आदिवासियों ने बड़ी मुश्किल से गेहूं लेवी में दिया है। इस ओर मैं खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा, वहां के आदिवासी इतने गरीब हैं, उनकी इतनी खराब हालत हो रही है. जब गेहूं की फसल पकी थी, उस समय लोगों की हालत खराब थी, आज चार महीने निकल गये हैं तो उनकी क्या स्थिति होगी वह आप स्वयं जानते हैं। अभी हाण्डा साहब ने कहा, वास्तव में आदिवासियों की वैसी ही हालत है। उनके पास अनाज नहीं है, चावल का भूसा होता है, उस भूसे को माइलो में मिलाते हैं और मिला कर या तो रबड़ी बना कर पीते हैं या रबड़ी नहीं बनायें तो उसको

(श्री महेन्द्रकुमार)

पीस कर खाते हैं। इसके बाद में माइलो भी नहीं है तो वहां जो भाजी होती है, कई छोटे-छोटे पौधे उगते हैं बरसात में, उस भाजी में थोड़ा अनाज डाल कर उबाल कर खाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उससे मनुष्य का पेट भरता नहीं है, लेकिन जिन्दा रहने के लिए जो मिल जाता है उससे संतोष करना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत खाद्य मंत्री का ध्यान अनाज वितरण व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं। अनाज वितरण नीति है वह इतनी खराब है जिससे आसानी से लोगों को अनाज नहीं मिलता है। सस्ते अनाज की दुकान वाले हैं, उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने मई, जून दो महीनों में बैंक में पैसा जमा कराया था, लेकिन उनको आज तक अनाज नहीं दिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनाज जब नहीं मिलेगा तो वह लोगों को ले जाकर कैसे वितरित करेंगे ? इस तरह की नीति है कि जिन्होंने दो महीने पहले पैसा जमा कराया है उन दुकानदारों को अभी तक अनाज नहीं मिला है, लेकिन जिसने अभी पैसा जमा कराया है, उसको अनाज मिल गया है। तो नीति में, वितरण में कोई न कोई मिस्टेक है। मैं सही कहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, वहां के जो वितरण करने वाले कर्मचारी हैं वह गड़बड़ियां करते हैं। कई ऐसे व्यापारी हैं जो कुछ पैसा दे देते हैं, उनका अनाज पहले तुल जाता है। जो पैसा नहीं दे सकते हैं, उनको अनाज दो-डेढ़ महीने के बाद में मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां से अनाज जब वहां जाता है और, उपाध्यक्ष महोदय, अनाज लाने वहां पर जाते हैं तो वहां पर जो दूकानें हैं वह कोई 40 मील दूर होती है और कोई 50 मील दूर रहती है और उनको यह तो पता नहीं चलता है कि नाज आया कि नहीं। व्यापारी अपनी मर्जी के मुताबिक खर्चा करके आता है और घूमकर वापिस जाता है। खर्चा लगाकर दूकान पर जाकर वापिस आ जाता है। व्यापारी नाज नहीं देता है। उसकी शिकायत करते हैं और हम दूकानदार से कहते हैं तो दूकानदार कहता है कि आप नाज दिलाओ हम नाज दिलाने के लिये जिलाधीश से बात करते हैं, सप्लाई ऑफिसर से बात करते हैं तो कहते हैं कि नाज नहीं आया। हमने कहा कि दो महीने का कोटा क्यों नहीं आया तो उन्होंने कहा कि दो महीने के कोटे के लिए हमने लिखा था, लेकिन सरकार ने नहीं भेजा तो हम क्या करें। हमने कहा कि नहीं आया तो कम से कम फिर लिखो तो सही दो-तीन बार लिखकर भेजो तो भेजेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम तो ऐसा नहीं लिख सकते। भेजेंगे तो उनकी मर्जी से भेजेंगे। तो, उपाध्यक्ष महोदय, इस वितरण विधि में कोई न कोई परिवर्तन लाना पड़ेगा। अगर यही हालत रही तो आदिवासी लोग मर जायेंगे। इसलिए मैं खाद्य मंत्रीजी से एक बार और निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी यहां पर नाज भेजो।

मैं आपको बताऊं कि यहां का नाज तो गुजरात जाता है। चावलों के ट्रक के ट्रक जाते हैं। आखिर सरकार की क्या व्यवस्था है ? जयपुर से, अलवर से और भरतपुर से चावलों के ट्रक रवाना होते हैं और अहमदाबाद में जाकर बिकते हैं या डूंगरपुर में पकड़े जाते हैं। क्या जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, या उदयपुर में कई चुंगी नाके हैं उन चुंगी नाकों ने नहीं देखा होगा कि चावल जा रहे हैं। क्यों नहीं उनको भीलवाड़े में या चित्तौड़ में पकड़ा जाता है और आगे

(श्री महेन्द्रकुमार)
चले जाते हैं ? लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, पता नहीं सरकार की क्या नीति है कि ट्रक के ट्रक चावलों के गुजरात में चले जाते हैं। जो चावल भेजने वाले हैं वह भी होशियार हो गये हैं। हम डूंगरपुर के रहने वाले नहीं लेकिन वहां के रहने वालों को पता नहीं कि ट्रक कहां होकर जाता है। लेकिन जो चावल भेजने वाले हैं वह उन रास्तों को जानते हैं और ट्रक उन रास्तों पर जाते हैं और अहमदाबाद में राजस्थान की पुलिस या डूंगरपुर की पुलिस उन चावलों के ट्रकों को पकड़ती है। हमने यह सुना है कि चावलों के ट्रक पकड़े हैं तो डूंगरपुर में नहीं पकड़ कर अहमदाबाद में जाकर क्यों पकड़े? आखिर कहीं भी जाकर पुलिस वालों ने पकड़ा। पुलिस वाले भी लाचार हैं। वह कहते हैं कि हम लाचार हैं साहब। इतनी दूर से चावल आते हैं और यहां होकर निकल जाते हैं। आखिर में कहीं न कहीं कोई मिस्टेक है. कहीं न कहीं कोई छेद है इसको देखना पड़ेगा।

इस तरह से नाज की व्यवस्था वहां के लिए नहीं की गई तो आदिवासी लोग मर जायेंगे, इसलिए खाद्य मंत्री जी से एक बार और निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी मोटे नाज— बाजरा भी भेज सकते हैं, मक्का भी भेज सकते हैं और गेहूं भी भेज सकते हैं—जो कोई भी हो वह भेजें, और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और दक्षिणी उदयपुर जिले में जल्दी से जल्दी अकाल राहत के कार्य खोले जाय ताकि लोग मजदूरी करके नाज ले सकें। मैं आपको बताऊं कि कई आदिवासी जंगलों में जाते हैं और पेड़ों की जड़े बीनकर 15-20 मील दूर बेचने के लिए जाते हैं उस एक गट्ठर लकड़ी का आठ आना या एक रुपया आता है। उससे क्या हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय ? आखिर एक परिवार में 5-10 मनुष्य हैं खाने वाले

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

लोग बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करते हैं। बहुत तकलीफ में दिन निकल रहे हैं। इसलिए सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए।

इसके साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, घास की भी सरकार को व्यवस्था करनी पडेगी। अगर घास की व्यवस्था नहीं की गई तो घास इस साल बिल्कुल नहीं है। जो फसल हमने बोई थी वह अच्छी रह गई तो भी घास पशुओं के लिए ज्यादा उपलब्ध होगा ऐसी बात नहीं है। इसलिए सरकार को जहां कहीं से भी हो सके घास की भी व्यवस्था जल्दी से जल्दी करनी चाहिए ताकि जो पशुधन है उसको भी बचाया जा सके।

इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र रौत !

श्री रामचन्द्र रौत (चोरासी): माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी मेरे साथी ने डूंगरपुर जिले के बारे में प्रकाश डाला। मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूं। डूंगरपुर जिले के अन्दर जो इस समय बरसात नहीं हुई, और नजदीक की अनाज की दुकानों पर अनाज नहीं मिलने से वहां जो स्थिति उत्पन्न हुई है, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वैसे डूंगरपुर जिला पहाड़ी इलाका है पिछड़ा हुआ इलाका है। उस जिले की जनसंख्या

(श्री रामचन्द्र रौत)

में लगभग $3\frac{1}{2}$ लाख आदिवासी बसते हैं। डूंगरपुर जिले में पिछले समय से ही समय-समय पर अकाल पड़ता रहा है, और जो आदिवासी वहां पर रहते हैं उनकी आर्थिक हालत बहुत ही शोचनीय है, बहुत ही खराब है।

आज यहां पर सस्ते अनाज की दूकानें लगभग 188 हैं उनमें से 100 दूकानों पर अनाज का वितरण नहीं हुआ है। अभी थोड़े दिनों पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी का उस तरफ दौरा था तो उस समय मैंने उनसे निवेदन किया था कि डूंगरपुर जिले के अन्दर जितनी भी सस्ते अनाज की दूकानें हैं उन पर पिछले दो महीनों से अनाज प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही खाद्य निगम द्वारा जो व्यवस्था की जाती है उससे बड़ी असुविधा होती है। व्यापारी वहां पर जाते हैं और पैसा जमा कराने के बाद भी उनको एक-एक महीने तक अनाज प्राप्त नहीं होता है। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खाद्य मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जो खाद्य वितरण व्यवस्था है उसके बारे में सबसे पहले ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि वहां पर जो परमिट काटते हैं और व्यापारी पैसा जमा कराने के बाद जब खाद्य निगम के पास अनाज लेने जाता है तो वहां के जो उसके इन्चार्ज हैं उनका व्यवहार व्यापारियों के साथ में बड़ा खराब रहता है। कई व्यापारी इसकी शिकायतें करते हैं कि जिनको परमिट काट कर पहले दिया गया उनको अनाज नहीं दिया जाता है और जो बाद में आये उनको अनाज मिल जाता है। सबसे पहले जो आया है और जिसको परमिट दिया गया है वह पड़ा रहता है। अभी विधान सभा की बैठक में मैं जब आ रहा था तो उसके दो दिन पहले एक व्यापारी ने, जिसको सबसे पहले परमिट दिया गया था, इस बात पर ऐतराज किया कि परमिट जब मुझको पहले दिया गया है तो अनाज पहले मुझको क्यों नहीं तोल रहे हैं? तो खाद्य निगम के इन्चार्ज ने उसका गला पकड़ लिया और डरा धमका कर उसको वहां से निकाल दिया और आज तक भी उसको अनाज नहीं दिया गया। इस प्रकार का केस मेरे सामने आया है तो वहां की खाद्य वितरण व्यवस्था खराब है। इसके बारे में जिलाधीश डूंगरपुर से निवेदन इस प्रकार किया था। ये खाद्य निगम के लोग सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के हैं इसलिए न तो कलेक्टर की परवाह करते हैं और न दूसरों की। तो इसके बारे में आपको ध्यान देना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता था कि डूंगरपुर जिला जो कि आदिवासी क्षेत्र है तो वहां पर गांवों में 71 की जनसंख्या की गणना के आधार पर अनाज का वितरण किया जाता है और डूंगरपुर और सागवाड़ा शहर हैं वहां पर 74 के राशन कार्ड के आधार पर अनाज का वितरण किया जाता है। तो मैं खाद्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह असमानता क्यों बरती जा रही है? शहरों और गांवों को सबको खाने के लिए अन्न चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि दूसरे इलाकों में जब 74 की जनसंख्या के आधार पर अनाज दिया जाता है तो उसी आधार पर गांवों में भी दिया जाना चाहिए।

दूसरी बात, जो अनाज एलॉट किया जाता है वह डूंगरपुर जिले में पर्याप्त मात्रा

(श्री रामचन्द्र रौत)

में नहीं मिलता है इसलिए गांवों तक तो अनाज नहीं पहुंचता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय डूंगरपुर जिले की जो स्थिति है वह मेरे पूर्व साथी ने जैसी आप से कही है और श्री हांडा साहब ने आपको इशारा किया वैसी ही है कि वहां के लोग दर असल में भूखे मर रहे हैं। मैं अभी अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर गया तो वहां पर मुझसे आदिवासी मिले और उन्होंने कहा कि वे दो-दो दिन से भूखे हैं। जगल में जाते हैं और लकड़ी लाकर वेचते हैं और उससे जो कुछ पैसा प्राप्त होता है उससे जो या मक्का आधा किलो या एक किलो जो मिल जाय उसको ले जाकर चावल की भूसी जो तीन-तीन साल की पुरानी है, जो किसी नम्बरदार या सेठ के यहां पड़ी हुई मिल जाती है उसको लाकर उसके साथ मिलाकर बाफला बनाकर खाते हैं। उनकी स्थिति बहुत खराब है। मैं खाद्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर का दक्षिणी भाग है आप वहां पर पधारें और वहां की जो स्थिति है उसको देखें। हम समय पर निवेदन करना चाहते हैं कि इस प्रकार की स्थिति है और खासतौर से उस क्षेत्र में भुखमरी है। कई बार आप वहां आते हैं और वहां के आदिवासियों की स्थिति के बारे में आप भलीभांति परिचित हैं। मैं निवेदेदन करूंगा कि अगर राजस्थान सरकार उस क्षेत्र के लिए अनाज की व्यवस्था जल्दी से जल्दी नहीं करेगी तो किसी की मौत भी हो सकती है। मैंने वैसे प्रार्थना-पत्र भी दिये हैं और उनके अन्दर भी मैंने निवेदन किया है। एक बार फिर मै आपका और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो वितरण व्यवस्था है उसको ठीक किया जाय।

लेवी आपने गांवों से ली और अनाज इकट्ठा किया। डूंगरपुर जिले के अन्दर आपने जो लक्ष्य रखा था उससे ज्यादा वह वसूल की गई। गेहूं या मक्का या माइलो जो भेजी जाती है वह खराब होती है। जहां गेहूं का सवाल आता है तो वह वहां के गांवों को नहीं दिया जाता है। उनको साफ मना कर दिया जाता है। पिछले समय एक बार जब आप टूर पर पधारे थे उस समय हमने निवेदन किया था कि जहां आप और हम समाजवाद की बात करते हैं और समानता की बात करते हैं, गिरे हुए लोगों को उठाने की बात करते हैं तो फिर जब गेहूं के वितरण का सवाल आता है तो गेहूं गांवों में क्यों नहीं दिया जाता है ?

उनको गेहूं के बदले माइलो दिया जाता है। और उपाध्यक्ष महोदय, यह माइलों भी बहुत कम मात्रा में दी जाती है। इसलिये मेरा खाद्य मन्त्री से यह निवेदन है कि उन लोगों को गेहूं दिया जाना चाहिये। इसके अलावा हमने यह भी निवेदन किया कि अगर आप हमको गेहूं आये दिन नहीं देते हैं तो कम से कम जब त्योहार के दिन हों जब कि हमारे आदिवासी लोग लड्डू वगैरह बनाते हैं उस वक्त तो गेहूं दिया जाना चाहिये। आप जब शहरी इलाके के लोगों को गेहूं देते हैं तो क्या कारण है कि आप आदिवासी क्षेत्रों की जनता को गेहूं नहीं देते हैं ? आखिर यह असमानता क्यों ? यह असमानता दूर की जानी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, जब इसके लिये हम लोग कलेक्टर को निवेदन करते हैं, तो हमें यह कह दिया जाता है कि इन क्षेत्रों को गेहूं देने के आदेश नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस लिये मेरा आपके माध्यम से राज्य के खाद्य मन्त्री से यह निवेदन है कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के दक्षिणी हिस्से में, जहां कि

(श्री रामचन्द्र रौत)

आदिवासी लोगों की जनसंख्या अधिक है, उन्हें गेहूं और शक्कर वगैरह दी जाय। इतना ही नहीं मेरा राज्य सरकार से यह भी निवेदन है कि हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा तथा, जो उदयपुर जिले का दक्षिणी हिस्सा है जहां पर लोग खेती करते हैं वहां पर उन लोगों को पक्के कुए बनाने के लिये तथा नालियां बनाने के लिये सीमेन्ट दी जाय ताकि वह लोग अपने पक्के कुए बना सकें। आज वहां पर आदिवासी क्षेत्र के काश्तकारों को सीमेन्ट बिल्कुल ही नहीं दी जा रही है। इसलिये मैं खाद्य मन्त्री का ध्यान इस ओर विशेषतौर से आकर्षित करना चाहता हूं।

दूसरे उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं वह है घासलेट के बारे में। आज गावों में घासलेट आदिवासी क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं मिलता है। लोग दूर-दूर पहाड़ी पर रहते हैं उन्हें बहुत ही तकलीफ होती है और जिन लोगों के पास कन्ट्रोल का घासलेट आता है परमिट द्वारा वह लोग आदिवासी क्षेत्र के लोगों को न देकर उस घासलेट का ब्लैक करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह लोग एक-एक शीशो के दो-दो रुपये तक लेते हैं जो कि ब्लैक में घासलेट बेचते हैं। इसलिये मेरा मन्त्री महोदय से यह भी निवेदन है कि वह कृपा करके आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को घासलेट दिलाने की व्यवस्था करावें।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जो राज्य सरकार ने लेवी वसूल की थी, हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के दक्षिणी भाग में जहां आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं उनसे आपने जितनी लेवी वसूल करनी चाहिये थी उससे बहुत ज्यादा लेवी वसूल कर ली थी। अगर हमारे इलाके से गेहूं की लेवी आपने वसूल की वह गेहूं अगर आप एफ. सी. आई. से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के दक्षिणी हिस्से में जो कि आदिवासी क्षेत्र है, वितरित करावें तो वह गेहूं करीब तीन महीने तक आराम से चल सकता है। अगर आप ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे तो वहां पर लोग सैकड़ों की तादाद में भूखे मर सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय ऐसी व्यवस्था करावें कि जिससे वहां के आदिवासी लोग भूखे मरने से बच सकें। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज वहां के लोगों की अकाल के कारण ऐसी स्थिति बन गयी है कि बेकारी की वजह से उनके पास पैसा नहीं है। आज उनकी क्रय शक्ति नहीं के बराबर है। अगर आप अनाज दे भी देंगे तो वह लोग खरीद नहीं सकेंगे क्योंकि वह लोग बेरोजगार हैं। इसलिये मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि वहां पर राहत कार्य खोले जावें चाहे वह विकास के कार्यों के हों चाहे वह अकाल राहत कार्य हों। आज कई स्वीकृत सुदा राहत कार्य हैं पर अभी तक खोले नहीं गये हैं। अगर उन राहत कार्यों को विभागीय स्तर पर खोले जाय तो उन लोगों को काम मिल सकता है और वह लोग मजदूरी करके अनाज खरीद कर अपना पेट पाल सकते हैं अभी जब मैं विधान सभा शुरू होने के पहले वहां से आ रहा था तो मुझे वहां के लोगों ने कहा था कि पिछले अकाल के समय आदिवासी लोगों के निर्माण विभाग में और सिंचाई विभाग में तीन-तीन महीने से पेमैन्ट रुके हुए हैं। उन्हें पेमेन्ट नहीं दिया गया है जिससे वह लोग बहुत ही परेशान हैं। वह उन्हें दिलाया जाय। तो मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि उन गरीब लोगों का तीन-

(श्री रामचन्द्र रौत)
तीन महीनें का जो पेमैन्ट रुका हुआ है वह उन्हें दिलाया जाय। अगर वह पैसा उन्हें मिल जायेगा तो वह लोग राहत महसूस करेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टे)

उपाध्यक्ष महोदय में खाद्य मन्त्री से यह विशेषतौर से निवेदन करना चाहूंगा कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा के और उदयपुर जिले के दक्षिणी हिस्से में जहां कि आदिवासी लोगों की जनसंख्या अधिक है वहां पर बरसात न होने से अभी काफी स्थिति गम्भीर हो गई है वहां लोगों को खाने का अनाज नहीं है। वहां पर जल्दी से जल्दी अनाज पहुंच सके ऐसी व्यवस्था करावें ताकि जनता भूखे मरने से बच सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जब लेवी वसूल की गयी थी वहां पर लोगों के पास खाने के लिये कुछ भी नहीं है, काम उनके पास नहीं है इसलिये जो वसूलियात वहां पर चल रही हैं उन्हें तुरन्त रोकने के आदेश देने की कृपा करें। उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति को मद्दे नजर रखते हुए एक बार मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में अनाज वितरण की व्यवस्था जल्दी से जल्दी करावें तथा वहां पर लोगों को रोजगार मिले इसके लिये राहत कार्य खोले जावें। बस मुझे यही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम !

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : उपाध्यक्ष महोदय आज सदन में खाद्य व दैनिक उपयोग की एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि एवं वितरण तथा लेवी वसूली पर माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य समस्याओं के बारे में अपने विचार सदन में व्यक्त करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय हमारे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति अलग-अलग है। उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की प्रकृति बराबर साथ नहीं दे रही है इसलिये हमारे राजस्थान की खाद्य समस्या बहुत ही विकट हो रही है। इसके अलावा हमारी भारत सरकार ने अनाज की वितरण व्यवस्था में समानता नहीं रखी है। पिछले जून, 1973 में हमको 60 हजार टन गेहूं और तीस हजार टन मोटा अनाज दिया था वह जुलाई, 1974 में घटा कर पांच हजार टन गेहूं और आठ हजार टन मोटा अनाज कर दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान की ढाई करोड़ जनता के लिये बहुत कम है। भारत सरकार ने इस बारे में काफी पक्षपात किया है। आज उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि गुजरात और केरल को हमारे से काफी अधिक मात्रा में अनाज दिया गया है। इसके लिये मैं सदन के माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा, सभी सदस्यों को एक साथ मिलकर भारत सरकार से मांग करनी चाहिये कि वह राजस्थान की जनता को अधिक अनाज देने की व्यवस्था करावे। आज एक तरफ तो प्रकृति हमारा साथ नहीं दे रही है दूसरी तरफ भारत सरकार राजस्थान को पूरी तरह से अनाज नहीं दे रही है। यह बहुत ही पक्षपात राजस्थान की ढाई करोड़ जनता के साथ हो रहा है। यह पक्षपातपूर्ण रवैया भारत सरकार का बन्द होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मंहगाई के बारे में काफी माननीय सदस्यों द्वारा

(श्री नाथूराम)

विचार व्यक्त किये गये हैं। मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिले के दक्षिणी भाग में जो आदिवासी लोग अधिक मात्रा में रहते हैं उनके बारे में निवेदन किया। मैं भी इसी इलाके के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासी लोगों के पास छोटे-छोटे टुकड़ों में भूमि है वहां पर अधिक पैदा नहीं होता है। वहां पर हर साल दुष्काल पड़ता रहता है इसलिये वहां के लोग संघर्षमय जीवन व्यतीत करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस साल भी भयंकर दुष्काल पड़ने की आशंका है। पहले भी वहां पर लगातार दुष्काल पड़े, अतिवृष्टि एवं बाढ़ से काफी नुकसान, हो गया था, फसलें नष्ट हो गयी थीं। हां थोड़ी रबी की फसल ठीक हुई थी लेकिन राज्य सर-सरकार ने असमय लेवी की वसूली करके उन काश्तकारों की हालत बहुत ही खराब कर दीं। उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो राज्य सरकार ने व्यापारियों से लेवी वसूल करने का तय किया और जब व्यापारियों से लेवी वसूल करने में सरकार असफल हो गई तो राज्य सरकार ने जबरन, डंडे के जोर से बेचारे काश्तकारों से लेवी वसूल की। उपाध्यक्ष महोदय, जो टार्जेट लेवी के थे उसमें अधिक डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जिले के दक्षिणी भाग में, जहां कि आदिवासी लोग अधिक हैं से काफी लेवी वसूल की गयी। सरकारी अधिकारी लोगों ने तहसील स्तर के कृषकों से काफी मात्रा में अनाज लेवी के रूप में वसूल किया। उपाध्यक्ष महोदय, उन लोगों को समय पर बीज तो दिया नहीं गया, और उन लोगों ने 200 रुपये क्विन्टल के भाव से गेहूं का बीज खरीदा था। इसके अलावा उन लोगों ने 50 रुपये के खाद के थैले के बजाय 150 रुपये तक देकर काश्त की थी। उन लोगों को सरकार ने 105 रुपये क्विन्टल गेहूं देने के लिये बाध्य किया जब कि, उपाध्यक्ष महोदय, गेहूं काश्तकार को 150 एवं 160 रुपये क्विन्टल से कम नहीं पड़ता था। यह तो अन्याय है, उपाध्यक्ष महोदय, आप काश्तकारों की मदद तो करें नहीं और उनसे असमय आप लेवी की वसूली करें। इसके अलावा हमारे यहां पर छोटे छोटे खण्ड बहुत होते हैं। वैसे तो सरकार ने अपनी घोषणा में यह कहा था कि सरकार छोटे-छोटे काश्तकारों से लेवी वसूल नहीं करेगी लेकिन हमारे यहां पर सैटलमेन्ट चूंकि आजादी से पहले हुआ था पुराने रेकार्ड के आधार पर एक व्यक्ति के पास शामलाती 15 बीघा भूमि थी तो वही उसके बेटों में वितरण होने से तीन या चार बीघा भूमि रही तो भी लेवी की वसूली शामलाती खाते के अनुसार ही की गयी, उनके नाम लेवी एक साथ खाते में दर्ज कर ली गयी। कृषकों को जो छूट मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिल सकी। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य मंत्रीजी और सरकार से निवेदन करता हूं जो कानून बना कर छूट दी है उससे गरीब किसानों को फायदा नहीं मिल रहा है। किसानों के साथ ज्यादती हो रही है और सख्ती अब बर्दाश्त नहीं होती है। किसानों का जो आज पटवारी शोषण करते हैं उसका इलाज तो मंत्री महोदय भी नहीं कर सकते हैं। पटवारी ने जो रिकार्ड बता दिया, उस किसान से वह लेवी वसूल कर ली गयी। बीज के लिये बीस-बीस किलो अनाज रखा था वह भी किसानों ने लाकर दे दिया। इसलिये किसानों को जहां सुविधा मिलनी चाहिये थी वह तो मिलना दूर रहा किन्तु और भी उनकी परेशानियां बढ़ गयीं।

(श्री नाथूराम)

बांसवाड़ा और डूंगरपुर से लेवी किसानों ने दी लेकिन न तो उनको समय पर बीज मिलता है और न ही सीमेन्ट और खाद मिलता है। जब बोने का समय आता है तो बीज नहीं मिलने से किसान को बहुत महंगा बीज खरीद कर बोना पड़ता है। खाद नहीं मिलता। किसान के पास किसी के पास, कुआ है तो उसका सीमेन्ट नहीं मिलता। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं और उनको बराबर सीमेन्ट मिलता है। काला बाजार में बेचने के लिये उनको सीमेन्ट मिल जाता है। गरीब लोगों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली है।

शक्कर वितरण का भी यही हाल है। किसान जो गन्ना पैदा करते हैं उनको शक्कर नहीं मिलती है। यह उनके साथ बड़ा अन्याय है। शहर वाले को शक्कर मिलती है और गांव वालों को नहीं मिलती है। खाद्य मंत्रीजी आपकी वितरण व्यवस्था बिल्कुल दोषपूर्ण है दोषी अधिकारियों को जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहते हैं सजा देनी चाहिए। जयपुर में भी देखिये। 240 रु. के भाव से जितनी बोरी गेहूं की चाहिये आपको मिल सकती हैं। अधिकारियों की ओर से देख-रेख नहीं है। मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिये। वितरण व्यवस्था में भी वे अपना स्वार्थ पूरा करते हैं और लोगों को राहत नहीं पहुंचाते हैं।

डूंगरपुर, बांसवाड़ा में दुष्काल से भयंकर स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने दौरा किया।

(8.03 रात्रि)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

दो-दो तहसीलों का एक साथ दौरा किया। पिछले साल अतिवृष्टि से फसल नष्ट हो गई आज न अनाज मिलता है और न ही लोगों को मजदूरी मिलती है। ऐसी हालत हो गयी है कि आदिवासी लोग पचास-पचास रुपयों में अपने बच्चों को गिरवी रखने लग गये हैं। कुशलगढ़ में माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने लोगों ने बताया कि कई आदिवासियों के परिवार अपने बच्चों को छोड़ कर मजदूरी के लिए चले गये हैं। अनाज नहीं मिलने से लोग बच्चों को छोड़ कर चले गये हैं। पिछले साल दुष्काल होते हुए भी लोगों को मजदूरी मिलती थी। अनाज मिलता था। आज हजारों परिवारों को एक एक किलो माइलो भी नहीं मिल रहा है। मैं खाद्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने दुकानें खोली हैं। चार-चार महीने से किसी दुकान पर एक किलो माइलो भी नहीं मिला है। शक्कर, सीमेन्ट मत दीजिये किन्तु जिन्दा रहने के लिये माइलो तो दीजिये। लोगों से आपने डंडे बता कर के गेहूं वसूल कर लिया और आज आप उनको खाने के लिए माइलो भी नहीं दे रहे हैं ? आपको जल्दी से जल्दी सस्ता माइलो पहुंचाना चाहिये। सवाई माधोपुर आदि में बाजरा खाते हैं और माइलो नहीं खाते। वहां का माइलो डूंगरपुर बांसवाड़ा में शीघ्र ही भिजावें ताकि लोग अपने बच्चों को माइलो खरीद करके जिन्दा रख सकें।

सरकार ने विकास में करोड़ों रुपया खर्च किया है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है उस दृष्टि से सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। पहाड़ी क्षेत्र के लिये करोड़ों

(श्री माथूराम)

रुपया भारत सरकार से मिलता है। 50 पर्सेन्ट का दुरुपयोग हुआ है। अधूरे छोटे मोटे तालाब हैं, एवं नहरें हैं। हजारों थैले सीमेंट कालाबाजारी में मिलते हैं लेकिन सीमेंट कुओं के लिये किसान को नहीं मिलेगा। तालाबों में थोड़ा बहुत पानी है, उपयोग करायें। माही की योजना आपने हाथ में ली। 14 साल हो गये। इस प्रोजेक्ट पर कम से कम 3 करोड़ रुपया खर्च हो गया लेकिन डेम के काम का अब श्री गणेश हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, कि माही प्रोजेक्ट जो हाथ में लिया है, 14 साल हो गये कम से कम भारत सरकार से आपको मांग करनी चाहिये थी कि आप माही प्रोजेक्ट को जल्दी क्यों नहीं पूर्ण करते हैं। लाखों रुपया पेट्रोल में टी. ए. डी. ए. यानि प्रशासन में खर्च होता है, विकास में 50 पर्सेन्ट भी खर्च नहीं होता है।

कडाणा प्रोजेक्ट में सैंकड़ों मील भूमि आप पानी में डुबो रहे हो। जो सोना उगलने वाली भूमि है और इधर सिंचाई के साधन नहीं दे रही है। इसलिये माही प्रोजेक्ट को भारत सरकार से रुपया मांग करके जल्दी से जल्दी पूरा करायें ताकि ऐसे दुष्कालों में लोग सिंचाई के साधनों से जिन्दा रह सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

संक्षेप में ही कहूंगा।

छोटे छोटे नाले और नदियों में पानी बहुत रहता है। पिछले साल मांग की थी कि चाहे आप बड़े प्रोजेक्ट को पूरा न करें लेकिन नदियों के किनारे पर लिफ्ट योजना जल्दी लगायें ताकि लोगों को अनाज मिल सके। लिफ्ट योजना आज तक पड़ी हुई है लेकिन सरकार प्रकृति की ओर देख रही है। यदि लिफ्ट योजना को शुरू कर देंगे तो लोगों को जल्दी राहत मिलेगी। आदिवासी क्षेत्रों के लिए आप भारत सरकार से मांग करिये। सिंचाई के साधनों को जुटाइये। इस भयंकर दुष्काल में छोटे-मोटे तालाबों से और नदियों से लिफ्ट द्वारा सिंचाई योजना शुरू करके लोगों को जल्दी से जल्दी राहत पहुंचायें। अनाज और अन्य वस्तुओं की वितरण व्यवस्था में भी सुधार करके लोगों को राहत मिले ऐसी व्यवस्था करिये वरना इस भयंकर स्थिति में कइयों की मौतें होंगी और सरकार उस समय कुछ नहीं कर सकेगी। मैं फिर कहता हूं कि वहां पर भयंकर स्थिति है और लोगों को जल्दी से जल्दी राहत पहुंचाने के लिये राहत कार्य आरम्भ कर दीजिये ताकि गरीब लोग मेहनत मजदूरी करके बच्चों को जिन्दा रख सकें।

श्री सभापति : शंकरलाल (पाली)!

श्री शंकरलाल (पाली)। सभापति महोदय.......

श्री रामसिंह बिश्नोई, विधान सभा सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री रामसिंह बिश्नोई : ऑन ए-पॉइन्ट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन, सर। सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने मुझ पर अपरोक्ष रूप से बिना मेरा नाम लिये एक आरोप लगाया है कि मैंने कोई अपनी छः सात साल की बच्ची की शादी की और शादी में मैंने कोई बहुत बड़ा भोज दिया। मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरे न कोई छः सात साल की बच्ची है और न मैंने ऐसा कोई भोज दिया है। उन्होंने अखबारों में भी

(श्री रामसिंह विश्नोई)

इस तरह का गलत प्रचार किया है। अगर वे यह साबित कर दें तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, नहीं तो वे इस्तीफा दें इस सदन से।

खाद्य व दैनिक उपयोगी एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि एवं वितरण तथा लेवी वसूली पर अ.ेार विचार

श्री शंकरलाल (पाली): सभापति महोदय, आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है। सबसे पहले मैं लेवी के बारे में निवेदन करूंगा। सारे राजस्थान में आज इसकी वसूली की प्रक्रिया को लेकर किसान वर्ग में असन्तोष और रोष व्याप्त है।

सभापति महोदय, राज्य सरकार की अथवा केन्द्र की नीतियां और उनकी बोनाफाइडी में मुझे सन्देह नहीं, न किसान को है। पर वे यह भी देखें कि उनकी नीति को कार्य रूप में किस तरह से परिणत किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारा लक्ष्य अच्छा है पर उसको प्राप्त करने के लिये हमारे साधन भी अच्छे होने चाहियें। अगर गन्दे साधन, हथकण्डे आदि अपनाते हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति कोई माने नहीं रखती।

इसी तरह से, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार पहले तो यह स्पष्टीकरण दे कि जब उसने यह निर्णय लिया था कि वह किसानों से नहीं व्यापारियों से लेवी लेगी और जब व्यापारियों से वह लेवी प्राप्त नहीं हो सकी तो उन व्यापारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाये उसने—कम से कम वह यह तो कर ही सकती थी कि लेवी के नाम पर जो रियायतें व्यापारियों को दी गई थीं उनको तो वह तत्काल वापिस ले ही सकती थी। यहां सरकार को यह भी जानकारी दी गई थी कि उत्तर भारत में, कहीं पर भी उत्पादकों पर लेवी का भार नहीं डाला गया, यू. पी., पंजाब, बिहार, हरियाणा ने किसान पर लेवी नहीं लगाई। फिर अकेले राजस्थान में ही ऐसा क्या हो गया था यह आप स्पष्ट करें।

दूसरा निवेदन करूंगा कि आपने यहां लेवी के बारे में 11 जून को निर्णय लिया। कानून निकाला इसके पहले आप 25 मई को यह निर्णय लेते हैं कि 31 मई तक जो काश्तकार 20 क्विन्टल अनाज अपने खाने के लिये और बीज के लिये जितना आवश्यक हो वह रखकर बाकी डिस्पोज ऑफ नहीं करता है तो जुर्म का भागी होगा। गत वर्ष भी इस प्रकार का कानून था। फिर यह मियाद आपने दो बार बढ़ाई और 31 जुलाई तक कर दी। इसका कारण यह था कि बहुत सी जगह 31 मई तक अनाज खेतों से निकल कर आया ही नहीं था। वह वास्तव में उपयुक्त तौर पर बढ़ाई गई थी। इस तरह जहां अनाज नहीं निकला तो वहां के किसान 31 मई तक अपना अनाज डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाये।

इसके बाद 11 जून को आपने लेवी का कानून बना दिया कि इतनी लेवी देनी पड़ेगी किसानों को। अगर किसान ने डिस्पोज ऑफ नहीं किया तब तो आपको लेवी दे देते, पहले अगर आपने कहा होता तो। इस तरह से दुतरफा मार काश्तकारों पर पड़ी। पहले तो आपने डिस्पोज ऑफ करने के लिये जोर दिया, नहीं करने पर जब्ती होने का डर बताया, और अब जब डिस्पोज

(श्री शंकरलाल)

ग्रॉफ कर दिया तो लेवी का कानून किसान के लिये ले ग्राये। व्यापारी ने ग्रापको ग्रंगूठा बता दिया ग्रौर ग्रापसे दिये गये सारे सहूलियत के साधनों का भी उपयोग कर लिया। किसानों पर जहां दोहरी मार पड़ी वहीं व्यापारी दोनों तरफ से ग्राराम में रहा। यह है ग्रापकी नीति का दुष्परिणाम। ग्राज हालत यह हुई है कि डिस्पोज ग्रॉफ नहीं करने के कारण किसानों का गल्ला जब्त करके ग्रापने उन पर मुकद्दमें भी चला रक्खे हैं ग्रौर लेवी भी उनसे जबर्दस्ती वसूल कर ली। मैंने खाद्य मन्त्रीजी का ध्यान इस ग्रोर ग्राकर्षित किया था ग्रौर ग्रपनी तहसील के गांवों के किसानों की इस तरह की लिस्ट दी थी। तार भी दिये थे, मुख्य मन्त्रीजी को भी दिये थे। फिर भी जब्त किया हुग्रा ग्रनाज उनका ग्राज दिन तक रिलीज नहीं किया गया है।

मुख्य मन्त्रीजी 25 को उधर पधारे थे। सारी हालत उनके सामने रखी गई। सब उन्होंने ग्रपनी ग्रांखों से देखा ग्रौर सुना तो तकलीफों को ग्रौर इन परेशानियों को दूर करने की घोषणाएं भी कीं। काश्तकारों को उनकी बातें पसन्द ग्राईं। मार्मिक शब्दों में उन्होने कहा था कि व्यापारियों ने धोखा दिया इसलिये किसानों के सामने लेवी लेने के लिये ग्राया हूं। किसानों का दिल पिघला। व्यापारियों ने मुख्य मन्त्री जी, ग्राप को धोखा दिया, पर किसान देने वाला नहीं है। पर तब भी ग्रापने उन के साथ ग्रच्छा सुलूक नहीं किया है। ग्रापकी मशीनरी ने उनको दोहरे शोषण का शिकार बनाया है। किसानों को शीत लहर ग्रौर रोली से भी नुकसान हुग्रा। उसके लिये भी हमने कहा था कि जिनको रोली ग्रौर शीत लहर से नुकसान हुग्रा है ग्रौर ग्रापके खुद के रिकार्ड में जो दर्ज है, हम नहीं कहते कि ग्राप हमारी जबानी बात पर भरोसा करो, ग्रापके रिकार्ड में जो दर्ज है, उसे मानें ग्रौर उसके ग्रनुसार जिस-जिस का खराबा दर्ज है उन-उन से उसी ग्रनुपात में लेवी कम ली जाने का ग्रादेश दीजिये। इसकी मुख्य मन्त्रीजी ने ग्रपने भाषण में घोषणा भी की। सरकार ने ग्रादेश भी निकाले पर सभापति महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि क्या इतना होने के बावजूद भी ग्रापने एक भी काश्तकार को पाली जिले में खरावा की छूट दी क्या ग्राप इसकी जांच करने को तैयार हैं ग्रगर ग्रापके नीचे के ग्रधिकारियों ने ग्रापके ग्रादेशों की ग्रौर मुख्य मन्त्रीजी के कथन की ग्रवहेलना की हो तो? जबरदस्ती से उन खराबा वालों से भी, जिनका खराबा पचास प्रतिशत से ज्यादा था, लेवी ली गई है ग्रौर सख्ती से ली गई है। कहां रहे ग्रापके ग्रादेश ग्रौर मुख्य मन्त्रीजी के किसानों के सामने दिये गये ग्राश्वासन ग्रौर भाषण?

हमने सरकारी ग्रधिकारियों से प्रश्न किये। इस पर हमें मालूम हुग्रा कि ऊपर से सरकार के ग्रादेश तो ठीक थे पर ग्रन्दरूनी ग्रादेश हर एक से लेवी लेने के ही थे। चीफ सेक्रेटरी ने उनको ग्रादेश इसी तरह के दिये बताये कि कोई खराबा की छूट नहीं देनी है। उनको तो किसी तरह से लेवी का टार्गेट पूरा करना है।

मैं जानना चाहूंगा खाद्य मन्त्रीजी से कि क्या सरकार के कानूनी ग्रादेश ग्रौर थे ग्रौर ग्रन्दरूनी कॉन्फीडेन्शल टेलीफोन के ग्रादेश इसके विपरीत थे? ऐसा भी है

(श्री शंकरलाल)
तो आप इस सारे मामले की जांच कराइये। सरकार कुछ आदेश निकालती है, अधिकारी कॉन्फीडेन्शली दूसरे आदेश देते हैं। चुपचाप में ऐसा न करें। यह बड़ी भ्रामक बात है....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

सभापति महोदय, मुझे थोड़ा समय दीजिये। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, दूसरा यह कहा सबसे पहले बड़े काश्तकारों से लेवी ली जायेगी उसके बाद छोटे काश्तकारों को छेड़ा जायगा— इस प्रकार का मुख्य मंत्री जी का कई बार भाषण हुआ लेकिन इसका उल्टा हुआ। आज भी बड़े-बड़े किसान पाली जिले में हैं, हिजहाइनेस, जोधपुर की पाली जिले में खेती हुई है, क्या आपने उनसे लेवी ले ली है ? यह बता सकेंगे खाद्य मंत्री जी क्या उनका खाद्यान्न जब्त हुआ या नहीं हुआ। उधर रायपुर तहसील के 20 किसानों पर पाली तहसील में मुकदमा चलाया गया लेकिन कुछ लेवी नहीं दे सके, नहीं दी। जो बड़े-बड़े काश्तकार हैं उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई है। मैं आज यह भी जानना चाहूंगा, जितने छापे मारे गये और जितने मुकदमें हुये क्या उनमें एक भी बड़ा किसान है ? इस बात को मुख्य मंत्री जी बता सकेंगे, उनका किसी का स्टॉक जब्त हुआ या नहीं हुआ ? बहुत से लोगों ने बताया, किसानों ने नाम भी बताये, कौन कौन से बड़े किसानों का जब्त नहीं हुआ। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ ? उन बड़े-बड़े किसानों के नाम आपके प्रधान और आपके एम. एल. ए. ने बताये हैं जिससे लेवी लेनी है। आप सचेत हो जाइये।

तीसरी बात जो कही है, लेवी लेने के बाद छूट दे दी जायगी। तीन बातें मुख्य मंत्री जी ने कही थीं। जिन लोगों ने लेवी दे दी उनका भी माल जब्त पड़ा है। पाली जिले की कई तहसीलों ने लेवी दे दी लेकिन उनका माल आज तक नहीं छोड़ा गया। गुन्नोज में एक रत्ना है उसके मकान की लेवी के लिये तलाशी ली गई पुलिस ने उस पर चोरी का मुकदमा चलाया। जिस किसान ने बड़ा परिश्रम करके खेती की उस पर चोरी का मुकदमा लगाना कहां तक न्याय संगत है ? उससे कहा गया, तुमने धान को इधर-उधर कर दिया है। मैं पूछता हूं धान क्या आपका था ? मुख्य मंत्री जी आप पता लगायें पुलिस में रत्ना वगैरह के खिलाफ चोरी का मुकदमा है या नहीं ? लेवी भी ले ली और सरकार कहती है तुम्हारा माल बताओ। जिसका पैदा किया हुआ अनाज, उसी के खिलाफ चोरी की बात हो।

सभापति महोदय, मैं एग्जाम्पिल देना चाहूं तो बहुत हैं लेकिन आपने घंटी बजा दी है इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा शॉर्ट के अन्दर और वह यह है कि आपने अब पाली जिले के अन्दर अकाल की स्थिति घोषित की है। यह बात आपकी रेडियो पर भी आ गई है। टार्गेट से ज्यादा लेवी वसूल हो गई। हालांकि हमने भी शुरू में काफी सहयोग दिया, एम. एल. ए. और प्रधान ने कहा था कि हमें लेवी देनी है लेकिन आज तक उन तीन बातों की पूर्ति नहीं हुई है। आज हमारी दशा फैमिन की है। दो साल पहले अकाल पड़ा था। सिर्फ गये साल अच्छी वर्षा हुई थी। पूरी पाली तहसील में अकाल है तो मैं यह कहना चाहूंगा आपको, खाद्य मंत्री जी, पाली जिले

(श्री शंकरलाल)

का टार्गेट पूरा हो चुका है। टार्गेट से ज्यादा वसूली हो चुकी है तो क्या अब ऐसे सरकारी आदेश निकालेंगे कि किसान को तंग नहीं किया जाय ? अब तो लेवी का काम बन्द कर दें जब कि आपका लेवी का काम पूरा हो चुका है। जिन लोगों पर मुकदमा चल रहा है वे बेचारे गरीब काश्तकार 50-50 मील चल कर इन मुकदमों के लिये पाली जिले में आयें और कहे कि पाली जिले का टार्गेट पूरा हो गया है। अगर लेवी का काम बन्द नहीं करते हैं तो जिन्होंने लेवी दे दी है उनका धान तो कम से कम रिलीज कर दीजिये। तब ही मैं कहूंगा आपने कुछ ध्यान दिया।

संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा जैसी देश की समस्या है, मैं कहता हूं हमें आचार्य विनोबा भावे का उस बात को कार्यान्वित करना पड़ता है जो लगान रोकड़ में वसूल कर रहे हैं उनको काइन्ड में वसूल करें। वह लगान होगा लेकिन लगान रोकड़ में न होकर काइन्ड में लेकर उसका धान ले लेंगे तो कोई दूसरी शिकायत नहीं होगी, किसके साथ क्या ज्यादती हुई यह सवाल पैदा नहीं होगा। पैदा होगा तो हिस्सा मिलेगा और पैदा नहीं हागा तो हिस्सा नहीं मिलेगा। इसलिये देश की स्थिति को देखते हुये, राजस्थान की स्थिति को देखते हुये जितना लगान रोकड़ में लेते हैं वह आप काइन्ड में लेंगे तो मैं समझता हूं इस समस्या का हल हो सकेगा।

सभापति महोदय, मैं केवल 2-3 बातें और कहना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहूंगा कि आपने पाली जिले को बाद में एक्सेस वाला घोषित किया। अब मैं आवश्यक वस्तुओं के प्रश्न पर आता हूं, आवश्यक वस्तुओं के बारे में आप कानून और आज्ञा कई बार ऐसी निकालते हैं जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। पहले सरकार ने राजस्थान के अन्दर कई कस्बों में दूध की कमी को महसूस करते हुये यह कहा मावा नहीं बनाया जायगा। अच्छी बात है दूध की कमी को आपने महसूस किया और मावा बनना बन्द किया। बाद में फिर छूट दे दी। शायद दूध ज्यादा हो गया होगा। छूट देने के बाद वापिस रोक लगा दी और दुबारा फिर आर्डर दिया, मावा नहीं बनाया जायगा। इसमें पाली जिला भी आता है। रोक लगाने के बाद फिर छूट दे दी। यह दो बार क्यों रोक लगाई और रोक लगाकर फिर क्यों छूट दी गई, यह कुछ समझ में नहीं आता है

श्री शिवचरण माथुर : इस साल में एक बार लगाई और एक बार ही छूट दी।

श्री शंकरलाल : मैं इस साल और उस साल की नहीं कह रहा हूं टोटल आपने दो बार रोक लगाई और दो बार ही वापिस छूट दे दी। इसका स्पष्टीकरण आपके द्वारा होना चाहिये, कारण क्या है ? लोग कई प्रकार की शंकायें करते हैं। उनको स्पष्ट करना चाहिए। दूसरे, सभापति महोदय, प्रिवेन्शन ऑफ एडल्ट्रेशन का जो कानून है, राजस्थान की स्थिति को देखते हुये हांलाकि सेन्ट्रल कानून भी है लेकिन इसमें बड़ी विडम्बना है। उस आदमी का चालान होता जिसने कुछ किया नहीं। आज पाली में उपभोक्ता भण्डार में डालडा पकड़ा गया और कहा गया माल ठीक नहीं है। उसके सेम्पिल की शीशी भर कर ले आये। जयपुर की मील ने उसका प्रोडक्शन किया है, उसने

(श्री शंकरलाल)

स्वीकार किया है कि माल हमारा है, सरकार को लिख कर दे दिया। उपभोक्ता भण्डार ने लिख कर दे दिया, हमारा माल वापिस कर दीजिये। मेन्यूफेक्चरर का चालान नहीं, जिसके कब्जे में हैं उसका चालान हो जाता है। यह भी कम विडम्बना नहीं है! दूध वाला पानी मिलाकर लाता है। अब कन्दोई की कढ़ाई में से शीशी भर कर ले जाते हैं और उसका चालान कर देते है। वह कहता है हमने दूध वाले से ऐसा ही दूध लिया है लेकिन नहीं चूंकि दूध उसके कब्जे में हैं इसलिए चालान ठोक दिया। इसी प्रकार तेल का मसला है पाली में तेल का कोई एडल्ट्रेशन नहीं है—कम्पनी से सीधा आकर पाली में तेल बिकता है और दुकानदार पकड़ा जाता है। दुकानदार कहता है मैं तो सुमेरपुर से लाया हूं लेकिन वे कहते हैं कब्जे में तुम्हारे है। इसलिए मेरा निवेदन है मैन्यूफेक्चरर पर चालान होना चाहिये। भारत सरकार का भी इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। सभापति महोदय, मैं केवल एक बात और निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं केवल एक बात और निवेदन करना चाहता हूं रासायनिक खाद के बारे में जो यह बात कही गयी है कि हाईकोर्ट ने स्टे आॅर्डर दिया है कि पुराने भाव पर नहीं बेच सकते। मैंने कल ही नवभारत टाइम्स में पढ़ा है कि इलाहबाद हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि सरकार को इस प्रकार का अधिकार है वह पुराने भाव पर बेचने के लिए व्यापारियों को कह सकती है। आप उस मामले की स्टेडी कीजिए। इलाहबाद हाई कोर्ट का फैसला हुआ वहां सरकार ने कैसी तैयारियां की हैं और यहां कैसे स्टे-आॅर्डर हो गया। वह जो सस्ता रासायनिक खाद मिलने वाला था वह सब का सब रुक गया। क्या हमारी पैरवी में कहीं कमी है ?

श्री शिवचरण माथुर : स्टे तो वहां भी हुआ है।

श्री शंकरलाल : वहां यह इलाहबाद हाई कोर्ट का निर्णय है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप रासायनिक खाद का मामला हो या दूसरा मामला हो सरकार इसकी पैरवी अच्छी तरह से करें और पैरवी उस हिसाब से आप करें।

आपने एक कानून का हवाला दिया है राजस्थान हाईड्रोजनेटिड वेजीटेबिल आॅइल (नियंत्रण एवं वितरण) आदेश, 1974 का यह आप बतायें कि यह क्या कानून है और आपने किस बात का स्पष्टीकरण चाहा है और वह क्यों नहीं मिला ? जब आप मंत्री नहीं थे आपने अपनी स्पीचेज में पब्लिक के इनवाल्वमेंट की बात कही थी कि गांव के अन्दर ऐसी कमेटीज होनी चाहिए जो कि जमाखोरों को पकड़ें और वितरण में मदद करें। लेकिन आपने यह स्वीकार किया कि कलेक्टर्स कमेटीज की मीटिंग ही नहीं बुलाते। हमें पता ही नहीं कि पाली डिस्ट्रिक्ट में कितना केरोसिन आता है, कितनी सीमेन्ट आती है—न तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, न ब्लॉक लेवल पर और न ग्राम लेवल हर पब्लिक वालों का हाथ है। साथ ही साथ वितरण के बारे में जैसा रेली में कहा गया कि होर्डर्स के खिलाफ एक्शन हो। हमें अधिकार होना चाहिये कि अगर जमाखोरों को हम देख लें तो हम उसका ताला लगाकर सरकार को इत्तला करें। हमारे खिलाफ

(श्री शंकरलाल)

कोई एक्शन नहीं होगा, ऐसी गारन्टी हमको मिलनी चाहिए क्योंकि हम तो मदद करने के लिए जायें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इन जमाखोरों ने कई इत्तिला करने वालों को जेलों में डलवा दिया।

श्री शंकरलाल : उन्होंने कहा है कि हमारी दूकानें लूटने के लिए आ गये। आप कानूनी अधिकार दें नहीं तो यह होगा कि किसी गांव में कोई जमाखोर है और उसकी इत्तिला करने वाली जायेंगे तो तब तक तो माल ही चला जाता है। तो क्या आप ऐसे अधिकार देने के लिए तैयार हैं कि वहां पर गांव में सरपंच कोई चेपा लगा सके और उसके बाद आकर इत्तला करे तो कुछ आप पब्लिक इनवॉल्वमेन्ट डिस्ट्रब्यूशन सिस्टम में और होर्डर्स को पकड़ने में करें—ऐसा हो।

श्री सभापति : श्री नारायण सिंह…

श्री गौरीशंकर मुनीम : सभापति महोदय……

श्री सभापति : आपको भी समय मिलेगा।

श्री नारायणसिंह (दांता रामगढ़) सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो यह नोट माननीय सदस्यों को दिया है उसमें 16-8-74 तक लेवी वसूली के आंकड़े दिये हैं जिलेवाइज उसमें सीकर जिले में कोई लेवी वसूल करना नहीं बताया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से ही जानकारी चाहता हूं कि सीकर जिले के अन्दर लेवी वसूली हुई है और करीब 100 टन लेवी वसूली हुई है जब कि इस नोट में बिल्कुल नहीं होना बताया है। इस नोट से लोगों को भ्रम हो रहा है कि सीकर में लेवी बिल्कुल वसूल नहीं हुई। हालां कि सीकर के अन्दर आधे से अधिक हिस्से के अन्दर गेहूं नहीं होता है। उसके बावजूद भी काश्तकारों ने बड़ी खुशी के साथ बिना कोई सरकारी खर्चा करवाये कार्यकर्ताओं के कहने से लेवी दी है और वह भी तीन दिन के अन्दर सारी लेवी वसूल हुई। मैंने आपसे बात होने के बाद जिलाधीश जी से कहा था कि आप नीम का थाना, श्री माधोपुर और दांता रामगढ़ तीन तहसीलों में यदि लेवी वसूल कर सकें और दूसरा जो फतहपुर सब-डिवीजन है उसमें यदि लेवी वसूल नहीं करें तो अधिक लेवी वसूल हो सकती है। लेकिन उन काश्तकारों से, जहां बहुत कम मात्रा में काश्त होती थी, वसूल करने की कार्यवाही की और जहां अधिक गेहूं पैदा होता है वहां अधिक कार्यवाही वसूली की नहीं करने के कारण से जो सीकर की लेवी वसूल हुई वह 500 टन से अधिक हो सकती थी लेकिन वह इतनी कम मात्रा में हुई। इसके अलावा जो लेवी वसूल हुई है उसमें भी कई जगह ज्यादतियां हुई हैं। आज ही लक्ष्मणगढ़ तहसील की एक पंचायत समिति से इत्तला आई है कि वहाँ तहसीलदार ने रसीद देने के बावजूद भी लेवी रेकार्ड में नहीं ली है और इसको पैसे नहीं दिये गये हैं। इस तरह का केस भी रजिस्टर हुआ है और इस तरह की जो बात तहसीलदार ने की है कि रसीद दे दी और उसको रेकार्ड में नहीं लिया और काश्तकार को पैसा नहीं दिया और इस तरह की कार्यवाही हुई है ऐसी और भी जगह हुई होंगी। तो ऐसे केसेज में कार्यवाही होनी चाहिए। लक्ष्मणगढ़ के तहसीलदार के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि उनके खिलाफ एक

(श्री नारायणसिंह)

केस भ्रष्टाचार का हुआ। उनको गिरफ्तार किया गया, उनको रेड हैंडेड पकड़ा गया और उसके बाद उनको गिरफ्तार करके हथकड़ियां डाल कर घुमाया गया और वही तहसीलदार, जो कि लेवी के अन्दर रसीद देने के बाद भी अनाज जमा नहीं करता है, को सरकार ने वहां पर वापिस रख लिया। आप अन्दाजा लगाइये कि जो आदमी भ्रष्ट हो और लोगों को मालूम हो कि इसको रंगे हाथों पकड़ा गया, उसके बाद भी तहसीलदार वही रहे और फिर उसके खिलाफ यह संगीन चार्ज है कि आज लेवी वसूल करली और काश्तकार को पैसा नहीं दिया तो इस तरह की बात हुई। दूसरी जगहों का पता नहीं लेकिन सीकर में लक्ष्मणगढ़ तहसीलदार के बारे में निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय से कि ऐसे केस को आप सीरियसली लीजिए और उसके खिलाफ कार्यवाही कीजिए ताकि आगे लोगों को भ्रम भी न हो और इस तरह से लेवी वसूल करने के बाद कर्मचारी की हरकत भी कम हो सके।

सभापति महोदय, सीकर जिला वैसे सरप्लस जिलों में नहीं है। उसका आधा हिस्सा हर तीन साल में अकालग्रस्त रहता है और वहां अनाज की खासतौर से समस्या रहती है। शहरों के अन्दर हमारे तीन-चार म्युनिसिपल टाउन्स हैं उनके अन्दर तो आप अनाज देते हैं। बाकी गांवों के अन्दर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी हालत बहुत खराब है और कई दफा तो सारे गांव में घूमने के बाद भी एक रुपये का अनाज मिलना मुश्किल हो जाता है। आज तक की यह स्थिति तो थी, वह तो इतनी खराब नहीं थी लेकिन इस साल यह उम्मीद करके चल रहे थे कि बरसात ठीक टाइम पर हुई है और इस कारण से फसल अच्छी होगी लेकिन बरसात तेज हुई और लगातार बारिश होने के कारण से बहुत सारे इलाके के अन्दर फसल बिल्कुल नष्ट हो गयी और वहां न तो बाजरा उगा, न मोठ उगी और न ग्वार उगी। और फसल बिल्कुल पीली पड़ गयी और बिल्कुल नहीं बढ़ रही है और लोगों की ऐसी मान्यता है कि अकाल जैसी स्थिति ही वहां रहेगी।

तो मैं खाद्य मन्त्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस इलाके के अन्दर भी, जहां बहुत ज्यादा खराब स्थिति है, वहां गांवों के अन्दर अनाज की व्यवस्था करवाई जानी चाहिये।

इसके अलावा आपका यह आदेश है कि जो चीनी है कपड़ा है या इस तरह की जो कण्ट्रोल की चीजें हैं वह सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण करवाई जाएंगी। जब भी जिला फूड एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग हुई तो हम जिलाधीश को बराबर यह निवेदन करते रहे कि जो सहकारी समिति की स्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक है, जो सहकारी समिति काम करना चाहती है उसको यह धन्धा दीजिए। लेकिन कई दफा क्या होता है, ज्यादातर आप देख लीजिए, वहां की सारी चीजें, चाहे सस्ते अनाज की, चीनी की हो या दूसरी चीज की हो, कैरोसिन की हो, सारी की सारी इण्डीविजुअल लोगों को ज्यादा दी जाती हैं, सहकारी समितियों को कम दी जाती हैं। जिन कोऑपरेटिव सोसायटीज की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जो गड़बड़ करती हों, जिनके खिलाफ शिकायत हों उनको तो नहीं दें लेकिन यदि आपको कोऑपरेटिव

(श्री नारायणसिंह)

सोसायटीज को बढ़ाना है, तो मेरी यह मान्यता है कि कोग्रॉपरेटिव सोसायटीज में जितना कबाड़ा होगा इण्डीविजुग्रल में उससे कहीं ज्यादा होगा। इण्डीविजुग्रल ग्रादमी ज्यादा गड़बड़ी करेगा। लेकिन परेशानी यह है कि कोग्रॉपरेटिव सोसायटीज खर्चा नहीं कर सकती जितना इण्डीविजुग्रल ग्रादमी मुनाफा भी कमा लेता है, चोरी भी कर लेगा, बेईमानी भी कर लेगा, वह तो किसी न किसी तरीके से परमिट भी ले लेगा, सारा का सारा ले लेता है लेकिन सोसायटी ऐसा नहीं कर सकती उन सोसायटीज को पीछे रखा जाता है ग्रौर इण्डीविजुग्रल ग्रादमियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

एक मिनिट।

हमारे यहां पिछले साल ग्रकाल के ग्रन्दर चार हजार कुए बने थे ग्रौर उसमें बहुत से कुए सीमेण्ट के ग्रभाव में ग्रधूरे रह गए। ग्राज सीकर जिले के ग्रन्दर फैमिन के बाद इतनी परेशानी है कि जिन लोगों के कुए ग्रधूरे रह गए वे तेज बारिश के के कारण ढह गए। सीमेन्ट के बिना जो कुग्रों के नीचे कोठियां बनाते है वह नहीं बना सके ग्रौर इस प्रकार बड़ी कठिनाई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि भले ही मकान बनाने के लिए या बारिश से जो मकान खराब हुए हैं उनके लिए भले ही ग्राप कम सीमेंट दें लेकिन जिन लोगों ने तकावी लेकर के बनाये हैं, सरकार का एक करोड़ रुपया खर्च हुग्रा है, उन कुग्रों के लिए ग्राप विशेषतौर से सीमेन्ट की व्यवस्था करावें ताकि उत्पादन पर भी ग्रसर हो ग्रौर उनको खुद को भी इसमें फायदा हो।

इसके ग्रलावा उत्पादन को बढ़ाने के दृष्टिकोण से मैं ग्रापको ग्रर्ज कर एक मिनिट में समाप्त करता हूं। हमारे यहां सिचाई के कोई साधन नहीं हैं सिवाय बिजली ग्रौर कुग्रों के ग्रलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। कुछ समय पहले मुख्यमन्त्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि सीकर जिले को ग्रन्य जिलों की तरह बिजली के ग्रन्दर सघन जिले में रखा गया है। लेकिन ग्राज तक उसके ग्रन्दर कोई किसी तरह की प्रोग्रेस नहीं हुई है। वहां पर कुछ भी नहीं हुग्रा है। मेरे क्षेत्र के 56 गांवों के ग्रन्दर जो ग्रामीण विद्युतिकरण निगम से जो स्वीकृति हुई है, उसको छः महीने हो गए स्वीकृत हुए लेकिन ग्राज तक स्टाफ भी नहीं पहुंचा है। लाइन खीचना ग्रौर कनेक्शन देना तो दूर रहा। इसके ग्रलावा ग्राज जब कि बहुत सारी, करीब ढाई हजार एप्लीकेशन्स काश्तकारों की कनेक्शन के लिए पड़ी हुई हैं। कभी कण्डक्टर नहीं हैं तो कभी खम्भे नहीं है तो कभी पावर नहीं है। पावर है तो कण्डक्टर नहीं है। इसके बाद भी सरकार ने यह ग्रादेश दिया है कि जो ग्रादमी प्रॉयरॉटी में ऊपर ग्राना चाहें ग्रौर जो पांच सौ रुपया खम्भे के दे दे तो कनेक्शन मिल सकता है। तीन-तीन महीने से काश्तकार परेशान हो रहे हैं पांच-पांच सौ रुपये खम्भे के देने के बावजूद। तो ग्राज इसको भी थोड़ा देखने की कृपा करें क्योंकि हम बिजली पर डिपेंड करते हैं, बिजली के सिवाय हमारे यहां ग्रौर कोई सिचाई का साधन नहीं है। डीजल से भी नहीं चल सकते हैं। क्योंकि डीजल मिलता नहीं है ग्रौर मिलता है तो कुए इतने गहरे हैं कि

(श्री नारायणसिंह)

उसमें जितनी आमदनी करना चाहते हैं उससे ज्यादा नुकसान होता है। आमदनी कम होती है। इसलिए मेरा इतना ही निवेदन है कि जो हमारे यहां की खास समस्या है, बिजली की है और बिजली ही एक ऐसा साधन है कि जिसके अलावा हमारे यहां सिंचाई का दूसरा कोई साधन नहीं है, नहर नहीं है और न इस बात की उम्मीद है कि भविष्य में कोई नहर वहां आएगी। इसलिए बिजली की व्यवस्था करा दें तो निश्चित रूप से देश के अन्दर खाद्यान्न की जो समस्या है वह हल हो सकती है।

श्री सभापति : श्री मोहरसिंह !

श्री मोहरसिंह (राजगढ़) : माननीय सभापति महोदय, सदन में करीब छः घण्टे से आज खाद्य समस्या व लेवी समस्या चर्चा का विषय बनी हुई है। काफी सज्जनों ने, माननीय सदस्य महानुभावों ने अपने विचार इस पर प्रगट किए हैं। सभापति महोदय, खाद्य समस्या एक बड़ी विकट बीमारी है जिसके लिये लेवी एक इन्टरिम, छोटी सी दवा है। लेकिन हम अच्छी तरह से विचार करके देखें इस बात को कि खाद्य समस्या कोई यकायक सहसा आई हुई बीमारी नहीं है। यह हमारी व्यवस्था, यह हमारी नीतियों का गलत नीतियों का दुष्परिणाम है जिसकी वजह से आए दिन हमारे इलाके के अन्दर यह समस्या किसी न किसी हिस्से में बनी रहती है और भी बहुत सी हमारी गलत नीतियां है जिसकी वजह से इस समस्या को हल नहीं कर पाते हैं। दिखावे के लिए हम सभापति महोदय, समाजवाद के नक्शे-कदम पर बढ़ने का नारा लगा चुके हैं। आवड़ी अधिवेशन के बाद से और उसके बाद बहिन इन्दिरा के जब से वजीरे-आजम बनी है विशेष तौर से समाजवाद का नारा देश के अन्दर सुनाई दे रहा है। कितने खिलवाड़ की बात है कि एक तरफ तो समाजवाद का नारा और दूसरी तरह खाद्यान्नों को, चीजों समस्या। इतना बड़ा विशाल स्थल हमारा राजस्थान, इतना बडा देश, विशाल भारत देश का विशाल हिस्सा जिसके अन्दर बड़ी भारी जन शक्ति है लेकिन इसके बावजूद खाद्य समस्या विकराल समस्या रहती है। कारण क्या है इस समस्या का ? कुछ मामूली कारण हम कह सकते हैं कि कहीं अतिवृष्टि और कहीं अनावृष्टि इसके कारण हैं लेकिन यही नहीं है कारण खाद्यान्न समस्या के विकराल होने के। विकराल होने में और भी बीमारियां है जो छुपी हुई हैं। हमारी पूंजीवादी पोषक नीति। स्टॉक करने की नीति और छिद्र जिनके द्वारा भावों पर कब्जा इनके हाथों में है। इसलिए किसानों का शोषण करके स्टॉक को भर लेना, यह भी एक इतनी जबरदस्त नीति की कमजोरी है कि जिसकी वजह से खाद्य समस्या उभर कर देश के सामने, प्रदेश के सामने आती है। इसके साथ साथ पूंजीवाद पोषक वह नीति जिसके कारण, देश के अन्दर महज नारा समाजवाद का लगाया जाता है लेकिन समाजवाद के नारे के बावजूद जिसने देश की पूंजी महज 74 लोगों के पास में जमा कर दी जो देश के विकास में, प्रदेश के विकास मे काम में नही आती। थोड़े से घरों में यह देश की पूंजी बन्द है। इस पूंजी के अभाव में क्या हम अपने इलाकों में इर्रीगेशन फैसेलिटी बढ़ा पाये है। आजादी के 27 वर्ष के बाद भी हम इसकी कोई व्यवस्था नहीं कर पाये। इसलिए अगर हमने इर्रीगेटेड बनाया होता प्रदेश को, सिंचित बनाया होता तो मैं समझता हूं कि जो समस्या आज हमारे

(श्री मोहरसिंह)

सामने मुंह बाये खड़ी है, विकराल रूप में खड़ी है वह विकरालता नहीं होती। लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया हमने कभी। वास्तव में हमने इस बात के अन्दर बड़ी गलती खाई है। तो हमें इन सारी मूलभूत हमारी गल्तियों पर विचार करना चाहिए और जो समाजवाद का नारा लगाया है उसके अनुसार हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए, हमें इस बात को मानना चाहिए कि वास्तव में हम इसके अनुसार कदम नहीं उठा रहे हैं। मुखौटा जरूर हमारा समाजवाद का है लेकिन अन्दर में पूंजीवाद है। भीतर से हम पूंजीवाद के साथ हाथ मिलाये हुए है जो हमारे अवाम के लिए तरक्कीशुदा प्रोग्राम को सफल नहीं होने देते। इन्हीं कारणों के अन्दर यह,कारण है जिसकी वजह से खाद्य समस्या बनी हुई है।

सभापति महोदय, इस बड़ी समस्या के साथ बड़ी यह समस्या और है जो खाद्य उत्पादन की हैं उसके साथ एक छोटी सी समस्या खाद की भी है। खाद के वितरण की समस्या है। जहां हमारे यहां ज्यादा अनाज पैदा नहीं होता, ज्यादा खाद पैदा नहीं होता वहां यह बात हमारे लिए बड़े शर्म की है, बड़ी हास्यस्पद है कि इतनी जन शक्ति के होते हुए, इतना देश के अन्दर विपुल धन होते हुए, कोई नहीं कह सकता कि भारत देश गरीब देश है, चन्द हाथों में इतनी पूंजी इकट्ठी हो गई कि अवाम की पूंजी की 87 प्रतिशत पूंजी 74 घरों के अन्दर इकट्ठी हो गई है और 56 करोड़ के पास कुल 13वां हिस्सा पूंजी है। इसी का नतीजा है कि सारे अवाम में, देश के अन्दर विपत्तियां फैली हुई हैं। कहीं भयंकर महंगाई है, कहीं भयंकर खाद्य समस्या है, कहीं मिलावट और भ्रष्टाचार है। यह सारा पूंजीवादी नक्शे कदम पर चलने का परिणाम है इसलिए जो हमारी मूल नीति है वह नहीं बदली जायेगी तो मूलभूत रूप में समस्या विद्यमान रहेगी। यह हल नहीं हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद थोड़ा बहुत अनाज पैदा कर पाते हैं। इरिगेटेड और मामूली अनइरिगेटेड जमीन से और उस इरिगेटेड और अन-इरिगेटेड से जो अनाज पदा कर पाते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका अत्यन्त ही गलत है। वह डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से नहीं करते हैं सभापति महोदय, गांव-गांव के अन्दर, शहर-शहर के अन्दर यह शिकायत है और वहां पर 800-90 ग्राम प्रति व्यक्ति अनाज दिया जाता है। एक किलो भी नहीं दिया जा रहा है। आधी छटांक भी हमारे हिस्से में नहीं आता है। हम हमारे देश के लोगों को इतनी खुराक भी नहीं दे पाते हैं, यह कितनी शर्म की बात है हमारे लिये। हर चीज के वितरण की प्रणाली हमारे देश में दोषपूर्ण है। गांव-गांव में इसकी शिकायत है। आज चूरू जिला है। मैं कलेक्टर से मिला। चूरू जिले के गांवों के लिए केरोसिन तेल और गेहूं का कुछ इन्तजाम होना चाहिये। उन्होंने कहा मोहरसिंह गांव वालों को क्या जरूरत है। गांव वालों के पास बिजली बहुत ज्यादा है इसलिए केरोसीन की भी जरूरत नहीं है। यह हमारे कलेक्टर महोदय कहते हैं और फिर दूसरी ओर हम से कहते हैं लेवी वसूल करवा दो। आपके तो यह लक्षण हैं यह हालत है हमारे सरकार की। सभापति महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि वितरण प्रणाली कितनी गड़बड़ है। खाद्यान्न और चीनी का कोटा भी घटता जा रहा है। सीमेन्ट का जहां तक सवाल है वह तो

(श्री मोहरसिंह)

गांव वालों को मिलने का सवाल ही नहीं है। बड़े-बड़े भू-पति, पूंजीपतियों को ही यह मिलती है। गरीबों के लिए सीमेन्ट नहीं है। गरीबों के लिए न तेल है और न सीमेन्ट है। तीन वैगन मिलने के बाद भी गांव वालों का नम्बर नहीं आता है। चीनी मुनस्सर नहीं है और यह सब है तो बराए नाम है। यह हालत है। डालडा का किस्सा हमारे साथी ने बताया है। यह सब गलत नीति का दुष्परिणाम है जिसको बदलना पड़ेगा। इसको बदलने के लिए सरकार ने नारा समाजवाद का लगाया है, उस नारे को अमली रूप में बदलना होगा तभी यह समस्या नहीं रहेगी। पूंजीवादी कदमों पर चलने से पूंजीवादी दोष पैदा होंगे। यह अव्यवस्थाएं, यह गड़बड़ियां बढ़ती रहेंगी। लेकिन समाजवाद का नारा लगाने के बाद भी इस प्रकार की समस्याएं विद्यमान है, यह हमारे लिए शर्म की बात है। लेवी की समस्या है। लेवी की वसूली खांसतौर पर उससे होनी चाहिये जो आदमी लेवी को दे सके जिनके पास अपने खाने और बीज के सिवाय अनाज पैदा ज्यादा होता है, उन से लेवी ली जानी चाहिए। लेवी ही कोई सबसे बड़ा इलाज नहीं है खाद्य समस्या का। इसके लिए उत्पादन ज्यादा से ज्यादा किया जाना चाहिए और जमीन को इसके योग्य बनाया जाना चाहिए। लेवी तो एक मामूली दवा है। इसमें भी ढंग से वैज्ञानिक ढंग से काम करना होगा। वर्तमान में जो लेवी वसूली का ढंग है, उसमें यह नहीं देखा जाता है कि कैसी जमीन है। सबसे एक ही ढंग स लेवी वसूली की कार्यवाही हो रही है। यह अवैज्ञानिक लेवी है। इस प्रकार से लेवी नहीं लगानी चाहिये। इसको देखा जाना चाहिए कि वह इलाका कैसा है। वह डेफिसिट तो नहीं है। जो इलाका ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करता हो उसके ऊपर लेवी लगावें और साथ ही वह वैज्ञानिक ढंग से होनी चाहिए। आज किसान संगठित नहीं है। सब से ज्यादा आर्गेनाइजेशन में कमजोर तबका है तो वह किसान है। कृषि के संबंध में हाउस की हालत देख रहा हूं। हालात ठीक नहीं है। किसी को भी इसके प्रति सहानुभूति नहीं है, किसी को इन्ट्रेस्ट नहीं है, किसीको भी रुचि नहीं है कि कृषि इलाके का विकास हो, किसान की तरक्की हो आज बिना किसान से पूछे उसके नाज के भाव मुकर्रर कर दिए जाते हैं। किसान का उसमें कोई शेयर नहीं होता है, ऐसी कोई कमेटी नहीं हैं कि किसान के प्रतिनिधि जाकर भाव मुकर्रर करा दें। वे यह बता सकें कि इतना काटने में, इतना खर्चा बुआई में और इस सब के बाद अनाज इस भाव में पड़ता खाता है। यह कोई नहीं पूछता है। मनमाने ढंग से भाव मुकर्रर करते है। किसान जानता नहीं है। उसका सब एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। बाजार में गेहूं 200/225 रुपये क्विन्टल तक बिक रहा है और किसान से ले रहे हैं 105 की दर से। यह कहां का जस्टिफिकेशन है? यह कहां का न्याय है? भाव मुकर्रर करते समय हमें इसका ध्यान रखना चाहिए

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

दो मिनिट और मिलने चाहिए।

जहां तक दिक्कत है वह है मजदूरों की राज्य कर्मचारियों की और जो अनाज को पैदा नहीं करते हैं उनकी यह दिक्कत है। किसान यह देखता है कि उसका अनाज इस

(श्री मोहरसिंह)

भाव में बिक रहा है तो वह तेज भाव पर बेचना चाहेगा। जो मंहगाई है उसको भी बर्दाश्त करनी होती है परन्तु आप 105 रुपये में उससे ले रहे हैं और दूसरी ओर 225/250 रुपये की दर से गेहूं बिक रहा है। कितना बड़ा अन्तर है, कितना बड़ा अन्याय है। दस. पांच, पन्द्रह का अन्तर हो तो वह बर्दाश्त कर सकता है परन्तु यह नहीं होना चाहिए, एक तरफ 105 और दूसरी ओर 250, डबल का अन्तर है। यह उसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं तो क्या है ? इसकी कोई सगति नहीं है। प्रश्न पैदा होता है कि सस्तावाड़ा वहां से आवे। मजदूर, राज्य कर्मचारी और जो मीडियम वर्ग के लोग हैं उनको कैसे राहत मिले। करोड़ों, खरबों का अनाज बाहर से मगाया जाता है। अरबों रुपया अब तक हम अनाज पर खर्च कर चुके हैं। इस प्रकार जो पैसा हम बाहर से अनाज लाने पर खर्च कर रहे हैं वह यहां पर लगा देते तो यह समस्या पैदा नहीं होती। वर्तमान में जो समस्या है उसको दूर करना है। करोड़ों रुपया बाहर से अनाज मंगाने पर हम ने अपने खजाने का खर्च कर दिया, तो मजदूर, राज्य कर्मचारियों और मीडियम वर्ग के लोगो को अनाज सस्ता देने में जो अन्तर हो वह सरकार खजाने से भरे। किसान से अनाज खरीदने और सस्ता अनाज देने में जो घाटा हो वह सरकार खजाने से भरे जो वह अभी बाहर से अनाज मंगाने में खर्च कर रही है। किसान कुछ ही अन्तर भावों का बर्दाश्त कर सकता है दूसरे देशों से अनाज मंगाते हैं तो कर्जा करते हैं, ब्याज देते हैं। वह सहायता किसान को दी जाय। वह इलाका जहां पर कि नहर नहीं है, जो बिलकुल ही डेफिसिट है, यह उचित बात है कि वहां पर नहर निकाली जावे। उस इलाके को डवलप किया जाये और उसके बाद ही लेवी का प्रश्न पैदा किया जाये। सरदार पटेल जब उप प्रधान मंत्री थे, नेहरू जी प्रधान मंत्री थे तो यह सवाल आया था, लेवी का प्रश्न आया था। राजस्थान का इन्टीग्रेशन होने के बाद, राजस्थान बनने के बाद शास्त्रीजी मुख्य मंत्री बने थे, शोभाराम जी को भी यह बात मालूम है, हम लोग एक डेप्युटेशन लाये थे। बीकानेर, चूरू, सीकर और झूंझूनूं जिले का। हमारा आर्गेनाइजेशन उस समय इतना ही हो पाया था। डेप्युटेशन मिला था और यह बताया था कि इलाके की हालत क्या है। किस प्रकार की इन चार जिलों में पैदा होती। तीस वर्ष का सारा नक्शा रखा। कितनी आमदनी होती है, कितनी सामान्य पैदावार है और कितने अकाल आते हैं। ये सारी बातें इन चार जिलों की उनके सामने रखी। शास्त्री जी को मानना पड़ा। नेहरूजी भी कायल हो गये। यह 17 अगस्त, 1950 का इण्डियन गवर्नमेंट गजट आप उठा कर देख लें, उसमें इन चार जिलों को लेवी से मुक्त रखा गया था। सभापति महोदय, इस प्रकार का फैसला था कि इन चार जिलों को छोड़ दिया गया था। जो जिले डेफिसिट हैं उनके प्रति न्यायपूर्ण व्यवस्था की मैं मांग करता हूं कि उन जिलों के ऊपर लेवी पूरी न लगावें।

एक तरफ तो 5-5 हजार के मेकेनाइज्ड फार्म लिये हुए बैठे हैं उनके पास से हजारों मन लेवी ली जा सकती है, और जो देने के योग्य हैं उनसे लेवी वसूल की नहीं जाती है, लेकिन जो बेचारे गरीब हैं उनसे तीन-तीन दफा लेवी वसूल की गई। मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ। जीन्द के महाराजा रणधीरसिंह का मैं उदाहरण देना चाहता

(श्री मोहरसिंह)

हूं, एक दफा उन्होंने ग्रॉर्डर दिया कि लगान 15-20 दिनों के ग्रन्दर वसूल होना चाहिए। उन्होंने मदोला में वसूली हेतु अफसर को भेजा तो उन्होंने कहा कि लगान नहीं है क्योंकि अकाल पड़ गया। उनके आदमी ने वापिस जाकर कहा कि वे लोग तो लगान नहीं देते हैं तो हिज हाईनेस ने ग्रॉर्डर दिया कि डबल वसूल करो मन्दोली से तो तीन-तीन दफा लेवी वसूल हुई है। यह भी कोई बात है। (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) तो सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सम्बन्धित मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो इलाके डेफिसिट हैं ग्रौर जिसके ग्रन्दर गुन्जायश है विकास की तो क्यों नहीं उसके विकास की कार्यवाही की जाय पहले पूंजीशाहों के पास जो खजाना पड़ा है उनके ऊपर तरह-तरह के टैक्स लगाकर उस इलाके में नहरें बनाई जायें। क्यों न हरियाणे से उस इलाके में नहर लाई जाय। उस इलाके में जो चीज करने की है वह नहीं कर रहे हैं। ग्राप गरीबों का तेल निकालना चाहते हैं। उस मरे हुए किसान की लाश पर लेवी जैसी चीज बार-बार लाद कर दबे हुए को ग्रौर दबाना चाहते हैं। लेकिन जो बड़े-बड़े व्यापारी बैठे हुए हैं उनसे ग्राप एक क्विन्टल भी नाज का वसूल नहीं करते हैं जबकि 5-5 हजार के जो फर्म्स हैं उनसे हजारों मन गल्ला वसूल हो सकता है। लेकिन उनके साथ ग्रापका मिलान है ग्रौर गरीब किसानों के साथ जबर्दस्ती की जाती है। इसलिए लेवी के मामले में, सभापति महोदय, हमारी स्पष्ट पॉलिसी होनी चाहिए, ग्रौर मेरी यह मांग है कि हमेशा के लिए इस सवाल को तय करावें। उस इलाके के लिए इर्रिगेशन की स्कीम बनाई जाय ग्रौर जगह-जगह पर नहरें लाई जायं। हम यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, चार कोस की दूरी पर हमारे से जो लगा हुग्रा इलाका है हरियाणा का वह बिजली के लट्टुग्रों से गुलजार हो ग्रौर नहरों से सरसब्ज रहे ग्रौर हमारे यहां पीने के पानी के लिए मीलों लोगों को जाना पड़े। वहां के लोग यह कहते हैं कि हरियाणा की लड़कियां, राजगढ़ लूणकरन-सर वाले बांगड़ में हम नहीं देंगे। यह इल्जाम हम सुनने को तैयार नहीं हैं। हम चाहते हैं कि सदा के लिए खाद्य समस्या को हल किया जाय। (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) उस इलाके के डेवलपमेंट के लिए नहरें जल्दी से जल्दी लाई जायं। हमारे खाद्य मंत्री, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ग्रौर धन देने वाले हमारे जिले के चन्दनमलजी इस बात पर गौर करें कि इस इलाके को कैसे हरा भरा किया जा सकता है। यह सब विचार किया जाना चाहिए।

साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि जो वितरण प्रणाली है वह भी दोषपूर्ण है ग्रौर लेवी की प्रणाली है वह ग्रवैज्ञानिक है ग्रौर गरीबों को चूसने वाली है। इस प्रकार से इन प्रणालियों में सुधार होना चाहिए ग्रौर जल्दी से जल्दी सुधार होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जो किसान-हृदय की बात थी वह मैंने व्यक्त की। मुझे इस बात से ताज्जुब हुग्रा कि राजस्थान सरकार ने तंग करके ग्रौर मुर्गा बना बनाकर लेवी वसूल की। ग्रगर उनके ग्रन्दर इन्सानियत होती, तो यह बात नहीं हो सकती थी कि एक किसान जो नाज पैदा करके दुनिया का पेट भरता है, मुर्गा बनाया जाय। यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि एक गरीब किसान को इस तरह से परेशान

(श्री मोहरसिंह)
करते है। इसके साथ में मैं अपना कथन बन्द करता हूं।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : सभापतिजी, आज सदन में खाद्य स्थिति पर विचार हो रहा है। मैं भी मेरे कुछ विचार इस संबंध में ज्यादा समय न लेकर रखना चाहता हूं। सभापतिजी, राजस्थान में खासतौर से इस मौके पर अपने देश में नाज की हालत जो पैदा हुई है, और दूसरी तरफ यह साफ दिखाई दे रहा है कि राजस्थान के पश्चिमी जिलों में बरसात नहीं होने के कारण आज काश्तकार की जो हालत है वह गम्भीर और चिन्ताजनक है। आप जानते हैं कि पिछले लगातार 10-10 साल की काश्तकारों से वसूली की गई है। किसानों के पास खाने को राज्य सरकार ने नाज तक नहीं छोड़ा है। और फिर जेठ की बरसात में काश्तकारों ने काश्त की और तीन बार लगातार काश्त करने के बाद भी, पहले अच्छी बरसात होने के बाद भी सावन में बरसात नहीं होने के कारण आज राजस्थान के बीकानेर, चूरू, नागौर, बाड़मेर और जैसलमेर आदि जिलों में पशुओं के लिए चरने तक को घास नहीं रहा। बाजरी की फसल जो है वह पीली होकर खत्म हो चुकी है। मोठ और ग्वार की जो हालत है वह नाममात्र की है। यह जो स्थिति पैदा हुई है यह गम्भीर है। दूसरी तरफ राजस्थान सरकार द्वारा लगातार 10-10 साल की वसूली करने से काश्तकारों की हालत बहुत खराब है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार जल्दी से उस इलाके की तरफ ध्यान दे ताकि ऐसी घटनाएं न हों लोगों के पास खाने को नाज नहीं होने के कारण और बाद में मुश्किल न हो।

माननीय सभापतिजी, आप जानते हैं कि आज राजस्थान के दूसरे जिलों में गेहूं की लेवी का निर्णय किया गया है, इसी तरह से पिछले साल उन जिलों में बाजरे की जो लेवी वसूल की गई है। आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान सरकार ने जो लेवी लगाई है उस लेवी का कोई मापदण्ड नहीं है; न कोई लेवी लगाने का आधार है। सभापतिजी, लेवी का जो मापदण्ड रखा है उसका कोई आधार नहीं है। लेवी के बारे में जमीन के हिसाब से राजस्थान सरकार को आंकना चाहिए। राजस्थान के पश्चिमी जिले, बीकानेर, चूरू, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन जिलों में एक फसल पर लेवी रखी है वहां गंगानगर, कोटा, अलवर, भरतपुर की जमीन 3-3, 4-4 तरह की फसलें देती है उनकी लेवी की हैसियत ज्यादा है। बाड़मेर, बीकानेर जैसलमेर और चूरू के जिलों की जो जमीनें हैं उनकी हैसियत उतनी नहीं है, और लेवी का मापदण्ड उन जिलों के मुकाबले में रखा है तो मेरी समझ में नहीं आता है कि राजस्थान के खाद्य मंत्री लेवी लगाते वक्त जमीन की हैसियत क्यों नहीं आंकना चाहते हैं? लेवी का जो मसला है, सभापतिजी, वह एक राष्ट्रीय मसला है। मैं लेवी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन लेवी लगा रहे हैं उन मापदण्डों का विरोध करता हूं। जिन काश्तकारों के पास पाव आटा भी खाने को नहीं है उन काश्तकारों से जबर्दस्ती लेवी वसूल की गई और जिन काश्तकारों ने लेवी नहीं दी उन काश्तकारों के खिलाफ मुकद्दमें बनाकर उनका चालान किया गया। मैं बीकानेर जिले के बारे में बताना चाहूंगा, सभापति

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

जी, कि 120 या 126 कैसेज जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चालान किये गये। उन लोगों ने कोर्ट में चैलेंज किया है। राजस्थान सरकार ने जो मुकदमे बनाये हैं, वह गलत हैं। मुकदमे बनाते वक्त राजस्थान सरकार के लेवी वसूल करने के जो अधिकारी हैं, जो मुकर्रर किये गये अधिकारी हैं, वह दूसरे अधिकारी को मुकर्रर नहीं कर सकते हैं। कलेक्टर, एस. डी. एम. को मुकर्रर करता है। एस. डी. एम., तहसीलदार को मुकर्रर करता है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार को मुकर्रर करता है। नायब तहसीलदार ने मुकदमा बना दिया इन मुकदमों को कोर्ट में चैलेंज किया गया। लेवी लेने को कलेक्टर ही केस कर सकता है। कलेक्टर नोटिस देगा कि तुम इतनी लेवी दो। नोटिस के बाद अगर काश्तकार लेवी नहीं देता है तो कलेक्टर ही मुकदमा कर सकता है। लेकिन हुआ क्या, सभापति महोदय, राजस्थान सरकार की पोजीशन की बात कहता हूं। मुकदमा बनाने का राइट नहीं है। चालान भेजते हैं। 120 मुकदमे, बीकानेर में किसानों के खिलाफ बनाये गये हैं। सारे के सारे बरी होंगे। हम लेवी देंगे। राजस्थान का काश्तकार पीछे नहीं रहेगा। लेकिन लेवी लेने के अधिकारी आप तभी होंगे जबकि हमारी जो खेती सूखी पड़ी है, ट्यूबवैल से उस सूखी जमीन की सिंचाई करें। लेवी लीजिये लेकिन आप जमीन को काबिल काश्त नहीं कर रहे हैं, काश्तकार को आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। आपकी लेवी वसूली की जो नीति है, उसको काश्तकार ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेगा। राजस्थान सरकार ने उन लोगों को ज्यादा बढ़ावा दिया है जो पूंजीपति काश्तकार हैं। जो राजा महाराजा और पुराने जमाने में पुरानी सरकार के सहयोगी रहे हैं, ऐसे लोगों को सहायता दी है। हमारी सरकार अगर छोटे और दबे हुये काश्तकारों की 25 साल तक सहायता करती। राजस्थान का वह किसान है, जो हिन्दुस्तान का किसान है। राजस्थान का वही काश्तकार है, जब नेफा और लद्दाख पर हमला हुआ तो पं. जवाहरलाल नेहरू ने आवाज उठाई कि हमको सोना चाहिए तो राजस्थान के काश्तकारों ने पं. जवाहरलाल नेहरू को सोने से तोला था। जिन काश्तकारों की जमीन सिंचित है, गंगानगर के उन किसानों ने देश के तीनों प्रधान मन्त्रियों को सोने से तोला है। लेकिन काश्तकारों की मदद करने की योजना आपके दिमाग में नहीं है, बड़े बड़े पूंजीपतियों की मदद करने की है। दूसरी तरफ आप आवाज लगा रहे हैं कि यह पूंजीपति और नौकरशाही देश की आजादी के लिए खतरा है। खतरा तो सत्ता में बैठे हुये लोगों से है। जब तक हम लोग ऐसे गलत काम करने वाले लोगों को सत्ता से निकाल कर बाहर नहीं करेंगे तब तक देश खतरे में रहेगा। हम खुद खतरे में रहेंगे और देश की आजादी खतरे में रहेगी। इसलिए मैं लम्बा भाषण नहीं देकर राजस्थान के खाद्य मन्त्री को जिम्मेदारी और ईमानदारी से निवेदन करूंगा, वह हाजिर नहीं है लेकिन वह मेरा भाषण सुन रहे हैं, वह समय रहते हुये चेतें। आज हमारा राजस्थान अकाल से घिर रहा है। आने वाले समय में किस तरह से इससे बाहर निकलेंगे।

श्री सभापति : श्री रणजीतसिंह !

श्री रणजीतसिंह (ओसिया) : आदरणीय सभापति महोदय, आज खाद्य मन्त्री

(श्री रणजीतसिंह)

जी ने खाद्य के सम्बन्ध में विचार करने का प्रस्ताव किया है। दूसरा लेवी के सम्बन्ध में विचार करने का प्रस्ताव किया है। आज जो खाद्य समस्या राजस्थान में है, वह किस प्रकार की है। बड़े ताज्जुब की बात तो यह है कि हिन्दुस्तान जो सदियों पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, जहां पर घी-दूध की नदियां बहती थीं।

श्री मोठालाल : अब विदेशी शराब की बहती हैं।

श्री रणजीतसिंह : आज न घी का नाम है, न दूध का नाम है। खाद्य समस्या इस प्रकार की हो गई है कि मालूम नहीं क्या है। जिस मुल्क के 80% आदमी खेती पर निर्भर रहते हैं वह 20% का पेट नहीं भर पाते हैं। जब विदेशों की ओर नजर डालते हैं तो वहां 20% खेती करते हैं। 20% खेती करने वाले न केवल अपने देश के 80% लोगों का ही पेट भरते हैं। बल्कि अन्य देशों को भी अन्न पहुँचाते हैं। यह हमारे लिए कितने शर्म की बात है। शर्म की बात इसलिए है कि काश्तकार जो 80% है, उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। काश्तकार को स्वावलम्बी नहीं बनाया गया है। उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधारी गई है। इसी का परिणाम है कि आज कितने ही माननीय सदस्यों ने लेवी के ऊपर विचार प्रकट किये हैं। लेवी क्यों वसूल की गई है ? क्या कारण था ? लेवी उसी देश में वसूल की जाती है जहां की भौगोलिक स्थिति ठीक नहीं हो, जहां बाढ़ और अकाल आता है। यह जिस देश में आते हैं, वहां की भौगोलिक स्थिति प्रति वर्ष बदलती रहती है। वही स्थिति राजस्थान की है। यहां पर लेवी लगाना आवश्यक हो जाता है इसलिए लेवी का मसला राजस्थान सरकार के सामने आया। इस लेवी के मसले पर आने के पहले मैं उस मुद्दे पर जाना चाहता हूं कि लेवी पर आने की जरूरत नहीं थी। राजस्थान में पहले जब अकाल पड़ा तो वह ग्रामों में फैल गया। लेकिन संवत् 27 में जो फसल हुई उस फसल को उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। 35 रु. क्विन्टल पर भाव आ गये। उस समय सरकार ने किसानों की हालत को सुधारने के लिए 52 रु. भाव मुकर्रर किया। इस भाव में भी किसी ने लिया नहीं क्योंकि बरसात के अभाव में काला दाना था। तो राजस्थान सरकार ने जबरदस्ती एफ. सी. आई. को दिया। आज हम लेवी को तरस रहे हैं। उस समय कोई धान लेने वाला नहीं था। अगर समय पर बरसात हो, हवा का रुख अच्छा हो तो धान अच्छा होता है जैसा उस समय पर हुआ। आज हालत खराब है। वक्त पर पानी नहीं है, वक्त पर कोई चीज नहीं है इसलिए चीजों के भाव आसमान को छूने लगे हैं। सभापति महोदय, ये आसमान में भाव कब छूते हैं ? जब उत्पादन कम होता है और मांग ज्यादा होती है तो अपने आप भाव बढ़ जाते हैं और जब मांग ज्यादा होती है और उत्पादन कम होता है तो बिचोलिये संग्रह करते हैं उस संग्रह के अन्दर जो-जो बड़े पैसे वाले हैं, वह जमाखोरी के जरिये मुल्क की हालत को और गम्भीर कर देते हैं और वह करते हैं अपने पैसे के बल पर। लेकिन उत्पादन अच्छा नहीं होने के कारण भी जो मुल्क के 80 प्रतिशत काश्तकार हैं, उन काश्तकारों के लिए राज्य सरकार को, सभापति महोदय, आपके मार्फत कहना चाहता हूं कि उनकी हालत अच्छी हो, हिन्दुस्तान के काश्तकार की

(श्री रणजीतसिंह)

इतना उत्पादन करने की ताकत है कि दुनिया के किसी मुल्क की इतनी ताकत नहीं है हिन्दुस्तान को दूसरे मुल्क का मुंह ताकना पड़े। लेकिन काश्तकारों की इतनी हालत खराब है कि उसे खेती के लिए जो उपकरण और दूसरे साधन चाहिए, वह काश्तकारों के पास हैं नहीं। बैंकों के जरिये कुछ राज्य सरकार ने इसकी व्यवस्था की थी, लेकिन उसका भी छोटे काश्तकार फायदा नहीं उठा सके। उसका भी बड़े बड़े काश्तकारों ने फायदा उठाया। मैं चाहता हूं और सरकार से मेरा अनुरोध है कि इण्डस्ट्रीज को जिस तरह से सरकार सब्सीडाइज करती है, लेकिन हिन्दुस्तान के लिए जो सबसे बड़ी इण्डस्ट्री है, वह एग्रीकल्चर है उस एग्रीकल्चर की तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया है, पिछले 27 साल से ध्यान नहीं दिया है। आप बातों से सस्ताबाड़ा चाहते हैं, मुझे तो दिखता है नहीं क्योंकि आज जो बरसात का अभाव है, आगे भी यही हालत रही तो मुझे तो स्थिति कन्ट्रोल में आना मुश्किल नजर आ रहा है। आप बातों से आज शहरों में कुछ भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं मीटिंग कर सकते हैं लेकिन जो चीजें भारत सरकार ने अपने को दी हैं वितरण के लिए, वह अगर शहरों तक ही सीमित रहीं और गांवों वाले आपके मुंह की ओर देखते रहे तो हो सकता है कि कुछ दिन के लिए शहर वाले जो संगठन हैं, उनको सन्तुष्ट करके आप गांव वालों को धोखा दे सकें, लेकिन गांव वाले आज बिल्कुल मूर्ख नहीं हैं। आज गांव वाले जितने मूर्ख हैं उतने ही सावधान भी है। पहले जैसी हालत उनकी नहीं है। फिर आपके आंकड़े भी हमारे सामने हैं कि गांवों में और शहरों में आपने क्या क्या किया है। आपने उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया है। भारत सरकार ने तो एक बात पर ध्यान दिया है कि राजस्थान सरकार केवल पोस्ट आफिस का काम करती रहे। वहां से जो चीजें मिलें, चीनी मिले तो उसका वितरण कर दे। सीमेन्ट मिले तो उसका वितरण कर दे। और वितरण भी कहां किया, उसका भी पता नहीं है। सही रूप में देखा जाय कि वितरण की परिभाषा क्या हो ? जिस रूप में वितरण किया गया है, वह देखा जाय तो गांवों तक वह जाना नहीं है। आज गांवों के लिए कहा गया कि जो कोटा मिला उसमें से शक्कर दी गई, सीमेन्ट दी गई, डीजल दिया गया, केरोसिन दिया गया कपड़ा दिया गया। लेकिन इन सब बातों में, केवल कागज में घोड़े दौड़ाये गये हैं। यह गांवों में नहीं पहुंची हैं। अगर भविष्य में भी नहीं पहुंचेंगी तो उत्पादन बढ़ने का सवाल पैदा नहीं होता है। हम लेवी देना चाहते हैं, किसान ने कभी लेवी देने से इन्कार नहीं किया है। किसान अगर देना चाहता है तो कुछ लेना भी चाहता है। अगर किसानों को देने की तरफ सरकार का ध्यान है तो किसान बड़ा खुश होगा और जितनी आप चाहें उतनी ही लेवी वह देगा। लेकिन किसान को अपन मूर्ख बना कर लेना चाहते हों तो हो सकता है कि बातों के जरिये, आश्वासनों के जरिये, डंडे के जरिये आप ले भी लेंगे, हासिल कर लेंगे। लेकिन एक दफा जैसा बम्बई में हुआ था, शिव सेना नाम का एक संगठन बनाया और जहां कहीं गल्ला मिला, उसका ताला तुड़वा कर उस गल्ले को बंटवाया। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला। उसके बाद में वही गल्ला जो

Page No 162

16.2

(श्री रणजीतसिंह)

उन्होंने सौ, सवा सौ के अन्दर बंटवाया था, उसके भाव साढ़े चार सौ तक बढ़ गये क्योंकि जिनके पास जमा किया हुआ था, संग्रह किया हुआ था, उन्होंने निकाला। तो एक दफा खुश हुए अवश्य, लेकिन उसके बाद व्यापारी ले आये। व्यापारी कभी घाटे का धन्धा नहीं करता है, घाटा खाने वाला तो किसान है। किसान घाटा खा कर, बच्चों को खिला कर भी दूसरों का ध्यान रखता है। शहरों के मजदूर भाई हैं, दूसरे जो भी नौकरशाही के लोग हैं, जो नौकरी पेशा वाले हैं वह हमेशा गांवों की तरफ ताकते हैं। गांव वालों का धन्धा एक है। खाली उस खेती के ऊपर सारा प्लान घर का बनता है। बच्चों की पढ़ाई खेती पर है, बच्चों की शादी खेती पर है, सारी व्यवस्था है वह खेती पर है। उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वह अपने बजट में कोई परिवर्तन करे। जब उसका गल्ला आया तो उसको बाजार में लाना पड़ा। आप ताज्जुब करेंगे, जो इण्डस्ट्री वाले हैं, अभी डालमिया वगैरह का नाम लिया था, वह जो चीज फैक्ट्री में पैदा करते हैं तो फैक्ट्री में पैदा करने के बाद में हिसाब लगाते हैं कि कितना पैसा लगा, कितना लेबर लगा कितना मुनाफा आयेगा, ऐशो आराम का खर्च भी निकाल कर फिर रेट लगा कर बताते हैं। परन्तु किसान किसी तरह का ख्याल न रख कर कि पैदाइश पर कितना पैसा लगा है, अपना गल्ला देता है। कई खेती करने वाले हैं वह हाथ से खेती करते हैं उन्होंने गेहूं पैदा किया है। यह गेहूं तीन तरह पैदा होता है, एक नहरी क्षेत्र में होता है, एक बंधे के जरिये होता है, एक कुए के जरिये होता है। इसमें तीन तरह का खर्चा आता है, नहरी में कम खर्च आता है, उसके बाद उससे थोड़ा अधिक बन्धे में आता है, और उससे ज्यादा आता है जमीन से पानी निकालने में। परन्तु भाव सब जगह गेहूं का एक है। चाहे नहर से पिलाई की हो, चाहे उसने कुए से पानी निकाला हो, सबका भाव एक रहेगा। किसान की गाढ़ी मेहनत है, उसकी कमाई आंकेंगे, कौन ? शहर में जो बैठे हैं बुद्धिजीवी कि कितना भाव देना चाहिए। बड़ा ताज्जुब है, काश्तकार खेती करता है, घर में हिसाब लगाये तो 135-140 रुपये क्विन्टल घर में पड़ेगा, लेकिन सरकार 105 रुपये क्विन्टल में खरीदेगी। 105 रुपये क्विन्टल में काश्तकार ने दिया भी है। देने का कारण भी था, पहला कारण था, सरकार की नीति गेहूं प्रोक्योर करने की। उन्होंने पहले लेवी व्यापारी पर लगायी, क्योंकि व्यापारी ऐसा वर्ग था जो इसके जरिये से मुनाफा कमाता है। उसके जरिये से लेवी वसूली की बात कही गई। 17-7-74 को व्यापारी पर लेवी लगाई गई और हाउस को अहसास कराया कि किसानों पर लेवी नहीं लगाई है। उसके बाद में 25-5-74 को जिलों की नाकाबन्दी की गई, 12 जुलाई को नाकाबन्दी की। 12 जुलाई को नाकाबन्दी की और व्यापारी किसानों के माध्यम से व्यापार करता रहा, सरकार को लेवी नहीं चुकायी। तो उन्होंने एक चीज और निकाली, डीहोर्डिंग के तहत किसानों को कहा कि किसान 30-30 क्विन्टल से ज्यादा होर्ड नहीं कर सकता, ताकि वह व्यापारी को दे दे। यह बात सही है कि यह किसान के हित में नहीं है, यह व्यापारी के हित में निकाला क्योंकि किसान को जबर्दस्ती बाजार में बेचना पड़ा।

(श्री रणजीतसिंह)

उसकी हालत यह नहीं है। व्यापारी ने फिर सरकार को धोखा दिया और किसान के नाम पर गेहूं बाजार में बेचा और लेवी बिल्कुल नहीं दी। एक तरफ सरकार के भय के मारे किसान ने बाजार में चीज फेंक दीं, दूसरी तरफ उसका फायदा भी उपभोक्ता को हुआ नहीं और सरकार के पास लेवी आयी नहीं। तो उन्होंने 11-6-74 को काश्तकार पर लेवी लगा दी। एक तरफ काश्तकार का बाजार में माल फिकवा दिया, दूसरी तरफ काश्तकार पर लेवी लगाई। दुखद बात यह है कि जो काश्तकार सरकार को सहयोग देना चाहता है, जो सरकार काश्तकार के जरिये से बनी है, वही सरकार ने काश्तकार को चूसने के लिए, बड़े व्यापारी को फायदा पहुंचाने के लिए क्या-क्या धन्धे इस डीहोर्डिंग एक्ट में नहीं किये। मेरा निवेदन है, सरकार चाहती है लेवी लेना, काश्तकार लेवी देना चाहता है, जैसा शंकरलालजी ने कहा कि आप एक तरह कर दीजिये, यदि आप लैंड रेवेन्यू लेना चाहते हैं तो वह कैश में न करके काइन्ड में करिये

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

अभी समाप्त करता हूं।

उससे क्या होगा, जो जो बड़े काश्तकार, जो हाथ से खेती नहीं करते हैं, जो जमीन की होर्डिंग कर रहे हैं, वह पटवारी से मिल कर गिरदावरी कराते हैं, उनको उस रूप में लेवी देनी पड़ेगी। फिर बोने के रूप में काश्तकार फिर कुछ उनसे लेगा और उस पर वजन नहीं पड़ेगा। वरना आज हालत क्या है, आज जो काश्तकार कुए से पानी निकालता है, उसके लिए आगे आने वाला समय बड़े संकट का समय है, आगे आने वाला समय राजस्थान के लिए बड़े संकट का समय है। उसके लिए सब माननीय सदस्यों को मैं चेतावनी दे दूं कि राजस्थान की विद्युतीकरण की हालत बहुत खराब है। राजस्थान के अन्दर जिन जिलों के अन्दर पम्पिंग सैट चल रहे हैं, जालोर, पाली, जोधपुर की तरफ और दूसरी तरफ जहाँ इलेक्ट्रिफाइड नहीं गांव, वहां की हालत इतनी खराब है कि 1973 में जो क्रूड आॅइल का 427 रुपये हजार लीटर का भाव था, उसका आज 929 रुपये का भाव है। जो तेल का भाव था, 400 रुपये आॅइल का भाव था, मोबिल आॅइल का, उसके 2,300 रुपये हो गये हैं। वह भी हर उस क्षेत्र में न पहुंच सकेगा, फिर काश्तकार को भय रहेगा, सरकार लेवी लेगी। लेवी लेने के साथ सरकार ध्यान काश्तकार की तकलीफों की तरफ देती है तो ही काश्तकार खेती करेगा। एक तरफ अकाल पड़ने वाला है, दूसरी तरफ जो साधन हैं खेती के वह मंहगे हो जायेंगे तो वह उत्पादन नहीं कर सकेगा। फिर उत्पादन नहीं होगा और आप भारत सरकार की तरफ ताकेंगे तो वहां से भी अनाज मिलेगा नहीं, वैसे भी धीरे-धीरे उसमें कटौती होती जा रही है। इस प्रकार पोस्ट आॅफिस का काम आप कब तक कर सकेंगे? इसलिए आप इस सबसे बड़ी इण्डस्ट्री की तरफ ध्यान दें

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

एक मिनिट।

जोधपुर के अन्दर इण्डस्ट्रीज वाले इण्डस्ट्री लगाते हैं तो उनको 15 पर्सेन्ट की छुट देते हैं। 15 पर्सेन्ट की कुछ जिलों के अन्दर छूट दे रखी है, जिन्हें पिछड़ा हुआ

(श्री रणजीतसिंह)

घोषित किया है इण्डस्ट्रीज के लिहाज से। फिर क्यों नहीं सरकार इस काश्तकार वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए काश्तकार को 25 पर्सेंट की छूट देती, जिसके जरिये से काश्तकार ऊंचा उठ सके और अनाज का उत्पादन करके आपकी सरकार को, जनता को, गरीब तबकों को अनाज मुहैया कर सके सस्ते भाव से। यह सरकार नहीं करेगी, वह बड़ी बड़ी इण्डस्ट्रीज वालों को देगी जिसको चिन्ता राजस्थान के भविष्य की नहीं है। वह क्या करेगा। वह फैक्ट्री लगायेगा वह कौनसी फैक्ट्री लगायेगा ? या तो लगायेगा लिपस्टिक की, होठों पर लगाने की, या चूड़ियों की। ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करेगा, उन चीजों पर सरकार छूट देगी। वह भी इन चीजों पर नहीं करेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि सब चीजों को काश्तकार को मुहैया करे। कैरोसिन, सीमेन्ट शहर तक आती है, यह भी गांवों में नहीं दे रहे है। एक सदस्य ने कहा कि गांवों के अन्दर (समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी) अभी खत्म कर रहा हूँ।

श्री सभापति : काफी समय हो गया है।

श्री रणजीतसिंह : दो किलो शक्कर मिल रही है। यह हमारी खाद्य समिति में, जोधपुर में चर्चा आयी। हमने पता लगवाया तो मालूम हुआ कि शक्कर बराबर मिलती है। लेकिन कलेक्टर ने व्यवस्था कर रखी है कि शहर में दो किलो दे दो और बाहर गांव में बसे हुए हैं उनको दो सौ, ढाई सौ ग्राम शक्कर दे दो और छुटकारा लेओ। मैं चाहता हूं कि काश्तकारों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाय, खाद्य मन्त्री जी तो काश्तकार सहयोग देने हेतु, राजस्थान की जो कठिनाई है उसको हल करने की कोशिश करेंगे, वरना समय निकल जायेगा, समय रहेगा नहीं, फिर विरोधी साथी जो हैं वह भी माफ करेंगे नहीं, कुछ कलंक तो आपको देंगे और कलंक हमारे पर भी लायेंगे, कहेंगे यह पार्टी के सदस्य थे, इनकी गलती है। हमारी गलती है। मैं चाहता हूँ कि क्रूड ऑइल वगैरह का मामला है, इसमें सबसे बड़ा टैक्स है, यह कम किया जाय, 20 पर्सेन्ट टैक्स ऑइल पर है....

श्री सभापति : काफी समय आपको दिया है। आप समाप्त करें।

श्री रणजीत सिंह : मैं चाहता हूं, खाद्य मन्त्री इन चीजों पर ध्यान दें, बिजली ज्यादा दें, क्रूड ऑइल दें इसकी रेट कम करके।

श्री शिवचरण माथुर : माननीय सभापति जी, समय को थोड़ा रेगुलेट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री सभापति : कोशिश कर रहा हूँ। माननीय सदस्य भी थोड़ी कोशिश करें तो हो सकता है।

श्री लूणाराम (डूंगरपुर) : सभापति महोदय, आज जो खाद्यान्न के सम्बन्ध में विचार विमर्श हो रहा है, उस सिलसिले में मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्यों ने एक ही प्रकार की समस्या का वर्णन किया है। प्रश्न यह है कि उत्पादन कम और खर्चा अधिक है। जनसंख्या बढ़ेगी तो खर्चा तो बढ़ेगा ही। उत्पादन हम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। यह सही है कि हमारे राज्य में कुछ प्राकृतिक समस्याएं हैं, जैसे दुष्काल,

(श्री लूणाराम)

फैमिन आदि य कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे खुद के द्वारा प्रस्तुत की हुई हैं। उदाहरण के तौर पर, लेवी हमने लगा दी लेकिन उसकी वसूली की कोई व्यवस्था सही नहीं बैठ पाई और उसके परिणाम स्वरूप दिक्कत हुई। इसी प्रकार शिकमी काश्तकारों की समस्या रही। कहीं नहर से पानी देने की हम अच्छी प्रकार से व्यवस्था नहीं कर पाये। तो ऐसी समस्याएं हमारी खुद की उपस्थित की हुई हैं।

हमने लेवी लगा ली, कोई ऐसा किसान नहीं है जो लेवी नहीं देना चाहता हो, कोई ऐसा राजनैतिक कार्यकर्त्ता नहीं जो लेवी की खिलाफत करता हो। लेकिन उसमें जो बुराइयां हैं उन पर हमें विचार करना चाहिये। उदाहरण के तौर पर, पिछले साल लेवी लगाई गई तो सभी को मांग-पत्र भेजा गया चाहे किसी के पास अनाज था अथवा नहीं। जिन किसानों के पास अनाज था ही नहीं, उनके पास मांग-पत्र भेजने से जो कठिनाइयां उनको हुई, उन पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया। फिर जिन लोगों ने लेवी नहीं दी, उनके खिलाफ सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। नतीजा यह हुआ कि गांव में जिसने लेवी दे दी उसको बेवकूफ बताया गया कि जब दूसरे लोगों ने लेवी नहीं दी, तो तुमने क्यों दी? लेवी उन्हीं पर लगानी चाहिये जिनके पास अनाज हो, और अगर किसी को कोई ऐतराज है तो उसकी पूरी तरह सुनवाई होनी चाहिये। लेकिन हमने लोगों को मांग-पत्र दे दिया और कह दिया कि इतने दिनों के अन्दर लेवी जमा करा दो। उन्होंने जवाब तक नहीं दिया; लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और दूसरी तरफ कलेक्टर ने कुछ लोगों को लेवी न देने पर गिरफ्तार करवा दिया। उसका परिणाम यह है कि आज कोई भी सार्वजनिक कार्यकर्त्ता ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता कि गांव में जाकर यह कहे कि लेवी देनी चाहिये। जिनसे कह कर के हमने लेवी दिलवा दी, वह कहते हैं जिन लोगों ने लेवी नहीं दी उनका आपने क्या कराया? लेवी आप लगाते हैं, वह उत्पादन की दृष्टि से लगावें। और लेवी वसूली का ही दृष्टिकोण न रखें कि जो कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा लेवी वसूल कर आयेगा उसको पुरस्कार दिया जायेगा। इसको पुरस्कार की तरह वितरण न करें। यह भी देखें कि किसान की समस्याओं पर भी विचार किया गया है अथवा नहीं।

एक उदाहरण यह भी देना चाहता हूं कि पिछले खरीफ के अन्दर जो लेवी वसूल की गई है उसके लिये जितना पैसा आपने पैट्रोल पर खर्च किया और जितना पैसा आपने प्रशासन पर खर्च किया, वह सारी रकम यदि आप बाजार से अनाज खरीदने पर ही लगाते तो जिस मूल्य में आपको लेवी का अनाज मिला है और जितना आपने यह सारा प्रशासन आदि पर खर्च किया है, वह दोनों को मिलाकर आपको आसानी से बाजार भाव में भी अनाज मिल जाता। जो पैसा आपने पैट्रोल और प्रशासन पर खर्च किया वह यदि आप किसान को देते तो आपको लेवी लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन आपने तो लेवी उस तरह से वसूल की जिस प्रकार से कोई टैक्स वसूल कर रहा हो। सभापति महोदय, इन सरकारी अधिकारियों ने लेवी के नाम पर बहुत अत्याचार काश्तकारों पर किया जिससे

(श्री लूणाराम)

आज ग्रामीण जनता में भयंकर असन्तोष छाया हुआ है। यहां पर सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने जखीरेबाजों के बारे में बात कही। उन्होंने कहा कि काश्तकार गेहूं छिपा के रखता है और जनता को देना नहीं चाहता। यह कहना गलत है। क्योंकि काश्तकार के पास इतना गेहूं या अनाज होता ही नहीं कि वह बचा कर रख सके। इसके अलावा दूसरी बात यह भी है कि अगर किसी काश्तकार के पास थोड़ा अनाज ज्यादा होता भी है तो वह खुद उसको नहीं रख सकता। क्योंकि दो साल के बाद वह अनाज पड़ा पड़ा खराब हो जाता है और उसमें जानवर पड़ जाते हैं। हां यह बात जरूर है कि चावल को वह रख सकता है लेकिन काश्तकार की आजीविका का साधन चूंकि काश्तकार का अनाज है वह उसे बाजार में बेच कर अपना काम चलाता है। उसके कोई तनख्वाह वगैरह तो आती नहीं, कोई भत्ता वगैरह उसको मिलता नहीं, वह तो बेचारा अपने अनाज को बेचेगा तभी तो उसकी आजीविका चलेगी। सभापति महोदय, मैं खाद्य मन्त्री से यह जरूर कहूंगा कि किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य तो जरूर मिलना चाहिए। यह बहुत ही गरीब तबका है और उसका आज तक शोषण ही होता आया है। आपको चाहिये कि उसे सस्ती दरों पर फर्टीलाइजर, सीमेन्ट, बीज आदि देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। आज काश्तकार को किसी भी प्रकार की सहूलियत उसे नहीं मिलती है उसे समय पर खाद नहीं मिलती, न पानी ही मिलता, सीमेन्ट नहीं मिलती, बिजली नहीं मिलती तो फिर उसे इसके लिए ब्लैक से साधन जुटा कर लाना पड़ता है जिससे उसको काफी खर्च हो जाता है और जो अनाज वह पैदा करता है वह बहुत महगा उसे पड़ता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि काश्तकार को आप राहत पहुंचावें ताकि उत्पादन बढ़ सके और अनाज के भाव भी नहीं बढ़ें। वरना आप उसे सस्ती दरों पर चीजें मुहैया नहीं करायेंगे तो वह सस्ती दरों से आपको अनाज कैसे देगा ? इसके अलावा एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा। माननीय मन्त्री महोदय जब से कृषि मन्त्री बने हैं इन्होंने राजस्थान में एक कृषि मेला लगवाया उसके लिये मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं। उस मेले में किसानों को आमन्त्रित किया गया था। वह इसलिए किया गया कि काश्तकार आपस में बैठ कर अपने विचार कृषि के बारे में व्यक्त करें। इसके अलावा जो कृषि में एक्सपर्ट्स थे वह भी वहां पर हाजिर थे। सभापति महोदय, उस मेले में किसान आपस में मिले और बाद में यह भी हुआ कि उन लोगों ने अपने अनुभव बताये। निश्चित तौर से किसानों के जो अनुभव थे वह उन कृषि एक्सपर्ट्स से ज्यादा अच्छे थे। फिर भी यह अच्छी बात है। ऐसे मेले आपको साल में एक दो बार जरूर लगाने चाहिये जिससे कि किसान लोग अपना उत्पादन बढ़ा सकें। इसके बारे में कुछ नयी बातें सीख सकें। दूसरी बात जो मैं, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं वह है कपड़े के बारे में। सभापति महोदय, हमारे यहां पर जिले में सन् 67 से जिला उपभोक्ता भंडार बना हुआ है और इसी प्रकार हर जिला स्तर पर राजस्थान क्रय विक्रय संघ की शाखायें हैं। आज इतने सालों से कपड़े की सप्लाई हो रही है लेकिन आज तक उपभोक्ता भंडार ने गांवों की जनता को कपड़ा नहीं दिया। सभापति महोदय, जिला स्तर पर जो क्रय विक्रय संघ है उनकी तहसील हैडक्वार्टर पर और

(श्री लूणाराम)

पंचायत समिति स्तर पर कोई ग्रामीण को-ऑपरेटिव सोसाइटीज बनी हुई नहीं हैं। सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन सोसाइटीज में उपभोक्ता भंडारों में ज्यादातर आपको शहर के आदमी मिलेंगे। इन क्रय विक्रय संघ का जो सम्पूर्ण कारोबार है वह इन सिटीज वाले लोगों के हाथ में हैं। इन लोगों ने कमेटियां बना रखी हैं और यही लोग कपड़ा तहसील हैडक्वार्टर पर और ग्रामीण क्षेत्र में भेजते हैं। पर असलियत यह है कि गांवों में आज तक कपड़ा नहीं पहुंचा है और यह लोग इस ग्रामीण क्षेत्र के कपड़े के कोटे को ऊपर से ऊपर ही बेच कर खा जाते हैं। सभापति महोदय, पिछले सालों तक तो यह पता ही ग्रामीण क्षेत्र की जनता को नहीं था कि उनके नाम का कपड़ा आता भी है। कारण यह है कि जिला क्रय विक्रय संघ की जो संबंधित ग्रामीण सहकारी समितियां बनी हुई हैं उनमें भी सिटीज के ही लोग हैं और यह लोग असलियत में ग्रामीण क्षेत्रों का सही प्रतिनिधित्व भी नहीं करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इन सोसाईटीज को भंग करके नये सिरे से तहसील हैडक्वार्टर पर मार्केटिंग सोसाइटीज बनाइये और ऐसी पंचायत समिति स्तर पर ग्रामीण सहकारी सोसाइटीज बनाइये और नीति अपनाइये कि हर छः माह में एक बार वहां पर कपड़ा भेजा जावे ताकि उन लोगों को प्राप्त हो सके। अगर नहीं करेंगे तो इन क्रय-विक्रय संघ के जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र के कोटा को बेच कर उसका अनुचित लाभ उठायेंगे। सभापति महोदय, उनके दलाल हैं जो कि ऊपर से ऊपर ही कपड़ा बेच कर लाखों रुपये का अनुचित लाभ उठाते हैं। सभापति महोदय, इसके अलावा भी क्रय विक्रय संघ में कई प्रकार की चीजें कन्ट्रोल रेट पर आती हैं वह भी ग्रामीण क्षेत्र की जनता को दिलायी जानी चाहिये।

इसके अलावा, सभापति महोदय, तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वह है केरोसिन के बारे में। सभापति महोदय, आज गांवों में केरोसिन बिल्कुल नहीं मिलता है और कहीं-कहीं पर मिलता है तो वह पांच या अधिक आदमियों के कार्ड पर सिर्फ दो लीटर शहरी लोगों को और बाकी ग्रामीणों को एक लीटर। तो सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के लोग बेचारे दस-दस मील से चलकर आते हैं उन्हें अगर आप एक लीटर या दो लीटर ही तेल देते हैं तो यह तो बहुत कम है। इसके लिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कम से कम पांच लीटर तेल दें। आज आप शहरी जनता को पांच लीटर दे रहे हैं तो ग्रामीण जनता को आप पांच लीटर क्यों नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा कम से कम उस क्षेत्र में जहां कि बिजली नहीं है उन ग्रामीण क्षेत्र में तो आपको अधिक से अधिक ज्यादा मात्रा में केरोसिन देना चाहिये ताकि वह लोग अपनी झोपड़ियों, मकानों में उजाला कर सकें। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय मेरी इस बात पर विचार करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र की जनता के लिए केरोसिन की मात्रा बढ़ाने की कृपा करेंगे। सभापति महोदय, शहरों में तो बिजली भी है, ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह बिजली नहीं है उन्हें मानवीय दृष्टिकोण से भी आपको केरोसिन की मात्रा अधिक देनी चाहिये।

सभापति महोदय, आपको एक बात जो निवेदन करना चाहता हूं वह है कोयले

(श्री लूणाराम)

के बारे में। आज गांवों में कोयला नहीं मिलता है, सीमेन्ट नहीं मिलती है इसको भी आप ज्यादा से ज्यादा दिलाने की कृपा करें। हालांकि आपने अपने नोट में लिखा है कि कोयले की कमी है। लेकिन ऐसी व्यवस्था होनी तो चाहिये कि जिससे लोग अपना चूल्हा जला सकें। इसके अलावा इतनी सीमेन्ट तो मिलनी चाहिये कि वह अपना मकान ठीक ढंग से सुधार सकें। आज, सभापति महोदय, ईंटे पकाने को कोयला नहीं मिलता, इससे कई घर अधूरे पड़े हैं। इसके अलावा यह भी होता है कि कोयला के अभाव में ग्रामीण लोग जंगल के वृक्षों को काट कर ईंट व चूना पकाते हैं जिससे हमारे देश की वन सम्पदा नष्ट होती है। खाद्य मन्त्री महोदय को मेरा निवेदन है कि वह कोयला ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र की जनता को दिलाने की व्यवस्था करावें। इसके अलावा मैं एक बार यह और निवेदन करना चाहता हूं कि यह सभी कार्य कोआॅपरेटिव सोसायटीज के जरिये करायें जायं, सहकारी मन्त्री जी बैठे हैं उन्हें मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज जितनी भी कोआॅपरेटिव सोसाइटीज बनी हैं उनको जिला उपभोक्ता भंडार का सदस्य बनाया जाय और उसमें ग्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व हो, ऐसी व्यवस्था करावें। आज जो उपभोक्ता भंडार जिला स्तर पर हैं उनमें भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों का ज्ञान हो, ही रखा जाय ताकि गांव वालों के दुख-दर्द को वह समझ सकें और उन्हें सही मायने में राहत मिल सकें अगर ऐसा नहीं हुआ तो, सभापति महोदय, आज गांव वालों को पता तक नहीं चलेगा और माल ऊपर से ऊपर गायब हो जायगा। इसलिए आप मेरे दिए गए सुझावों पर अमल करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र की जनता को राहत मिलेगी। बस मुझे इतना निवेदन करना है और, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे जो सदन का अमूल्य समय दिया उसके लिए आपका आभारी हूं।

(9.45 रात्रि)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के बोलने खड़े होने पर) माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। समय कम है माननीय मन्त्री जी भी तो उत्तर देंगे।

श्री रामकुमार : उपाध्यक्ष महोदय, कोटा, बून्दी और झालावाड़ जिले ने राज्य सरकार को सबसे ज्यादा लेवी दी है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष महोदय ने ऐसा मुझे कुछ संकेत दिया है कि वह पश्चिमी राजस्थान की समस्याओं के बारे में अलग से आगे किसी दिन समय देने वाले हैं अतः उक्त समय अपने विचार व्यक्त कर लें सभी माननीय सदस्य तो ठीक रहेगा।

(व्यवधान ! अश्रव्य !)

स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य !

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि वह सभी लोग खास तौर से लेवी के बारे में बोलेंगे या सीमेन्ट खाद वगैरहा के बारे में। वैसे तो कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की कठिनाइयां इन मुद्दों पर रख दी है। मैं

(श्री शिवचरण माथुर)
समझता हूं आप लोग भी यही कहेंगे । तो मेरा निवेदन है कि समय काफी हो गया है ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सिर्फ 5-5 मिनट दे दें ।

श्री शिवचरण माथुर : मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है काफी समय हो गया है । थोड़ा समय का ध्यान रखें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा मुझे निवेदन करना है ।

श्री रामकिशन : गिरधारीलाल जी तो जयपुर की जनता को 15 किलो गेहूं और 5 किलो चीनी दिलाने की कहेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

श्री शिवचरण माथुर : आप पॉइन्ट पर ही कहना ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : बिलकुल पॉइन्ट पर ही कहूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, लेवी और खाद्य स्थिति के बारे में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं । पहले मैं लेवी के सम्बन्ध में विचार प्रकट करूंगा ।

लेवी के बारे में जब डिस्कशन हुआ है तो विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि जब काश्तकारों से लेवी लेना चाहते हैं तो अपने को यह तय करना चाहिये कि बड़े-बड़े जागीरदार, राजा महाराजा, और बड़े-बड़े काश्तकार हैं, उनसे जो वे प्रोडक्शन करते हैं, लेवी नहीं लेते हैं तो दूसरे सारे किसानों पर बहुत बुरा असर पड़ता है । वे कहते हैं कि जो ताकतवर हैं उनसे तो आप वसूल नहीं करते हैं । वे लेवी न दें तो आपको उन के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिये । कानून को सख्ती से लागू करना चाहिये ।

दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं लेवी वसूली के सम्बन्ध में कि जिला प्रशासन जो है वह जन प्रतिनिधियों को विश्वास में नहीं लेता है इस कारण ये समस्यायें पैदा होती हैं । बाड़मेर में कलेक्टर ने पंचायत समिति और जिला परिषद् को कॉन्फिडेन्स में लिया तो लेवी भी अच्छी वसूल हो गयी और ऐसी घटनायें भी नहीं घटीं । मैं चाहता हूं कि जब यह स्थिति है तो जन प्रतिनिधियों को विश्वास में लेने के लिये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रोक्योरमैन्ट कमेटीज का गठन कर दिया जाना चाहिये । अगर डिस्ट्रिक्ट में एडवाइजरी कमेटीज का फॉर्मेशन हो गया जो फोर्टनाइटली मीट करे, कोई वहां ऐसी अन्याय और जुल्म की समस्या आ गयी है तो उस पर डिस्कशन करके उसमें तय किया जायगा तो लेवी की वसूली में अन्याय नहीं होगा और शक्तिवान जो लेवी वसूल नहीं होने देना चाहते हैं और न ही लेवी देना चाहते हैं उनसे लेवी भी वसूल हो सकेगी ।

एक माननीय सदस्य : कोरम नहीं है साहब हाउस में ।

श्री उपाध्यक्ष : May I adjourn the house now ?

श्री रामकिशन : यह रिजोल्यूशन है । सरकार गिर भी सकती है ।

श्री फूलचन्द जैन : सम्हालने वाले मौजूद हैं।

(गण-पूरक-सूचक-घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : कोरम हो गया।

मेरा यह विचार था कि कोरम का अभाव है और एक भी माननीय सदस्य प्रस्थान कर गये तो कोरम का अभाव हो जायगा इसलिये माननीय मंत्री जी को सुन लीजिये। जो भी मुद्दे रखने थे वे तो सब ही रख दिये गये हैं।

श्री रामगोपाल : माननीय मंत्री जी, दो तीन बात बता दीजिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं कुछ भी बोला नहीं। कम से कम मुझे समाप्त तो करने दीजिये। दो मिनिट में ही खत्म कर देता हूं।

राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके के लिये लेवी की वसूली के लिये 75 बीघा या 50 बीघा तक एक्जेम्प्शन्स लेवी के सम्बन्ध में करने चाहिये। सिंचित क्षेत्र की तरह डेजर्ट एरिया का नहीं रखना चाहिये।

सीमेन्ट के बारे में निवेदन है कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में यह हालत है कि व्यापारी एक बोरी सीमेन्ट का दो बोरी कर देता है। इस प्रकार आधा सीमेन्ट दिया जाता है। यह बात कलेक्टर के नोटिस में लायी गयी है। जब सीमेन्ट प्राप्त हो और आधा ही बोरा मिले तो व्यापारियों के खिलाफ कदम उठाने चाहिये, उनके लाइसेन्स जब्त करना चाहिये और उनको इसेंशियल कॉमडिटी एक्ट के अन्तर्गत चालान करना चाहिये और कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामगोपाल।

श्री रामगोपाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी स्पष्टीकरण करें कि आपने एक हैक्टर जमीन में एक क्विन्टल लेवी निर्धारित की है, वह गलत है। 6 बीघा में पैदा होना चाहिये तब ही 1 क्विन्टल दिया जा सकता है। नहीं तो एक क्विन्टल लेवी वसूल करने के बाद तो उस किसान के पास तो कुछ भी बचता नहीं है इसलिये यह वसूली गलत है।

दूसरी चीज यह है कि लेवी वसूली में काफी सख्ती बरती गयी है। तहसीलदार ने जाकर किसानों के घरों पर घेरा लगा दिया आर. ए. सी. के लोगों को लेकर लेवी वसूली की। कोटा में पीपलदा तहसील है। वहां मि. कक्कर हैं। वे आर ए. सी. के दो चार ट्रक भर कर ले गये और वहां पर गावों के अन्दर उन्होंने घेरा डाल दिया। किसानों के सम्मान को बड़ा आघात पहुँचा और यह उनके साथ अन्याय किया गया।

तीसरी बात यह है कि आपके पटवारी हैं उन्होंने गलत नोटिस दे दिये। कई जगह तो गलत रिपोर्ट्स दे दी गयीं और किसानों से लेवी वसूल करली गयी। जो लेवी वसूल की गयी वह न तो तुलाई और न ही पैसा दिया किसानों को।

नीचे के अधिकारियों ने फार्मी गेहूं इकट्ठा किया और उसको कल्याण सोना गेहूं में बदल दिया। फार्मी गेहूं को उन्होंने बेच दिया और पैसा खा गये।

इस प्रकार काफी अनियमिततायें की गयी हैं जिससे किसानों के अन्दर बड़ा भारी असंतोष है। किसानों के साथ सरकार द्वारा

(श्री रामगोपाल)
लेवी वसूली में जो ज्यादती बरती गयी है उसके लिये सरकार उनकी क्या मदद करना चाहती है ताकि किसान संतुष्ट हो सकें ?

श्री गौरीशंकर मुनीम (खानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो बहुत से विधायक बोल गये हैं, मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। इतना भर कहूंगा कि खाद्य मन्त्री जी लेवी वसूल करने में, व्यापारियों से वसूल करने में असफल रहे हैं। आपने किसानों से भी लेवी ली पर उसमें भी अधिक सफल नहीं हुए। इसका कारण मैं बताता हूं। जब कन्ट्रोल का गेहूं 76 में बिकता था तो आपने 105 के भाव बांध दिये किसानों से लेने के और बाजार में उपभोक्ताओं को देने के लिये सरकार ने 136 रुपये की रेट बांधी। अगर सरकार 136 रुपये की रेट सितम्बर तक बांधती तो किसान 105 में उसको इतना अनाज देता कि उसके पास लेने और रखने को जगह नहीं मिलती। अपने लिये तो दिक्कत सरकार ने खुद ने खड़ी की। अपने सड़े-गले अनाज की देने की रेट तो 136 तय की और किसान का ताजा और बढ़िया गेहूं खरीदने की रेट 105। यह भेदभाव क्यों किया ? आपने क्या किसान को इतना बेवकूफ समझा था ? यही कारण है कि आपको लेवी नहीं मिली। न व्यापारियों ने दी और न किसानों ने। यह बात अलग है कि जोर जुल्म से आपने बाद में किसानों से थोड़ी बहुत लेवी ले ली पर वह भी बहुत थोड़ी ही ले पाये। जोर जुल्म का पाप आपके मत्थे पड़ा वह अलग। तो आपकी कमजोर और गलत नीति से आपकी लेवी की बात असफल हुई।

दूसरी बात आप गल्ला लेकर रखे जा रहे हैं। आपको यह पता ही नहीं कि आपका कितना गल्ला सड़ रहा है। आप वह सड़ा हुआ गल्ला जनता को बांट रहे हैं और वह भी एक किलो, कहीं दो किलो और किसी को तो वह भी मिलता ही नहीं। इससे आपकी बदनामी हो रही है। असन्तोष और गुस्सा भी लोगों में फैल रहा है। हम लोग जब जाते हैं तो यह हम सबको सुनना पड़ता है। क्या करें। मालूम है आपको अगर आपकी ऐसी ही गलत नीति रही तो आइन्दा लेवी लेने में आपको और भी अधिक कठिनाई होगी।

दो चार बातें और बता दूं। जिस ढंग से आपने वसूली की है लेवी की किसान उस तरीके से खुश नहीं है। आप तो बंगलों में विराजते हो यहां शहरों में। हम जाते हैं गांवों में। हमें कैसी-कैसी सुनाते है किसान आपको क्या मालूम ? हमारी खाल खींचते हैं। कृपा करके आप जरा ठीक ढंग से बर्ताव करिये।

जो वसूली भी की गई है ज्यादातर गरीब किसानों से की गई है। आज भी कोटा डिविजन में इतना गल्ला भरा हुआ कि सारे राजस्थान को 6 महीने तक खिला सकता है। पर वह वसूल करने की आपके पास ताकत नहीं है। आप तो गरीबों से वसूल कर सकते हैं। आपकी यह सारी मशीनरी उन बड़े बड़े किसानों से मिली हुई है। ये जितने भी हैं आपके अधिकारी सब आपको और इस सरकार को और कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। आपको यह मशीनरी आपका साथ नहीं दे रही है। आप मानो चाहे न मानो। आपको बुरा तो लग रहा होगा। पर मैं पूछता हूं आप इस निकम्मी

(श्री गौरीशंकर मुनीम)

मशीनरी पर ही क्यों निर्भर रहना चाहते हैं ? यह तो आपको बहुत बदनाम करके छोड़ेगी। सबके साथ इनके कहने में, बहकावे में आकर आप बुरा बर्ताव मत करो। बड़े किसानों से आप पहले लीजिये।

श्री **मीठालाल** : आप डरो मत, सब कहे जाओ, आप नाम भी बताओ वे बड़े कौन कौन हैं ? ये किन किन को भारतीया बनावेंगे ?

श्री **गौरीशंकर मुनीम** : फिर आप बहुत बड़ी गलती और करते हैं। झालावाड़ का गल्ला तो भेजते हैं बीकानेर और जोधपुर गंगानगर गेहूं झालावाड़ में ला कर देते हो। इससे बेकार ही सरकार का ट्रांसपोर्ट पर खर्च लगता है। वहां का गल्ला वहां ही दिया जाय तो यह ट्रान्सपोर्ट का लाखों रुपया बच सकता है और गल्ला लाने व लेजाने में काफी गल्ले का नुकसान होता है रेल्वे के वैगन वैसे भी दूसरे कामों से लोगों को नहीं मिलते। आपके पास इतने बड़े बड़े सक्रेटरी हैं दो-दो हजार की तनख्वाह आप उनको देते हैं उनका इतना सा दिमाग भी नहीं है क्या ?

मेरा क्षेत्र अच्छा है, काफी गल्ला उपज सकता है। पर आप वहां जो हम मांगते हैं वह पूरा करना नहीं चाहते। आप बड़े-बड़े बान्धों और कामों के लिए पचास करोड़, सौ करोड़ और पांच अरब का तो इन्तजाम करेंगे पर वहां एक पचास लाख लगा कर बांध के काम को पूरा नहीं करना चाहते। उसे अधूरा पटक रखा है। अगर पचास लाख और आप उस पर खर्च कर दें तो अकेला खानपुर आपको इतना अनाज दे सकता है कि आपको लेवी के लिये कहीं भटकना ही नहीं पड़े। पर साधन जुटाने की चिन्ता आप नहीं करते। क्योंकि उस क्षेत्र से बोलने वाला कोई नहीं है। मिनिस्टर भी उधर का नहीं है। है भी तो वह अपने अपने क्षेत्र की सोचते है। छोटी जगह की कौन सोचे।

दूसरी बात है एफ. सी. आई. की। उसकी नीति बहुत खराब है। मेरे क्षेत्र में गल्ला लिया इन्होंने, पर उसका पैसा किसानों को आज तक नहीं दिया अब वे क्यों नहीं देते हैं ? आप उनसे मोह मत करिये। उनसे जवाब लीजिये। आपको कड़वी तो लग रही होगी मेरी बात। पर सच्ची बात कड़वी ही लगती है। विरोधी पार्टी तो फिर भी तिल का ताड़ बनाकर कहती है। पर मैं तो आपको बिलकुल सच्ची ही कह रहा हूं।

श्री **रामकिशन** : यह क्या कह दिया मुनिम जी आपने ?

श्री **गौरीशंकर मुनीम** : आप जितनी बातें कहते हैं बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं।

श्री **रामकिशन** : यह सही कह रहे हो क्या ?

श्री **मीठालाल** : आप तो सेर के सवा सेर हो रहे हैं।

श्री **रामकिशन** : फिर तो आपका बुढ़ापा बेकार है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री **गौरीशंकर मुनीम** : घन्टी बज रही है। इसलिए माफ करना। आप सुनेंगे तो कहूंगा, नहीं सुनेंगे तो जबर्दस्ती नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

आज जो जयपुर शहर की कठिनाइयां हैं वे कहनी हैं। आपके हुक्म का पालन करता रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन यह करना है कि अनाज वितरण की व्यवस्था माकूल नहीं है।

मैं मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि जिस समय दूध के भाव सस्ते थे पिछली बार भी, मावे और छैने पर आपने क्यों रोक लगाई? क्या आवश्यकता थी? और फिर जब रोक लगा ही दी तो फिर खोली क्यों? आपके रोक खोलते ही जयपुर में दूध के भाव आज चार और साढ़े चार रुपया किलो हो गये हैं। मैं पूछता हूं इसमें क्या औचित्य है? सरकार ने क्या सोच कर तो रोक लगाई और कौनसी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई कि उसको खोल दिया?

दूसरा मेरा प्रश्न यह है आपसे कि जिस आधार पर जितना भी राशन आप देना चाहते हैं वह आप बराबर दें। जयपुर शहर में जब आपकी इतनी भारी अव्यवस्था है, तो दूसरे शहरों की तो बात ही क्या है? यहां सभी लोगों को अभी तक राशन कार्ड भी नहीं मिले हैं। काफी लोगों के पास अभी तक भी पुराने ही राशन कार्ड हैं। जयपुर में कई ऐसे पुराने परिवार हैं जो राशन कार्ड बनाने के लिए दर-दर की ठोकरें आज खा रहे हैं। एरिया ऑफिस सुनता नहीं; कलेक्टरी सुनती नहीं। एरिया ऑफिस जाओ तो कहते हैं कलेक्टरी जाओ और जब कलेक्टरी जाते हैं तो वहां वाले कह देते हैं एरिया ऑफिस जाओ। आप जो कुछ देना चाहते हैं वह क्यों नहीं ठीक ढंग से दे देते हैं? राशन कार्ड को आपने भगवान बना दिया है। रोज सुबह लोग अगरबत्ती जला कर पूजते हैं कि भगवान आज क्या मिलने वाला है। आज मिट्टी का तेल मिलेगा, कपड़ा मिलेगा या चीनी मिलेगी या गेहूं मिलेगा। कौनसी चीज आज हमें मिलने वाली है। किन्तु वह भगवान तो उनसे रूठा हुआ है ये सब चीजें उसके नसीब में नहीं हैं।

राशन कार्ड का वितरण ठीक नहीं। विद्यार्थी जो यहां पढ़ने आते हैं, कुछ मरीज भी यहां आते हैं उनकी सम्भाल करने वाले लोग भी कुछ समय के लिए यहां आते हैं। कई राज्यों में उनको टेम्प्रेरी परमिट मिलता है यहां तो उस प्रकार की भी कोई व्यवस्था नहीं है। टेम्प्रेरी परमिट की कोई व्यवस्था नहीं फिर वे लोग जायें तो कहां जायें। वे भी हमारे यहां के नागरिक हैं उनका भी उतना ही हक है। वे कहां से किस प्रकार की व्यवस्था करें, यह भी आप नहीं कर सकते हैं। जो कुछ सरकार देती है उसका भली प्रकार उपयोग हो इतना तो सरकार को देखना चाहिये। मैंने निवेदन किया लोगों के पास राशन कार्ड नहीं हैं, इसलिए राशन कार्ड बनाने की पद्धति को सरल करें।

श्री शिवचरण माथुर : दूसरे प्रदेशों में भी....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हां, दूसरे प्रदेशों में इस प्रकार की व्यवस्था है। कानपुर में है, लखनऊ में है, एम. पी. में है। टेम्प्रेरी परमिट बनते हैं और जब उनका काम हो जाता है तो सरेण्डर करके चले जाते हैं। यहां तो जो महीनों से रह रहे हैं उनको भी राशन कार्ड नहीं है। यह कृत्रिम अभाव किस प्रकार का है। राशन की दूकानें

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

213 हैं, इसके अलावा कई दुकानें प्रभावशाली राजनेताओं की हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक एक व्यक्ति के पास 6-6 8-8 दुकानें हैं। एक ही व्यक्ति की पांच दुकानें पुरानी बस्ती में हैं। लोगों को परेशान करता है। राशन की चीजें लेने जाते हैं तो कहता है जाओ, नहीं दूंगा, 19 नम्बर की दुकान। सेक्टर वाईज दुकानें नहीं बनाते और एक ही व्यक्ति को एक से अधिक दुकानें दे रखी हैं फिर दूसरे महिनों से सस्पेन्ड पड़ी हैं। अगर एक दुकान सस्पेन्ड हो गई तो दूसरी दुकान की व्यवस्था करनी चाहिये, और सस्पेन्ड दुकानदार को फौरन दूसरे से बदला जाय और जिनकी एक से अधिक दुकानें हैं, मैं समझता हूं मन्त्री महोदय उन सबको कैन्सिल करें।

माननीय मंत्री महोदय, राशन की मात्रा का भी मैं अभी यहां जिक्र करना चाहूंगा। तीन किलो राशन से पेट नहीं भरता है। दो किलो 800 ग्राम दाना एक मुर्गी को पेट भरने के लिये चाहिये। इसके अलावा वह कीड़े और मकाड़े और खाती है। आखिर एक आदमी को तीन किलो देकर उसका पेट भरना चाहते हैं? तराजू में तोल कर यह बता दें, 10 पैसे के सिक्के एक तरफ डाल दें और अनाज एक तरफ रख दे तो आपको सब कुछ मालूम हो जायगा। दो टाइम उसमें कोई भी इन्सान पेट नहीं भर सकता है। मैं समझता हूं यह मात्रा अपर्याप्त है। यह मात्रा जो तीन किलो दे रहें हैं, उस समय चार किलो की बहस कर रहे थे और जब चार किलो की बहस कर रहे थे तो तीन किलो कर दिया और अब डर यह है कि तीन किलो की बहस कर रहे हैं तो कल कहीं दो किलो की घोषणा न हो जाय। और उसको भी आप समय पर नहीं देते हैं। प्रथम सप्ताह में तीन किलो अनाज भी मिल जाय तो अच्छा हो। लेकिन वह अनाज भी खाने लायक मिले, उसको भी सड़ा-गला कर देते हैं। उसमें कचरा और गोबर मिला होता है। जो भी अनाज राशन की दुकानों पर गेहू मिल रहा है वह सड़ा-गला मिल रहा है। इसका मेरे पास नमूना है। कई बार वह गेहूं का नमूना दिखाया है। अब मैं उसको सदन में रखना भी आवश्यक नहीं समझता हूं।

12 तारीख को राशन देने की घोषणा की, लोगों ने पैसे जमा करायें और 14-15 तारीख तक आपने बांटना शुरू किया और वह भी पूरा नहीं। दुकानदार को चाहिए 100 बोरी और आप देंगे उसको 25 बोरी और फिर आप दुकानदार को चोर बतायेंगे। जयपुर में खूब झगड़े हुए हैं। काफी मार पिटाई हुई है। दुकानदार ने क्या बिगाड़ा है, उसको मैं समझता हूं एक बोरी नहीं बचती है, उसको इतना कम कमीशन मिलता है कि वह अपना पेट नहीं पाल सकता है और उसके बावजूद भी आप दुकानदार को बेईमान साबित करना चाहते हैं। यदि हाथा पाई का काम हो तो आप उसका साथ भी नहीं देते हैं। उसको पूरा अनाज नहीं देते और फिर गिरफ्तार करवायेंगे। 28 तारीख को उसको 100 बोरी देनी चाहिये और देते हैं 25 बोरी और यह कह कर देते हैं कि सफेद गेहूं है। अब जिसने महीने भर गेहूं नहीं लिया है तो वह जायगा और अपना गेहूं मांगेगा, दुकानदार किसी तरह उसको दो-तीन का बहाना दे देगा और उसको गेहूं नहीं मिलेगा। तो आपकी यह नीति है कि 28 तारीख को सफेद गेहूं देकर दुकानदार को खुश कर दो चाहे जनता को वह मिले या

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

नहीं मिले। महीने के प्रथम सप्ताह में नहीं दे तो अन्तिम सप्ताह में क्रय शक्ति नहीं रहेगी और जब ऐसी हालत में दुकानदार नहीं देगा और बाजार से 200 रु. बोरी लेकर खायेगा तो वह आपको क्या कहेगा।

तीन किलो की भी आप क्यों बात करते हैं और क्यों घोषणा करते हैं। यह भी मत दीजिये वह तो लाचार होकर बाजार से जो भाव मिलेगा लायेगा। आप इन्कार कर दीजिये हमारे पास अनाज नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं। जितना महंगा मिलेगा, खायेगा। केवल मात्र तीन किलो देने की बात करें वह भी समय पर नहीं दें, महीने के प्रथम सप्ताह में नहीं मिले इससे अधिक खेदजनक बात और क्या हो सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय दो-चार मिनिट का समय दीजिये। मैं पुनरावृत्ति नहीं कर रहा हूं।

मेरा निवेदन है 10 किलो मिलना चाहिये और प्रथम सप्ताह में मिलना चाहिये, चीनी की मात्रा पूरी मिलनी चाहिये। 325 ग्राम चीनी आप देते हैं, उससे होता क्या है। उसके अलावा आप होली की चीनी देते नहीं, दीवाली की चीनी देते नहीं, रक्षा-बन्धन की चीनी आप देते नहीं, ईद की चीनी आप देते नहीं। किसी भी त्यौहार की जब चीनी नहीं मिलती है तो फिर यह नाम मात्र का ढोंग क्यों मचा रखा है। चीनी की मात्रा बिलकुल अपर्याप्त है। एम. एल. ए. के लिये मिट्टी का तेल मिलेगा और चार डिपो जयपुर शहर में खोले जायेंगे। लेकिन वह आज तक नसीब नहीं हुआ है और न ही कोई डिपो खुले हैं, केवल जौहरी बाजार में एक डिपो लगाया है और उस पर भी नसीब नहीं हो रहा है। जो सैक्टरवाइज व्यवस्था की है वह सफल नहीं हुई है।

कोयले के जयपुर में केवल तीन स्थान हैं जहां सस्ते दामों पर मिलता है। अब क्या जयपुर शहर के लिये तीन स्थान उचित समझते हैं? जो बेईमान लोग कोयले के वैगन के वैगन गायब कर देते हैं उनके खिलाफ तो आप कोई कार्यवाही करते नहीं हैं और छोटे छोटे दुकानदारों को तंग करते हैं। मैं समझता हूं कोयले का वितरण वार्ड-वाइज करना चाहिये और अगर वार्ड-वाइज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम चौकड़ी वाइज तो किया ही जाना चाहिये। मिट्टी का तेल मिलता नहीं, गैस का सिलेन्डर मिलता नहीं आखिरकार क्या करें। कोयला उचित भावों पर मिलता नहीं तो स्टोव ही सुलगायेगा इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं यह जो वितरण प्रणाली है इसमें आप सुधार कीजिये।

यह जो मोटा कपड़ा देते हैं इसके लिये जयपुर में केवल 2-3 स्थान हैं जबकि जयपुर शहर में 120 कच्ची बस्तियां हैं उन लोगों को मोटा कपड़ा चाहिये और वह उनको आसानी से उपलब्ध होता नहीं इसके लिये भी प्रत्येक चौकड़ीवाइज व्यवस्था करने की कृपा करें।

सीमेन्ट की भी यही स्थिति है, सीमेन्ट मिलता नहीं है कुओं के लिये सबसे पहले सीमेन्ट मिलनी चाहिये। अगर कुओं के लिये आपने सीमेन्ट नहीं दी तो यह कृषि प्रधान देश है उत्पादन पर इसका बहुत बुरा असर

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

पड़ेगा। लाइन में खड़ा होकर जिसकी सामर्थ्य होगी वही ले सकेगा। वास्तव में जिसको आवश्यकता है उसको किसी प्रकार भी सीमेन्ट नहीं मिल पाती है और चोर बाजारी करने वाले सीमेन्ट को हड़प जाते हैं। इसके लिये जो सुन्दर व्यवस्था हो सके उस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिये। इसी प्रकार वनस्पति की भी व्यवस्था करें। मिल्क डेयरी के भी भाव बढ़ रहे हैं और आज कई माननीय सदस्य देशी घी ले जा रहे थे तब मालूम पड़ा यह जयपुर की दुग्ध योजना का नहीं है, हरियाणा से आया हुआ है। जयपुर की मिल्क सप्लाई स्कीम में देशी घी मिलता नहीं। दूध भी मिलेगा तो वह पानी मिला हुआ दूध मिलेगा। केवल चाय पीने के लिये दूध मिलेगा। वनस्पति घी परमिट पर देने की व्यवस्था की थी वह भी नहीं है। लोगों को मकानों की छतों पर डालने के लिये सीमेन्ट नहीं, घर में जलाने के लिये मिट्टी का तेल नहीं बेकरी वालों को आटा नहीं। पिछले दिनों बेकरी वाले बड़े परेशान हो गये। अब जरूर कुछ मिलने लगा है। राजस्थान की सैन्ट्रल जेल में लोगों को मिल से आटा नहीं मिल रहा है। जयपुर के कैदी जो बोल नहीं सकते हैं उनको लाल ज्वार की रोटियां खिलाई गईं। मिल में आटा नहीं पीसने के लिए। इस कारण उनको मजबूर होकर लाल ज्वार खानी पड़ी मैं समझता हूँ कि वह विद्रोह नहीं कर सकते। जेल के कैदी विद्रोह नहीं कर सकते। लाल ज्वार की रोटी आप उनको खिलाते है जिसको जानवर तक खाना पसन्द नहीं करते। ऐसी रोटी कैदियों को दी गई और वह आपकी गलती के कारण से दी गयी। लोगों को हॉस्पीटल में आटा नहीं मिला। जेल के कैदियों में असन्तोष, हॉस्पीटल के मरीजों में असन्तोष—यह सब आपकी गलतियों के कारण से हुआ।

इसी प्रकार से साबुन की भी लाइन लगेगी। आपके यहां सुरेश भूटानी और मोतीराम कंवरभान साबुन के बड़े डीलर्स हैं वहां भी लाल झन्डे वाले उनके गोडाउन्स पर कब्जा कर रहे हैं और एक-एक बट्टी लोगों को मिलेगी। वह बड़े डिपो वाले हैं जिनके पास पूरा सामान आता है और जिनको दूकानदारों को सप्लाई करना चाहिए और वह भी अलग-अलग चौकड़ियों में वितरण करना चाहिए ताकि लोगों को सुविधा से साबुन मिल सके लेकिन आपके निकम्मे वितरण के कारण लाल झण्डे वाले वहां बैठ जायेंगे और कहेंगे कि एक-एक बट्टी ले जाओ। उनके पास यदि स्टाक है तो वह बाजार में बेच सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि साबुन की बट्टी आज दो रुपये की मिलती है। आप बाजार से मंगाये तो आपको मालूम पड़ जायेगा कि कितनी मुश्किल से मिलती है और वह भी दो रुपये में जो सामान आपने जब्त किया आप उसके भी वितरण की व्यवस्था कीजिए। राज्य सरकार ने रेडियो पर प्रचार किया कि हमने छापे मारे लेकिन जो सामान जब्त किया हुआ हैं वह बाजार में जाना चाहिए और लोगों को मिलना चाहिए। उदयपुर में जिला रसद अधिकारी ने एक ऐसी दूकान पर छापा मारा जिसके अन्दर मूंगफली का तेल था। मूंगफली का तेल पकड़ा नहीं जाना चाहिए था लेकिन 110 पीपे तेल के पकड़ लिए। प्रादेशिक समाचार आया कि राज्य सरकार ने 18-7-74 को तेल के पीपे पकड़ लिये हैं। क्यों पकड़े? कोई कसूर था और किसी प्रकार की कोई बात

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

थी ? लेकिन मूंगफली के 110 तेल के पीपे पकड़ लिए मोहनदास घीसामल उदयपुर के यहां से और प्रादेशिक समाचार में समाचार आया कि एक बहुत बड़े व्यापारी के 110 पीपे तेल के पकड़े गये। मूंगफली का तेल कोई भी आदमी रख सकता है, उसके रखने पर कोई पाबन्दी नहीं है। बाहर उसने उसके भाव लगा रखे थे और पीपे लिखे हुए थे कि कितने पीपे स्टॉक में हैं। सरकार ने उसका चालान नहीं किया और 15 दिन तक उस आदमी को परेशान किया और अन्त में राज्य सरकार को मात खानी पड़ी और 15 दिन के बाद उसके तेल के पीपे वापिस लौटाने पड़े। इस तरह से प्रादेशिक समाचारों में वाहवाही लूटने को गलत प्रचार करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं समाप्त कर रहा हूं।

मैं अन्त में निवेदन करना चाहूंगा कि वही व्यक्ति 160 रुपये वाला पीपा 159 रुपये में बेच रहा था यानि एक रुपये कम में बेच रहा था लेकिन मधुसूदन वनस्पति प्रॉडक्ट्स, राजस्थान वनस्पति प्रॉडक्ट्स और एक और यह आपके तीनों चमचे हैं, जिनके पास स्टॉक रजिस्टर नहीं, जिनके पास कन्ट्रोल का सामान है—आपने इन सबको बख्शा क्योंकि यह आपको चन्दा देते होंगे। आपकी पार्टी के सदस्य होंगे। उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की। फिर 1-8-74 को प्रादेशिक समाचार आया कि एक व्यक्ति के यहां साबुन की बट्टियां पकड़ी गयी हैं। अब यदि मधुसूदन ब्रांड साबुन कोई बेचता है तो कोई गुनाह तो नहीं करता। उसकी प्राइस-लिस्ट उसने बाहर लगा रखी है, बाहर सब प्रकार की कार्यवाही कर रखी है। पर किस लिए पकड़ लिया गया कि तुमने अपनी दुकान पर मधुसूदन का बोर्ड नहीं लगा रखा है। इसका आपने रेडियो पर प्रचार किया।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

समाप्त कर रहा हूं।

डी. एस. ओ. का ट्रान्सफर हो गया और सारे शहर वालों को बुलाया गया और उससे चन्दा इकट्ठा करवाया गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसी डी. एस. ओ. को आपने उदयपुर की नगरपालिका में कमिश्नर बना दिया। इसी प्रकार से आपके चहेते भूतपूर्व आर. के. खुराना हैं उनको सब प्रकार की चोरियों की छूट दे रखी है। इन्सपेक्टर ने रिपोर्ट की लेकिन डी. एस. ओ. मिला हुआ और डी. एस. ओ. ने उसके कागजों को फाड़ दिया।

लेवी की वसूली आपने देर से की। चित्तौड़ में दो प्रकार के आपने कांटे लगाये और आपने लेवी वसूल करने में सवाई माधोपुर में जो वहां का स्थान मऊ है वहां पर लोगों को फंसाया।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

आधा मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

एफ. सी. आई. के लोग और आर. एस. डब्ल्यू. सी. के लोगों के पास पैसा नहीं था। जिस समय तोलते थे उस समय उनको नकद पैसा देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया। आज तक दावे के साथ कह सकता हूं कि लोग तड़प रहे हैं और लोगों के पैसे नहीं मिले। कई किसानों को आपकी गलत नीतियों के

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

आधार पर और 30 मई और 11 जून वाले आदेशों से मुसीबतें उठानी पड़ी हैं। राज्य सरकार ने सारी लेवी वसूल करने में कितना कम पैट्रोल पर खर्चा किया। मैं समझता हूँ कि पैट्रोल के अन्दर खर्चा जितना होगा उतनी कीमत की लेवी वसूल नहीं हुई। आपका सारा राजस्व विभाग महीनों लेवी वसूली करने में बन्द रहा वह नुकसान दूसरी ओर।

इसी प्रकार से अन्तिम बात चीनी के वैगनों के बारे में कह कर अपनी बात समाप्त करता हूँ। चीनी के वैगन बम्बई में वहीं की वहीं गायब कर दिये। यह आपके चहेतों के वैगन थे और आपने कोई कार्यवाही नहीं की।

आपने 43 फूड प्रवर्तक स्टाफ, एन्फोर्समेन्ट ऑफिसर्स के ट्रान्सफर किये। कुछ डी. एस. ओ. के ट्रान्सफर किये। मैं अंत में यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो प्रवर्तक स्टॉफ के ट्रान्सफर हुए उनके लिए मुख्य मंत्री जी ने स्टे दे दिया। क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया कि भीखाभाई का पुत्र नरेन्द्र भील भी उसमें इन्सपेक्टर था। क्योंकि अपने ही सहयोगी के पुत्र का ट्रान्सफर हो रहा था उसको मूल विभाग में भेजा जा रहा था—मैं कहता हूँ कि केवल एक व्यक्ति के पक्षपात के कारण, कांग्रेस की गलत नीतियों के आधार पर सारे के सारे ट्रान्सफर स्टे हो गए। तो मेरा निवेदन है कि जो कृत्रिम अभाव बना रखा है उसको मिटायें, लोगों को सहूलियतें दें, वक्त पर लोगों को अनाज दें, राशनकार्ड दें। मैं समझता हूँ कि जो सुझाव मैंने प्रस्तुत किये हैं इन सारे सुझावों का आप अपने उत्तर में समाविष्ट करेंगे ऐसी मुझे आशा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय

श्री शिवचरण माथुर (खाद्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे 9 घंटे तक 29 माननीय सदस्यों ने इस लम्बी बहस में भाग लिया और मैं तो यहीं कह सकता हूँ कि मुझे बहुत सी बातें नयी मालूम हुईं और कई सुझाव भी मेरे सामने आये। इसलिए मैं अपनी बात कहूँ उसके पहले माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत सी बाते जो उनके क्षेत्र में उनके ध्यान में आई लेवी के सम्बन्ध में या और दूसरी बातों के सम्बन्ध में—यहां पर उनका जिक्र किया। महंगाई के कारणों में, चीजों के अभाव के कारणों में और दूसरी कठिनाइयां हैं उन सब के कारणों में जाकर आपका समय नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य अभी कहेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय कारणों का जिक्र मैं करने लगा हांलाकि वह कारण बहुत वाजिब है लेकिन मैं उनका जिक्र करना नहीं चाहता क्योंकि आपको सब मालूम है। यह बात सही है कि हमारे देश में चीजों का अभाव है और जिस प्रकार की आज स्थिति है उस स्थिति का मुकाबला करने के लिए यह भी बात रही है कि हमें राज्य के भण्डारों में अनाज की उपलब्धि के लिए काफी बड़े पैमाने पर कार्यवाही करनी पड़ेगी और यदि यह नहीं होता है तो आज की स्थिति में शायद सारे देश और हमारे प्रदेश को एक बहुत ही विषम परिस्थिति के बीच में से गुजरना पड़ सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सारे देश की खाद्य नीति एक समान नीति हुआ करती है, उसमें किसी एक प्रदेश का अपना अभिमत बहुत माने नहीं रखता और यदि सारे देश की एक खाद्य नीति नहीं हो तो मैं समझता हूँ कि जब

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कभी इस प्रदेश पर विपत्ति आये या कठिनाई आए तो फिर बड़ी कठिनाई का सामना हमको करना पड़ सकता है। मैं समझता हूं कि हम यह न भूलें कि इसी राजस्थान में एक साल 26 में से 23-23 जिलों में अकाल पड़े हैं और ऐसे भयंकर अकाल पड़े हैं जब कि सारे राजस्थान में अकाल राहत कार्यों पर लगने वाले लोगों की संख्या जिसमें एक-एक लाख सवा-सवा लाख और डेढ़ लाख तक पहुंच गई थी और एक-एक वर्ष में साठ करोड़, सौ करोड़ रुपये तक की धनराशि अकाल राहत कार्यों पर खर्च की गई थी। यदि एक राजस्थान प्रदेश केवल अपने साधनों के आधार पर इस बड़ी विपत्ति से निपटने की तैयारी करता तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों के सामने काफी कठिनाई आती। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि राजस्थान की लॉबी दिल्ली में कमजोर है और वहां आप जोरों से किसी चीज की मांग नहीं करते। मैं उनसे नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि राजस्थान की लॉबी कमजोर होती तो एक-एक वर्ष में सौ-सौ करोड़ रुपये की धनराशि अकाल का मुकाबला करने के लिए हमको नहीं मिलती- यह बात भी आपको मालूम है कि छठे वित्त आयोग ने जब सारे राजस्थान की आर्थिक स्थिति का जायजा लिया उस समय अकाल का जितना खर्चा हुआ था उसको एक साथ अकाउण्ट फॉर करने के लिए—हमारे पुराने डेफिसिट को दूर करने के लिए एक बहुत बड़ी राहत राजस्थान को प्रदान की थी। तो यह कहना कि राजस्थान अलग से एक अपनी नीति बना करके सफल हो जाएगा, मैं समझता हूं कि सत्य से परे होने वाली बात है और शायद आज की हालत में देश का कोई भी भाग अपनी एक नीति रख कर चले वह आज सम्भव हो नहीं सकता। गेहूं की इस बार की नीति को ले लीजिए। 16 मार्च को मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन दिल्ली में हुआ था उसमें हमने अपनी बात बहुत स्पष्ट रूप से कही थी और हमने निवेदन किया था उस सम्मेलन में कि राजस्थान जैसे प्रदेश की स्थिति में व्यापारियों से लेवी लेना कभी भी सफल नहीं हो सकता लेकिन सारे देश के स्तर पर जिसमें कुछ डेफिसिट स्टेट भी शामिल थे एक ऐसा कॉन्सेन्सस बना कि पिछली बार जो गेहूं को राजकीय आधार पर लेने वाली बात तय की गई थी उसमें अपेक्षाकृत जितने टार्गेट रखे, अवश्य ही उससे कम टार्गेट पूरे हुए और उसका परिणाम यह हुआ कि बहुत से डेफिसिट स्टेट्स में अनाज की कमी आ गई और भाव आसमान को छूने लगे। इस बात को देखते हुए एक निर्णय लिया गया और देश के व्यापारियों ने यह विश्वास भी दिलाया कि यदि उनको कुछ सुविधायें दी जायं और उनको व्यापार में लिया जाय तो वह इस स्थिति का मुकाबला करने का प्रयत्न कर सकते हैं। ठीक बात है, गवर्नमेन्ट भी अपने किसी एटीट्यूड पर रिजिड नहीं रह सकती थी, तो भारत सरकार ने सोचा कि इस नीति को भी एक प्रकार से परखा जाय, इस आधार पर यदि समस्या का हल निकल सकता हो तो उसके लिए भी कोशिश की जाय। इस बात को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों के जरिये लेवी से गेहूं इकट्ठा करने की नीति को स्वीकार किया गया। हमारी यह इच्छा नहीं थी हमारी पहले से तैयारी थी बल्कि आपसे निवेदन करूं कि फरवरी के महीने में हम लोग इस तैयारी में थे, और अब की बार पहले से, काफी

(श्री गिरधारीलल भार्गव)

पहले से प्रयत्न करके और सीधे किसान से लेवी लेने वाली बात सोची थी लेकिन एक राष्ट्रीय नीति के अन्दर उस फैसले को मंजूर करना पड़ा और वही बात हुई जो होनी थी। मई के अन्त तक बल्कि जून के प्रथम सप्ताह तक कुल मिला कर 17–18 हजार टन व्यापारियों से लेवी इकट्ठी हुई और मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यदि उस समय राज्य सरकार एकदम निर्णय नहीं लेती तो आज नौ घण्टे तक जो कुछ कहा गया है लेवी के सम्बन्ध में, मैं मानता हूं कि उससे कहीं भयंकर स्थिति का आज इस सदन में सरकार को सामना करना पड़ता। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम समय पर व्यवस्था नहीं करते, चाहे देरी से की गई, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, यदि पहले से ही मार्च के महीने में ही इस नीति को घोषित कर देते, अप्रेल के महीने में कर देते तो राजस्थान में ढाई लाख टन से ऊपर अनाज लेवी से इकट्ठा हो जाता और किसानों को भी तकलीफ नहीं होती, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। जिस प्रकार की स्थितियां थीं उसमें हमारे सामने कोई चारा नहीं था सिवाय इसके, देरी होने के बावजूद भी कि हम किसानों के पास जाय, जो सबसे सही तरीका है। मैंने इस बात को पहले भी कहा है जब भी खाद्य के सम्बन्ध में बहस हुई है कि यदि सही मायने में किसी भी स्टेज पर यदि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को देश में चलाने वाली बात है तो इसके सिवाय कि सीधा किसानों से एक निश्चित दर के हिसाब से अनाज लें, दूसरा तरीका हो नहीं सकता।

और मैं आपके मार्फत, सदन के मार्फत राजस्थान के किसानों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बावजूद उनकी बहुत सी कठिनाइयों के मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जिस जोरदार तरीके से यह सारी कार्यवाही की गई और जिस आधार पर सारी व्यवस्था अलग-अलग जिलों में की गई उससे बहुत से किसानों का तकलीफ हुई होगी, मैं इससे इन्कार नहीं करता। मैं जानता हूं कि जो भी माननीय सदस्यो ने कहा उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। लेकिन जिस सारी दिक्कतों के बावजूद राजस्थान के किसान ने हमको जो सहयोग दिया और एक-डेढ़ महीने के भीतर एक लाख टन अनाज हमको लेवी से मिला उसके लिए राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान के किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं राजस्थान के किसानों से क्षमा याचना भी करना चाहता हूं कि जो कुछ भी कठिनाइयां उनको हुई हैं उन कठिनाइयों का हम निराकरण करने की कोशिश करेंगे और आगे आने वाले समय में इस तरह लेवी के दौरान में जो कुछ भी कठिनाइयां सामने आयेंगी उनको मिटाने की कोशिश करेंगे।

मैं यहां यह भी निवेदन करूं कि राज्य सरकार ने, खाद्य विभाग ने लेवी लेने के सम्बन्ध में जिलाधीशों को यह निश्चित आदेश दिए थे कि हम जल्दी में सारा रिकार्ड तैयार नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को प्रॉपर तरीके से डिमान्ड इश्यु करने की स्थिति में नहीं हैं, आपको मौके पर अपने विवेक को इस्तेमाल करके जहां जिस प्रकार की स्थिति हो वहां ऑन दी स्पॉट फैसला लेना है क्योंकि ऊपर से सारी बातों को फूल प्रूफ बनाने वाली बात में देरी हो गई है, उसमें दिक्कत आ सकती थी, समय लग सकता था, समय का अभाव था, पहले दूसरे सारे स्टैप लेकर चलते तो मैं समझता

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

हूं कि किसानों से लेवी लेकर भी अपेक्षित परिणाम हासिल करने में हमको कठिनाई होती। इसलिए हमने जिलाधीशों पर छोड़ा और उनको बहुत साफ तौर पर बता दिया, वहां मीटिंग में बुलाकर कहा कि उनको अपने विवेक का इस्तेमाल करके जो छोटे किसान हैं उनको राहत देनी है और बड़े किसानों को एक प्रकार से छोड़ना नहीं है। और मैं यह दावा नहीं करता कि जो कुछ ऊपर से कहा गया, जो कुछ समझाया गया, उस मुताबिक नीचे सब काम हुआ। उसमें गलतियां रही होंगी। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि जो कठिनाइयां थीं, जो परिस्थितियां सामने थीं उसमें इसके सिवाय कोई चारा नहीं था और हमने यह भी कोशिश की कि आज किसान को जब हमने यह तय किया कि 105) रुपये क्विन्टल के भाव देंगे, तब मैं आपसे यह भी निवेदन कर दूं कि अगर पहले ही किसानों पर लेवी लगा दी होती तो किसानों को 105) रुपये क्विन्टल के भाव पर अपना गेहूं देने में आपत्ति नहीं होती। वे आसानी से दे देते, लेकिन हुआ क्या कि इधर ट्रेडर्स पर लेवी लगी और बाजार में उन्होंने भावों को ऊंचा कर दिया। किसानों ने यह सोचा कि बाजार के भाव ऊंचे हैं और सरकार 105) रुपये क्विन्टल पर लेना चाहती है। मैं समझता हूं कि उस समय जबकि ट्रेडर्स पर लेवी लगाई थी गंगानगर में भाव जो चल रहे थे वे 110) और 115) रुपये क्विन्टल पर थे और 110) 115) के भाव पर यदि ट्रेडर्स बाजार से खरीद कर लेवी देते तब भी दूसरे इलाकों में जहां पर गेहूं की कमी होती है, उसको 135) और 140) रु. में बेच सकते थे, 150) रु: तक बेच सकते थे लेकिन एक दम भाव बढ़ा दिए। परिणाम यह हुआ कि किसान के दिमाग में यह बात आई कि बाजार में भाव ऊंचे हैं और सरकार नीची दर से उससे गेहूं खरीदना चाहती है। तो हमने अपने दिमाग में सोचा और यह तय किया कि किसान के दिमाग में यह जो बात है, उसको दूर किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास कुछ फर्टीलाइजर स्टॉक में था, पुरानी रेट का और 31 मई को भाव दुगने हो गये। यूरिया का और दूसरे खाद का भाव दुगना हो गया। हम ने एकदम कार्यवाही की कि जितना भी, जहां पर भी हमारा स्टॉक था, आदेश दिया विभाग को कि लाभ नहीं कमाया जाये। मार्केटिंग सोसाइटीज के पास जितना भी स्टॉक है उस सारे स्टॉक को पुराने भाव में बेचा। इसके साथ-साथ जो श्रीराम फर्टीलाइजर फैक्टरी है उसके मालिक को बुला कर कहा कि आपके भी जितने डीलर हैं और उनके पास जितना पुराना स्टॉक है, उसको पुरानी दर से बिकवाएं। उन्होंने वायदा किया। व्यापारियों ने वायदा किया परन्तु बाद में वे हाई कोर्ट में चले गये। बहुत बड़े पैमाने पर यह काम किया गया। इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी बहुत से माननीय सदस्यों ने आलोचना की कि फर्टीलाइजर नहीं दिया गया है। जो मेरे पास में आंकड़े हैं उसके आधार पर कह सकता हूं कि जो हमारा विभागीय स्टॉक था, मार्केटिंग सोसाइटीज के पास स्टॉक था, डीलर के स्टॉक को अलग निकाल दें, तो जिससे लेवी प्राप्त की गयी है उसको पुरानी दर से यह खाद वितरित किया गया है और सारे राजस्थान में 10,719 टन फर्टीलाइजर बांटा गया है। जिसकी कीमत यदि लगायी जाए, फर्क निकाला जाए तो यह अन्दाज 11-12 लाख के आस पास आता है। इतना फर्क आता

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

है और इस प्रकार फर्टीलाइजर का लाभ किसान को मिला है उसमें उसे करीब 10 से 15 रुपये का लाभ हुआ है। सीमेन्ट के लिये भी कहा था किन्तु पूरी तौर से इसको लेवी के साथ लिंक करने की स्थिति में नहीं है। लेवी देने वाले लोगों को सीमेन्ट में केरोसीन में, मोटे कपड़े में प्राथमिकता दी जाएगी लेकिन इसको इस आधार पर लिंक कर दें, यह नहीं किया जा सकेगा। निश्चित रूप से गेहूं की लेवी देने वालों को निश्चित दर के आधार पर खाद देंगे और मैं यह कह सकता हूं कि इस वायदे को हम ने बहुत सीमा तक निभाया है और आज भी यह घोषणा मैं करना चाहता हूं कि जिस जिले में लेवी देने वाले किसान को खाद नहीं पहुँची है तो वहां पर हम खाद पहुंचाना चाहते हैं। किसी जिले में स्टॉक कम था, लेवी ज्यादा इकट्ठी हुई है तो वहां पर उसी अनुपात में हम खाद पहुंचाना चाहते हैं। जो बात कही है उसको आज भी हम दृढ़ता-पूर्वक निभाना चाहते है और जितना भी हुआ हमने निभाने की कोशिश की है। सीमेन्ट का सवाल आता हैं। सीमेन्ट के लिये आदेश निकाला है। इस आदेश के जरिए हमने यह कहा है कि जितनी भी सीमेन्ट आज राजस्थान को मिलती है, उस सीमेन्ट के कोटे में बढ़ोतरी होने की गुंजाइश नहीं है। सुब्रह्मण्यम साहब से मैं मिला था और राजस्थान को अधिक सीमेन्ट देने के लिये मैंने उनसे निवेदन किया था, मैंने उनसे यह भी कहा कि राजस्थान में हम ने एक केम्पेन किया है, एक अभियान चलाया है और 5 हजार कुए खुदवाए हैं। बैंकों से इसके लिये कर्जा दिलाया गया है परन्तु इन कुओं के लिये पूरी सीमेन्ट नहीं मिल पा रही है। इसके अभाव में ये कुए बेकार हो गये हैं। उन्होंने कहा देश में सीमेन्ट की उपलब्धि कम है। फैक्टरी में प्रोडक्शन कम है इसलिये हम अधिक सीमेन्ट नहीं दे सकते हैं। जो सीमेन्ट आपको मिलती है उसको आप देहातों में बांटिये और शहरों में इसका वितरण कम कर दीजिये तो कोई नुकसान की बात नहीं होगी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसके आधार पर हम ने राजस्थान के देहाती इलाकों के लिये कुल सीमेन्ट के कोटे का 65 प्रतिशत आवंटित कर दिया है और एक-एक जिले को इस हिसाब से सीमेन्ट वितरित की गयी है। जिलों में भी इसी आधार पर सीमेन्ट का वितरण किया जाएगा। अब यह देखने वाली बात है कि 65 प्रतिशत सीमेन्ट एक प्रकार से जिले के देहातों को बांटी गयी है या नहीं है। अभी खाद विभाग में सीमेन्ट को डील करने वाले अधिकारी हैं, उनसे मैंने यह कहा है और जिलाधीशों को इस प्रकार की सूचना दे दी गयी है कि राज्य के आदेशों के विपरीत सीमेन्ट का वितरण नहीं किया जाये। देहाती इलाकों में ही बांटी जाए। अगर जिलाधीशों द्वारा सीमेन्ट देहाती इलाकों में नहीं बांटी गयी. अभी ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, तो हम इस बात के लिये तैयार बैठे हैं उन से यह अधिकार लेकर पंचायत समिति को दे दें। यह हमारी तैयारी है। जो आदेश राज्य सरकार की ओर से दिए जाते हैं और उन आदेशों का पालन किसी भी आधार पर जिलाधीश द्वारा नहीं किया जाता है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी तैयारी है कि जो जनता की चुनी हुई संस्थाएं हैं, उनके जरिए सीमेन्ट को हम बांटना चाहते है। अभी यह देखने की बात है। दिनांक 3-7-74 को सीमेन्ट के बांटने का यह आदेश प्रसारित किया गया है इसका संकलन, वितरण का संकलन अभी नहीं हो पाया है

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

इसलिए अभी इस निर्णय पर पहुंचने की स्थिति में नहीं हूँ। फिर भी मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि जिलाधीशों ने 65 प्रतिशत सीमेंन्ट गांवों में राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार देहातों को नहीं दी तो यह वितरण का कार्य हम पंचायत समितियों को सौंप देंगे। पंचायत समितियों की मार्फत हम इसको बंटवाना चाहते हैं इसमें हमें आपका सहयोग चाहिये।

मैंने यह बात भी कही है कि हर माह खाद्य-सलाहकार समिति की मीटिंग होनी चाहिये। मेरे पास जो अभी जानकारी उपलब्ध है, यह ठीक बात है कि बहुत से जिलों में इसकी मीटिंग नहीं हुई। आज जितने जिलों की जानकारी उपलब्ध है, यह 12/13 जिलों की जानकारी है, यहां पर मीटिंग्स हुई हैं। प्रति माह मीटिंग्स हो रही हैं यह साफ नहीं कहा है। इसके बारे में भी हम ने जिलाधीशों को कहा है और यदि लगातार वे इस ओर ध्यान नहीं देते हैं तो आगे सख्त कार्यवाही करने का विचार हम रखते हैं। मैं सदन के माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इस समस्या में अधिक से अधिक जन प्रतिनिधियों को इनवाल्व करना चाहते हैं? बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा खरीफ की फसल के समय लेवी का सवाल आया तो जैसे जिलाधीश बाड़मेर ने अधिक से अधिक जन प्रतिनिधियों का विश्वास लेकर काम किया तो टार्गेट पूरा हो गया। उनको जहां पर अलग रखने की कोशिश की तो वहां पर वैमनस्य बढ़ा और सरकार की सही नीतियों के प्रति जनता में अविश्वास पैदा हो गया। यदि सरकार की नीतियों को नीचे के स्तर पर सही तौर से समझाने का प्रयास हो, परन्तु नीचे के स्तर पर सही तौर पर इन नीतियों को इम्पलीमेन्ट करने का अभाव है, इसलिये दिक्कत आती है। किसी भी प्रश्न पर सरकार की नीति खराब नहीं है। जहां कहीं भी बात करते हैं किसान लेवी देने के खिलाफ नहीं हैं बल्कि कहते हैं कि हमें पहले सूचना दो। कई बार भारत सरकार की को-ऑर्डिनेशन कमेटी में भी हम ने यह बात कही है। राजस्थान का किसान लेवी देने के लिये तैयार है। वह यह कह रहा है कि अगली बार लेवी लगावें तो पहले कह दीजिये। और यह बता दिया जाये कि इस आधार पर लेवी होगी वे आराम से लेवी देंगे। यह उसकी तैयारी है जैसा कि मैंने निवेदन किया है हमारी कठिनाइयां हैं, हमारी लिमिटेशन है और उसके अन्दर काम करना पड़ता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं। आपने यहां पर कहा कि इतना अनाज इकट्ठा कर लिया लेकिन सारे राजस्थान में वितरण की स्थिति क्या है। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जब से खाद्य मंत्री आए हैं तब से लगातार खाद्यान्नों का कोटा कम होता जा रहा है। मैंने तथ्यों को छिपाया नहीं है। नोट में कहा है। वे यह भूल जाते हैं, जब राजस्थान को 60 हजार टन गेहूं मिलता था, 30 हजार टन माइलो मिलता था, उस समय राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में अकाल की स्थिति थी और उस स्थिति के अनुपात में यह कोटा मिलता था। जैसे-जैसे अच्छी फसल हुई, आवंटन कम होता चला गया। यदि देश में स्थिति ऐसी है और देश में अनाज की उपलब्धि कम है तो भारत सरकार भी कहां से लाएगी। दोनों बातें रिलेटेड हैं। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

को सुचारु रूप से चलाने के लिये प्रोक्योरमेन्ट की व्यवस्था को भी चलाना होता है। दोनों एक दूसरे से मिली हुई हैं। ग्राप चाहते हैं कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सुव्यस्थित रूप से चले तो लेवी का विरोध न करें वरना ग्रनाज सरकार कैसे इक्ट्ठा करेगी। मैं व्यापारियों का हिमायती नहीं हूँ। व्यापारियों ने लेवी वसूली में सहयोग नहीं दिया। मैं सिद्धान्ततः इस बात को स्वीकार न करते हुए भी, कोई व्यापारी यह न कहें कि सरकार ने सहयोग नहीं दिया, इसलिये पहले ही ग्रादेश दे दिये थे यहां से कि सुबह ही कोई व्यापारी लाइसेन्स के लिए एप्लॉय करे तो उसी दिन उसको लाइसेन्स दे दिया जाय। विकास ग्रधिकारियों को यह ग्रादेश, यह ग्रधिकार दे दिये गये थे। इस प्रकार उनको सहयोग देकर कह दिया गया था ग्राप लेवी वसूल करने की कोशिश करें। ग्रभी एक माननीय सदस्या ने यहां पर कहा कि उनका व्यापारियों का एक ही मकसद है, समय की कठिनाइयों से किस प्रकार ग्रधिक से ग्रधिक फायदा उठाया जाय, किस प्रकार धन ग्रर्जित कर लाभ उठाया जाए। ऐसी हालत में जब देश में बुरी परिस्थितियां चल रही हैं, समाज का एक छोटा सा हिस्सा इस प्रवृत्ति को लेकर चलता है तो वह प्रवृत्ति बहुत दिनों तक नहीं चल सकती है।

लेकिन जो कुछ भी हुग्रा वह हुग्रा। ग्राज यह हकीकत है कि ट्रेडर्स ग्रॉफ राजस्थान ने सहयोग नहीं दिया। इसको कहने में मुझे संकोच नहीं है कि यदि हम प्रोड्यूसर्स के पास नहीं जाते तो ग्रौर कठिनाइयों का सामना हमको करना पड़ता। इसलिए मैं फिर से राजस्थान के किसानों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।

लेवी के सिलसिले में जो कुछ भी कठिनाइयां यहां पर हुई उनका बहुत से माननीय सदस्यों ने यहां पर जिक्र किया। मुझे तो शिकायत के रूप में यदि यह कहा जाय तो 4-5 जिलों से कुछ केसेज मेरे पास ग्राये हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर कहां क्या हुग्रा जिस समय ग्रपने यहां पर लेवी वसूल हो रही थी उस वक्त जानकारी में नहीं ग्राये। मैं निवेदन करूंगा कि लेवी जिन दिनों में चल रही थी तो कम से कम 10 कलेक्टरों से रोज मैं बात किया करता था ग्रौर जिससे भी बात करता था वह यही कहता था कि लेवी ठीक चल रही है। थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं कि खाद की व्यवस्था कर दें, बीज की व्यवस्था कर दें तो हम उसी प्रकार की व्यवस्था करने में लगे हुए थे। उस वक्त में शिकायतें ग्राती तो मौके पर जाकर समस्याग्रों को सुलझाया जा सकता था। मैं ग्राज भी कहना चाहता हूं कि 3-4 जिलों में जहां पर ज्यादा समस्याएं थी मैंने ग्रपने विभाग के ग्रधिकारियों से कहा है कि ज्यों ही यह सेशन खत्म हो जाय तो जहां पर शिकायत हैं वहां पर स्वयं जाकर देखे कि उनको क्या राहत दी जाय। मौके पर जाकर जिनको भी राहत दी जा सकती है उनको राहत देने की कोशिश करें।

ग्राज यहां पर बतलाया गया कि बहुत से लोग जिन्होंने लेवी दे दी थी उनसे भी ग्रधिक ग्रनाज सीज किया हुग्रा है ग्रौर उनको परेशानी है। मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने लेवी दे दो ग्रौर लेवी से ग्रधिक ग्रनाज किसी का ग्रनाज सीज किया हुग्रा है तो मैं ग्रादेश दे दूंगा कि उसको छोड़ दिया जाय। यदि किसी ने लेवी दे

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

दी और लेवी देने के बाद मुकदमें चल रहे हैं, चाहे कितने ही हों, मुकदमों की संख्या नहीं बतलाई गई है, मैंने विभाग से पूछा कि कितने मुकदमें हैं तो हमारे विभाग को नालेज नहीं है। अलग अलग जिलों में कितने मुकदमें चल रहे हैं, उसकी जानकारी उनको नहीं है। हमारे यह आदेश भी थे कि मुकदमें उसी स्थिति में चलाये जायं जब कि कोई हठ करके लेवी का विरोध करे। इनको समझा कर लेवी वसूली की कार्यवाही की जाय। माननीय सदस्यों ने कहा कि बहुत बड़े पैमाने पर मुकदमें चल रहे हैं, यह बात तो कही है लेकिन यह बात नहीं कही है कि किस प्रकार के चल रहे हैं, कितने मुकदमें चल रहे, हैं, समस्या का क्या समाधान है। उसकी जानकारी मोटे तौर पर यहां पर नहीं मिली है। जो भी हो मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसे मुकदमे जिसमें किसानों ने ड्यू लेवी दे दी अगर उसमें ड्यू लेवी से कम दी है तो निश्चित तौर से देनी पड़ेगी, लेकिन ड्यू लेवी दे दी और उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिये गये हैं तो उनको वापिस लेने की कार्यवाही की जायगी। लेवी दे दी और उसके उपरान्त जिसका माल सीज कर लिया गया है तो लेवी से बचा हुआ माल उसको वापिस दे दिया जायगा। यह मैं कहना चाहता हूं। जो माल खरीद लिया गया उस माल में कठिनाई आयेगी, लेकिन जो सीज किया हुआ माल है और जिसमें लेवी के बाद ही माल वहां पर बचा हुआ है वह माल वापिस दे दिया जायगा। यह मैं यहां पर आपसे कहना चाहता हूं।

अभी आदिवासी क्षेत्रों से आने वाले कई माननीय सदस्यों ने यहां पर आदिवासी क्षेत्रों की चर्चा की। दरअसल में वह सही बात है, लेकिन जो पहलू यहां पर आता है वह यह है कि मैं उदयपुर से हूं इसलिए पक्षपात करके अधिक आवंटन वाली बात कही जाती है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय भार्गव साहब कृपा करके सुन लें, राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में जरा जाकर देख लें कि वहां पर स्थिति क्या है? मैं सबसे बड़ा इन्डीकेशन उस बात को मानता हूं जहां माइलो का आवंटन काफी बड़े पैमाने पर होता है, माइलो की खपत काफी पैमाने पर होती है वहां पर सही मायने में तकलीफ है। आज आदिवासी क्षेत्र इस तकलीफ का सामना कर रहे हैं। हमने भारत सरकार को कई बार लिखा है। माननीय मुख्यमंत्रीजी ने पत्र लिखा है। मैंने स्वयं ने जाकर केन्द्रीय खाद्य मंत्री जी से बात की है और उनको बतलाया कि हम आशा करते थे कि इस बार खरीफ की फसल अच्छी होगी क्योंकि पहली वर्षा शुरू हुई थी तो आसार अच्छे नजर आते थे, लेकिन अब 12 जिलों में अभाव की स्थिति बनती जा रही है। पांच जिले तो ऐसे हैं जिनमें बड़े पैमाने पर नाज तक नहीं बोया गया। कई जिले ऐसे हैं वहां पर आधे हिस्से में फसल अच्छी है। जहां पर फसल अच्छी है वहां पर भी अगर एक हफ्ते में पानी नहीं आया तो उसके बिगड़ने की आशंका है। केवल हम अपने प्रयत्नों से राजस्थान के प्रयत्नों के बावजूद स्थिति का मुकाबला नहीं कर पायेंगे। यहां पर 9 घन्टे तक हमने बहस कर ली लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक भारत सरकार से अनाज नहीं मिलेगा हम शायद इस स्थिति का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। आपने यह कहा और मैं भी इस बात को दोहराना चाहता हूं कि

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

भारत सरकार हमारी तकलीफ को दूर करने के लिए मदद करें। कई बार उनसे प्रार्थना भी की है और मुझे भरोसा है कि समय पर निश्चित रूप से वह हमारी सहायता करेंगे। यदि वहां से हमें एलॉटमेंट नहीं मिलता है तो भूख को मिटाने में हमें कठिनाई होगी।

मैं समझता हूं कि लेवि के सम्बन्ध में जो बातें यहां पर कही गई उनका मोटे रूप से मैंने आपको जवाब दिया। जो दूसरी चीजें हैं सीमेंट वगैरह उनके संबंध में मेरा एक ही निवेदन है कि वितरण व्यवस्था की प्रणाली में जो दोष आपने बताया उसमें सुधार करने की गुंजायश है और उसमें सुधार करने की आवश्यकता को मैं महसूस करता हूं। लेकिन एक बात साफ है जैसा कि कैरोसिन का उदाहरण बताया मैंने कई जिलों में इस बात का प्रयत्न किया कि अलग अलग देहाती इलाकों में डीलर्स मुकर्रर करके कैरोसिन वहां पर पहुंचाया जाय, लेकिन मुश्किल क्या होती है कि देहात फैले हुए काफी होते हैं और जो क्वान्टिटी डीलर को कैरोसिन की एलॉट होती है उसको कोई भी डीलर कन्ज्यूमिंग पाइन्ट तक ले जाने को तैयार नहीं होता है। उसका नतीजा क्या होता है कि वह शहर ही शहर में बैठे हुए नजर आते हैं। मैं कहता हूं कि आज राजस्थान में को-ऑपरेटिव सोसाइटीज अलग अलग इलाकों में सक्षम रूप से आर्थिक दृष्टि से सारी की सारी चीजों को अपने हाथ में लेकर सही तौर से वितरित करें तो ठीक होगा। इसको हम प्रयोग के तौर लेना चाहते हैं। मैंने कई बार जयपुर के साथियों से कहा कि आप जयपुर के मोहल्ले मोहल्ले को ले लें और मोहल्ले मोहल्ले में सोसाइटीज बना कर वितरण की व्यवस्था को अपने हाथ में ले लें। सभी चीजें तेल, सीमेंट, कोयला, अनाज, शुगर सबके वितरण की व्यवस्था को-ऑपरेटिव सोसाइटीज करें, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि को-ऑपरेटिव सोसाइटीज जो बनती हैं वह जेनुइन को-ऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं बनती हैं। यदि एक मोहल्ले में बड़े पैमाने पर जहां पर एक हजार आदमी कम से कम रहते हों उसमें कम से कम 500 व्यक्ति उसके सदस्य नहीं बनेंगे और एक बहुत बड़ा कन्ज्यूमर मूवमेंट डेवलप नहीं होगा तब तक हम कितनी ही सरकारी मशीनरी की तरफ से व्यवस्था करने की कोशिश करें उसमें कठिनाइयां सामने आयेंगी। लेकिन कुछ बाकायदा इस बात को सोचा जाय कि आज जैसी देश की स्थिति है और जितनी चीजें उपलब्ध हैं उसके अनुसार उनको सही तौर से बांटने वाली बात की जाय। मैं समझता हूं कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप लोगों से सहयोग अपेक्षित है। भार्गव साहब तीन किलो से 10 किलो वाली बात कहें तो सारी परिस्थिति उनके सामने है। कोई छिपाने वाली बात नहीं है। यह तो ठीक है कि राजस्थान के किसान ने नाज दे दिया तो जयपुर शहर को नाज मिलता रहा। यदि किसान अनाज नहीं देता तो काफी कठिनाइयां आप और हम पर पड़ जातीं। आज की स्थिति में सोचना यह है कि जो कुछ मिलता है उसको अच्छी तरह से बांटने की व्यवस्था हम करें। उसके लिए जो कुछ भी सुझाव यहां पर दें या उसके बाहर दें उसको मैं एक्जामिन करके इम्प्लीमेंट करने की तैयारी रखता हूं और मैं सोचता हूं कि आज की हालत में यही है।

श्री मीठालाल मीणा : लालसोट में ट्रेक्टर्स के लिए पावरलीन का क्या है ?

श्री शिवचरण माथुर : वहां पर तीन पावरलीन ट्रेक्टर्स हैं। यह कोई ज्यादा समस्या नहीं है। मैंने वहां के जिलाधीश को लिखा है जो भी जिले के लिए एलॉटमेंट होता है उसमें सब को अकोमोडेट करना पड़ेगा। तीन तीन ट्रेक्टरों के लिए हेडक्वार्टर्स से अलग एलॉटमेंट हो तो वह सम्भव नहीं है। जिले को जितना पेट्रोल, केरोसिन मिलता है, डीजल मिलता है उसकी उपलब्धि सबको हो। अलग अलग जो ट्रेक्टर्स हैं उनमें उनको बांटने की व्यवस्था वहां पर उनको करनी पड़ेगी। मैंने आपकी दरख्वास्त को वहां पर भेजा है कि इस बात को देखें और पूरी व्यवस्था करें।

एक माननीय सदस्य : इन तीनों ट्रेक्टरों में कोई विशेष प्रकार का इन्जन आता है।

श्री रामकिशन : पावरली से चलते हैं।

श्री शिवचरण माथुर : सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर कई प्रकार की बातें कही हैं। वह यहां पर हैं नहीं लेकिन मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। वह कह तो गये हैं लेकिन जवाब सुनने के लिए यहां पर नहीं हैं। मुझे जो कुछ बातें मालूम हुई उसकी उसी वक्त जांच कराकर सख्त से सख्त कार्यवाही की। मांडलगढ़ में जो वनस्पति घी पकड़ा गया, जहां तक उसका सवाल है, केरोसिन का सवाल है, जो भी मामले आये हैं, पूरे तौर से जांच कराकर सख्त से सख्त कार्यवाही की है। उन्होंने कहने को तो कह दिया। माननीय सदस्य कहकर अपना कर्त्तव्य समाप्त कर चले जाते हैं। ठीक है कि अखबार में नाम आ जायेगा। यह नहीं है कि सरकार का जवाब है, उसकी भी जानकारी करनी चाहिए। इसके लिए रुकने की कोशिश नहीं करते हैं। चार्ज तो आप लगा दें, उत्तर सुनने की क्षमता आप में है नहीं। अपनी बात कह कर चले जायें तो यह ठीक नहीं है। इस प्रकार से बोल कर अगर माननीय सदस्य चले जायें तो यह होगा कि आखिर में बोलने के लिए मैं ही अकेला रह जाता या यह खाली बैंचें रह जातीं। वाद-विवाद सदन में होता है, क्योंकि सदन की अपनी एक प्रक्रिया है। अगर यह हो कि प्रारम्भ में ही मैं कह दूं, जो कुछ कहना है और उस पर बोल लिया जाये लेकिन ऐसी प्रक्रिया नहीं है। इतनी लम्बी चौड़ी बहस आवश्यक भी नहीं होती। आपकी जानकारी में बहुत सी बातें आ जातीं। तो मेरा निवेदन है कि अपनी ओर से पूर्ण रूप से जो कुछ स्थिति है, उसको सुधारने की कोशिश की जायेगी। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की है कि राजस्थान में मूल कमी उत्पादन की कमी है। मैं अपने प्रान्त में दृढ़ता से कह सकता हूं कि 29 लाख टन प्रोडक्शन 51-52 में होता था, पिछले सालों 71-72 लाख टन पहुँच गया है। मुश्किल यह है कि ड्राप होता है तो एकदम ड्राप होता है। राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में वर्षा नहीं हुई है। यह स्थिति हो जाती है। पिछले वर्ष 36 लाख टन बाजरे की फसल पैदा हुई। मेरा अनुमान 30 लाख का था। जैसलमेर, बाडमेर में यह हुआ। वर्षा हो जाती है तो अच्छा हो जाता है। राजस्थान में ऐसी कोशिश की गई है कि सिंचाई के साधनों को बढ़ाया जाये ताकि अगर आने

(श्री शिवचरण माथुर)

वाले 4-5 सालों में वर्षा नहीं हो तो राजस्थान में सिंचाई के साधन हो जायें जिससे सिंचित क्षेत्र इतना अनाज दे दे। चम्बल और राजस्थान कैनाल से 18 लाख हैक्टेयर में सिंचाई होगी। इस प्रकार से 54 लाख टन अन्न प्रोडक्शन दो जगह से हो सकता है। इसके अलावा राजस्थान में कुओं और नदी के किनारे लगने वाले क्षेत्र हैं। तो हम धीरे धीरे सिंचाई के साधनों को बढ़ाने की चेष्टा में हैं। राजस्थान का यह सौभाग्य है कि राजस्थान में नयी ऐसी योजना आ रही है जिससे रेगिस्तानी भूमि पर ऐसे साधन पहुंचेंगे। साधनों की उपलब्धि में यह चेष्टा कर ली जाये, और निरन्तर इसे बढ़ाते जायें। इलैक्ट्रिफाइड नगर हों तो भी मिनिमम प्रोडक्शन हो सके। ऐसी चेष्टा है।

अब मैं अन्त में माननीय सदस्यों को एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। वह यह है कि जैसे हमने ट्रेडर्स पर लेवी लगाई तो हमने भारत सरकार को निवेदन किया यह हमारे यहां नहीं लगायें। किन्हीं माननीय सदस्यों ने कहा है कि 5 राज्यों में प्रोड्यूसर पर लेवी नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि पंजाब और हरियाणा के अलावा और कहीं सफल नहीं हुई है। यू. पी. और मध्यप्रदेश में क्या। पंजाब और हरियाना में इतना अधिक गेहूं पैदा होता है कि उनको बेचना ही पडता है। वह लेवी चुकाने के बाद भी बाहर भेजना चाहें तो वह भेज सकते हैं। वहां सम्भव हो सकता है। लेकिन हमारे यहां सफल नहीं हो सकता है। मैंने 7 जून को ही भारत सरकार को कहा है कि आप ट्रेडर्स से लेवी वापिस लेने की इजाजत दे दीजिये। लेकिन दूसरी स्टेट्स में ऐसा था। लेकिन अभी 9 अगस्त को मैं दिल्ली गया तो भारत सरकार से चर्चा हुई तो उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया। यह कि राजस्थान की यदि ऐसी स्थिति है तो ट्रेडर्स से लेवी को वापिस ले सकते हैं। आज सुबह ही मन्त्रि-मण्डल में चर्चा हुई कि राजस्थान में जो ट्रेडर्स पर लेवी लगाई गई थी वह वापिस ले ली जायेगी। इसी प्रकार से 2,000 क्विन्टल जो ट्रेडर्स रख सकते हैं, इस मात्रा को घटाकर 500 क्विन्टल कर दिया जायेगा। गेहूं की अवेलिबिलटी बढ़े। गेहूं सही तौर से मार्केट में आये इसके लिए जो खुदरा व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, जो देहात से लाकर यहां बेच सकते हैं। मैंने यह इजाजत दी है कि 100 क्विन्टल खुदरा व्यापारी रिटेल शॉप में माल रख सकता है। ला सकता है और बेच सकता है। इससे राजस्थान में जहां जहां गेहूं की कमी हैं, वहां भी वह पहुँच सकेगा। जहां तक यह एक, दो, तीन किलो की बात है, यह सभी लोगों के लिए सम्भव नहीं हो सकता है। जब तक बाजार में अनाज उपलब्ध नहीं किया जायेगा तब तक यह हल नहीं हो सकता है। सारे के सारे राजस्थान में दो-तीन किलो के हिसाब से दें तो यह हल नहीं कर सकते हैं इसीलिए ये जो तीन फैसले मैंने लिये हैं।

श्री मोठालाल : यह खुदरा व्यापारी किस रेट पर बेचेंगे ?

श्री शिवचरण माथुर : रेट का मतलब नहीं है। लेकिन लाकर, गवर्नमेण्ट का टैक्स देकर बाजार में लायेंगे और कन्ज्यूमर्स को बेचेंगे। यह फैसला लिया है, सौ क्विन्टल तक वह प्रोड्यूसर से लेकर बेच सकता है।

(श्री शिवचरण माथुर)
अधिक से अधिक स्टॉक सीमा 500 क्विन्टल रखा है। ट्रेडर पर लेवी लगाई गई थी, वह वापिस लेली गई है। यह मंत्रि-परिषद में निर्णय लिया है; मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं मुझे विश्वास है, इस निर्णय से राजस्थान की मण्डियों में, राजस्थान के बाजार में अनाज आना शुरू होगा। व्यापारियों से एक बार फिर कहना चाहूंगा, जो असहयोग किया है, वह एक तरफ है, लेकिन अब जो सुविधा दी गई हैं उसके कारण अनाज उपलब्ध कराने का प्रयत्न करें और राजस्थान की मंडियों में, बाजारों में अनाज लाकर उपभोक्ता को सही मूल्य पर बेचने की कोशिश करें"

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हनुमान सहाय जो पकड़ा गया है, उसकी बही में किस-किस मंत्री का नाम है, किस-किस ऑफिसर का नाम है ?

श्री शिवचरण माथुर: मुझे जानकारी नहीं है। आपने कहां से जानकारी कर ली।

श्री मीठालाल: गंगानगर से जयपुर लाने में दिक्कत है। जयपुर शहर में लाने में दिक्कत है।

श्री शिवचरण माथुर : दिक्कत नहीं है।

श्री मीठालाल : फिर भी दिक्कत पैदा होगी। उसके बारे में बता दें।

श्री शिवचरण माथुर : मैं इन शब्दों के साथ में, यहां माननीय सदस्यों ने जो बहुमूल्य सुझाव दिये हैं, उनको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामकिशन : आप कह रहे हैं, राजस्थान की हालत खराब है, मुझे जानकारी नहीं है। राजस्थान की हालत ज्यादा खराब है, फिर भी केन्द्रीय सरकार को क्या आप नहीं कह सकते कि मोटे अनाज की निकासी नहीं हो, वह बन्द कर दी जाये। मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार की नीति क्या है ?

दूसरी बात यह है, यह बता दें कि आप प्रिविलेज के प्रश्न से ही काबू में आ सकते हैं, यों नहीं ? आप भरतपुर में तीन किलो अनाज दिलायेंगे या नहीं ? यह गम्भीर मामला है।

तीसरी बात है, हनुमान सहाय की सदन में चर्चा हुई। यह गम्भीर मामला है। इसको लेकर ट्रान्सफर हुआ है, पुलिस वालों को बदला गया है, स्टाफ को बदला गया है। उसकी बही में मंत्री का नाम है या नहीं—इसकी बहस नहीं है। यह मामला शक पैदा कर रहा है। फिर इसका निराकरण करने में आपको क्या दिक्कत है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इतनी सी बात का उत्तर और दे दें"

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अनाज प्रथम सप्ताह में मिलेगा और पूरा कोटा दुकानदारों को देंगे।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भरतपुर में तीन किलो अनाज देने वाली बात यहां पर कही। अगर आपको आवंटन की सूची बताऊं तो हमें इस महीने में पांच हजार टन आवंटन हुआ था। उसमें

(श्री शिवचरण माथुर)

फैसला लिया था, जो सरप्लस डिस्ट्रिक्ट हैं गेहूं के, उन डिस्ट्रिक्ट में कुछ दिन के लिए गेहूं न भेजें। इसी प्रकार फैसला लिया, भरतपुर उसमें आता है, वह सरप्लस डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट में आता है, उसके बावजूद उसको 20 टन अनाज दिया गया···

श्री **रामकिशन** : सरप्लस में नहीं आता है, वहां सबसे ज्यादा भाव हैं।

श्री **शिवचरण माथुर** : आपके भावों को देखते हुए किया है। जितने सरप्लस डिस्ट्रिक्ट हैं, गंगानगर, कोटा, बूंदी, चित्तोड़, भीलवाड़ा, उनको नहीं दिया है।

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : यह पक्षपात क्यों ?

श्री **शिवचरण माथुर** : उन डिस्ट्रिक्ट को हमने एलॉट नहीं किया है पांच हजार टन में से, आपको दिया है। उसके बाद आपको सन्तोष होना चाहिए। सरप्लस डिस्ट्रिक्ट होते हुए, आपकी दिक्कत को समझते हुए, यह समझते हुए कि कई आपकी परेशानी थी, यह किया है।

श्री **लूणाराम** : हमारे जिले में कणक पैदा नहीं होता है····

श्री **उपाध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज ! जवाब आने दीजिये।

श्री **शिवचरण माथुर** : दूसरी बात हनुमान सहाय के केस के सम्बन्ध में कही गई। दरअसल यह केस मीसा के अण्डर में चालान हुआ है, सारा रिकार्ड पुलिस की कस्टडी में है और हाई कोर्ट में केस चल रहा है। सब जुडिस है। एक सवाल आया था, क्योंकि कोर्ट में मामला चल रहा है। एक बात कहूं, जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने सदन में कई बार कहा है, यह मामला आज का नहीं था, यह मामला कई वर्षों से तस्करी का चल रहा है, आज ही खास तौर से केस पकड़ कर चलाकर, हथकड़ी लगा कर बाहर निकाला गया। एक जो बात कही गई, कोताही की तो इसमें कोताही ही का सवाल नहीं है। निश्चित रूप से सख्ती से जितनी कोशिश हो सकेगी, कान्विक्ट कराने की कोशिश की जायेगी। यह कहा गया कि बही खाते में महत्त्वपूर्ण व्यक्ति के नाम पकड़े गये। मुझे तो देखने को मिले नहीं कि कौनसा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति है। रिकार्ड मेरे पास है नहीं। मैं समझता हूं महत्त्वपूर्ण व्यक्ति का नाम नहीं आया है। यह बात प्रचार के लिए कही जाती है। अखबारों में उछालने के लिए कही जाती है उसके आधार पर !

श्री **उपाध्यक्ष** : सदन की कार्यवाही दिनांक 19 अगस्त, 1974 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 11.15 बजे सोमवार, दिनांक 19 अगस्त, 1974 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

शुद्धि-पत्र

शनिवार, दिनांक 17 अगस्त, 1974

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
3	ऊपर से 2	आयोग	आयोग द्वारा
8	अन्तिम से 5	पर	द्वारा
10	अन्तिम स 11	हाथीपोलो	हाथीपोल
15	अन्तिम से 3	वायलेन्ट खड़ा	वायलेन्स खड़ी
24	अन्तिम से 1	स्डेशन	स्टेशन
37	शीर्ष	सदन की मेज पर	स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था
38	शीर्ष	रखे जाने वाले पत्र	सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र
50	ऊपर से 2	करना	करने
69	ऊपर से 1 व 3	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष
76	ऊपर से 14	अपने	अपने को
	,, 19	है कि	है
77	ऊपर से 10	शाचार्य	आचार्य
80	ऊपर से 2	से यह	से न यह
84	अन्तिम से 10	समम्न्ध	सम्बन्ध
90	ऊपर से 3	व्यस्था	व्यवस्था
	,, 4	राजस्थान	राजस्थान सरकार
91	अन्तिम से 15	सेन्ट्रेल	सेन्ट्रल
	,, 7	है	—
94	,, 12	तो	नहीं तो
95	,, 7	कर	—
96	,, 18	मिहनत	मेहनत
111	ऊपर से 4	आबादी	—
162	,, 16	ज्यदा	ज्यादा
191	,, 8	चंचा	चर्चा

1	2		3	4
245	अन्तिम से	16	है	—
246	,,	3	हिन्तुस्तान	हिन्दुस्तान
249	ऊपर से	1	क्या	—
250	अन्तिम से	4	किसी	किस
251	शीर्ष		अशासकीय	शासकीय
339	अन्तिम से	3	करना	करने
	,,	3	उनको	उनका
342	अन्तिम से	12	भरा हुआ	भरा हुआ है
343	,,	20	गल्का	गल्ला
344	,,	13	मुनिम	मुनीम
348	,,	5	दो-तीन	दो-तीन दिन
357	ऊपर से	1	गिरधारीलाल भार्गव	शिवचरण माथुर
359	,,	1	,,	,,
361	,,	1	,,	,,
363	,,	1	,,	,,
364	,,	17	खाद	खाद्य
365	ऊपर से	1	गिरधारीलाल भार्गल	शिवचरण माथुर
	,,	7	दोहातों को	—
366	अन्तिम से	13	खाद्यन्नों	खाद्यान्नों
367	ऊपर से	1	गिरधारीलाल भार्गव	शिवचरण माथुर
369	,,	1	,,	,,
371	,,	1	गिरधारीलाल भार्गव	,,
	,,	9	लेवि	लेवी
376	अन्तिम से	10	जो	दो